पंचम माला, खंड 5, अंक 40 | शुक्रवार, 16 जुलाई, 1971/25 आषाढ़, 1893 (शक)
Fifth Series, Vol. V, No. 40 | Friday, July 16, 1971/Asadha 25, 1893 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र
Second Session]

[खंड 5 में अंक 31 से 40 तक हैं
Vol. V contains Nos. 31 to 40]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया | *Price : One Rupee*

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 40, शुक्रवार, 16 जुलाई, 1971/25 आषाढ़, 1893 (शक)

No. 40, Friday, July 16, 1971/Asadha 25, 1893 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
1171. राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा दिए गये ऋणों की वसूली	Recovery of Loans advanced by Nationalised Banks ..	1—4
1172. अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ से सहायता	Aid from International Development Association ..	5—6
1174. बांगला देश से आए शिक्षकों को खपाने के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रस्ताव	University Grants Commission's Proposal re : absorption of Teachers from Bangla Desh ..	6—8
1175. रणजीत तथा लोदी होटलों में सरकारी निगमों के कार्यालयों को स्थान देना	Accommodation for offices of Government Corporations in Ranjit and Lodi Hotels ..	8—9
1176. मध्य प्रदेश को ऋण	Loans to Madhya Pradesh	9—11
1179. कूच बिहार के तम्बाकू उत्पादकों को सहायता	Assistance to Tobacco Growers of Cooch Behar ..	11—13
1180. पटना में गंगा नदी के ऊपर पुल का निर्माण	Construction of Bridge over the Ganga at Patna ..	13—15
1183. सपरेटा दुग्ध चूर्ण पर उत्पादन शुल्क	Excise duty on Skimmed Milk Powder	15—16
1184. अजमेर के रीजनल कालेज आफ एजूकेशन में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की बढ़ती हुई गतिविधियां	Increased Activities of RSS in Regional College of Education, Ajmer ..	16—19

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या
S. Q. Nos.

1173.	चौथी योजना में राष्ट्रीय राजपथों का निर्माण करने का निर्णय	Decision to construct National Highways during the Fourth Plan Period ..	20
1177.	पी-फार्म के बारे में छूट	Relaxation of 'P' Form	20
1178.	वास्तविक से कम तथा अधिक मूल्यों के बीजक बनाने के बारे में जांच पड़ताल सम्बन्धी समिति	Committee to examine manipulation in invoicing ..	20—21
1181.	तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजपथों पर किया गया खर्च	Amount spent on National Highways in Tamil Nadu ..	21
1182.	कलकत्ता-स्थित नेताजी संग्रहालय को वित्तीय सहायता	Financial Aid to Netaji Museum in Calcutta ..	22
1185.	भारतीय सर्कस का विकास	Development of Indian Circus	22—23
1186.	अंतर्राज्यीय सांस्कृतिक आदान प्रदान योजना	Inter-State Cultural Exchange Scheme ..	23
1187.	कोचीन तथा बम्बई के बीच स्टीमर सेवा	Steamer Service between Cochin and Bombay ..	23—24
1188.	कोचीन में पोत निर्माण परियोजना के निष्पादन के लिए कम्पनी का गठन	Formation of a Company for the execution of Shipyard Project at Cochin ..	24
1189.	ओ० सी० एम० (इण्डिया) प्राइवेट लि० का अधिग्रहण	Taking over of OCM (India) Private Ltd ..	24
1190.	एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रियायें अधिनियम के उपबन्धों में छूट	Relaxation in the provisions of Monopolies and Restrictive Trade Practices Act ..	25
1191.	पत्तनों और पत्तन क्षेत्रों का विकास	Development of Ports and Port Areas ..	25—26
1192.	माध्यमिक तथा लघु पत्तनों के मजदूरों के लिए वेतन आयोग की नियुक्त करने की माँग	Demand for the appointment of a pay Commission for Intermediate and Minor Port Workers ..	26
1193.	राष्ट्रीय राजपथों को चौड़ा करना	Widening of National Highways ..	26

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
ता० प्र० संख्या **S. Q. Nos.**		
1194. वास्तविक से कम मूल्य के बीजक बनाने के मामले में सीमा शुल्क विभाग द्वारा जारी किए गये नोटिसों पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय	Supreme Court's Verdict on Notices issued by Customs Department for under-invoicing ..	27
1195. जीवन बीमा निगम द्वारा प्रीमियम की दरों में कमी	Reduction in Premium Rates of LIC ..	27—28
1196. आयकर निर्धारण के मामलों के विरोध में अपीलें	Appeals against Income tax Assessment Cases ..	28
1197. मद्रास बन्दरगाह को स्वच्छ रखने के उपाय	Steps to keep Madras Port Clean	29
1198. मद्रास पत्तन पर तेल जेटी का निर्माण करने के लिये प्राक्कलन और डिजाईन	Estimate and Design for the Construction of Oil Jetty at Madras Port ..	29
1199. केरल को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Kerala ..	30
1200. छोटे जमाकर्त्ताओं को दिये गये प्रोत्साहन	Incentives Provided to Small Depositers ..	30
अता० प्र० संख्या **U. S. Q. Nos.**		
5016. रामपुर के नवाब द्वारा आयकर आदि धन के विवरण का दिया जाना	Filling of Income Tax and Wealth Tax Returns by Nawab of Rampur ..	31
5017. रामपुर की बेगम द्वारा आय कर और धन कर का विवरण दिया जाना	Filling of Income Tax and Wealth Tax Returns by the Begum of Rampur ..	31
5018. रामपुर के नवाब के विरुद्ध आय कर की बकाया धनराशि	Arrears of Taxes against Nawab of Rampur ..	32—33
5019. रामपुर की बेगम के विरुद्ध आय कर की बकाया धनराशि	Arrears of Taxes against Begum of Rampur ..	33—34
5020. डा० भगवान दास स्मारक न्यास, नई दिल्ली के निदेशक द्वारा आयकर की अदायगी न करना	Non Payment of Income tax by the Director of Dr. Bhagwan Das Memorial Trust, New Delhi ..	35

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

अता० प्र० संख्या / U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5021.	नई दिल्ली-स्थित, डाक्टर भगवान दास मेमोरियल ट्रस्ट के विरुद्ध रसीदी टिकट न लगाने के सम्बन्ध में शिकायत	Complaint against Dr. Bhagwan Das Memorial Trust, New Delhi for non-affixing of Revenue Stamps ..	35
5022.	महाबलीपुरम तथा नीलगिरि का पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकास की योजना	Scheme for Development of Mahaballi-puram and Nilgris as Tourist Centres ..	36
5023.	चौथी पंचवर्षीय योजना में बड़े तथा मध्यम दर्जे के पत्तनों के सुधार के लिए आवंटित राशि	Amount allocated for the improvement of Major and Medium ports during Fourth Plan ..	36—40
5024.	कलकत्ता से पारादीप को भेजे गये समुद्री जहाजों में माल के लदान तथा उतारने सम्बन्धी कार्य की प्रतिशतता	Percentage of Loading and Unloading work of Ships diverted from Calcutta to Paradeep ..	40
5025.	काकीनाडा तथा बिमलीपट्टम पत्तनों की क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता	Need to expand the capacity of Kakinada and Bimlipatam Ports ..	40
5026.	विशाखापटन—बिमलीपट्टम समुद्रतटीय सड़क के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता	Financial assistance for the construction of Visakhapatnam Bimlipatam Beach Road ..	41
5027.	विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों का अनुदान तथा प्रकाशन योजना के अन्तर्गत पुस्तकों का प्रतिलिप्य-धिकार प्राप्त करने के लिए खर्च की गई विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange spent for obtaining Copyrights of Books under Translation and Publication of University Level Book Scheme ..	41
5028.	बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर द्वारा दिये गये ऋणों के सम्बन्ध में शिकायतें	Complaints regarding loans given by Bank of Bikaner and Jaipur ..	42
5029.	राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा अन्तर्देशीय प्रलेखीय बिलों के विनिमय के बारे में उपभोक्ताओं को कठिनाई	Difficulties faced by Customers Regarding Negotiation of Inland Documentary Bills by Nationalised Banks ..	42
5030.	राष्ट्रीयकृत बैंकों के डिस्काउंट हाउस	Discount House of Nationalised Banks	43

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
5031. आसाम को दिये गये ऋण	Loans given to Assam.	43
5032. चौथी योजना में मद्यनिषेध 'कुष्ठ निवारण, प्रोढ़ शिक्षा तथा हरिजन कल्याण हेतु निर्धारित धनराशि	Allocation in Fourth Plan for Prohibition, Prevention of Leprosy, Adult Education and Harijan Welfare ..	44
5033. शिक्षा के विकास के लिये राज्यों को ऋण	Loans to States for Development of Education ..	44
5034. आसाम में समाज कल्याण संस्थाओं को दिये गये अनुदान	Grants given to Social Welfare Institutions in Assam ..	44
5035. राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा आसाम राज्य को दिये गये ऋण	Loans advanced to Assam State by the Nationalised Banks ..	45
5036. कोवालम में रेस्टोरेन्ट का निर्माण	Construction of Restaurant at Kovalam ..	45
5037. राज्य परिवहन निगमों की हुई हानियों की जांच करने के लिए समिति	Committee to enquire into the losses suffered by State Transport Corporations ..	6
5038. काठमांडू तथा नई दिल्ली के बीच सीधी जेट विमान सेवा	Direct Jet Flight Service between Kathmandu and New Delhi ..	46
5039. न्यूजपेपर एण्ड पब्लिकेशन (प्राईवेट) लिमिटेड पटना के चेयरमैन को वेतन का भुगतान	Payment of salary to the Chairman of Newspaper and Publication (Private) Limited, Patna ..	47
5040. मोटर गाड़ियाँ खरीदने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को कोटा अलाट किया जाना	Allotment of quota of vehicles to Madhya Pradesh Government ..	47
5041. मैसूर में जाली डालरों की जालसाजी का पता लगना	Unearthing of Fake Dollars Racket in Mysore ..	47—48
5042. तमिलनाडु की कम सुधार योजना (रिक्लेमेशन स्कीम) के लिए केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for Cooum Reclamation Scheme, Tamil Nadu ..	48
5043. स्टेट बैंक आफ इन्डिया से 60 लाख के करंसी नोटों का ले जाया जाना	Currency Notes worth Rs. 60 laks removed from State Bank of India ..	48—49

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

5044. जामनगर इन्डस्ट्रीज को राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण लेने के कठिनाइयाँ	Difficulties experienced by Jamnagar Industries in getting Loans from Nationalised Banks ..	49
5045. अशोक होटल, नई दिल्ली का व्यय और आय	Expenditure and Income of Ashoka Hotel, New Delhi ..	50
5046. मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए छात्रावास बनाना	Construction of Hostels for Scheduled Castes/Tribes Students in Madhya Pradesh ..	51
5047. दिल्ली के टैक्सी चालकों द्वारा किराये में वृद्धि करने की मांग	Demands of Taxi Drivers in Delhi for Increasing Fares ..	51
5048. दिल्ली में यातायात नियमों के उल्लंघन के अनिर्णित पड़े मामले	Cases of Traffic Violations pending in Delhi ..	52
5049. त्रिवेन्द्रम में यूथ होस्टल	Youth Hostel at Trivandrum ..	52
5051. स्कूल जाने वाले बच्चों के दंतरोग	Dental Decay among School-going Children ..	53
5052. श्रम सहकारी समितियों द्वारा सरकारी उपक्रमों के सिविल निर्माण कार्यों को करने का प्रस्ताव	Proposal for handling Civil works of Public Undertaking by Labour Cooperatives ..	53
5053. औद्योगिक पुनः निर्माण निगम द्वारा पश्चिम बंगाल में बन्द उद्योगों/घाटे में चल रहे उद्योगों को पुनः चालू किया जाना	Revival of closed/stock industries in West Bengal by Industrial reconstruction Corporation ..	54
5054. मै. इंचक टायरज लिमिटेड और मै नेशनल रबड़ मेनुफैक्चरर्स लिमिटेड का कार्यकरण	Working of M/s Incheck Tyres Limited and M/s National Rubber Manufacturers Limited ..	55
5055. संघ राज्य क्षेत्र के शिक्षा विभाग में उच्च न्यायालयों के बकाया मामले	High Court Cases pending in Education Departments of Union Territories ..	55—56
5056. ट्रैक्टरों के आयात के लिए विश्व बैंक से ऋण	World Bank Loan for Import of Tractors ..	56
5057. बच्चों के लिए पोषणिक कार्यक्रम आरम्भ करने के लिए यूनिसेफ द्वारा चुने गये नगर	Cities selected by UNICEF for Nutritional programme for Children ..	56--57

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
5058. जोखिम निवारक निधि के लिए औपन वेल स्कीम	Open well scheme for providing risk stablisation Fund ..	57—58
5059. कोलार गोल्ड खान उपक्रम के अस्पताल द्वारा औषधियों का दुरुपयोग	Misuse of Medicines in Kolar Gold Mining Undertaking's Hospital ..	58—59
5060. मध्य प्रदेश के कृषकों को ऋण	Loans to Agriculturists in Madhya Pradesh ..	59
5061. गुजारात में नौ प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना	Setting up of Marine Training Institute in Gujarat ..	59
5062. स्वर्णकारों को रोजगार दिया जाना	Jobs provided to Goldsmiths ..	59—60
5063. सरकारी कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता	Overtime Allowance to Government Employees ..	60
5064. बड़े नोटों का प्रचलन	Circulation of Notes of High Denominations ..	60—61
5065. सामान्य बीमे के राष्ट्रीयकरण के बारे में कलकत्ता क्लेम्स ब्यूरो से प्राप्त अपील	Appeal received from Calcutta Claims Bureau Re. Nationalisation of General Insurance ..	61
5066. हैदराबाद में अवैध रूप से शराब बेचने वालों के गिरोह का पता लगाना	Unearthing of Bootleggers' Racket in Hyderabad ..	62
5067. पारादीप बन्दरगाह के निकट समुद्री प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का निर्णय	Decision to set up a Marine Training Institute near Paradeep Port ..	62
5068. राज्य परिवहन मंत्रियों की बैठक	State Transport Ministers' Meeting	62—63
5069. राज्यों द्वारा अपनी स्वीकृत वार्षिक योजना के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाना	Raising of Additional Resources by States for their approved Annual Plan ..	63—64
5070. मद्य निषेध को समाप्त करने के बारे में तमिलनाडु सरकार का निर्णय	Tamil Nadu Government's Decision to Scrap Prohibition ..	64

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

5071. दार्जिलिंग के पर्वतीय लोगों को मैट्रिकोत्तर शिक्षा सहायता देने सम्बन्ध योजना को समाप्त करना	Abolition of Scheme of Post-Matric Educational Assistance to Hill People of Darjeeling District	64—65
5072. राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा की जाने वाली नकदी के अनुपात में वृद्धि	Enhancement in the Ratio of Cash Reserves to be Deposited by Nationalised Banks with Reserve Bank of India ..	65
5073. कम्पनियों के निदेशकों का चुनाव करने की प्रक्रिया में परिवर्तन	Change in procedure for electing Directors of Companies ..	65
5074. देश के अन्तरीय मार्गों पर एवरो-748 का प्रयोग	AVRO—748 on domestic routes	65—66
5075. बिहार के लोरिया, डोनों और रामपुरवा का पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकास	Development of Lauria, Dono and Rampurva in Bihar as Tourist Centres ..	66
5076. दुमारिया घाट, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुल का निर्माण	Construction of bridge over National Highway, Dumariaghat (Bihar) ..	66
5077. 1972 के ओलिम्पिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के दल को भेजने के लिये अनुदान	Grant for sending contingent of Indian players to 1972 Olympic Games ..	67
5078. स्कूल के छात्रों की डाक्टरी जांच	Medical examination of students in Schools ..	67—68
5079. 1972 के ओलिम्पिक खेलों में भाग लेने के लिये भारतीय टीम	Indian team to participate in 1972 Olympic Games ..	68
5080. राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कर के वाराणसी को सेलम के साथ मिलाने का प्रस्ताव	Proposal to connect Varanasi with Salem by constructing a National Highway ..	68
5081. अमृतसर को दिल्ली के साथ मिलाने वाले एक नये राष्ट्रीय राजपथ के निर्माण का प्रस्ताव	Proposal to construct a new National Highway connecting Amritsar with Delhi ..	68—69
5082. मध्य प्रदेश में खेलों का विकास	Development of Sports in Madhya Pradesh ..	69
5083. मध्य प्रदेश के लिये मंजूर किए गये आदिवासी ब्लाक	Tribal Blocks sanctioned for Madhya Pradesh ..	69

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5084. औद्योगिक वित्त निगम द्वारा मध्य प्रदेश में उद्योगों को दिए गए ऋण	Loans sanctioned by IFC to industries in Madhya Pradesh ..	69—70
5085. स्टेट बैंक आफ इन्डिया द्वारा स्थानीय क्रियान्वति समिति का गठन	Setting up of local Implementation Committees by State Bank of India ..	70
5086. छात्रों के लिए भारत दर्शन यात्रायें	Bharat Darshan tours for students	70
5087. दार्जिलिंग जिले के पहाड़ी लोगों का उत्थान	Upliftment of Hill People of Darjeeling District ..	71
5088. अण्डामान और निकोबर द्वीपों के अध्यापकों के वेतनमान	Pay-scales of Teachers in Andaman and Nicobar Islands ..	71
5089. राजस्थान, पश्चिम बंगाल और बिहार में तस्करी के माल का पकड़ा जाना	Smuggled goods seized in Rajasthan, West Bengal and Bihar ..	72
5090. बिहार के विष्णुपुर टाउन से जाली करेन्सी नोटों के छापने के काम आने वाली सामग्री का बरामद किया जाना	Recovery of material used for printing forged currency notes from Vishnupur Town, Bihar ..	72
5091. कूच बिहार के हवाई अड्डे और उसके लांज में फर्नीचर लगाना	Furnishing of Cooch Bihar Airport and its Lounge ..	72
5092. इण्डियन एयर लाइन्स सहायक वाणिज्यिक प्रबन्धक के पद के लिए पदोन्नति	Promotion to the post of Assistant Commercial Manager in the Indian Airlines ..	73
5093. रूस को ऋणों का भुगतान	Repayment of loans to USSR ..	73
5094. खुदाई कार्य में प्रगति	Progress of excavation work ..	74—75
5095. ग्रांड ट्रंक रोड को अधिकार में लेने का प्रस्ताव	Proposal to take over Grand Trunk Road ..	75—76
5096. सांस्कृतिक तथा वैज्ञानिक वस्तुओं के आगमन के सम्बन्ध में युनेस्को कूपन योजना	UNESCO Coupon Scheme for Inflow of Cultural and Scientific material ..	76—77

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

5097. रिजनल कालेज आफ एजुकेशन भोपाल से खोये गये उपकरण तथा पुस्तकें	Missing of equipment and books from the Regional College of Education, Bhopal..	77—78
5098. केन्द्रीय मंत्रियों तथा सचिवों की विदेश यात्राएँ	Foreign Tours by Central Ministers and Secretaries ..	78
5099. परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा मांगे गये अनुदान	Grants sought by Atomic Energy Commission ..	78
5100. पश्चिम बंगाल में हुई परीक्षाओं में कदाचार	Malpractices in Examinations held in West Bengal ..	78
5103. भारतीय सीमा पार करते समय शरणार्थियों द्वारा बंगला देश से गाड़ियों का लाया जाना	Vehicles brought by Refugees from Bangla Desh while crossing Indian Borders ..	79
5104. पुस्तकों का अनुवाद करने के लिये रिसर्च इन्स्टीच्यूट आफ एन्सियेन्ट साइंटिफिक स्टडीज, नई दिल्ली को अदा की गई राशि	Amount paid to Research Institute of Ancient Scientific Studies, New Delhi for translating books ..	79
5105. इंडियन एयरलाइन्स के निदेशक मंडल का पुनर्गठन	Reconstitution of Indian Airlines Board ..	80
5106. बाराखंबा रोड पर पकड़े गये सिक्के	Coins recovered on Barakhamba Road, New Delhi ..	80
5107. दो रुपये के नोट का परिचालन	Circulation of 2 rupee note	80
5108. चटगांव विश्वविद्यालय के कुलपति की प्रधान मंत्री से बातचीत	Talks held by Vice-Chancellor of Chittagong University with Prime Minister ..	81
5109. खेलों का विकास	Development of Sports	81
5110. दिल्ली परिवहन कर्मचारी संघ द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन	Memorandum submitted by DTU Workers' Union ..	81—82
5111. सड़कों का विकास	Development of Roads	82
5112. जयपुर में तस्कर व्यापारियों का पकड़ा जाना	Apprehension of smugglers at Jaipur	82—83

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

5113.	सहकारी भूमि विकास बैंक पर लगाये गये प्रतिबन्ध	Restrictions imposed on Co-operative Land Development Banks ..	83
5114.	दिल्ली, बम्बई मद्रास और कलकत्ता में 20 पैसे के सिक्के के सम्बन्ध में जालसाजी करने वाला गिरोह	20 Paisa Racket in Delhi, Bombay, Madras and Calcutta ..	83
5115.	राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान स्वास्थ्य शिक्षा कल्याण परियोजनायें	National Institute of Education, Health Education and Welfare Projects ..	84
5116.	हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा गांव का पर्यटक स्थल के रूप में विकास	Development of Village Bhakra in Himachal Pradesh as a Tourist Resort ..	85
5117.	महिलाओं को उड्डयन व्यवसाय अपनाने के लिये प्रोत्साहित करना	Steps to Encourage Women to take up Flying profession ..	85
5118.	उत्तर कनारा में पर्यटन विकास के लिए चुने गए केन्द्र	Centres Selected for Development of Tourism in North Kanara ..	86
5119.	रिजर्व बैंक द्वारा तमिल नाडू सरकार को दिये गये अनुदान की राशि	Amount Granted to Tamil Nadu Government by the Reserve Bank ..	86
5120.	पश्चिम बंगाल में पटसन की मिलों के कार्यकरण के बारे में जांच	Enquiry into working of Jute Mills in West Bengal ..	87
5121.	झालड़ा, जिला पुरुलिया (पश्चिम बंगाल) में पर्यटक केन्द्र की स्थापना	Establishment of a Tourist Centre at Jhalda, District Purulia (West Bengal) ..	87
5122.	केरल में अखिल भारतीय सर्कस संस्थान का स्थापित किया जाना	Setting up of an All India Circus Institute in Kerala ..	88
5123.	चौथी पंचवर्षीय योजना में बिहार में पक्की सड़कों का निर्माण	Construction of Metalled Roads in Bihar During Fourh Five Year Plan ..	88
5124.	सिंगापुर को जाने वाली भारतीय हाकी टीम का यात्रा व्यय	Passage cost of Indian Hockey Team to Singapore ..	88
5125.	काशी विद्यापीठ में छात्रों में व्याप्त असंतोष के बारे में जांच करने के लिये समिति	Committee to probe Students Unrest in Kashi Vidyapeeth ..	89

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
5126. स्टेट आफ आसाम जहाज में लगी आग के बारे में जांच	Enquiry into Fire in the ship "State of Assam" ..	89
5127. सिले सिलाए वस्त्रों से उत्पादन शुल्क का हटाया जाना	Withdrawal of Excise duty on Readymade Garments ..	89
5128. उड़ीसा में छोटे पत्तनों का विकास	Development of minor ports in Orissa	90
5129. सरकारी परिवहन कर्मचारियों के काम की दशा की जांच करने के बारे में समिति की स्थापना की मांग	Demand for appointment of a Committee to enquire about working conditions of public Transport Workers ..	90
5130. तस्करी विरोधी उपायों के परिणाम	Results of Anti-smuggling Measures	90—91
5131. बंगला देश सेकेंड्री स्कूल सर्टीफिकेट को मान्यता देना	Recognition of Secondary School Certificate of Bangla Desh ..	91—92
5132. खलीलाबाद (उत्तर प्रदेश) में विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों का स्टेट बैंक आफ इन्डिया द्वारा दिया गया ऋण	Loans advanced by State Bank of India to different categories of persons in Khalilabad U.P. ..	92
5133. राष्ट्रीय सेवा कोर के लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय को अनुदान	Grants to Gorakhpur University for National Service Corps ..	92
5134. गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सेवा कोर के शिविर	National Services Corps Camps Organised by University of Gorakhpur ..	93
5135. राष्ट्रीय व्यवहारिक अनुसंधान परिषद के नये भवन का निर्माण	Construction of New Building of National Council of Applied Economic Research..	93
5136. सरकारी उपक्रमों में नियुक्त सैनिक सेवा पेंशन पाने वालों से ज्ञापन	Memorandum from Military Pensioners Employed in Public Undertakings ..	94
5137. संघ राज्य क्षेत्रों में स्कूल शिक्षा पर व्यय	Expenditure on School Education in Union Territories ..	94—95

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
5138. सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए किये गये उपाय	Measures taken for advancement of Socially and Educationally Backward Classes ..	95—96
5139. शिक्षा के लिए ऐंग्लोइंडियन समुदाय को अनुदान	Grants for Anglo-Indian Community for Education ..	96
5140. कृषि कर लगाना	Levying of Agricultural Tax	96
5141. मध्य प्रदेश में वन्य जीवों का रक्षण	Preservation of Wild Life in Madhya Pradesh ..	97
5142. एयर इन्डिया द्वारा दिये गए एक विज्ञापन में महिलाओं के चीर हरण का दर्शाया जाना	Advertisement by Air India regarding dis-robing of Women ..	97—98
5143. एयर इन्डिया में डिजाइन कार्यों के लिए नियुक्त विदेशी विशेषज्ञ	Foreign Talent engaged for Designing jobs in Air India ..	98
5144. भारतीय विश्वविद्यालयों में विदेशी छात्रों की प्रवेश देने सम्बन्धी प्रक्रिया	Procedure for Admission of Foreign students in India Universities ..	98—99
5145. भारतीय विश्वविद्यालयों में विदेशी छात्रों को अपेक्षित सुविधाओं का सुझाव देने सम्बन्धी समिति की नियुक्ति	Appointment of Committee to suggest facilities required by Foreign Students in Indian Universities. ..	99
5146. संघ राज्य क्षेत्रों में पर्यटन संबर्धन पर किया गया व्यय	Expenditure incurred on Tourist Promotion in Union Territories ..	99—100
5147. रेलवे सुरक्षा आयोग में भरे गए पद	Posts filled in the Commission of Railway Safety ..	100
5148. उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां	Post-Matric Scholarships to S. C. and S. T. students in Uttar Pradesh ..	100—103
5149. तमिलनाडु में कांचीपुरम को पर्यटन केन्द्र घोषित करने का प्रस्ताव	Proposal to declare Kanchipuram in Tamil Nadu as a Tourist Centre ..	103

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

5150. महाबलीपुरम में ध्वनि तथा प्रकाश प्रदर्शन के लिए स्वीकृत धन राशि	Amount sanctioned for sound and light spectacle at Mahabalipuram ..	103—104
5151. मद्रास पत्तन पर तेल जेटी की डिजाइन और उसके प्राक्कलन	Design and estimates of Oil Jetty at Madras Port ..	104
5152. मद्रास पत्तन पर तेल जेटी का निर्माण	Construction of Oil Jetty at Madras Port ..	104—105
5153. जाली मुद्रा नोटों के सम्बन्ध में फादर जार्ज सी पैकाडू की गिरफ्तारी	Arrest of Fr. George C. Paikadu in connection with fake currency notes ..	105
5154. केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम में वेतनमान	Pay-scales in Central inland Water Transport Corporation ..	105
5155. शैक्षिक तथा समाज कल्याण क्षेत्र में कार्य कर रही अमरीकी संस्थाएं	American Foundations operating in educational and Social Welfare field ..	106
5156. मूर्ति चोरों का अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह	International Gang of Idol Lifters	106
5157. इण्डियन एयरलाइंस के मार्गों पर चलाये जाने के लिए अधिक क्षमता वाले एयर बस किस्म के वायुयान खरीदने का प्रस्ताव	Proposal to purchase high capacity air bus type of aircraft on routes operated by Indian Airlines ..	107
5158. नागर विमानन विभाग में असिस्टेंट एरोड्रम आफिसर्स की कमी	Shortage of Assistant Aerodrome Officers in the Civil Aviation Department ..	107—108
5159. केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय में निदेशक के पद का भरा जाना	Filling up of Post of Director, Central Hindi Directorate ..	108
5160. उड़ीसा में होटल विकास ऋण योजना के अन्तर्गत दिए गए ऋण	Loans advanced in Orissa under the Hotel Development loans scheme ..	108—109
5161. उड़ीसा में राष्ट्रीयकृत बैंकों को ऋण देने के बारे में मिले आवेदन पत्र	Applications received for Grant of Loans by Nationalised Banks in Orissa ..	109
5162. केन्द्रीय क्षेत्र सड़क परियोजनाओं के लिए उड़ीसा को आवंटित राशि	Amount allocated to Orissa for Central Sector Road Schemes ..	109—110

अता० पृ० संख्या U. S. Q. Nos.		
5163. चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान केरल में पर्यटन का विकास	Development of Tourism in Kerala during Fourth Plan period ..	110—111
5164. कम लाभप्रद नौवहन मार्गों पर सेवाएं चलाने के लिए राष्ट्रीय जहाजरानी कम्पनियों को प्रोत्साहन	Inducement to National Shipping Lines for operating on less economic routes ..	112
5165. सरकारी कर्मचारियों को अर्जित छुट्टी के स्थान पर अवकाश वेतन की अदायगी	Payment of Leave Salary in lieu of Earned Leave to Government Employees ..	112
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to a Matter of Urgent Public Importance ..	113—114
तोड़फोड़ करने वाले पाकिस्तानियों द्वारा पूर्व रेलवे की रेलवे लाइन उड़ा दिए जाने के समाचार	Reported blowing up of Railway track on Eastern Railway by Pakistani Saboteurs ..	113—114
श्री त्रिदिब चौधरी	Shri Tridib Chaudhury ..	113—114
श्री हनुमन्तैय्या	Shri Hanumanthaiya	113—114
तमिलनाडु विधान सभा के अध्यक्ष के विरुद्ध विशेषधिकार के प्रश्न के बारे में	Re. Question of Privilege against the Speaker of Tamil Nadu Assembly ..	114—116
सभा के कार्य के बारे में	Re : Business of the House	116
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	Papers Laid on the Table	116—117
लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee ...	117
चौथी प्रतिवेदन	Fourth Report	117
सभा का कार्य	Business of the House	116
तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कार्यकरण की जांच संबंधी समिति के बारे में वक्तव्य	Statement Re: Committee to investigate the working of ONGC ..	118—121
श्री पी० सी० सेठी	Shri P. C. Sethi ..	118—121

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
कार्य मंत्रणा समिति तीसरा प्रतिवेदन	Business Advisory Committee Third Report	121
पश्चिम बंगाल विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक	West Bengal State Legislature (Delegation of Powers) Bill— ..	121—123
अनुदानों की मांगें, 1971-72	Demands for Grants 1971-72 ..	123—141
कृषि मंत्रालय	Ministry of Agriculture ..	123—135
श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे	Shri Annasaheb P. Shinde ..	123—126
श्री आर० एन० बर्मन	Shri R. N. Barman ..	126—127
श्री रण बहादुर सिंह	Shri Ranabahadur Singh	127—128
श्री के० डी० मालवीय	Shri K. D. Malavia ..	128—129
श्री रामकंवर	Shri Ramkanwar	129
श्री मनीराम गोडरा	Shri Mani Ram Godara	130
श्री आर० बालकृष्ण पिल्ले	Shri R. Balakrishna Pillai ..	130—131
श्री जे० एन० मण्डल	Shri J. N. Mandal	131
श्री तारकेश्वर पान्डेय	Shri Tarkeshwar Pandey ..	131—132
श्री बीरेन्द्र सिंह राव	Shri Birender Singh Rao	132
श्री टी० सोहन लाल	Shri T. Sohan Lal	132
श्री गंगाचरण दीक्षित	Shri G. C. Dixit	133
श्री तैयब हुसेन खां	Shri Tayyab Hussain Khan	133
श्रीमती लक्ष्मीकान्थाम्मा	Shrimati Lakshmikanthamma	134
श्री नागेश्वर द्विवेदी	Shri Nageshwar Dwivedi ..	134—135

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति चौथा प्रतिवेदन	Committee on Private Members Bills and Resolutions Fourth Report ..	135
हिन्द-चीन देशों में राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों के समर्थन तथा दक्षिण वियतनाम और अन्य राज्यों को मान्यता देने के बारे में संकल्प	Resolution Re. Supporting National Liberation movements in Indo-Chinese States and Recognition to South Vietnam and other States ..	135—142
श्री ए० के० गोपालन	Shri A. K. Gopalan ..	135, 136, 141, 142
डा० रानेन सेन	Dr. Ranen Sen ..	137—138
श्री आर० पी० उलगनम्बी	Shr iR. P. Ulaganambi ..	138—139
श्री जी० पी० यादव	Shri G. P. Yadav ..	139
श्री शशिभूषण	Shri Shashi Bhushan ..	139—140
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta ..	140
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy ..	140
श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swaran Singh ..	140—142
संविधान संशोधन विधेयक पास करने के लिए संयुक्त बैठक के उपबन्ध के बारे में संकल्प	Resolution Re. Provision of Joint Sitting for Passing Constitution Amendment Bill ..	142—147
श्री शशिभूषण	Shri Shashi Bhushan ..	143
श्री कृष्ण मेनन	Shri Krishna Menon	143
श्री राजा कुलकर्णी	Shri Raja Kulkarni	143
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	144
श्री वयालार रवि	Shri Vayalar Ravi	144
श्री मूल चन्द डागा	Shri M. C. Daga ..	143—145
श्री नवल किशोर सिंह	Shri N. K. Sinha	146
श्री निंबालकर	Shri Nimbalkar ..	146
श्री अमृत नाहाटा	Shri Amrit Nahata ..	146

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 16 जुलाई, 1971/25 आषाढ़, 1893 (शक)
Friday, July 16, 1971/Asadha 25, 1893 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Recovery of Loans Advanced by Nationalised Banks

*1171. **Shri Dhan Shah Pradhan:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the rules framed by Government to effect recovery of loans from persons who were advanced loans by the nationalised banks :

(b) whether these rules have come into force ; and

(c) if not, the action Government propose to take in this regard ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : (क) से (ग) : सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों की वसूली के लिए कोई मान का नियम नहीं बनाये हैं। प्रत्येक बैंक द्वारा तैयार की गई ऋण सम्बन्धी योजनाओं में, ऋणों की वसूली की विशिष्ट शर्तें भी शामिल की गई हैं। भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों की वसूली की समय-समय पर समीक्षा करता हैं। तदनुसार, कृषि क्षेत्र को ऋण देने पर अधिक जोर देने की वर्तमान नीति को ध्यान में रखते हुए, रिजर्व बैंक ने, कृषि के प्रयोजन के लिए दिये गये ऋणों की वसूली के सम्बन्ध में मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी किये हैं। एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है जिसमें इन मार्गदर्शक सिद्धान्तों की मुख्य-मुख्य बातें बताई गयी हैं।

विवरण

भारतीय रिजर्व बैंक ने, राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कृषि प्रयोजनों के लिए दिये गये ऋणों की वसूली के सम्बन्ध में हाल ही में, मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी किये हैं। मार्गदर्शक सिद्धान्तों की मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

(1) अल्प और मध्यम अवधि के ऋणों के सम्बन्ध में वापसी अदायगी की तारीख उस समय पड़नी चाहिए जब काश्तकार ने अपनी पैदावार बेची हो।

(2) बैंकों द्वारा ऋणों की वसूली के प्रयास, ऋणों की वापसी की निश्चित तारीख से पहले ही प्रारम्भ हो जाने चाहिए।

(3) जहां एक से अधिक फसलें पैदा करने की पद्धति है, वहां वापसी अदायगी की नियत तारीख मुख्य फसल की बिक्री के समय पड़नी चाहिए।

(4) किसानों की ऋण वापस करने की क्षमता का हिसाब लगाते समय इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि कुल उत्पादन को बढ़ा-चढ़ा कर न बताया जाए।

(5) वसूली कार्यक्रम सदैव पर्याप्त रूप से लचकदार होने चाहिए, ताकि दैवी विपत्तियों अथवा प्रतिकूल मौसम सम्बन्धी कारणों के उपस्थित होने पर उन्हें सुगमता से संशोधित किया जा सके।

(6) वसूली कार्य की निरन्तर तथा सूक्ष्म रूप से समीक्षा होती रहनी चाहिए। प्रत्येक बैंक की शाखा को मांग, संग्रह और बकाया रजिस्टर तथा नियत तारीख रजिस्टर रखने चाहिए।

Shri Dhan Shah Pradhan : May I know the number of people who received loans from these banks and how many of them have repaid these loans and against how many persons these are still outstanding ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : मैं सामान्य जानकारी दे सकता हूं। मैं व्यक्तियों आदि की वास्तविक संख्या नहीं बता सकता। कृषि उद्देश्यों से दिये गये ऋणों की बकाया राशि के बारे में भी मैं बता सकता हूं। वित्त दो प्रकार के हैं—प्रत्यक्ष वित्त एवं अप्रत्यक्ष वित्त। प्रत्यक्ष वित्त के सम्बन्ध में जून 1969, जून 1970 तथा मार्च 1971 की बकाया राशियां क्रमशः 38 करोड़ रुपये, 151 करोड़ रुपये एवं 198 करोड़ 80 लाख रुपये हैं।

अप्रत्यक्ष वित्त के सम्बन्ध में यह आंकड़े इस प्रकार हैं, अर्थात् जून 1969 के लिए 122 करोड़ रुपयें, जून 1970 के लिए 139 करोड़ रुपये और मार्च 1971 के लिए 129 करोड़ से कुछ अधिक रुपये। ये बकाया राशियां हैं।

मैं लाखों की संख्या बता सकता हूं। उससे व्यक्तियों की संख्या की भी पता लगेगा और माननीय सदस्य यही जानना चाहते थे। प्रत्यक्ष वित्त में, बागानों को छोड़ कर यह संख्या जून 1969 में 171,880 थी और जून 1970 में यह संख्या 615,952 हो गई। मार्च 1971 में यह संख्या 7,95,745 तक बढ़ गई। इससे प्रतीत होता है कि कृषि क्षेत्र से ऋण लेने वालों की संख्या में प्रर्याप्त वृद्धि हुई है।

Shri Dhan Shah Pradhan : What is the expenditure involved on tours etc. of high officers is connection with recovery of loans ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न नियम बनाने के सम्बन्ध में था अर्थात् क्या सरकार द्वारा नियम बनाये गये हैं और क्या वे प्रवृत हो गये हैं और यदि नहीं तो क्यों अन्य बातों के लिए आप को अलग से सूचना देनी चाहिए थी।

Shri Dhan Shah Pradhan : What steps have been taken by the Banks on the basis of Guidelines ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : बैंक कृषि के विकास के लिए ऋण देने हेतु विभिन्न योजनाएं बना सकते हैं। स्वभावत: बैंकों ने छोटे व्यापारियों, रिक्शावालों, टैक्सी वालों और अन्य छोटे उपेक्षित क्षेत्रों जैसे अन्य क्षेत्रों में भी प्रवेश किया है और उन्होंने उनके लिए विभिन्न योजनाएं तैयार करने तथा उन दिशाओं में चलने का प्रयास किया है। इसके लिए आवश्यक था कि नये क्षेत्रों में नई शाखाएं खोलकर बैंकिंग व्यवस्था के आधार-ढांचे का विस्तार किया जाए। बैंकों द्वारा उठाया गया यह बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है।

श्री जगन्नाथ राव : क्या गरीब लोगों को ऋण देने के सम्बन्ध में प्रारम्भ में कोई नियम बनाये गये थे क्योंकि मेरे ध्यान में यह आया है कि पहले अंधाधुंध रूप से ण दिये गये और ऋणों की वसूली में बैंकों को कठिनाई अनुभव हुई। माननीय मंत्री द्वारा बताई गई ऋण लेने वालों की कुल संख्या में से क्या वे यह ब्यौरा बता सकते हैं कि कितने लोग अमीर थे और कितने लोग गरीब ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : क्या प्रारम्भ में नियम बनाये गये थे इस प्रश्न के सम्बन्ध में जैसा कि मैंने बताया है जब भी कोई बैंक ऋण देता है, वह ऐसा कुछ शर्तों के अनुसार करता है। यह बात नहीं कि इसके लिए कोई नियम बनाये गये थे। परन्तु हमने यह पाया कि मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाना अच्छा है। इसे मैं विस्तार से समझाऊंगा। राष्ट्रीयकृत बैंक परम्परागत रूप से केवल व्यापार तथा उद्योग के क्षेत्र में ऋण देने सम्बन्धी कार्य करते रहे हैं। कृषकों को ऋण सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान करने के सम्बन्ध में उन्हें अधिक अनुभव नहीं था। प्रारम्भ में उनसे कुछ भूलें हुई। यह भी संभव है कि किन्हीं अवांछनीय तत्वों ने इसका लाभ उठाया हो—मैं इससे इन्कार नहीं करता, परन्तु हमें कोई न कोई रास्ता अवश्य निकालना है। बाद में यह अनुभव किया गया कि रिजर्व बैंक द्वारा मार्गदर्शी सिद्धान्त सुनिश्चित होने चाहिए जो सभा-पटल पर रखे हैं, जिनमें यह बातें हों कि किस प्रकार की सावधानियां बरती जायें, बैंक किस अवसर पर वसूली करें आदि। ऐसा मौसम होता है जब कृषक आसानी से ऋण की अदायगी कर सकता है। यदि बहु-फसल पद्धति है तो वसूली का अवसर स्वाभाविक रूप से वह होता है जब नकद-फसल की बिक्री होने वाली है। तब किश्तों की बात है, ऋण की वसूली कितने समय में की जाये आदि, यह बातें विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग हैं और इस सम्बन्ध में उनका मार्गदर्शन आवश्यक है। अत: कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाये गये हैं। यह सम्भव है कि प्रारम्भ में कुछ लोगों ने स्थिति का लाभ उठाया हो परन्तु अब मेरा विचार है कि बैंक इस बारे में जागरूक हैं। वसूली के सम्बन्ध में, मेरे विचार से कोई अधिक कठिनाइयां नहीं हैं क्योंकि कुछ बैंकों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार, वसूली की प्रतिशतता अच्छी प्रतीत होती है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : सरकार का उन राशियों की वसूली के लिए क्या कार्रवाई करने का विचार है जो राशियां राष्ट्रीयकृत बैंकों से **अस्वेच्छा पूर्वक ऋणों** के रूप में ली गई हैं, अर्थात् टेलीफोन पर आदेश आदि के द्वारा सरकारी निधियों में से निकाला गया धन और जो उच्चाधिकारियों और उनके नातेदारों के घरों में पाया जाता है ? क्या सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के दुरुपयोग किये जा रहे तथा गबन किये जा रहे धन को वसूल करने के लिए कोई नियम बनाये हैं ?

श्री यशवंत राव चह्वाण : यदि धन का गबन किया जाये या उसका दुरुपयोग हो तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही के लिए पर्याप्त नियम हैं।

Shri Jagannath Rao Joshi : Minister has outlined the steps about recovery of loans but is he aware of the fact that when the money is advanced it is drawn by Agents in the names of farmers living in villages and not a single paisa reaches the farmers ? For example an amount of about 20 lakhs loaned by the Central Bank of India, Kurnual, is unlikely to be recovered. A loan was advanced in the name of a person in Warrangal who died 5 years ago. Who can be the receiver of this loan ? An advocate of Kurnul took loan in the name of a madman. May I know whether enquiries will he made in these matters and effective steps taken while advancing loans to people living in villages to ensure that the money reaches of the persons to whom it is advanced ? Will it also he ensured that the money does not go into the hands of Agents ?

श्री यशवंत राव चह्वाण : माननीय सदस्यों ने बहुत अच्छे सुझाव दिये हैं और मैं उन बातों पर ध्यान दे रहा हूं। यदि उनके ध्यान में कोई विशेष मामला हैं तो वह ब्यौरे प्रस्तुत करें और मैं निश्चित रूप से उन मामलों पर विचार करूंगा।

श्री जगन्नाथ राव जोशी : मैंने सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया वारंगल तथा सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया कुरनूल के विशिष्ट मामलों का उल्लेख किया है।

श्री यशवंत राव चह्वाण : प्रश्नोत्तरकाल में उनके उल्लेख का क्या लाभ है ? केवल बात कहने के लिए ही सदन में उल्लेख नहीं किया जाना चाहिये। मुझे ब्यौरे दें तथा मैं जांच करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों की वसूली के सम्बन्ध में यह साधारण प्रश्न है। इसे आप चर्चा का विषय क्यों बना रहे हैं ?

श्री जगन्नाथ राव जोशी : आप मृत व्यक्तियों से ऋण की वसूली कैसे कर सकते हैं ?

श्री अनन्त राव पाटिल : राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कृषकों को फसल-ऋण दिये जाते हैं। परन्तु कभी-कभी किसी न किसी कारण से फसल खराब हो जाती है, उदाहरण के रूप में केले अथवा आलू की फसल। उन परिस्थितियों में क्या अदायगी करने के सम्बन्ध में किसानों को कोई रिआयत की जाती है ?

श्री यशवंत राव चह्वाण : यह प्रत्येक मामले पर निर्भर करता है। मैं यह नहीं कह सकता कि कोई नियम होना चाहिये परन्तु यदि आप मार्गदर्शी सिद्धान्तों को देखेंगे तो प्रतीत होगा कि इस परिस्थिति को भी ध्यान में रखा गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से सहायता

*1172. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ को 1 जुलाई, 1971 को प्राप्य तृतीय प्रतिपूर्ति (थर्ड रिप्लेनिशमेण्ट) प्राप्त करने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) सरकार का उन परियोजनाओं के लिये किस प्रकार धन जुटाने का प्रस्ताव है जिनको कि अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से सहायता मिलना था ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवंत राव चह्वाण) :(क) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के संसाधनों की तृतीय प्रतिपूर्ति, जो कम से कम 12 सदस्यों द्वारा, कम से कम 190 करोड़ डालर का अंशदान किये जाने पर, पहली जुलाई 1971 से प्रभावी होनी थी, अंशदानों के न प्राप्त होने के कारण, अभी तक प्रभावी नहीं हुई है ।

(ख) अन्य विकासशील देशों की तरह भारत को भी अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा दिये गये सहायता के वचनों के पूरा होने में देरी होगी ।

(ग) आशा है कि भारतीय प्रायोजनाओं के लिये अपने बचतों को पूरा करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के पास शीघ्र ही कुछ रकमें आ जायंगी । कुछ प्रायोजनाओं के लिये, जिनके कार्यान्वयन के काम को अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता मिलने तक नहीं रोका जा सकता, विदेशी मुद्रा की वित्त-व्यवस्था के अन्य वैकल्पिक तरीके ढूंढ़ने होंगे ।

Shri Narendra Singh Bisht : 1900 million Dollars worth of aid was to be given by the US AID. You have mentioned 12 members. What are the names of those members and how much aid has been provided by each one of them ? By what time the commitments made for the future are likely to be fulfilled ?

श्री यशवंत राव चह्वाण : मैं तृतीय आपूर्ति के 18 भाग एक सदस्य के भाग बता सकता हूं जो कि हमारी संभावनाएं हैं । क्या आप देशों के नाम जानना चाहते हैं ?

श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट : जी हां ।

श्री यशवंत राव चह्वाण : उनके नाम ये हैं : आस्ट्रेलिया, आस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैण्ड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कुवैत, लक्समबर्ज, नीदरलैण्ड, नार्वे, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, इगंलैण्ड तथा अमरीका ।

श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट : मैं राशियां भी जानना चाहता हूं ।

श्री यशवंत राव चह्वाण : यदि मैं उन्हें पढ़ दूं तो आप को क्या याद रहेगा ? मैं वह जानकारी आपको दे सकता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : यह जानकारी बाद में दे दी जाए।

श्री यशवंत राव चह्वाण : बहुत अच्छा, महोदय।

Shri Narendra Singh Bisht : What are the Projects in hand, for which money is not forthcoming? Are there any such Projects which are not progressing due to lack of funds and which are considered essential?

श्री यशवंत राव चह्वाण : मैं सामान्य स्थिति बता रहा हूं। स्वाभाविक रूप से हमें बहुत सी परियोजनाओं के लिए सहायता की अपेक्षा है। कुछ मामलों में समझौते हो गये हैं और कुछ मामलों में उनकी जांच की जा रही है और वे पूरी होने वाली हैं। स्वभावतः हम तृतीय आपूर्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं जिसमें सामान्यत: अधिक समय लगता है। द्वितीय आपूर्ति के मामलें में भी काफी समय लगा था। क्योंकि यह एक बात है कि कोई देश अशंदान देने की अपनी समर्थता प्रकट करता है परन्तु वास्तव में वह बात पूरी तभी होती जब उस प्रदेश की विधान सभा उसे स्वीकृत कर दे। विशेषरूप से सबसे महत्वपूर्ण अंशदान अमरीका का है जो कि बहुत अधिक है। जैसा कि आप जानते हैं जब तक वहां की कांग्रेस इसे अनुमोदित न करे तब तक इन वचनबद्धताओं या संकेतों का कोई मान्यता नहीं। इस में कुछ समय लगेगा। हमें विश्वास है। कुछ देशों ने अपनी समर्थता के संकेत देने प्रारम्भ भी कर दिये हैं। विश्व बैंक के प्रधान भी इस विषय में अभिरुचि ले रहे हैं। हम भी इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं जिस से कि वे देश तृतीय आपूर्ति में अपना अशदान दे सकें और हमें अपेक्षित सहायता प्राप्त होनी प्रारम्भ हो सके।

बंगला देश से आए शिक्षकों को खपाने के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रस्ताव

*1174. **श्री निहार लास्कर :**
श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बंगला देश से आये शिक्षकों को पश्चिम बंगाल तथा अन्य विश्वविद्यालयों में खपाने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है; और

(ग) क्या केद्र ने इसके लिये निधि आवंटित कर दी है?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) : बंगला देश के अध्यापकों और प्रोफेसरों के लिए उपयोगी कार्य के क्षेत्र खोजने का प्रश्न विचाराधीन है।

श्री निहार लास्कर : मैं एक विशिष्ट प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के समक्ष इस सम्बन्ध में कोई निश्चित प्रस्ताव है? यदि हां, तो कब से यह प्रस्ताव विचाराधीन पड़ा है और क्या उसने इस बारे में कोई निष्कर्ष दिए गए हैं और यदि हां, तो क्या सरकार ने इस उद्देश्य के लिए धन का आवंटन किया है?

श्री डी० पी० यादव : अनुदान चाहे आयोग द्वारा दिया जाए अथवा सरकार द्वारा अन्ततः इसकी स्वीकृति सरकार को ही देनी होती है।

श्री निहार लास्कर : मंत्री महोदय का कहना है कि बंगला देश से आए अध्यापकों तथा प्रोफेसरों की सेवाओं का प्रयोग लाभप्रद कार्यों के लिए किए जाने का प्रस्ताव है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस सम्बन्ध में वस्तुतः कोई ठोस प्रस्ताव रखा गया है और वे लाभप्रद कार्य कौन से हैं जिनके लिए इनकी सेवाओं से लाभ उठाया जाएगा।

श्री डी० पी० यादव : अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रोफेसरों/फैलों को उसी प्रकार रोजगार दिया जाएगा जैसा कि विदेशी से आए अन्य अध्यापकों को दिया जाता है। लगभग दस विजिटिंग फैलोशिपों को, यदि यह पद बनाए गए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।

श्री एस० एम० कृष्ण : क्या यह सच नहीं है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय के उपकुलपति दिल्ली आए थे और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ हुई बैठक में उन्होंने यह प्रस्ताव रखा था कि बंगला देश से आए अध्यापकों में से 20 को कलकत्ता विश्वविद्यालय में नियुक्त किया जा सकता है और यह काम इसलिए नहीं किया जा सका कि जून में शिक्षा मंत्री शहर से बाहर थे। अब चूंकि इस बात को एक महीना गुजर गया है मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्यायोजित इस योजना को स्वीकृति दे दी है?

श्री डी० पी० यादव : मैं इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं।

श्री एस० एम० कृष्ण : मंत्री महोदय ने क्या उत्तर दिया है?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय का कहना है वह इसका उत्तर दे चुके हैं।

श्री एस० एम० कृष्ण : वह केवल अपनी संतुष्टि के अनुरूप उत्तर नहीं दे सकते। उन्हें अपने उत्तर द्वारा हमें भी आश्वस्त करना चाहिए। उन्होंने जो उत्तर दिया है, उसे कृपया वह दुहरा दें।

अध्यक्ष महोदय : आप इस प्रकार प्रश्न पूछें कि क्या कलकत्ता विश्वविद्यालय के उपकुलपति नें इस सम्बन्ध में उनसे बातचीत की है?

श्री एस० एम० कृष्ण : जी हां। क्या यह सच नहीं कि कलकत्ता विश्वविद्यालय के उपकुलपति दिल्ली आए थे और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ हुई बैठक में उन्होंने यह प्रस्ताव रखा था कि बंगला देश से आए 20 अध्यापकों को कलकत्ता विश्वविद्यालय में नियुक्त किया जा सकता है?

अध्यक्ष महोदय : श्री लास्कर को दिए अपने पहले उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा है कि मामला अभी विचाराधीन है और दूसरे उत्तर में उन्होंने कहा कि दस अध्यापक....

श्री एस० एम० कृष्ण : मैं यह जानना चाहता हूं कि कब तक इन अध्यापकों की कलकत्ता विश्वविद्यालय में नियुक्ति की जाएगी।

श्री डी० पी० यादव : जहां तक अध्यापकों और प्रोफेसरों का सम्बन्ध है हम उन्हें स्थायी तौर पर रोजगार प्रदान नहीं कर सकते ; क्योंकि यह एक अस्थायी मामला है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या इन अध्यापकों को कलकत्ता विश्वविद्यालय में नियुक्त किया जाएगा अथवा नहीं ।

डा० रानेन सेन : प्रायः सभी समाचार पत्रों में एक से अधिक बार कहा गया है कि न केवल अलीगढ़ तथा आगरा विश्वविद्यालय अपितु अन्य कई विश्वविद्यालयों ने भी, जिनके नाम इस समय मुझे याद नहीं हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा भारत सरकार से यह सिफारिश की है कि बंगला देश से आए प्रोफेसरों तथा अध्यापकों को अधिक से अधिक संख्या में अस्थायी तौर पर नियुक्त किया जाए और यह भी कहा गया है कि सरकार मामले पर विचार कर रही है । यह समाचार दो महीने पूर्व प्रकाशित हुआ था । मैं यह जानना ाहता हूं कि क्या मामले पर विचार हो चुका है या अभी भी जारी है ?

श्री डी० पी० यादव : जैसा कि मैंने सदन को पहले भी बताया कि मामला अभी विचाराधीन है ।

श्री हरि किशोर सिंह : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बंगला देश से कुल कितने अध्यापक तथा प्रोफेसर देश में आए है और क्या सरकार विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों से उन्हें अस्थायी तौर पर नियुक्त करने को कहेगी ।

श्री डी० पी० यादव : उपलब्ध सूचना के अनुसार वहां से लगभग 19 प्रोफेसर तथा 700 कालिज अध्यापक भारत आए हैं ।

रणजीत तथा लोदी होटलों में सरकारी निगमों के कार्यालयों को स्थान देना

*1175. **श्री राम सहाय पांडे :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली के रणजीत तथा लोदी होटलों की लोकप्रियता कम होती जा रही है क्योंकि उनमें कम लोग ठहरते हैं ;

(ख) क्या कुछ सरकारी निगमों के कार्यालय इन होटलों में खोले गये हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन दोनों होटलों में और अधिक कार्यालयों को स्थान देने का है ताकि उनमें उपलब्ध स्थान का सदुपयोग हो सके ; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई निर्णय कर लिया गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) (क) : जी, नहीं । वास्तव में रणजीत और लोदी होटलों के कमरों की लागत 1969-70 में 68% तथा 70% से बढ़ कर 1970-71 में क्रमशः 86.28% तथा 90. 82% हो गयी ।

(ख) फिलहाल किसी सरकारी निगम का कोई दफ्तर इन होटलों में स्थित नहीं है ।

(ग) और (घ) : प्रश्न नहीं उठते ।

अध्यक्ष महोदय : श्री राम सहाय पांडे ।

श्री राम सहाय पाड़ें : मैं दिए गए उत्तर से पूर्ण संतुष्ट हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे पहली बार इस प्रकार का उत्तर सुनने को मिला है ।

Loans to Madhya Pradesh

*1176. **Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the procedure being followed for grant of loans to the States : and

(b) whether Madhya Pradesh has not been able to get loans according to its demand and requirements during the last two years ; and if so, the reasons therefor ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : (क) : राज्य की आयोजना के लिए, सम्मत केन्द्रीय सहायता की 70 प्रतिशत राशि की व्यवस्था, राष्ट्रीय विकास परिषद् के सूत्र के अनुसार, इकट्ठे ऋणों के रूप में की जाती है और सहायता की रकम मासिक किश्तों में दी जाती है, और बाद में, ऋण प्राप्ति के सम्बन्ध में राज्य के अन्तिम हक को देखकर, उसमें समायोजन किया जाता है । आयोजना भिन्न खाते में, अल्प बचतों की संगृहीत रकम के एवज में दिये जाने वाले ऋण हर महीने मंजूर किये जाते हैं, और उनकी रकम, राज्य में हर महीने अल्प बचतों की संगृहीत शुद्ध रकम के दो-तिहाई भाग के बराबर होती है । अन्य मामलों में, प्रशासनिक मंत्रालय, ऋण के सम्बन्ध में राज्यों के अनुरोधों की आवश्यक जांच करने के बाद, ऋणों की मंजूरी देते हैं ।

(ख) : पिछले दो वर्षों में, मध्य प्रदेश सरकार को जो भी ऋण सहायता देय थी, उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार दे दी गयी थी ।

Shri Phool Chand Verma : Mr. Speaker, Sir, I have asked in part (b) of my question "Whether Madhya Pradesh has not been able to get loans according to its demand and requirements during the last two years and if so, the reasons therefor" and in answer to it the hon. minister has stated "whatever loan assistance was due to Madhya Pradesh Government in the last 2 years that had been provided to it under the said procedure." May I know the quantum of loan demanded by M. P. Government and the extent to which it has been met by the Central Government ?

Shri Y. B. Chavan : They are demanding too much. It is easy to demand but we have advanced more than what they have provided in their budget.

Shri Phool Chand Verma : May I know whether the Central Government propose to allocate the full sums, and not one-third as recently committed to M. P. Government for the development of tribal areas of Madhya Pradesh and for the completion of Mahanadi, Project, estimated to cost Rs. 25 crores and the waters of which Central Government propose to utilise for the Bhilai Plant ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : सामान्यतः तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सहायता नहीं दी जाती है क्योंकि ऋण के रूप में दी जाने वाली सहायता किसी विशेष योजना के उपबन्धों पर आधारित होती है। हमारे देश में योजनानुसार कार्य किया जाता है। राज्य सरकारें भी अपने कार्यक्रमों में आदिवासी क्षेत्रों को विशेष प्राथमिकताएं देती है। इसमें सन्देह नहीं कि राज्य सरकार इस मामले में विशेष रूप से सतर्क है। इन योजनाओं के आधार पर योजना आयोग द्वारा कुछ विशेष ऋण और अनुदान दिये जाते हैं। उदाहरणार्थ वर्ष 1970 में राज्य योजना हेतु जिसमें आदिवासियों के लिए भी योजनाएं सम्मिलित थी 31.38 करोड़ रुपये का ब्लाक ऋण दिया गया। इसके अतिरिक्त कुछ केन्द्र द्वारा प्रत्यायोजित योजनाऐं भी हैं। इन योजनाओं पर वर्ष 1969-70 में 98 लाख तथा 1970-71 में 1.71 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई। प्राकृतिक प्रकोप तथा उर्वरकों इत्यादि के सम्बन्ध में भी कुछ योजनाएं बनाई गई हैं। उदाहरण के लिए इन कार्यों हेतु वर्ष 1969-70 में 5.37 करोड़ तथा 1970-71 में 5 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया। इस बात का उल्लेख यहां मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मध्य प्रदेश ने केन्द्र से जितने ऋण की अपेक्षा की थी केन्द्र ने राज्य को उस राशि से अधिक ऋण देने की व्यवस्था की। वर्ष 1969-70 में मध्य प्रदेश ने अपने बजट में 43.77 करोड़ रुपये के केन्द्रीय ऋण की व्यवस्था की जबकि केन्द्र द्वारा 44.57 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया गया इसी प्रकार अगले वर्ष भी राज्य द्वारा 42.72 करोड़ रुपये के केन्द्रीय ऋण की मांग रखी जबकि केन्द्र द्वारा दिया गया ऋण लगभग 47.26 करोड़ के लगभग बैठा। किन्तु इसका यह अर्थ कदाचित् नहीं कि वह और धन की मांग नहीं करेंगे और न उन्हें और धन की आवश्यकता पड़ेगी।

श्री राम सहाय पाडें : जहां तक सिंचाई का सम्बन्ध है मध्य प्रदेश एक अत्यंत उपेक्षित क्षेत्र है, सिंचाई मंत्रियों के सम्मेलन में यह एक मत से स्वीकार किया गया कि सिंचाई परियोजनाओं के सम्बन्ध में मध्य प्रदेश की हमेशा उपेक्षा की जाती रही है। वहां पर केवल 6 प्रतिशत भूमि की सिंचाई की व्यवस्था है। इस ओर कुछ विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इस संदर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं क्या आप का विचार इस राज्य को अधिक ऋण और अनुदान देने का है।

श्री यशवन्त राव चह्वाण : केवल मध्य प्रदेश ही क्यों मैं तो किसी भी उपेक्षित क्षेत्र के विकास के बारे में विचार करने को तैयार हूं। इसमें कोई संदेह नहीं कि मध्य प्रदेश की कुछ अपनी विशेष समस्याएं हैं। प्रश्न केवल ऋण देने की इच्छा रखने का नहीं, अपितु संसाधनों की उपलब्धता का है। मैं इस सम्बन्ध में अंतिम निर्णय नहीं दे सकता। योजना आयोग को भी इस पर विचार करना है और मेरे विचार में मध्य प्रदेश सरकार योजना आयोग तथा भारत सरकार से सम्पर्क बनाए हुए है।

Shri Hukam Chand Kachwai : In answer to one of my questions on last Friday the hon. Minister has stated that the Madhya Pradesh Government have demanded Rs. 47 crores for the reclamation Chambal ravines and that the Government had been considering over the matter and was thinking of providing the loan as soon as possible, We have learnt from the press reports that Government is going to rehabilitate some refugees in the Chambal area. May I know when the Government is going to advance the said loan of Rs. 47 crores to M. P. Government ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मेरे विचार में मैंने इस प्रश्न का उत्तर पिछले शुक्रवार को दे दिया था। यह विश्वपरियोजना योजना के बारे में है। बहुत से मामलों को एक ही प्रश्न के अन्दर समावेश किया जा रहा है। इससे मेरे लिए उत्तर देना कुछ कठिन है।

श्री पी० वेंकटसुब्बया : उन्होंने अपने उत्तर के भाग (क) में बताया है कि योजना सम्बन्धी परियोजनाओं के लिये ऋण और अनुदान देने के बारे में कतिपय कसौटियां निर्धारित हैं। क्या उन्हें पता है कि कुछ राज्य सरकारों ने इस बात की शिकायत की है कि उन्हें इस सम्बन्ध में स्वतंत्रता नहीं है कि वे योजना पर कम की जाने वाली राशि को किन्हीं अन्य मदों पर खर्च कर सके और यदि हां तो क्या इसके कारण इस राशि में से काफी राशि का उपयोग नहीं हो पाता ? क्या राज्य सरकारों को इस बारे में निदेश जारी कर दिये गये हैं कि वे अपनी योजनाओं के अन्तर्गत राशि को मन चाहे ढंग से खर्च करने के लिये स्वतंत्र हैं ?

श्री यशवंत राव चह्वाण : योजना को अधिक लचीला बनाने के लिये पंचवर्षीय योजना के अतिरिक्त वार्षिक योजनाएं भी बनाई गई हैं तथा उन पर प्रति वर्ष विचार विमर्श किया जाता है। यदि वार्षिक योजनाएं बनाने के उपरांत भी योजना में ऐसे मौलिक परिवर्तन करने की आवश्यकता है तो इसका आशय यह हुआ कि योजना को फिर से बनाया जाये। यह कार्य विशिष्ट मामलों पर निर्भर करता है।

श्री बसुमतारी : मंत्री महोदय के उत्तर से ज्ञात होता है कि आदिवासी विकास खपतों के लिए निर्धारित राशि को किन्हीं अन्य कार्यों पर लगाया गया है। क्या कोई ऐसी मशीनरी नियुक्त की गई है जो इस बात का ध्यान रखे कि आदिवासी विकास खपतों के निर्धारित राशि को किन्हीं अन्य कार्यों पर खर्च न किया जाये ?

श्री यशवंत राव चह्वाण : यह सामान्य प्रश्न है। यदि माननीय सदस्य का कहना सच है, मुझे ज्ञात नहीं है कि यह बात सच है अथवा नहीं....

श्री बसुमतारी : यह सच है।

श्री यशवंत राव चह्वाण : यदि यह सच है तो निश्चय है यह गम्भीर मामला है तथा इस पर राज्य सरकार से बात चीत करनी होगी। माननीय सदस्य इस मामले को राज्य सरकार के समक्ष रखें तथा हमें भी विशिष्ट मामलों की जानकारी दें।

श्री बसुमतारी : हमने राज्य सरकार से बातचीत की थी।

कूच बिहार के तम्बाकू उत्पादकों को सहायता

*1179. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कूच बिहार जिले से केन्द्रीय उत्पादनशुल्क विभाग को तम्बाकू पर उत्पादन शुल्क से 3 करोड़ रुपये से अधिक की आय होती है ;

(ख) क्या सरकार को प्राप्त होने वाली भारी आय को ध्यान में रखते हुये कूच-बिहार जिले के निर्धन तम्बाकू उत्पादकों को कुछ विशेष प्रोत्साहन देने का सरकार का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार का विशेष प्रोत्साहन देने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी नहीं। 1968-69, 1969-70 तथा 1970-71 के वित्तीय वर्षों के दौरान कूच बिहार जिले में शुल्क की अदायगी पर निकासी किये गये तम्बाकू पर उत्पादनशुल्क के रूप में हुई आय 36 लाख रुपये से 38 लाख रुपये तक थी।

(क) तथा (ग) : पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले में 'रैपर' तम्बाकू के उत्पादन के लिए एक केन्द्रीय स्तर पर प्रस्तावित योजना तैयार की गई हैं। इस योजना के अधीन निम्नलिखित सहायता दी जा रही है :

(1) तम्बाकू तैयार करने की कोठी एवं भंडार कक्ष के निर्माण के लिए 400 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से नकदी रूप में राजसहायता।

(2) 50 रुपया प्रति एकड़ की दर से पर पौधे तैयार करने की लागत।

(3) 50 रुपया प्रति एकड़ की दर से कीटाणु-नाशक दवाइयां।

(4) 75 रुपया प्रति एकड़ की दर पर धूमीकरण।

(5) दो विद्युत् चालित फुहारों की लागत।

श्री बी० के० दास चौधरी : मंत्री महोदय ने जिस योजना का अभी उल्लेख किया है, मैं नहीं जानता कि वह पुरानी है अथवा नई है। अतः पहले मैं यह चाहूंगा कि यह योजना पुरानी है अथवा नई। यदि यह योजना पुरानी है तो मैं दूसरी बात यह जानना चाहता हूं कि क्या कूच-बिहार के तम्बाकू उत्पादकों को इस योजना से अवगत करा दिया गया है ? और यदि हां तो इससे कितने किसानों ने लाभ उठाया है ?

श्री के० आर० गणेश : यह योजना 1970 से लागू है तथा इस वर्ष भी लागू रहेगी। इस योजना को केवल रैपर तम्बाकू तक सीमित रखा गया है। सम्भवतः माननीय सदस्य इस क्षेत्र को दी जाने वाली सहायता के सम्बन्ध में इसलिये प्रश्न पूछ रहे हैं क्योंकि इस क्षेत्र में तम्बाकू का अच्छा उत्पादन होता है किन्तु मूल प्रश्न केवल रैपर तम्बाकू से सम्बद्ध है। यह योजना इस वर्ष भी लागू रहेगी तथा रैपर तम्बाकू के उत्पादन में वृद्धि के लिये केवल 40 एकड़ भूमि तक सीमित रखा गया है।

श्री बी० के० दासचौधरी : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस सुधरी किस्म के तम्बाकू से विशेषकर "वर्जीनिया फ्लू थर्ड" किस्म के तम्बाकू से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिये भारत सरकार ने केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना बनाई है तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि कूच-बिहार क्षेत्र में विशेषकर इस किस्म का अधिक उत्पादन हुआ है, क्या सरकार इस महत्वपूर्ण किस्म के लिये केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना को, जो अन्य राज्यों में लागू है किन्तु पश्चिम बंगाल अथवा कूच-बिहार में लागू नहीं है, पश्चिम बंगाल में भी लागू करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : मूल प्रश्न केवल कूच-बिहार से सम्बन्धित है।

श्री बी० के० दास चौधरी : यह पश्चिम बंगाल में ही है।

श्री के० आर० गणेश : वास्तव में मूल प्रश्न के भाग (ख) और (ग) का सम्बन्ध खाद्य तथा कृषि मंत्रालय से है। चूंकि भाग (क) का सम्बन्ध मेरे मंत्रालय से है इसलिये प्रश्न मेरे मंत्रालय के नाम रख दिया गया है। इस योजना के कार्यकरण के सम्बन्ध में खाद्य तथा कृषि मंत्रालय से प्रश्न पूछा जाना चाहिये।

श्री बी० के० दासचौधरी : वह कृपया इस मामले को सम्बद्ध अधिकारियों को सौंप दें।

Shri Phool Chand Verma : We exported tobacco worth Rs. 33 crores in the year 1969-70. That shows we can earn considerable amount of foreign exchange through the export of tobacco provided that Government take special interest in this matter. It calls for the special assistance being given to the poor farmers engaged in the production of tobacco. May I know whether Government propose to formulate a national policy in this matter so that the tobacco growers of all the states, whether Madhya Pradesh or Gujarat, can get some help ?

Mr. Speaker : The main question is confined to a limited area of Cooch-Behar and you have brought so many things in it. The hon. Member may address this question to the Ministry of Food and Agriculture. Finance Department is not supposed to reply to it.

Shri Ram Chandra Vikal : May I know whether the Government propose to realise excise duty from the growers on the basis of Beeghas instead of on weightage because of the fact that the present system is rampant with corruption.

श्री के० आर० गणेश : ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। वर्तमान नीति को बहुत सोच विचार कर निर्धारित किया गया था।

Construction of Bridge over the Ganga at Patna

*1180. **Shrj S. D. Singh :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) the progress made so far in the construction of a bridge over the Ganga at Patna ;

(b) the time by which this bridge is likely to be completed : and

(c) the expenditure likely to be incurred and the amount already spent thereon ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri Raj Bahadur) : (a) to (c). Proposed bridge over the River Ganga near Patna is on a local road. Therefore, it is the Government of Bihar, which is mostly concerned with its planning, inviting tenders, awarding its contract and its construction, etc. As per information supplied by the Government of Bihar the following progress has so far been achieved with regard to this project :

(1) Tenders have been received for the bridge and the State Government is examining them.

(2) Works relating to acquisition of land and construction work relating to local offices and stores have been started by the Government of Bihar and these are in progress.

This bridge is expected to be completed by 1978 by the State Government. It is estimated to cost 23·50 crores of rupees and it has been stated that the Government of Bihar had spent an amount of Rs. 76,13,974 on this bridge up to June, 1971.

Shri Shanker Dayal Singh : Patna is the lone unfortunate city where no bridge has been constructed over river Ganga while such bridges have been constructed at Kanpur, Alla bad and Banaras......

Mr. Speaker : Have you read that letter or not ?

Shri Shanker Dayal Singh : I am coming to the question. While laying the foundation stone of the proposed bridge in 1970, the Prime Minister had assured that the paucity of funds would not be allowed to affect it. But is it not a fact that the construction work of this bridge has been stopped due to the non-availabity of funds ? No one among the persons who offered their tenders is prepared to start the work unless full payment is made.

Shri Raj Bahadur : This bridge will be made at Patna. It should also be understood that the said bridge is over the State Highway and not on National Highway.

Shri Ramavatar Shastri : It should be converted into National Highway.

Shri Raj Bahadur : Such conversion requires a lot of funds which is not in my hands.

Shri Indrajit Gupta : Till then, how will the people cross the river ?

Shri Raj Bahadur : The proposal for the construction of the bridge has been approved and the Government of India will provide Rs, 4.5 crores as reported. We have invited tenders and some other steps have been taken in this regard.

Shri Shanker Dayal Singh : The bridge is likely to cost Rs. 23 crores and 50 lakhs but the Centre has santioned only 4.50 crores of rupees up to now for the purpose. I want to know how much is the Central Government going to sanction over and above this Rs. 4.50 crores.

Shri Raj Bahadur : At present the Government have sanctioned Rs. 4.50 crores.

Shri Shanker Dayal Singh : The persons who have given the tenders say that the work cannot be started unless the full amount is received. Can a bridge be constructed with this meagre amount ?

Shri Raj Bahadur : This is not in my knowledge that those persons have refused to start work. There are three prominent firms among them. They construct bridges and I hope they will start their work.

Shri Ramavatar Shastri : May I know whether it is a fact that hundreds of inhabitants will be displaced on account of the construction of bridge at Patna ? If so, whether the Government has formulated any scheme for their rehabilitation ? If so, what are the details thereof ?

Shri Raj Bahadur : It is clear that when the bridge will be constructed, probably some persons' land and houses may have to be acquired and according to the rules of the State Government regarding acquisition. Compensation will be paid. It is my view.

श्री श्यामनन्दन मिश्र : सभा-पटल पर रखे गये विवरण से पता चलता है कि इस परियोजना के बारे में भारत सरकार दर्शक मात्र बनी हुई है, यद्यपि यह कहा गया है कि उन्होंने 4.5 करोड़ रुपयों की सहायता देने का वचन दिया है। क्या मैं जान सकता हूं कि जहां तक इस सम्पूर्ण परियोजना का सम्बन्ध है, उनका विशेषज्ञ तथा वित्तीय सहायता देने के रूप में क्या योगदान है ?

श्री राज बहादुर : हमने अपना सहयोग दिया है; जैसा कि मैंने पहले कहा है, यह परियोजना राज्य की सड़क पर है अतएव इसकी योजना बनाने, डिजाइन तैयार करने, निर्माण कार्य आदि की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर है । हम इस परियोजना की महत्ता के कारण राज्य सरकार की विशेष रूप से सहायता कर रहे हैं ।

श्री कार्तिक उरांव : निर्माण कार्य हो या न हो, हम सरकार से यह जानना चाहते हैं कि पुल के निर्माण हेतु इस स्थान का चयन करते समय किन मार्गदर्शी सिद्धान्तों पर विचार किया गया था ?

श्री राज बहादुर : मेरे विचार में माननीय सदस्य इस बात से अवगत हैं कि अमरीका के मैसर्स जे० जे० ह्वाइट इंजीनियरिंग कारपोरेशन यहां आई थी और उसने पुल के स्थान के बारे में राज्य सरकार को परामर्श दिया था । उसने एक विशेष स्थान की सिफारिश की थी जिसका कतिपय स्थानीय प्रतिनिधियों और विधायकों ने विरोध किया था । तदुपरान्त मुख्य इंजीनियर, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, विकास आयुक्त आदि व्यक्तियों की एक समिति गठित की गई थी, उनकी सलाह पर अन्य स्थान का चयन किया गया और इस समय वस्तुतः स्थिति यही है ।

Shri Yamuna Prasad Mandal : The hon. Minister has just stated that it lies on the State road. But everyone knows that it has connection with National Highways No. 28 and 30 and the Planning Commission and the Central Government have given assurance to the people of whole Bihar that there will be no delay in constructing the bridge. The statement shows that the project will go up to 1978 and if he does not give assurance for the period of the Fifth five Year Plan after 1974, then how the leading firms giving Global tender will carry on their work ?

Shri Raj Bahadur : I have full sympathy with this Project and the construction of the bridge. But as I said that the liability of the Central Government is limited in this respect and assurance has been given regarding whatever assistance can be provided. Surely, the Global tender was invited but only three Companies have given tenders. No outside Company has given tender. I think they have constructed a number of other big bridges. I think that on the National Highway No. 28, Mokameh Bridge has been constructed entirely by the Central Government.

सपरेटा दुग्ध चूर्ण पर उत्पादन शुल्क

*1183. **श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सपरेटा दुग्ध चूर्ण के उत्पादन तथा विक्रय पर लगाये जाने वाले उत्पादन शुल्क तथा अन्य शुल्कों की दरें क्या हैं;

(ख) क्या सपरेटा दुग्ध चूर्ण की उत्पादन लागत आयातित सपरेटा दुग्ध चूर्ण की लागत की तुलना में अधिक है; और

(ग) यदि हां, तो सपरेटा प्लान्टों की अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा तथा प्रोत्साहन देने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) सपरेटा दुग्ध चूर्ण पर मूल्यानुसार 10 प्रतिशत की दर से उत्पादन शुल्क लगता है। विभिन्न राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले बिक्री कर के सम्बन्ध में यदि कोई हो तो, सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायगी।

(ख) जी, हां।

(ग) स्वदेशी उद्योग को आवश्यक मूल्य-सहयोग देने की दृष्टि से सपरेटा दुग्ध चूर्ण का आयात तथा आयातित भंडार का वितरण एक एजेन्सी को सौंप दिया गया है। सपरेटा दुग्ध चूर्ण के उत्पादन की अतिरिक्त क्षमता स्वीकार कर ली गई है। ताजा दूध जो कि सपरेटा दुग्ध चूर्ण के उत्पादन की आधारभूत सामग्री होता है, के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी बहुत से उपाय शुरू किए गए हैं।

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : इस तथ्य को देखते हुए कि सपरेटा दुध का उपयोग अधिकांशतः निम्न आय वर्ग के लोग करते हैं, क्या मैं सरकार से जान सकता हूं कि इस समय सपरेटा दूध पर लगे सभी प्रकार से उत्पादन शुल्क हटा दिये जायेंगे ?

श्री के० आर० गणेश : यह बजट सम्बन्धी प्रस्तावों सम्बन्धी एक सुझाव है।

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि आयातित सपरेटा दूध और देश में उत्पादित सपरेटा दूध के मूल्यों में कितना अन्तर है ?

श्री के० आर० गणेश : आयातित दुग्ध चूर्ण की लागत लगभग 3 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम है और देश में ही उत्पादित दुग्ध चूर्ण की लागत 7 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम है।

Increased activities of R. S. S. in Regional College of Education, Ajmer

*1184. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether some Members of Lok Sabha submitted a Memorandum to the Prime Minister on the 14th June last in regard to the increased activities of Rashtriya Swayam Sevak Sangh in the Regional College of Education, Ajmer ;

(b) if so, the main features thereof ;

(c) the names of the Members of Parliament who signed the said memorandum ; and

(d) the action taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) Yes, Sir.

(b) It is mentioned in the Memorandum that activities of R. S. S. are continuing for many years amongst employees and these activities increased to such an extent during the last year that progressive nationalist employees and students have been separated. Some of the said activities are as under :—

(a) Running Study Circles of R. S. S. in the Campus.

(b) Increasing activities of R. S. S. at other places in Rajasthan in the name of Social Service.

It has also been alleged that pro-R. S. S. students are incited to start communal clashes in the Campus and in the year 1967-68 undesirable activities like burning of the car belonging to Dr. Hasan, Reader of Commerce, have happened in the past.

(c) Sarvashri (1) Raja Ram Shastri (2) Ramavatar Shastri (3) S. M. Banerjee (4) Vijay Pal Singh (5) Chandrika Prasad (6) Vir Bhadra Singh (7) Partap Singh (8) Panna Lal Bampal (9) Maulana Ishhaq Sambholi (10) Jyotirmoy Bosu (11) D. Dele (12) B. N. Bhargava (13) N. K. Sharma (14) Amrit Nahata (15) Shiv Pnjan Shastri (16) M. C. Daga (17) Ram Swarup.

(b) Inquiries have been instituted and report is expected to be received shortly.

Shri Ramavatar Shastri : The answer clearly shows how far the dangerous institution like Rashtriya Swayam Sewak Sangh has made its impact on Regional College of Education, Ajmer and he has also accepted that its activities are going on for the last many days. He has seen that except Jan Sangh all others have put their signatures.

Shri Jagannath Rao Joshi : The charges, mentioned in the memorandum, have been read out. They have not been provided... (*Interruptions*)

Shri. Hukam Chand Kachwai : I want to say that such question should not be asked as may create agitation in the House.

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : क्या यहां राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का प्रतिनिधित्व है ? वे हमें यह बतायें। हम जानना चाहते हैं (व्यवधान) वे इस प्रकार हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। यदि वे चाहते हैं तो अनुपूरक प्रश्न पूछा जा सकता है।

श्री जगन्नाथ राव जोशी : वे गलत कह रहे हैं, मंत्री महोदय ने केवल यह बताया है कि कौन से सदस्य थे। (व्यवधान)

Mr. Speaker : You need not raise objections in this connection. This is the question hour. He is asking for factual information. He has a right to ask the question :

Shri Jagnnath Rao Joshi : The hon. Minister has stated that the report is yet to come. He did not accept it....(*Interruptions*)

Mr. Speaker : If such intolerant attitude persists on such small matters, then how the work will go on ?

Shri Hukam Chand Kachwai : This question should not be allowed.

Mr. Speaker : I will take your advice.

Shri Hukam Chand Kachwai : I am only making a suggestion.

Shri Ramavatar Shastri : May I know whether it is a fact that the activities of Rashtriya Swayam Sewak Sangh are banned in government and semi-government institutions? If so, whether it is a fact that Dr. N. Bose had taken part in Guru Dakshina function along with Dr. R. P. Bhatnagar, the Reader of Education ? If so, whether it conforms to the rule ? If not, what action he has taken in this matter ? The car of Dr. Hassan was burnt in 1967-68—and he has admitted this fact—and non it is 1971. I want to know whether that incident has been investigated ? If so, what is the outcome thereof ? And if not, when will he conduct investigation about this matter ?

Shri D. P. Yadav : So far as the question of participation in R. S. S. activities is concerned, no Government employee can take part in the activities of any political party. This is a clear-cut policy of the Government. The second thing the hon. Member has asked is about Dr. Hassan's car having been set on fire. *(Interruptions)* It is a fact that Dr. Hassan's car was set on fire and it was damaged slightly. Regarding participition of Dr. Bose in Guru Dakshina function, I have no information yet.

Shri Ramavatar Shastri : May I know whether any enquiry was conducted into the car burning incident? If so, what is the outcome thereof? It not, whether he proposes to conduct the enquiry?

Shri D. P. Yadav : There is no need of enquiry.

Shri Ramavatar Shastri : The hon. Minister has stated that enquiry is being conducted. Is it a fact that those very persons are conducting the enquiry who are connected with such activities? If so, whether he will appoint Committee consisting of Members of Parliament so that fair enquiry may take place?

Shri D. P. Yadav : The enquiry is being conducted by Central Intelligence Bureau.

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : क्या मंत्री महोदय इस तथ्य से अवगत हैं कि गत वर्ष तत्कालीन गृह मंत्री श्री चह्वाण ने यह स्पष्ट रूप से कहा था कि सरकार के पास ऐसी ठोस सूचनाएं हैं जिनसे यह पता चलता है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ साम्प्रदायिकता और हिंसा फैला रहा है ? यदि यह सच है तो जब आप नक्सलियों पर गोलियां चला रहे हैं तो कम से कम शैक्षिक संस्थाओं में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की सभी गतिविधियों पर रोक लगाने हेतु सरकार को कड़ी कार्यवाही करने के मार्ग में क्या अड़चने आ रही हैं ?

श्री डी० पी० यादव : सरकार इस बात से भली-भांति अवगत है और सभी कार्यवाहियां की जा रही हैं। **(व्यवधान)**

Shri Hukam Chand Kachwai : The hon. Minister has just stated that under Government rule, no Government servant can take part in the activities of any political party but has the Government ascertained the fact whether Rashtriya Swayam Sewak Sangh is a political party or not. *(Interruptions)*. Your shouting will not deter me. I will speak out what I want to say. May I know whether the Government has fully conducted enquiry into the fact that the Rashtriya Swyam Sewak Sangh is not a political party and many members of the party of the question are Government servants? Secondly, this question is related directly to the State Government but I am sorry that this has been raised here. I want to know whether this fact has been fully enquired that whatever Rashtriya Swayam Sewak has been doing, it has impact on moulding the people of the country to become patriots and to sacrifice their lives for their country—*(Interruptions)*—This shouting will not deter us.. *(Interrupions)* I want to know whether the government has conducted enquiry into the fact whether members of Vidyarthi Parishad or Communist party have a hand in the incident of burning of the car of Dr. Hassan? *(Interruptions)* Besides, I want to know how far their activities are in the interests of the country? He has experience. *(Interruptions)*

Mr. Speaker : You please take your seat. You put a direct question.

Shri. Hukam Chand Kachwai : You remember when Pakistan attacked our country and our forces were engaged on the border... *(Interruptions)*

Shri Shyam Nandan Mishra : You should stop the shouting on both the sides. *(Interrputions)*

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या वे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की वकालत कर रहे हैं या प्रश्न पूछ रहे हैं ?

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : यदि आप उन्हें इस प्रकार चिल्लाने दोगे तो हम भी शोर मचा सकते हैं। (व्यवधान)

Shri Jagnnath Rao Joshi : The hon. Minister had stated that information had been collected. So in this matter.... (*Interruptions*)

श्री अध्यक्ष महोदय : मैं और प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दूंगा।

Shri. D. P. Yadav : We need not lose temper on this question. I want to clarify that the question of Shri Ramavatar Shastri is related to some internal rift in the staff, some are concerned with transfer and some are concerned with posting and everyone is engaged in his business. So the Home Ministry has been enturstell with the job of investigating the whole matter. There is no need to lose temper.

Shri Shrikishan Modi : About 30 to 40 percent of the teachers are active members of R. S. S. in Rajasthan. What investigation the Government is conducting in this matter and what steps it is taking ? You can investigate in any way and see that 30 to 40 percent of the teachers attend '*Shakha's*'. What information the Government has on this matter and what steps are being taken ?

Shri D. P. Yadav : According to our information, the matter is under investigation. We will take stern action against any party which indulges in communal disturbances. (*Interruptions*)

Mr. Speaker : You keep silence. The question hour is over.

Shri Ramavatar Shastri : They are intimidating. We have no objection if the Communist Party and R. S. S. settle the scores. We have no objecion (*Interruptions*)

An Hon. Member : Let us go out. (*Interruptions*)

Shri Hukam Chand Kachwai : We are ready inside or outside ?

Shri Ramavatar Shastri : The R. S. S. *goondaism* will not go on here. (*Interruptions*)

Shri Hukam Chand Kachwai : You rogue.

Mr. Speaker : I will have to make you set at a distance from each other. This has endangered peace.

Shri S. M. Banerjee : Such things should not be uttered in anger. (*Interruptions*) We know the activities of R. S. S. but even then we do not call them goondas.

Shri Phool Chand Verma : It was an hon. Member on the other side who used it first.

Mr. Speaker : What are you doing ? If you are bent upon doing this, you can go outside. Do not disturb the House. Parliament's session is going on here. You are holding the whole Parliament to ransom.

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

चौथी योजना में राष्ट्रीय राजपथों का निर्माण करने का निर्णय

*1173. **श्री एम० कतामुतु :**
श्री एम० एम० हाशिम :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चौथी योजना में बम्बई-कन्याकुमारी राष्ट्रीय राजपथों के अतिरिक्त दो अन्य राष्ट्रीय राजपथ बनाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि में राज्यवार, कौन से दो नए राष्ट्रीय राजपथ बनाने का विचार है; और

(ग) इस पर अनुमानित कितना व्यय आयेगा ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग): राष्ट्रीय राजमार्गों में नयी सड़कों को शामिल करने के प्रश्न से सम्बन्धित सरकार के निर्णय को शीघ्र ही अन्तिम रूप दिये जाने की संभावना है।

पी० फार्म के बारे में छूट

*1177. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पी० फार्म जारी करने के मामले में और छूट देने का विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की छूट दी जायगी; और

(ग) छूट किस तिथि से दी जायगी ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवंत राव चह्वाण): (क) से (ग): "पी०" फार्म जारी करने के मामले में और छूट देने के लिए सुझाव समय-समय पर आते रहे हैं और उनकी जांच की जाती रही है। किन्तु, इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

वास्तविक से कम तथा अधिक मूल्यों के बीजक बनाने के बारे में जांच-पड़ताल सम्बन्धी समिति

*1178. **श्री एच० एन० मुखर्जी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीजक बनाने में हेर-फेर के कारण होने वाली विदेशी मुद्रा की हानि का मूल्यांकन करने और इस बुराई को दूर करने के लिए उपाय सुझाने हेतु बनाई गई अधिकारियों की समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो समिति के मुख्य निष्कर्ष और सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग): अध्ययन-दल ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है इस रिपोर्ट में न्यूनबीजकांकन, अधिबीजकांकन तथा व्यापार में दूसरे प्रकार के हेर-फेर करके विदेशी मुद्रा की हानि की समस्या के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित अनेक प्रकार के विधायी, प्रशासनिक, संगठनात्मक तथा कार्यविधि सम्बन्धी मुद्दों का उल्लेख है।

अध्ययन-दल की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन है।

तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजपथों पर किया गया खर्च

*1181. **श्री सी० चित्तिबाबू : क्या नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967–68, 1968–69 और 1969–70 में तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजपथों पर कुल कितनी राशि खर्च की गई; और

(ख) क्या सरकार का तमिलनाडु में सम्पर्क सड़कें (लिंक रोड्स) बनाने के लिये धन देने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो कितना ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) वर्ष 1967-68, 1968–69 और 1969–70 के दौरान तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्गों पर खर्च की गयी वास्तविक राशि नीचे दी गयी है :—

वर्ष	राष्ट्रीय राजमार्गों के पुल निर्माण कार्यों पर किया गया व्यय	राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत पर किया गया व्यय	कुल
1967—68	12.64	52.00	64.64
1968 69	50.12	68.54	118.66
1969—70	49.80	74.60	124.40
	112.56	195.14	307.70

(ख) अनुमानतः माननीय सदस्य तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्गों की शहरी सम्पर्क सड़कों के बारे में सूचना चाहते हैं। स्थिति यह है कि ऐसी सम्पर्क सड़कों के अनुरक्षण और विकास की केन्द्रीय वित्तीय सहायता की योजना में 20,000 अथवा अधिक जनसंख्या वाले बड़े शहरों में केन्द्रीय सरकार अनुरक्षण के लिए प्रतिवर्ष 5,000 रुपये प्रति मील की दर से अथवा वास्तविक व्यय-राशि जो भी कम हो, और ऐसी समुचित स्थायी संपर्क सकड़ों के विकास के लिए भी इस शर्त के अधीन देती है कि राज्य सरकार और भारत सरकार ने इस प्रयोजन के लिए करार किया हो। यद्यपि तमिलनाडु सरकार ने इस योजना को स्वीकार कर लिया है, परन्तु इस मामले को अन्तिम रूप देने तथा करार के निष्पादन के लिए उस सरकार से कुछ सूचना की अभी तक प्रतीक्षा की जा रही है।

कलकत्ता स्थित नेताजी संग्रहालय को वित्तीय सहायता

*1182. **श्री समर गुह : क्या शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के पूर्वजों के भवन में स्थित नेताजी संग्रहालय को वित्तीय सहायता देकर मदद करने का सरकार ने वचन दिया था ;

(ख) क्या उक्त प्रयोजन के लिये नेताजी अनुसंधान ब्यूरो द्वारा योजना प्रस्तुत किये जाने के बावजूद अभी तक उक्त संग्रहालय को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई हैं;

(ग) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण है; और

(घ) क्या सरकार उक्त मामले में शीघ्र कार्यवाही करेगी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी हां।

(ख) से (घ): इस तथ्य को देखते हुए कोई भी वास्तविक विर्त्तीय सहायता स्वीकृत नहीं की गई कि पश्चिम बंगाल सरकार ने केवल सामान्य मामलों पर ही सिफारिश भेजी थी। अतः पश्चिम बंगाल सरकार से उन विशिष्ट मदों की सिफारिश भेजने के लिए कहा गया था, जिनके लिए सहायता स्वीकार्य है। उत्तर केवल 12 जुलाई, 1971 को ही प्राप्त हुआ है। अब यह विचाराधीन है।

भारतीय सर्कस का विकास

*1185. **श्री सी० जनार्दनन : क्या शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सर्कस के विकास हेतु क्या कार्यक्रम बनाया गया है ;

(ख) सर्कस में कार्य करके अनुमानतः कितने लोग अपनी जीविका चला रहे हैं; और

(ग) क्या सरकार को पता है कि सभी राज्य सरकारें सर्कस पर मनोरंजन कर लगाती हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) भारतीय सर्कस के विकास के लिए सरकार के पास कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं है। तथापि सरकार, सर्कस-दल एवं उनके सामान को लाने-लेजाने के लिए रेल भाड़े में रियायत की सिफारिश करके, सर्कस प्रदर्शनी के लिए निःशुल्क अथवा रियायती दरों पर स्थान की व्यवस्था करके, कानून और व्यवस्था बनाए रखने में सहायता देकर एवं विदेशों में भ्रमणार्थ विदेशी मुद्रा प्रदान करने सर्कस को प्रोत्साहन दे रही हैं। जब कभी भारतीय सर्कस संघ (इंडियन सर्कस फेडरेशन) से आधारी आंकड़े सहित ठोस प्रस्ताव प्राप्त होंगे उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा।

(ख) श्रम ब्यूरो, शिमला द्वारा सन् 1968 में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार कथित 53 सर्कसों में से 30 में 5,334 व्यक्ति नियुक्त थे। भारतीय सर्कस संघ ने हाल ही में यह अनुमान लगाया है कि देश के 200 सर्कसों में लगभग 10,000 व्यक्ति नियुक्त हैं।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार 8 राज्य और एक संघ-शासित प्रदेश सर्कस प्रश्नों पर कोई मनोरंजन कर नहीं लगा रहे हैं। राज्य एवं एक संघ-शासित प्रदेश इस सम्बन्ध में आंशिक रियायत प्रदान कर रहे हैं।

अन्तर्राज्यीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान योजना

*1186. **श्री एन० टोम्बी सिंह :** क्या **संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अन्तर्राज्यीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान योजना को जारी रखने के बारे में विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष कौन-कौन से राज्य अपनी सांस्कृतिक मण्डलियां दूसरे राज्यों में भेजेंगे; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग): किफायत की दृष्टि से 1-4-1969 से योजना को बन्द कर दिया गया। इस समय, योजना को फिर से चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कोचीन तथा बम्बई के बीच स्टीमर सेवा

*1187. **श्री बालकृष्ण वेन्कन्ना नायक** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन और बम्बई के बीच तटीय स्टीमर सेवा के बन्द कर दिए जाने के परिणामस्वरूप वहाँ घिरे लोगों को लाने ले जाने के लिए क्या वैकल्पिक प्रन्बध किये गये हैं ;

(ख) क्या मई और जून, 1971 में पश्चिमी तट पर बम्बई आने वाले यात्रियों को इस सेवा के बन्द हो जाने के परिणामस्वरूप कठिनाई हुई थी ; और

(ग) क्या सरकार इस क्षेत्र में जन-साधारण को यात्रा की सुविधा के लिए समुद्री टैक्सी सेवा के लिए अनुमति देगी ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) कोई भी नौवहन कम्पनी बम्बई तथा कोचीन के बीच यात्री एवं माल सेवा, जो अन्य कारणों सहित पर्याप्त माल तथा यात्रियों की कमी के कारण जून, 1969 में बन्द हो गई थी को पुनः चालू करने की इच्छुक नहीं है। यह बताया गया है कि सेवा के बन्द होने से यहां पर कोई यात्री घिरे हुए नहीं है, तथा परिवहन के वैकल्पिक साधन उपलब्ध है।

(ख) जी नहीं। सेवा जब जारी थी तब भी इसे मई के मध्य से लेकर सितम्बर के मध्य तक मानसून के कारण निलम्बित कर दी जाती थी।

(ग) इस क्षेत्र में समुद्री टैक्सी सेवा के परिचालन के लिए सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। अतः अनुमति देने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

कोचीन में पोत-निर्माण परियोजना के निष्पादन के लिए कम्पनी का गठन

*1188. **श्री एम० के० कृष्णन : क्या नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन में प्रस्तावित पोत-निर्माण परियोजना के निष्पादन के लिए कोई कम्पनी अभी तक गठित नहीं की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) : कोचीन शिपयार्ड परियोजना के कार्य को करने के लिये एक कम्पनी बनाने के लिये आवश्यक कार्यवाही पहले ही की गई है और इसके शीघ्र ही पूरे हो जाने की संभावना है।

ओ० सी० एम० (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड का अधिग्रहण

*1189. **श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या वित्त मंत्री** 28 मई, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 619 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिन 31 पार्टियों को ओ० सी० एम० (इन्डिया) प्राइवेट लिमिटेड के 25,000 शेयर बेचे जाने का प्रस्ताव है, उनमें श्री दिग्विजय वूलन मिल्स लि० के अलावा बिड़ला समूह द्वारा नियंत्रित अथवा उसके स्वामित्व वाली अनेक सहायक और विक्रेता एजेन्सी फर्में भी शामिल हैं ;

(ख) क्या ओ० सी० एम० हमारी प्रतिरक्षा सेनाओं को कम्बल, युद्ध-पोशाक आदि की सप्लाई कर रहा है ? और

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त कम्पनी को एक विदेशी मालिक से बिड़ला बन्धुओं के अधिकार में जाने की अनुमति देने के बजाए सरकार का विचार इसको अपने नियंत्रण में लेने का है।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले चार वर्षों के दौरान, 10.6 लाख रुपये का माल भेजने के लिए केवल दो आर्डर इस कम्पनी को दिए गये थे।

(ग) यह प्रश्न इस तथ्य को देखते हुए उपस्थित नहीं होता कि सरकार ने प्रस्तावित कीमत की अस्वीकार्यता के आधार पर, प्रस्तावित बिक्री मंजूर नहीं की थी।

एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रियायें अधिनियम के उपबन्धों में छूट

*1190. **श्री एच० के० एल० भगत :** क्या **कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रियायें अधिनियम के उपबन्धों में ढील देने के बारे में किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में किसी राज्य सरकार से कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो वे प्रस्ताव क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख): नहीं, श्रीमान ।

(ग) उत्पन्न नहीं होता ।

पत्तना और पत्तन क्षेत्र का विकास

*1191. **श्री देवेन्द्र सत्पथी :** क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना के कार्यकाल में जिन पत्तनों का विकास किया जाना है, उनके मान क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने सम्बद्ध राज्य सरकारों को पत्तन क्षेत्रों का विकास करने के लिए कोई व्यवहार्य कार्यक्रम बनाने की सलाह दी है ;और यदि हां, तो वे कौन-कौन से हैं ;और

(ग) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को इन क्षेत्रों में पत्तन ट्रस्ट बनाने की सलाह दी है ; और यदि हां, तो राज्य सरकारों ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) सभी बड़े पत्तनों, अर्थात बम्बई, कलकत्ता, मद्रास विशाखापत्तनम, कोचीन, कांडला, मारमुगाओं और पारादीप ने चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत विकास कार्यक्रम शुरू किये है । इसके अलावा दो नये बड़े पत्तन, अर्थात् मंगलोर और तूतीकोरीन का भी विकास किया जा रहा है। इन पत्तनों के अलावा प्रत्येक समुद्रवर्ती राज्य में बड़े पत्तन के अतिरिक्त एक और पत्तन केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत विकास के लिए चुना गया है। इन पत्तनों के नाम नीचे दिये जा रहे हैं :–

1. पोरबंदर (गुजरात)
2. मिर्या वे (महाराष्ट्र)
3. कुड्डालोर (तमिलनाडु)
4. वेथपोर (केरल)
5. कारवाड़ (मैसूर)
6. काकीनादा (आंध्र प्रदेश)
7. गोपालपुर (उड़ीसा)

(ख) अनुमान है कि माननीय सदस्य पत्तन प्राधिकरण के क्षेत्रों के विकास का उल्लेख कर रहे हैं। प्रत्येक बड़ा पत्तन, पत्तन क्षेत्र के विकास पर विशेष ध्यान देता है और जहां भी उद्योगों के विकास के लिए क्षेत्र होता है वहां उद्योगों को आकर्षित करता है। जहां आवश्यक होता है वहाँ राज्य सरकारों के सहयोग की मांग की जाती है।

(ग) पत्तनों का प्रशासन चलाने के लिए आठों बड़े पत्तनों के पहले ही अपने पत्तन न्यास है। जब मंगलोर और तूतीकोरीन पत्तन बड़े पत्तन घोषित किये जायेंगे तो बड़े पत्तन न्यास अधिनियम 1963 के अंतर्गत उनके पत्तन न्यास गठित किये जाएंगे। जहां तक अन्य पत्तनों का सम्बन्ध है ; पत्तन न्यास गठित करना संबंधित राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आता है।

माध्यमिक तथा लघु पत्तनों के मजदूरों के लिये वेतन आयोग की नियुक्ति करने की मांग

*1192. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान माध्यमिक तथा लघु पत्तनों के श्रमिकों, संगठनों और मजदूर संघों द्वारा माध्यमिक तथा लघु पत्तनों के श्रमिकों के लिये वेतन आयोग नियुक्त करने सम्बन्धी मांगों की ओर दिलाया गया है,

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

Widening of National Highways

*1193. **Dr. Laxminarain Pandey:** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state:

(a) Whether road traffic on National Highways has increased considerably during the last three years ;

(b) Whether it has become necessary to widen the various National Highways in view of the increased traffic ;

(c) if so, the steps proposed to be taken by Government in this regard ; and

(d) the names of the National Highways proposed to be widened ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri Raj Bahadur) : (a) & (b) : Yes, Sir.

(c) Provision has been made in the 4th Five-Year Plan for taking in hand the following work for widening the existing single lane National Highway Sections :

			(Miles)
(i)	Widening and strengthening single lane section to 2-lane section.	..	4,450
(ii)	Widening of 2-lane sections without strengthening.	..	3,800
(iii)	Widening of 2-lane sections to 4-lanes.	..	100
	Total	..	8,350 miles

The total cost of works covered by these three items is estimated at Rs. 186 crores.

(d) A statement is attached. [Placed in Library. *See* No. LT-679/71]

वास्तविक से कम मूल्य के बीजक बनाने के मामले में सीमाशुल्क विभाग द्वारा जारी किए गए नोटिसों पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

*1194. **श्री के० बालतन्डायुतम :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्ड एन्ड कम्पनी के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय के फलस्वरूप कि वास्तविक से कम मूल्य के बीजक बनाने के मामले में कार्यवाही केवल भारत के रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा निदेशालय द्वारा ही की जा सकती है सीमाशुल्क विभाग द्वारा 1964-65 में कम मूल्य के कथित बीजक बनाने के बारे में अनेक फर्मों को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस प्रभावहीन हो गए हैं ;

(ख) क्या इस बीच भारत के रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा निदेशालय द्वारा इन मामलों पर विचार किया गया है और दोषी फर्मों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) यह सच है कि रायबहादुर श्री राम दुर्गाप्रसाद अग्रवाल, बर्ड एंड कं० (प्रा०) लि०, तथा अन्य मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद कि ऐसे मामलों में सीमाशुल्क अधिकारियों को केवल यह सुनिश्चित करने का अधिकार था कि विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम की धारा 12(1) के अधीन निर्धारित घोषणापत्र दिये बिना माल का कोई निर्यात न किया जाय तथा यह कि एक बार घोषणापत्र दिये जाने के पश्चात्, उस घोषणापत्र की शुद्धता का मामला निश्चित करने का अधिकार केवल रिजर्व बैंक आफ इंडिया तथा प्रवर्त्तन निदेशालय को है, कलकत्ता सीमाशुल्क गृह द्वारा 1964-65 में विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम की धारा 12 (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करने के कारण कितनी ही फर्मों को जारी किये गये कारण बताओ नोटिस प्रभावहीन हो गये हैं ;

(ख) तथा (ग) : प्रवर्तन निदेशालय ने सभी मामलों पर कार्यवाही शुरू कर दी है। कुछ मामलों में उसने पहले ही कारण बताओ नोटिस जारी कर दिये हैं जबकि अन्य मामले, जिनमें विस्तृत रिकार्ड की छानबीन की जानी है, अभी भी उसके विचाराधीन हैं।

जीवन बीमा निगम द्वारा प्रीमियम की दरों में कमी

*1195. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने कुछ अलाभकारी योजनाओं पर प्रीमियम की दरों में कमी कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या विवाहों और शिक्षा सम्बन्धी पालिसियों को भी जो कि अलाभकारी योजनाएं हैं, इसी श्रेणी में सम्मिलित किया गया है ;

(ग) यदि नहीं, तो इन दोनों योजनाओं को इस श्रेणी में सम्मिलित न करने का औचित्य क्या है ; और

(घ) अन्य अलाभकारी योजनाओं की तरह इन श्रेणियों की बीमा किश्तों में कमी कब की जायेगी ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : (क) 1-2-1970 को, जीवन बीमा निगम ने बीमे की कुछ लाभरहित योजनाओं की प्रीमियम दरों को कम किया ।

(ख), (ग) और (घ) नियत अवधि (विवाह) और शैक्षिक वार्षिकी योजनाओं के प्रीमियम-मानों की बीमाविज्ञों द्वारा की गयी जांच से पता चला कि इन योजनाओं की प्रीमियम दरों में कमी करना व्यवहार्य नहीं है ।

आयकर निर्धारण के मामलों के विरोध में अपीलें

*1196. **श्री इराज्मुद सेकैरा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आयकर निर्धारण की प्रतिशतता के बारे में, ऐसे मामलों जिनमें अपील की जाती है और जिनमें अपील के फलस्वरूप परिवर्तन कर दिया जाता है या वापिस ले लिया जाता है, आंकड़े अपने पास रखती है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के लिए सम्बद्ध आंकड़ों का वर्षवार ब्यौरा क्या है ; और

(क) यदि नहीं, तो कर-निर्धारण अधिकारियों के कार्य का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाता है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां । आयकर अधिकारियों द्वारा कितने कर-निर्धारण पूरे कर लिये गये हैं तथा अपीलीय सहायक आयकर-आयुक्तों के समक्ष कितनी अपीलें दायर की गई हैं तथा यह भी कि अपीलीय सहायक आयकर-आयुक्तों द्वारा किये गये फैसलों में कितनी अपीलों में कर-निर्धारणों में संशोधन किया गया है, उन्हें रद्द किया गया है अथवा अपास्त किया गया है, इसके सम्बन्ध में आयकर-आयुक्त अपने पास आंकड़े रखते हैं ।

(ख) किसी वर्ष में कितने कर-निर्धारण पूरे किये गये तथा अपीलीय सहायक आयकर-आयुक्तों के समक्ष कर-निर्धारितियों द्वारा कितनी अपीलें दायर की गईं, इसके सम्बन्ध में केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड अपने पास आंकड़े रखता है । किसी एक वर्ष में अपीलीय सहायक आयकर-आयुक्तों द्वारा निपटाई गईं अपीलों की कुल संख्या के सम्बन्ध में भी सूचना उक्त बोर्ड द्वारा रखी जाती है । किन्तु माननीय सदस्य द्वारा जिस रूप में सूचना मांगी गई है, ठीक उसी रूप में वह तत्काल उपलब्ध नहीं है । वह एकत्रित की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

(ग) अधिकारियों का कार्य-निष्पादन उनके द्वारा किये गये कर-निर्धारणों के आधार पर तथा ऐसे कर-निर्धारणों के विरुद्ध दायर की गई अपीलों पर अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा दिये गये फैसलों के आधार पर भी आंका जाता है ।

मद्रास बन्दरगाह को स्वच्छ रखने के उपाय

*1197. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27 जून, 1971 के "स्टेट्समैन" में "विश्व में स्वच्छतम तथा सब से गन्दा बन्दरगाह" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या मद्रास बन्दरगाह को स्वच्छ रखने के लिए सरकार का विचार कोई कार्यवाही करने का है ; और

(ग) इस प्रयोजन के लिये सरकार की योजना की मोटी रूपरेखा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) शीर्षक "सबसे साफ और सबसे गन्दा" है न कि "संसार में सबसे साफ और सबसे गंदा पत्तन" यह समाचारपत्र-रिपोर्ट नगरों का उल्लेख करती है ना कि पत्तनों का ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

मद्रास पत्तन पर तेल जेटी का निर्माण करने के लिए प्राक्कलन और डिजाइन

*1198. **श्री एस० राधाकृष्णन :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास पत्तन पर एक सर्व ऋतु जेटी बनाने के लिए प्राप्त मूल प्राक्कलन और डिजाइन में कुछ तकनीकी कमियां थीं ;

(ख) क्या इसके पुनरीक्षित प्राक्कलन और डिजाइन बनवाने के लिए कहा गया था ;

(ग) क्या उपरोक्त कारण से ही निर्माण कार्य में विलम्ब हुआ ; और

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) अनुमानतः संदर्भ तेल गोदी से है और तेल घाट उसका एक अंग है । मद्रास पत्तन न्यास ने तेल गोदी परियोजना के लिए मूल रूप से जो अभिकल्प अपनाया था वह पर्याप्त नहीं पाया गया । अतः भारत सरकार की अनुमति से पत्तन न्यास द्वारा गठित एक उच्चस्तरीय तकनीकी समिति ने इन कमियों को दूर करने के लिए कार्यवाही की सिफारिश की । तदनुसार मद्रास पत्तन न्यास ने अभिकल्प और अनुयानों में संशोधन किया ।

(ग) और (घ) : इस परियोजना के निष्पादन में विभिन्न तकनीकी समस्याओं को जो अनेक विशिष्ट बातों से संबद्ध पनकट दीवारों के निर्माण के दौरान सामने आयी, के कारण विलम्ब हुआ । उच्चस्तरीय तकनीकी समिति ने स्थिति की जांच की और उन्हें हल करने के लिए विभिन्न उपायों की सिफारिश की । पत्तन न्यास इन उपायों को क्रियान्वित कर रहा है ।

केरल को वित्तीय सहायता

*1199. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार को गम्भीर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त संकट पर काबू पाने के लिये राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता की मांग की है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : (क) से (ग) : भारतीय रिजर्व बैंक के इस अनुरोध के संदर्भ में, कि केरल सरकार अपनी ओवरड्राफ्ट की रकम जून 1971 के अन्त तक चुका देने की व्यवस्था करे, उक्त सरकार ने अभी हाल ही में आवश्यक सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया था। तदनुसार राज्य सरकार को, 30 जून को, अर्थोपाय अग्रिम दिया गया था ताकि वह उस तारीख को अपनी ओवरड्राफ्ट की रकम चुका दे। अग्रिम की रकम, चालू वित्तीय वर्ष में ही वसूल की जायगी।

छोटे जमाकर्त्ताओं को दिये गये प्रोत्साहन

*1200. **श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बैंकों की ओर छोटे जमाकर्ताओं को आकर्षित करने के लिये कोई प्रोत्साहन दिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और उनसे क्या सफलता प्राप्त हुई है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : (क) और (ग) : जी हां। राष्ट्रीयकृत बैंकों में से कई बैंकों में, छोटे जमाकर्त्ताओं की सुविधा के अनुकूल जमा योजनाएं चल रही हैं। कुछ बैंक प्रतिदिन 25 पैसे की जमा स्वीकार करते हैं, जबकि अन्य बैंक जमाकर्त्ताओं को केवल 5 रुपये से बचत बैंक खाता खोलने तथा आवर्ती जमा द्वारा अपनी शेष जमा रकम को बढ़ाने के लिए आमंत्रित करते हैं। हाल ही में, कुछ बैंकों में "बीमा-सहित बचत खाता योजना" चालू की गयी है, जिसके अन्तर्गत विशेष रूप से इस प्रयोजन के लिए खोले गये बचत बैंक खाते के खाता-धारक के जीवन के लिए बीमे की व्यवस्था है।

यद्यपि राष्ट्रीयकरण के बाद राष्ट्रीयकृत बैंकों की जमा रकमों में और साथ ही इन बैंकों में बचत खातों की संख्या में विशेष वृद्धि हुई है, तथापि निश्चित रूप से यह बताना कठिन है कि विशेष जमा योजनाओं को चालू करने के परिणामस्वरूप इसमें कहां तक वृद्धि हुई है।

रामपुर के नवाब द्वारा आय-कर आदि धन के विवरण का दिया जाना

5016. **श्री जुल्फिकार अली खां** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामपुर के नवाब मुर्तजा अली खां ने आय-कर अधिनियम और धन-कर अधिनियम के अन्तर्गत क्रमश: आय और धन का अधतन विवरण दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में आय-कर और धन-कर विवरणों में क्रमश: कितनी आय और कितना शुद्ध धन दिखाया गया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) रामपुर के नवाब, श्री मुर्तजा अली खां ने कर-निर्धारण वर्ष 1970-71 तक की अपनी आयकर विवरणियां दाखिल कर दी हैं। किन्तु उन्होंने अपने शुद्ध धन की विवरणियां, केवल कर-निर्धारण वर्ष 1969-70 तक की ही दाखिल की है।

(ख) **कर-निर्धारण वर्ष**

आयकर			
	1968-69	**1969-70**	**1970-71**
	रु०	रु०	रु०
घोषित आय	61,517	58,808	54,566
धनकर			
	1967-68	**1968-69**	**1969-70**
शुद्ध घोषित धन	3,60,059	4,31,720	4,25,947

रामपुर की बेगम द्वारा आय-कर और धन-कर का विवरण दिया जाना

5017. **श्री जुल्फिकार अली खां** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामपुर की बेगम आफताब ज़मानी ने आय-कर अधिनियम और धन-कर अधिनियम के अन्तर्गत क्रमश: आय और धन का अद्यतन विवरण दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में आय-कर और धन-कर विवरणों में क्रमश: कितनी आय और कितना शुद्ध धन दिखाया गया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) रामपुर की बेगम आफताब जामानी ने कर-निर्धारण वर्ष 1970-71 तक की आय तथा धन की अपनी विवरणियां दाखिल कर दी हैं।

(ख) **कर-निर्धारण-वर्ष**

	1968-69	**1969-70**	**1970-71**
	रु०	रु०	रु०
आयकर	(हानि) 1,15,991	(हानि) 1,48,574	(हानि) 1,48,805
शुद्ध घोषित धन	(—) 4,57,235	(—) 4,86,190	(—) 6,27,509

रामपुर के नवाब के विरुद्ध आय-कर की बकाया धनराशि

5018. **श्री जुल्फिकार अली खां** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रामपुर के नवाब के विरुद्ध आयकर अधिनियम, धन अधिनियम, व्यय-कर अधिनियम, उपहार-कर अधिनियम और सम्पदा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत कितनी धनराशि बकाया है ;

(ख) उक्त धनराशि कब से बकाया है और बकाया धनराशि को वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या नवाब के विरुद्ध वसूली/कुर्की का मुकदमा चलाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०आर० गणेश) : (क) और (ख): अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण-पत्र में दी गई है जिसे सभा की मेज पर रख दिया गया है ।

(ग) और (घ) : जैसा कि सदन की मेज पर रखे गये विवरण-पत्र में बताया गया है, दिल्ली के कर-वसूली अधिकारी ने 148 सुन्दर नगर, नई दिल्ली स्थित सम्पत्ति और साथ ही कुलागत जवाहरात का भी अभिग्रहण कर लिया है जो कि पर्याप्त मूल्य की हैं । कर-वसूली की कार्यवाही को अन्तिम रूप देने के सम्बन्ध में भी कर वसूली अधिकारी आगे कार्यवाही कर रहा है ।

"विवरण"

आय-कर की बकाया रकम

कर-निर्धारण वर्ष	मांगे गये आयकर का स्वरूप	वसूली के लिए पड़ी बकाया रकम	अवधि जब से रकम बकाया पड़ी है	कर की बकाया की वसूली के लिए किये गये उपाय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1962-63	धारा 271 (1) (क) के अधीन दण्ड	8,124	19-6-1969	दिल्ली के कर-वसूली अधिकारी में 148,
1963-64	-यथोपरि-	23,732	4-4-1970	सुन्दर नगर, नई दिल्ली
1964-65	नियमित	18,317	19-4-1969	स्थित सम्पत्ति और साथ ही
1964-65	धारा 220 (2) के अधीन ब्याज	1,370	—	कुलागत जवाहरात का अभिग्रहण कर लिया है । वसूली के
1965-66	नियमित	18,490	3-4-1970	लिए बकाया पड़ी कर की
1966-67	नियमित	18,993	4-4-1971	मांग के लिए ये सम्पत्तियां
1967-68	अनन्तिम	18,196	28-8-1970	पर्याप्त मूल्य की हैं और
1968-69	-यथोपरि-	15,656	-यथोपरि-	वसूली की कार्यवाही पूरी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1969-70	अग्रिम-कर	2,786	19-9-1968	करने के लिए कर वसूली अधिकारी आगे कार्यवाही कर रहा है। इसके अन्तर्गत इस विवरण-पत्र में उल्लिखित सभी मांगें आ जाती हैं।
1964-65	धारा 271 (1) (ग) के अधीन दण्ड	2,500	—	
1964-65	धारा 271 (1) (क) के अधीन दण्ड	6,808	22-3-1971	
1964-65	धारा 140 (क) के अधीन दण्ड	1,169	22-3-1971	
1962-63	धारा 220 (2) के अधीन ब्याज	1,303	8-5-1967	
1963-64	-यथोपरि-	2,123	12-4-1968	
1965-66	-यथोपरि-	1,239	3-4-1970	
1971-72	अग्रिम-कर	6,802	6-10-1970	
		1,37,608		

व्यय-कर

	व्यय-कर	9,116	29-7-1971
1964-65	आय-कर अधिनियम की धारा 220 (2) के अधीन ब्याज	1,135	21-3-1970

धन-कर, दान-कर तथा सम्पदा शुल्क की मांग

कुछ नहीं

रामपुर की बेगम के विरुद्ध आयकर की बकाया धनराशि

5019. **श्री जुल्फिकार अली खां** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रामपुर की बेगम आफताब जामानी के विरुद्ध आयकर अधिनियम, धनकर अधिनियम, व्ययकर अधिनियम, उपहार कर अधिनियम और सम्पदा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत कितनी धनराशि बकाया है;

(ख) उक्त धनराशि कब से बकाया है और बकाया धनराशि को वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या बेगम के विरुद्ध वसूली/कुर्की का मुकदमा चलाया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) : 'आफताब फायनान्सिग कारपोरेशन' जो रामपुर की महामान्या बेगम आफताब ज़मानी की मालिकाना कम्पनी है, के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण-पत्र में दी गई है जिसे सभा-पटल पर रख गया है।

(ग) और (घ) : जैसा कि सभा-पटल पर रखे गये विवरण-पत्र में कहा गया है, वसूली के उपाय-आरम्भ कर दिये गये हैं तथा पर्याप्त मूल्य के जवाहरात, जिसके बारे में यह दावा है कि वह उनकी अपनी है, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 132(3) के अन्तर्गत कब्जे में ले ली गयी है।

विवरण

आय–कर की बकाया

कर-निर्धारण वर्ष	आय-कर की मांग का स्वरूप	वसूली के लिए पड़ी बकाया रकम	अवधि जब से रकम बकाया पड़ी है	कर की बकाया की वसूली के लिये किये गये उपाय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1961-62	धारा 271 (1) (ग) के अन्तर्गत दण्ड	500	—	वसूली के उपाय आरम्भ कर दिये गये हैं तथा आय-कर अधिनियम 1961 की धारा 132(3) के अन्तर्गत पर्याप्त मूल्य के उस जवाहरात को, जिसके बारे में यह दावा है कि वह बेगम की है, कब्जे में ले लिया गया है।
1961-62	धारा 220 (2) के अन्तर्गत ब्याज	53	20–4–1969	
1963-64	नियमित	1,249	—	
1964-65	नियमित	3,250	24–3–1969	
1964-65	धारा 220 (2) के अन्तर्गत ब्याज	270	—	
1964-65	दण्ड	4,307	3–10–1969	
1964-65	धारा 271 (1) (क) के अन्तर्गत दण्ड	158	15–4–1971	
		9,787		

धन–कर

कुछ नहीं

दान-कर, व्यय-कर तथा सम्पदा-शुल्क

कुछ नहीं

Non-Payment of Income-Tax by the Director of Dr. Bhagwan Das Memorial Trust, New Delhi

5020 : **Shri Chhatrapati Ambesh** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether a complaint was sent to the Income-tax Commissioner, New Delhi, regarding non-payment or underpayment of income-tax by Shri Kumarpal, Director of Dr. Bhagwan Das Memorial Trust, 2F, Lajpat Nagar, New Delhi ;

(b) whether some other persons have also sent complaints against Shri Kumarpal to the Director of Inspection (Investigation), New Dehli, and to the Central Board of Direct Taxes, New Dehli ;

(c) whether no action has been taken in the matter in spite of these complaints ; and

(d) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh): (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) No, Sir. Action was taken.

(d) Does not arise.

Complaint against Dr. Bhagwan Das Memorial Trust, New Delhi for Non-affixing of Revenue Stamps

5021. **Shri Chhatrapati Ambesh :** Will the Minister of **Finance** be pleased to State :

(a) Whether the Chief Revenue Controlling Authority, Delhi had received a complaint in regard to non-affixing of revenue stamps by Dr. Bhagwan Das Memorial Trust, 2-F, Lajpat Nagar, New Dehli on the receipts involving amounts of more than 20 rupees ;

(b) whether about 50 such receipts which did not bear revenue stamps were forwarded to the Collector of stamps, Delhi ; and

(c) if so, the action taken against the said Trust ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh): (a) Yes, Sir.

(b) Forty-four receipts were received in the Office of the Collector of Stamps, Delhi with the complaint that these did not bear the 10 paise Revenue Stamps.

(c) On receipt of the 'Receipts' in question, showcause notices were issued to the Bhagwan Das Memorial Trust under Article(b) of sub-section(1) of section 62 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899) which relates to penalty for executing etc., instruments not duly stamped. Ultimately, at the request of the General Secretary of the Trust, who appeared in person, the offence was compounded under sub-section (2) of Section 70 of the Indian Stamp Act by charging Rs. 3/- on each of the 43 receipts out of 44. One receipt for an amount of Rs. 20/- was not required to be stamped and was therefore returned to the complainant explaining to him the legal position.

महाबलीपुरम् तथा नीलगिरि का पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकास योजना

5022. **श्री एस० राधाकृष्णन :**
श्री सी० चित्तिबाबू :
श्री आर० सी० उलगनम्बी :
क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु सरकार से ऐतिहासिक स्थान महाबलीपुरम् तथा पर्वतीय स्थल नीलगिरि का पर्यटक आकर्षण केन्द्र के रूप में विकास करने के सम्बन्ध में एक करोड़ रुपये की कोई योजना प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य रूपरेखा क्या है तथा इस योजना पर होने वाला अनुमानित व्यय कितनी है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) विस्तृत ब्यौरा केवल महाबलीपुरम् के बारे में दिया गया है। उसमें महाबलीपुरम् में एक करोड़ रुपये की लागत में आवास, नागरिक एवं मनोरंजनात्मक सुविधाओं, दुकानों, कार पार्कों और प्राकृतिक दृश्य योजना की व्यवस्था के प्रस्ताव सम्मिलित हैं।

(ग) भारत सरकार का महाबलीपुरम् में एक "ध्वनि एवं प्रकाश" प्रदर्शन के आयोजन का प्रस्ताव है, जिसके लिए प्राक्कलन तैयार किये जा रहे हैं। सरकार का वहां दस लाख रुपये की लागत से यात्री आवास गृह (ट्रेवलर्ज लौज) में 20 कुटीर और एक तैरने का तालाब और बना कर वर्तमान आवास व्यवस्था में वृद्धि करने का प्रस्ताव है।

चौथी पंचवर्षीय योजना में बड़े तथा मध्यम दर्जे के पत्तनों के सुधार के लिए आवंटित राशि

5023. **श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में भारत के बड़े तथा मध्यम दर्जे के पत्तनों के सुधार के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है ;

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना काल में अन्त तक ये पत्तन बढ़े हुए आयात निर्यात के अतिरिक्त भार को संभालने में समर्थ होंगे ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) संभवतः हवाला चौथी पंचवर्षीय योजना काल के दौरान बड़े पत्तनों और बड़े पत्तनों के अलावा अन्य पत्तनों के विकास से है। चौथी पंचवर्षीय योजना काल के दौरान पत्तनों के सुधार के लिए केन्द्रीय सेक्टर के अन्तर्गत आवंटित राशि 180 करोड़ रुपये है—160 करोड़ रुपये बड़े पत्तनों के लिए और 20 करोड़ रुपये बड़े पत्तनों के अलावा अन्य पत्तनों के लिए है।

जहां तक बड़े पत्तनों का सम्बन्ध है बड़े पत्तनों के विकास के लिए 280 करोड़ रुपये का भौतिक कार्यक्रम भी अनुमोदित किया गया। परन्तु चौथी योजना के दौरान उनके विकास के लिए वित्तीय नियतन 260 करोड़ रुपये तक सीमित है। इसका विचार यह है कि लगभग 20 करोड़ रुपये की राशि पांचवी योजना काल में ले जाई जायेगी। 260 करोड़ रुपये में से लगभग 100 करोड़ रुपये पत्तन अपने साधनों से वहन करेगा और 160 करोड़ रुपये केन्द्रीय सरकार अपने साधनों से उपलब्ध करेगा। 280 करोड़ रुपये बड़े पत्तनों के भौतिक कार्यक्रम का पत्तन वार ब्यौरा निम्न प्रकार है :

(करोड़ रुपये में)

पत्तन परियोजना का नाम	चौथी योजना के लिए अनुमोदित भौतिक कार्यक्रम
बड़े पत्तन	
1. कलकत्ता	5.86
2. हल्दिया गोदी प्रणाली	40.00
3. भागीरथी-हुगली नदी प्रशिक्षण कार्य	8.00
4. बम्बई	48.14
5. मद्रास	20.84
6. कोचीन	17.89
7. विशाखापत्तनम् (भीतरी बन्दरगाह)	16.65
8. विशाखापत्तनम् (बाहरी बन्दरगाह)	35.00
9. कांडला	9.45
10. मार्मगाओं	22.00
11. पारादीप	14.00
12. मंगलौर हारबर परियोजना	16.00
13. तूतीकोरिन हारबर परियोजना	17.00
14. केन्द्रीय किर्षण संगठन	9.00
कुल	279.83

(अथवा कहिए 280 करोड़ रुपये)

जहां तक बड़े पत्तनो को छोड़ कर अन्य पत्तनों का सम्बन्ध है, केन्द्रीय सरकार की कुल आवंटित राशि निम्नलिखित 20 करोड़ रुपये है ।

		करोड़ रुपयों में
(क)	केन्द्र द्वारा कार्यान्वित की गई योजनाएं	
1.	छोटे पत्तन निकर्षण तथा सर्वेक्षण संगठन	1.01
2.	अण्डमान तथा निकोबर द्वीप	5.14
3.	लक्काडिव, मिनिकोय तथा आमीनदिवी द्वीप	0.85
	जोड़ (क) केन्द्र द्वारा कार्यान्वित योजनाएं	7.00
(ख)	केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं	
1.	तीसरी योजना से आगे ले जाये गये	0.99
2.	पोरबन्दर (गुजरात)	6.92
3.	मिरिया बे (महाराष्ट्र)	1.07
4.	कुड्डालोर (तमिलनाडु)	0.89
5.	वेपोर (केरल)	1.00
6.	करवार (मैसूर)	0.75
7.	काकीनाडा (आन्ध्र प्रदेश)	1.00
8.	चांदवाली/गोपालपुर (उड़ीसा)	0.40
	योग (ख) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं	13.02
	कुल योग (क,ख)	20.02
	अथवा कहिये	20.00

(ख) पत्तनों के सम्बन्ध में बड़ी परियोजनाओं में अब तक हुई प्रगति निम्न प्रकार है :

कलकत्ता पत्तन

हल्दिया में गहरे डुबाव वाली गोदी का निर्माण प्रगति पर है तथा 1972 में चालू होने की संभावना है । हल्दिया में तेल जेटी पहले ही अगस्त, 1968 में चालू हो चुकी है ।

बम्बई पत्तन

गोदी पत्तन तथा बालार्ड पीयर विस्तार योजनाएं प्रगति पर हैं । अलेक्जेण्डर गोदी विस्तार तथा फैरी टर्मीनल जेटी का निर्माण कार्य हो चुका है । अलेक्जेण्डर गोदी यातायात के लिए खोल दी गई है । वलार्ड पीयर विस्तार पर कार्य प्रगति पर है । इन दो योजनाओं की सभी प्रकार से मार्च, 1972 तक पूर्ण हो जाने की संभावना है । बम्बई पत्तन के लिए मास्टर योजना की जो सलाह-कारी इंजीनियरों से प्राप्त हो चुकी है, पत्तन न्यास द्वारा जांच की जा रही है ।

मद्रास पत्तन

तेल गोदी का निर्माण कार्य प्रगति पर है। तेल जेटी 1972 के आरम्भ में पूर्ण होने की संभावना है जबकि पूर्वी पनकट दीवार के शेष भाग की सितम्बर 1972 तक पूर्ण होने की संभावना है।

कोचीन पत्तन

कोचीन तेल गोदी परियोजना के बारे में मुख्य निकर्षण कार्य करने के लिए निविदाओं की कोचीन पत्तन न्यास द्वारा संवीक्षा की जा रही है। परियोजना की 1973 तक पूर्ण हो जाने की संभावना है। दो निकर्षणों की जिनके लिए कोचीन पत्तन न्यास द्वारा आर्डर दिये गये हैं 1972 के आरम्भ में सुपुर्दगी होने की संभावना है।

विशाखापत्तनम् पत्तन

विशाखापत्तनम् बाहरी बन्दरगाह परियोजना से सम्बन्धित पनकट दीवारों के निर्माणार्थ मुख्य ठेके दे दिये गये हैं। कई निर्माण उपस्करों के लिए आर्डर दे दिये गये हैं। बाहरी बन्दरगाह परियोजना की मई 1974 तक पूर्ण होने की संभावना है।

कांडला पत्तन

पांचवें घाट पर डायफ्राम दीवार का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पूर्ण होने की संभावना है।

मार्मगाओ पत्तन

60,000 डी० डब्लू० टी० के जहाजों के लिए अपेक्षित गहराई तथा अयस्क धराउठाई सुविधाओं की स्थापना के लिए अपेक्षित क्षेत्र के सुधार के लिए मुख्य निकर्षण कार्य प्रगति पर है। वाफे घाटों, तेल घाट, अयस्क घाट तथा तिरते जलयानों आदि के निर्माण के लिए निविदाएं मांगी गई हैं। परियोजना के पूर्ण होने की निर्धारित तिथि 1973 के अन्त तक है।

पारादीप पत्तन

पारादीप सामान्य माल घाट के निर्माण के लिए ठेका दे दिया गया है। कटक-पारादीप रेल लिंक पर कार्य प्रगति पर है तथा 1972 तक पूर्ण होने की संभावना है। पारादीप पत्तन पर मौजूदा अयस्क धराउठाई संयंत्र की क्षमता 2.5 मिलियन टन से बढ़ा कर प्रतिवर्ष 3 मिलियन टन करने के उद्देश्य से तीसरे रेक्लेपर के लिए आदेश दे दिया गया है।

तूतीकिरन हारबर परियोजना

पनकट दीवारों के निर्माण सम्बन्धी कार्य प्रगति पर है। परियोजना की 1972 के अन्त तक पूर्ण होने की संभावना है।

मंगलौर हारबर परियोजना

पनकट दीवार का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। निकर्षण कार्य प्रगति पर है। वाफे के निर्माण के लिए ठेका दे दिया गया है। परियोजना की 1972 के अन्त तक पूर्ण होने की संभावना है।

केन्द्रीय निकर्षण संगठन

एक अधिक शक्ति वाला निकर्षण अभी-अभी प्राप्त किया है। दूसरे अधिक शक्ति वाले निकर्षण की शीघ्र ही सपुर्दगी होने की संभावना है।

भागीरथी-हुगली नदी प्रशिक्षण कार्य

बड़े पत्तनों को छोड़ कर अन्य पत्तनों के विकास के लिए कार्यकारी जिम्मेदारी सम्बन्धित राज्य सरकारों की है। उनसे सूचना मांगी गई है।

(ग) जी, हां।

कलकत्ता से पारादीप को भेजे गए समुद्री जहाजों में माल के लदान तथा उतारने सम्बन्धी कार्य की प्रतिशतता

5024. **श्री बी० एस० मूर्ति :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कलकत्ता से पारादीप को भेजे गए समुद्री जहाजों में माल लदान तथा उतारने सम्बन्धी कार्य की प्रतिशतता क्या है?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : पारादीप की यातायात लौह-अयस्क तक ही सीमित है। यह अयस्क आंशिक रूप से तो बराजामदा तथा आंशिक रूप से बेतारी से आता है। बराजामदा अयस्क का कलकत्ता से भी निर्यात होता है। कलकत्ता से निर्यात होने वाला अयस्क कलकत्ता में पर्याप्त डुबाव के अभाव के कारण अभी कुछ बर्षों में कम हो गया है। 1969-70 तथा 1970-71 में कलकत्ता तथा पारादीप से निर्यात हुए बराजामदा अयस्क की मात्रा निम्न-प्रकार थी।

(टन लाखों में)

	1969–70	1970–71
कलकत्ता	3.70	3.46
पारादीप	12.97	15.04

काकीनाडा तथा विमलीपट्टम पत्तनों की क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता

5025. **श्री बी० एस० मूर्ति :** क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम पत्तन पर भीड़भाड़ समाप्त करने के लिए काकीनाडा तथा विमली-पट्टम पत्तनों की क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता के बारे में कोई अध्ययन किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, नहीं। विशाखापत्तनम पत्तन पर कोई भीड़ नहीं है। केन्द्रीय प्रायोजन योजना के अधीन ऋण सहायता के लिए काकीनाडा का विकास किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विशाखापटनम-विमलीपट्टम समुद्रतटीय सड़क के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता

5026. **श्री बी० एस० मूर्ति :** क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने विशाखापटनम-विमलीपट्टम समुद्रतटीय सड़क के निर्माण के लिए केन्द्रीय सरकार से कोई वित्तीय सहायता मांगी थी; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा अब तक कितनी सहायता दी गई है?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों का अनुवाद तथा प्रकाशन योजना के अन्तर्गत पुस्तकों का प्रतिलिप्यधिकार प्राप्त करने के लिये खर्च की गई विदेशी मुद्रा

5027. **श्री चन्द्रिका प्रसाद :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों का अनुवाद तथा प्रकाशन योजना के अन्तर्गत पुस्तकों का प्रतिलिप्यधिकार प्राप्त करने के लिए 5 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा खर्च की गई;

(ख) क्या इन पुस्तकों के अनुवाद तथा प्रकाशन पर व्यय की गई 50 लाख रुपये की राशि बेकार हो गई क्योंकि केन्द्रीय राजस्व महालेखाकार के लेखा परीक्षा दल के मतानुसार ये सभी प्रकाशित पुस्तकें व पाण्डुलिपियां सरकार के पास इसलिए पड़ी हैं क्योंकि वे विश्वविद्यालय के लिए विहित अथवा स्वीकृत नहीं की गई; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) कापीराइट प्राप्त करने के लिए रायल्टी के भुगतान स्वरूप 3,52,771.51 रुपये की विदेशी मुद्रा खर्च की गई थी।

(ख) जी नहीं, पुस्तकों के निर्माण में खर्च की गई 47,60,635 रुपये की राशि में से 3,35,522 रुपये की पुस्तकें बेची गई हैं और 3,28,453 रुपये की पुस्तकें, विभिन्न विश्वविद्यालयों और संगठनों में वितरित की गई हैं। विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा 31 पुस्तकें निर्धारित की गई हैं और काफी संख्या में पाण्डुलिपियां छप रही हैं।

यह योजना भारतीय भाषाओं की शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रोत्साहित करने की दृष्टि से उस दिशा में उनको प्रोन्नत करने की है।

(ग) विश्वविद्यालयों में अधिकतम पुस्तकें निर्धारित करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। आयोग द्वारा प्रकाशित पुस्तकों का व्यापक प्रचार किया जा रहा है और इन पुस्तकों की बिक्री आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न भी किए जा रहे हैं।

बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर द्वारा दिये गये ऋणों के सम्बन्ध में शिकायतें

5028. **श्री बी० एन० भार्गव :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर की किशनगढ़ शाखा (अजमेर) द्वारा ऋण देने के बारे में, लघुउद्यमियों को परेशान करने सम्बन्धी गम्भीर शिकायतें मिली थी ;

(ख) क्या केवल कुछ ही पार्टियों को 32 लाख रु० का ऋण दिया गया था और वास्तविक हकदारों को छोड़ दिया गया ;

(ग) क्या अशोक डाइंग एण्ड प्रिंटिंग वर्क्स नामक एक ऐसी फर्म को भी ऋण दिया गया जो कि मौजूद ही नहीं है ; और

(घ) यदि हां, तो बैंक द्वारा ऋण देने के बारे में, स्थानीय उद्यमियों की शिकायतों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवंत राव चह्वाण : (क) से (घ): सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है और जैसे ही यह प्राप्त होगी, सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अन्तर्देशीय प्रलेखीय बिलों के विनिमय के बारे में उपभोक्ताओं को कठिनाई

5029. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अन्तर्देशीय प्रलेखीय बिलों के विनिमय के सम्बन्ध में उपभोक्ताओं को कठिनाई हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार "एयर कैरियर सर्विस" लागू करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण : (क) भारतीय रिजर्व बैंक को राष्ट्रीयकृत बैंकों के असामियों से इस प्रकार की शिकायतें मिलती रही हैं जिनमें यह आरोप लगाया गया है कि उन असामियों द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों को प्रस्तुत की गई दस्तावेजी हुंडियों (डॉकूमेंटरी बिल) की रकम वसूल करने में देर लगती है । इस प्रकार देरी होने के उदाहरण राष्ट्रीयकरण से पहले भी देखने में आए थे । विशिष्ट शिकायतों पर बैंक उपयुक्त कार्रवाई करते हैं ।

(ख) सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि, भारतीय बैंक संघ (इंडियन बैंक्स एसोसिएशन) ने बैंक, हुण्डियों आदि की रकमों को तत्परतापूर्वक लेने-देने की एक योजना तैयार की है । इस योजना के अन्तर्गत, सम्बन्धित कागज-पत्र इंडियन एयर लाइन्स की रात्रि हवाई वहन सेवा (नाइट एयर फ्रेट सर्विस) के माध्यम से मोहरबन्द पैकेटों में भेजे जाएंगे । इस योजना के बैंकों द्वारा कार्यान्वियन के लिए शीघ्र ही अपनाए जाने का प्रस्ताव है ।

(ग) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के "डिस्काउंट हाउस"

5030. **श्री डी० पी० जदेजा : क्या वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ब्रिटेन में बिलों और प्रत्याभूति गृहों को छूट देने के सम्बन्ध में प्रवृत्त प्रणाली की तरह ही राष्ट्रीयकृत बैंकों में "डिस्काउंट हाउस" प्रथा लागू करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस योजना को कब तक लागू किया जायेगा ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : (क) जी, नहीं । सरकार के पास इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) और (ग): ये प्रश्न उपस्थित नहीं होते ।

आसाम को दिये गये ऋण

5031. **श्री रोबिन काकोती : क्या वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968–69, 1969–70 और 1970–71 के वित्तीय वर्षों में आसाम राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी धनराशि के ऋण दिये गये ;

(ख) उक्त ऋणों पर इस समय राज्य सरकार की ओर बकाया ब्याज की राशि कितनी है ; और

(ग) राज्य सरकार ने 1971–72 के वित्तीय वर्ष के लिए कितने ऋणों की मांग की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) आसाम सरकार के लिए, 1968–69 में 43.87 करोड़ रुपये के, 1969–70 में 70.46 करोड़ रुपये के और 1970–71 में 66.37 करोड़ रुपये के केन्द्रीय ऋण मंजूर किये गये थे ।

(ख) 31 मार्च 1971 की स्थिति के अनुसार, आसाम सरकार के नाम ब्याज के रूप में कोई राशि बकाया नहीं थी ।

(ग) आसाम राज्य की 1971–72 की आयोजना के लिए 36.56 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता निर्धारित की गयी है जिसमें इकट्ठे ऋण और अनुदान शामिल हैं । इसके अलावा, राज्य सरकार को, अल्पबचत की संगृहीत राशियों के बदले और केन्द्र-प्रायोजित योजनाओं आदि के लिए भी ऋण राशियां मिलेंगी जिनको अभी अन्तिम रूप दिया जाना है । राज्य सरकार ने 1971–72 के अपने बजट में कुल 40.89 करोड़ रुपये के केन्द्रीय ऋणों की कल्पना की है ।

चौथी योजना में मद्यनिषेध, कुष्ठ निवारण, प्रौढ़ शिक्षा तथा हरिजन कल्याण हेतु निर्धारित धनराशि

5032. **श्री रोबिन काकोती :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(1) मद्यनिषेध (2) कुष्ठ निवारण (3) प्रौढ़ शिक्षा तथा (4) हरिजन कल्याण कार्यों के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

शिक्षा के विकास के लिए राज्यों को ऋण

5033. **श्री रोबिन काकोती :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने प्रत्येक राज्य में शिक्षा के प्रसार हेतु पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक राज्य को कितना ऋण दिया ; और

(ख) विभिन्न राज्यों में इस समय केन्द्र द्वारा शासित शैक्षिक संस्थाओं की संख्या क्या है ?

शिक्षा और समाज-कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) विवरण संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-680/71]**

(ख) 19 संस्थाएं।

आसाम में समाज कल्याण संस्थाओं को दिये गये अनुदान

5034. **श्री रोबिन काकोती :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : आसाम राज्य की किन किन समाज संस्थाओं को पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा अनुदान दिये गये ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : आसाम राज्य में संस्थाओं जिन्हें केन्द्रीय समाज-कल्याण बोर्ड द्वारा अनुदान दिया गया था, की सूची संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-681/71]**

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा आसाम राज्य को दिये गये ऋण

5035. **श्री रोबिन काकोती :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा पिछले दो वर्षों में आसाम राज्य को कुल कितनी राशि के ऋण दिये गये ;

(ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा राज्यों को ऋण देने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कसौटी निर्धारित की है ;

(ग) क्या आसाम राज्य को राष्ट्रीयकृत बैंकों से अन्य राज्यों की तुलना में कम ऋण प्राप्त हो रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : (क) से (घ) : आसाम राज्य में 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों की कुल बकाया रकम जून, 1969 के अन्त में 8.16 करोड़ रुपये था और यह बकाया रकम सितम्बर 1970 के अन्त तक बढ़कर 9.70 करोड़ रुपये हो गयी। राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा पात्र ऋणकर्त्ताओं को ऋण मंजूर करने की मुख्य कसौटी योजनाओं की संचालन-क्षमता है, और कृषि, लघु उद्योग, खुदरा-व्यापार आदि अब तक उपेक्षित रहे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है। जहां तक सभी वाणिज्यिक बैंकों द्वारा आसाम राज्य में लघु उद्योगों को दिये गये ऋणों का सम्बन्ध है, इनकी कुल रकम जून 1969 के अन्त में 1.55 करोड़ रुपये थी और यह रकम दिसम्बर 1970 के अन्त तक बढ़कर 3.78 करोड़ रुपये हो गयी। इसी अवधि में, कृषि क्षेत्र को दिये गये ऋणों की बकाया रकम 0.30 करोड़ से बढ़कर 0.65 करोड़ रुपये हो गयी। लघु उद्योग और कृषि को दिये गये ऋणों में इसी अवधि में, 100 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई। 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण से पहले आसाम राज्य में विशेष कमी यह थी कि वहां वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं की संख्या अपेक्षाकृत कम थी। 30 जून, 1969 को शाखाओं की संख्या 81 थी जो मार्च 1971 के अन्त तक बढ़कर 134 हो गयी। 1971 के अन्त तक या 1973 के प्रारम्भिक दिनों तक लगभग 40 और शाखाएं खुल जाएंगी। इससे आसाम राज्य में, विशेष रूप से अब तक उपेक्षित रहे क्षेत्रों के लिये, बैंक ऋण में वृद्धि करने में काफी सहायता मिलेगी।

कोवालम में रेस्टोरेन्ट का निर्माण

5036. **श्री रामचन्द्रन् कडनापल्ली :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोवालम में रेस्टोरेन्ट के निर्माण के लिए कितनी धनराशि की अदायगी की जायेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : कोवालम में बनाया जाने वाला रेस्टोरेंट समुद्रतट सेवा केन्द्र का, जिस पर कि 5.50 लाख रुपये की लागत आने का अनुमान है, एक भाग है।

राज्य परिवहन निगमों को हुई हानियां की जांच करने के लिये समिति

5037. **श्री पी० गंगा रेड्डी :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि लगभग सभी राज्य परिवहन निगमों को हानियां हो रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन हानियों के कारणों की जांच करने हेतु सरकार का एक समिति गठित करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) : अनेक राज्य सड़क परिवहन उपक्रम जिनमें राज्य परिवहन निगम भी शामिल है, घाटे में चल रहे हैं।

(ख) राज्य सड़क परिवहन उपक्रम (सड़क परिवहन निगम सहित जिनके वित्त पोषण में रेल मंत्रालय भी भाग लेता है) अलग अलग राज्य सरकारों के नियंत्रण में है । अतः इस प्रश्न पर विचार करना सम्बन्धित राज्य सरकार का काम है कि क्या इसके राज्य सड़क उपक्रम के कार्यकरण की जांच करने के लिए एक समिति स्थापित करने की आवश्यकता है । तथापि राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों के निष्पादन में अन्तर होने के कारणों की जांच करने के लिए राज्य सड़क परिवहन उपक्रम के संघ ने 1969 में दो अध्ययन दलों का गठन किया था । इनमें से एक दल को शहरी परिवहन उपक्रमों के कार्यकरण का अध्ययन करना था और दूसरे दल को सामान्य सड़क परिवहन उपक्रमों के कार्यकरण का जांच करना था । शहरी सेवाओं के अध्ययन दल की रिपोर्ट शीघ्र ही प्राप्त होने की संभावना है । अध्ययन दल (सामान्य) का काम पूरा नहीं हुआ है।

केन्द्रीय सरकार का सीधा सम्बन्ध एक उपक्रम से है, अर्थात् केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम लिमिटेड । भारत सरकार ने इस कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक की अध्यक्षता में इस उपक्रम के कार्यकरण की जांच करने के लिए और उसके परिचालनों को सुप्रवाही करने के लिए सिफारिशें करने के लिए फरवरी 1967 में एक समिति नियुक्त की थी । इस समिति की रिपोर्ट फरवरी 1971 में प्राप्त हो गई है । इस रिपोर्ट की प्रतियां संसद्-ग्रन्थागार में उपलब्ध हैं ।

काठमांडू तथा नई दिल्ली के बीच सीधी जेट विमान सेवा

5038. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काठमांडू तथा नई दिल्ली के बीच सीधी जेट विमान सेवा चालू करने के लिए भारत सरकार नेपाल सरकार के साथ बातचीत कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो बातचीत में क्या प्रगति हुई है और इस समय वह किस अवस्था में है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : नेपाल सरकार की ओर से दोनों देशों के बीच विमान परिवहन करार का पुनरालोकन करने के उद्देश्य से अन्तर-राजकीय वार्ता के लिए एक आवेदन प्राप्त हुआ है ।

न्यूजपेपर एण्ड पब्लिकेशन (प्राइवेट) लिमिटेड, पटना के चेयरमैन को वेतन का भुगतान

5039. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री एल० के० झा न्यूजपेपर एण्ड पब्लिकेशन (प्राइवेट) लिमिटेड पटना के मार्च, 1971 से चेयरमैन नहीं है ;

(ख) क्या वह चेयरमैन के रूप में अभी तक वेतन प्राप्त कर रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग) : सूचना संग्रह की जा रही है और वह सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

Allotment of Quota of Vehicles to Madhya Pradesh Government

5040. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that one of the main reasons for unsatisfactory progress in the implementation of various schemes in Madhya Pradesh is the shortage of vehicles ;

(b) whether Government would allot to this State a definite quota for purchase of vehicles to enable the State Government to obtain the vechicles conveniently ; and

(c) if not, the action proposed to be taken by the Central Government to solve the said problem of the State Government ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri Raj Bahadur) : (a) to (c) : No communication has been received from the Government of Madhya Pradesh that they are experiencing difficulty in the procurement of commercial vehicles (buses and trucks) and jeeps. At present, there is no control over the distribution and sale of commercial vehicles and jeeps and, consequatly there is no fixed quota of such vechicles for any State including Madhya Pradesh. The manufacturers of these vehicles have, however been instructed to give the highest priority to the requirments of Government Departments.

In regard to motor cars, the quota for the State Government has been fixed at 5% of the number of such vehicles allocated for distribution within the particular State during each quarter, the minimum allocation for any State being 15 per quarter. The Madhya Pradesh Government are already getting their quota of cars on this basis every quarter. Recently on a request from the State Government an *ad hoc* allotment of 16 Ambassador cars was made to them for the quarter February-April, 1971. No request from the Government of Madhya Pradesh for any further *ad hoc* allotment is pending with the Government of India.

मैसूर में जाली डालरों की जालसाजी का पता लगना

5041. **श्री एम० एम० जोजफ :**
श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर की गुप्तचर पुलिस (सी० आई० डी०) ने जाली अमरीकी डालरों के आदान-प्रदान करने वाले किसी गिरोह का पता लगाया है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कुछ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं ; और

(ग) क्या इस मामले की जांच कराई गई है और यदि हां, तो उसका निष्कर्ष क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) बंगलौर नगर पुलिस ने वर्ष 1970 के शुरू में सूचना मिलने पर कुछ व्यक्तियों के कब्जे से 10 अमरीकी डालर वाले 2360 जाली नोट बरामद किये थे ।

(ख) तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था ।

(ग) पुलिस द्वारा जांच कर ली गई है और मामला अदालती कार्रवाई के लिए भेजा जा रहा है ।

तमिलनाडु की क्रुम सुधार योजना (रिक्लेमेशन स्कीम) के लिए केन्द्रीय सहायता

5042. **श्री जी० भूवाराहन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने क्रुम सुधार योजना (रिक्लेमेशन स्कीम) के लिए केन्द्रीय सरकार से कोई वित्तीय सहायता की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि की सहायता मांगी गई है ; और

(ग) क्या पूरी राशि की स्वीकृति दे दी गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) : तमिलनाडु सरकार ने केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-74) में शामिल करने के लिए 49 लाख रु० की लागत की कुअम नदी की सुधार सम्बन्धी योजना प्रस्तुत की थी। योजना में एक नियामक सहित टाईडल वीयर के निर्माणार्थ तथा नदी के बहान पर वहां इकट्ठी हुई रेत को निकालने के लिए जिससे नदी को ज्वार-भाटा के रूप में रख कर नाली व्यवस्था में सुधार तथा मद्रास की शहरी सीमाओं में से दुर्गन्ध हटाई जाय सैंड पम्प की व्यवस्था थी ।

अन्तर्देशीय जल परिवहन पर भगवती समिति ने इस योजना की जांच की थी परन्तु इसे अन्तर्देशीय जल परिवहन की योजना नहीं समझा गया । अतः यह योजना केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में चौथी योजना के दौरान अन्तर्देशीय जल परिवहन विकास के लिये कार्यक्रम में शामिल नहीं थी । अतः इस उद्देश्य के लिए धन देने का प्रश्न नहीं उठता ।

स्टेट बैंक आफ इन्डिया से 60 लाख के करेंसी नोटों का ले जाया जाना

5043. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इण्डिया, नई दिल्ली से हाल ही में जो 60 लाख रुपये के करेंसी नोट, नागरवाला द्वारा ले जाये गये थे, वह जाली हैं ;

(ख) क्या रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा इन नोटों की जांच की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस जांच के परिणाम क्या निकले हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : (क) : जी, नहीं।

(ख) और (ग): पुलिस द्वारा बरामद किये गये और स्टेट बैंक आफ इण्डिया को सौंपे गये 59,96,900 रुपये के करेंसी नोटों की जांच स्टेट बैंक द्वारा की गयी थी और वे असली पाये गये थे। भारतीय रिजर्व बैंक ने इन नोटों की जांच नहीं की है।

जामनगर इण्डस्ट्रीज को राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण लेने में कठिनाइयां

5044. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लिमिटेड कम्पनियों द्वारा संचालित जामनगर के बड़े संगठित उद्योगों को अपने विस्तार अथवा अचल परिसम्पत्तियों के क्रय हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण लेने में कठिनाइयां हो रही हैं ;

(ख) क्या सरकार को नवानगर चैम्बर आफ कामर्स से इस बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण): (क) से (ग): बैंकों से ऋण प्राप्त करने में होने वाली कठिनाइयों के बारे में, जामनगर के बड़े उद्योगों से कोई ऐसा अभ्यावेदन तो प्राप्त नहीं हुआ। किन्तु नवानगर चैम्बर आफ कामर्स, जामनगर द्वारा बैंकिंग आयोग को भेजे गए ज्ञापन की एक प्रति सरकार को अवश्य पृष्ठांकित की गई थी। इस ज्ञापन में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह कहा गया था कि लिमिटेड कम्पनियों द्वारा संचालित बड़े संगठित उद्योगों को बैंकों से ऋण लेने में कठिनाइयां महसूस हो रही हैं। ये कठिनाइयां मुख्य रूप से इस बारे में थीं कि ऋण सम्बन्धी आवेदन-पत्रों पर कार्रवाई करने में बहुत समय लगता है और उनकी छान-बीन करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई है वह लम्बी और कष्टकर है।

बैंकिंग आयोग द्वारा बैंकिंग प्रक्रियाओं का गहराई से अध्ययन किया जा रहा है। बैंकिंग आयोग की रिपोर्ट आने वाली है। बैंकों से बड़े ऋण लेने के आवेदनों की, अब पहले से अधिक बारीकी से छानबीन की जाती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बैंक-धन का प्रयोग अनुत्पादक प्रयोजनों के लिए न हो, फिर भी इच्छुक ऋणकर्त्ताओं से प्राप्त ऋण सम्बन्धी आवेदन-पत्रों पर कार्रवाई करने में देरी न हो इसके लिए सभी उपाय किए जाते हैं।

अशोक होटल, नई दिल्ली का व्यय और आय

5045. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री 11 जून, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1982 के अशोक होटल, नई दिल्ली के व्यय और आय के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अशोक होटल के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों पर होने वाले व्यय में वर्ष 1968-69 की अपेक्षा वर्ष 1969-70 में 20.80 लाख रुपये की वृद्धि के क्या कारण हैं ;

(ख) उक्त काल में ही फुटकर व्यय में भी 12.76 लाख रुपये की वृद्धि के क्या कारण हैं ; और

(ग) वर्ष 1968-69 की अपेक्षा, वर्ष 1969-70 में अशोक होटल की कुल आय 4.68 लाख रुपये कम हो जाने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) अशोक होटल के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों पर होने वाले 1969-70 के व्यय में वृद्धि होटल उद्योग के लिये गठित मंजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के कारण हुई।

(ख) 1969-70 में अभिवृद्धित फुटकर व्यय निम्नलिखित शीर्षों पर हुआ :—

(i) **बिजली तथा इंधन :** एक नया वातानुकूलन तथा लौंड्री संयंत्र (प्लांट) चालू किया गया।

(ii) **प्रतिभूति रहित ऋण पर ब्याज** : होटल की अनेक्सी प्रायोजना के लिये भारत सरकार से अतिरिक्त ऋण लिया गया।

(iii) **रसद एवं पेय :** उपभोज्य वस्तुओं का मूल्य बढ़ गया है।

(iv) **मरम्मत एवं संधारण :** नई अनेक्सी इमारत तथा उसमें प्रतिस्थापित की गयी अन्य स्थायी परिसम्पत्तियों पर अतिरिक्त व्यय।

(v) **मूल्य-ह्रास** : आय-कर नियमों में संशोधन तथा होटल की स्थायी परिसम्पत्तियों में बढोत्तरी के कारण कतिपय परिसम्पत्तियों के मूल्य-ह्रास की दर में वृद्धि हो गयी है।

(vi) **टेलीफोन तथा अन्य प्रशासनिक प्रभार :** एक नया पी० ए० बी० एक्स० टेलीफोन लगाया गया।

(ग) लाभ में घटौती, व्यय में 33.58 लाख रुपये की वृद्धि होने के कारण हुई, जबकि आय में वृद्धि 26.88 लाख रुपये ही हुई।

Construction of Hostels for Scheduled Castes/Tribes Students in Madhya Pradesh

5046. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether the State Government of Madhya Pradesh has requested the Central Government to grant funds for construction of hostels in the State for students belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and also Girls, Hostels for students of these communities ;

(b) if so, the number of hostels for which grant has been sought and the amount asked for ; and

(c) the decision taken by the Central Government in the matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Welfare (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) to (c) : The amount proposed by the Government of Madhya Pradesh and allocated by the Government of India during the year 1971-72 for the construction of hostels for Scheduled Caste and Scheduled Tribe students and Girls' hostels for these communities are as follows :—

Category	Amount proposed by State Govt.	Amount allocated	No. of hostels proposed
		(Rs. in lakhs)	
Central Sector			
1. Scheduled Tribes	4.63	1.80*	20 hostels
2. Scheduled Castes	2.82	1.75*	20 hostels
State Sector			
1. Scheduled Tribes	48.53	35.43	388 hostels
2. Scheduled Castes	22.25	15.75	115 hostels

*For Girls' hostels only.

दिल्ली के टैक्सी चालकों द्वारा किराये में वृद्धि करने की मांग

5047. **श्री प्रियरंजन दासमुंशी :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली के टैक्सी चालकों द्वारा किराये में वृद्धि करने की मांगों को उचित समझती है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उनकी मांगों को स्वीकार करने में विलम्ब करने के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) दिल्ली में टैक्सी का किराया 22 जून 1971 से राज्य परिवहन प्राधिकरण, दिल्ली बढ़ाया संशोधित दरों के अनुसार प्रथम 1.6 कि० मी० या उसके भाग का किराया 1 रुपया है और बाद के प्रत्येक किलोमीटर या उसके भाग का 60 पैसे हैं जबकि पुराने दरों में प्रथम 1.5 कि० मी० के लिये 80 पैसे और बाद के प्रत्येक किलोमीटर के लिये 50 पैसे थे ।

दिल्ली में यातायात नियमों के उल्लंघन के अनिर्णित पड़े मामले

5048. **श्री पी० गंगा रेड्डी :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में यातायात नियमों के उल्लंघन के कितने मामले अनिर्णित पड़े हैं ; और

(ख) इन मामलों को निपटने में कितना समय लगेगा ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) दिल्ली प्रशासन के अनुसार दिल्ली में यातायात नियमों के उल्लंघन के अनिर्णित पड़े मामलों की संख्या 1 जून 1971 को 92,435 थी ।

(ख) वह समय बताना संभव नहीं है जब तक अनिर्णित मामलों के निपटाये जाने की संभावना है क्योंकि बहुत से मामलों में पुलिस को सही पता न देने के कारण दोषी व्यक्तियों को नोटिस न दिया जा सका। 55 के मंजूर संख्या में से इस समय 39 न्यायिक मजिस्ट्रेट दिल्ली के अदालतों में कार्य कर रहे हैं। जब शेष मजिस्ट्रेट भी आ जायेंगे तो यातायात नियमों के उल्लंघन के मामलों के निपटाने के बारे में स्थिति की सुधरने की संभावना है।

त्रिवेन्द्रम में यूथ होस्टल

5049. **श्री मुहम्मद शरीफ :**
श्री जी० वेंकटस्वामी :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में त्रिवेन्द्रम में यूथ होस्टल का निर्माण करने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो निर्माण-कार्य के कब तक आरम्भ तथा पूरा हो जाने की संभावना है और इस पर कितनी लागत आयेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) विस्तृत ब्यौरेवार प्लैन तैयार कर लिये गये हैं, तथा केरल राज्य के लोक निर्माँण विभाग से प्राक्कलों की प्रतीक्षा की जा रही है। निर्माण-कार्य के इस वर्ष की समाप्ति से पूर्व प्रारम्भ हो जाने की आशा है, और लगभग 3 लाख रुपये की लागत से प्रायोजना के 12 मास की अवधि में पूरे हो जाने की आशा है।

स्कूल जाने वाले बच्चों के दंत-रोग

5051. **श्री सी० जनार्दनन :**
श्री डी० के० पंडा :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूल जाने वाले बच्चों के दन्त रोगों में वृद्धि होती जा रही है ;

(ख) क्या स्कूल जाने वाले बच्चों के दन्त रोगों का कोई विस्तृत सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो दन्त रोगों वाले बच्चों की प्रतिशतता क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी यादव) : (क) से (ग) जैसा कि सुझाया गया उसी तरह का कोई भी विस्तृत सर्वेक्षण शिक्षा मंत्रालय द्वारा नहीं किया गया है। इसलिए यह कहना संभव नहीं है कि स्कूल जाने वाले बच्चों के दन्त रोगों में वृद्धि हो रही है ।

श्रम सहकारी समितियों द्वारा सरकारी उपक्रमों के सिविल निर्माण कार्यों को करने का प्रस्ताव

5052. **श्री बी० एन० पी० सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विभिन्न सरकारी उपक्रमों के सिविल निर्माण का काम श्रमिक सहकारी समितियों द्वारा किये जाने को प्रोत्साहन देने की कोई योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) : श्रमिक ठेका तथा निर्माण सहकारी समितियों राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड ने सिफारिश की थी कि केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के अभिकरणों को मिट्टी सम्बन्धी कार्यों तथा अन्य प्रकार के 31 कुशल कार्यों का ठेका देने के मामले में श्रमिक ठेका तथा निर्माण सहकारी समितियों के साथ तरजीही सलूक करना चाहिए। यह सिफारिश भी की गयी थी कि इन सरकारी अभिकरणों द्वारा इन कार्यों का ठेका दिये जाने से सम्बन्धित नियमों तथा प्रक्रियाओं में संशोधन किया जाना चाहिए, ताकि श्रमिक सहकारी समितियों से और ज्यादा अनुकूल सलूक किया जा सके। यह भी सिफारिश की गयी थी कि किसी भी मुद्रा सम्बन्धी सीमा के निर्धारित किये बिना ही श्रमिक सहकारी समितियों के लिए मिट्टी सम्बन्धी कार्यों को सुरक्षित (रिजर्व) कर लिया जाना चाहिए, क्योंकि मिट्टी के कार्यों के लिए अकुशल श्रमिकों की ही आवश्यकता होती है।

श्रमिक ठेका तथा निर्माण सहकारी समितियों के राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड सिफारिशें राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार के महत्वपूर्ण अभिकरणों, अर्थात् रेल मन्त्रालय, इस्पात सिंचाई और बिजली, निर्माण आवास तथा नगर विकास मंत्रालयों आदि को अब आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गयी हैं जो बड़े असैनिक निर्माण कार्यक्रम कार्यान्वित करने का काम करेंगे।

औद्योगिक पुननिर्माण निगम द्वारा पश्चिम बंगाल में बन्द उद्योगों/ घाटे में चल रहे उद्योगों को पुनः चालू किया जाना

5053. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक औद्योगिक पुननिर्माण निगम द्वारा पश्चिम बंगाल के कितने बन्द उद्योगों/ घाटे में चल रहे उद्योगों को पुनः चालू कर दिया गया है ;

(ख) इनका विवरण क्या है ; और

(ग) निगम द्वारा इस कार्य के लिए ऋण के रूप में या शेयर खरीदने के लिये कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) से (ग) : भारतीय औद्योगिक पुर्ननिर्माण निगम लिमिटेड ने अब तक, पश्चिम बंगाल में बन्द पड़े/घाटे में चल रहे औद्योगिक एककों को फिर से चालू करने के 6 प्रस्तावों की स्वीकृति दी है। इनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(6-7-1971 की स्थिति के अनुसार)

एकक का नाम	व्यापार का स्वरूप	काम में लगे श्रमिक	एककों की स्थिति (बन्द अथवा घाटे में चल रहे)		स्वीकृत रकम (लाख रुपयों में)
1. नेशनल आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि०	इस्पात की ढलाई और पुनर्वेल्लन (री-रौलिंग)	150.3	बन्द	ऋण	19.10
2. हत्रीलर इण्डस्ट्रीज	इंजीनियरी (लघु)	87	बन्द	ऋण	1.70
3. बंगोदय काटन मिल्स लिमिटेड	संयुक्त सूती वस्त्र मिलें	660	घाटे में चल रहा	ऋण	43.00
4. मयूराक्षी काटन मिल्स लिमिटेड	कताई मिल	450	,,	,,	19.60
5. कलकत्ता फैन वर्कस	इंजीनियरी (लघु)	196	,,	,,	3.00
6. इक्वीटेबल कोल कम्पनी लिमिटेड	कोयला खनन	9,003	,,	,,	कार्यक्रम प्रत्याभूतियां और प्रगति के अनुसार चरणबद्ध तरीके से 60.00 लाख रुपये जिसमें से 18.94 लाख रुपया अन्तरिम सहायता के रूप में स्वीकृत किया गया।

अभी तक कोई शेयर खरीदे नहीं गये हैं अथवा उनकी हामीदारी नहीं की गयी है।

मै० इंचक टायर्स लिमिटेड और मै० नेशनल रबड़ मैनुफैक्चरर्स लिमिटेड का कार्यकरण

5054. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मै० इंचक टायर्स लिमिटेड और मै० रबड़ मैनुफैक्चरर्स लिमिटेड के मामले में शेयरों अथवा सरकारी वित्तीय संस्थानों द्वारा दिये गये ऋणों का पूंजी योगदान क्रमशः 43.21 प्रतिशत और 50.70 प्रतिशत है ;

(ख) क्या दोनों ही कम्पनियों का कार्य असन्तोषजनक ढंग से चल रहा है और वह घाटे में जा रहे हैं ;

(ग) क्या सरकार ने प्रबन्धक निदेशक के परिवार के सभी सदस्यों के प्रबन्धक बोर्ड, जिसमें कि कोई भी तकनीकी निदेशक नहीं है, की अनुमति दे दी है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या इन कम्पनियों के भागीदारों और कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के लिए कोई कार्यवाही की गई है ?

कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) कम्पनियों द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा हिस्से धारिता के माध्यम से, मै० इन्चक टायर्स लि० तथा मै० नेशनल रबड़ मैन्यूफैक्चरर्स लि० में सहभागिता क्रमशः 12 प्रतिशत तथा 35 प्रतिशत की राशि की है, और मै० इन्चक टायर्स लि० तथा मैं० नेशनल रबड़ मैन्यूफैक्चरर्स लि० में अग्रिम ऋण क्रमशः 1,15,30,000 रु० तथा 67,15,914 रु० के हैं ।

(ख) इन कम्पनियों के वार्षिक लेखाओं के अनुसार दोनों ही कम्पनियां लाभ कमा रही हैं ।

(ग) नियुक्त किये गये प्रबन्ध निदेशक तथा उपप्रबन्ध निदेशक एक दूसरे के सम्बन्धी है । उनकी नियुक्तियां उनके अनुभव तथा योग्यताओं के आधार पर अनुमोदित की गई थीं । मै० नेशनल रबड़ मैन्यूफैक्चरर्स लि० में अंशकालिक आधार पर एक अलग तकनीकी निदेशक का अनुमोदन किया गया था ।

(घ) हिस्सेधारियों/कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए केन्द्रीय सरकार ने चिन्तनीय विचार के पश्चात् उपरोक्त नियुक्तियों का अनुयोदन किया था।

संघ राज्य क्षेत्र के शिक्षा विभाग में उच्च न्यायालय के बकाया मामले

5055. **श्री फूल चन्द् वर्मा** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों से प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र के शिक्षा विभाग में कितने उच्च न्यायालय के मामले बकाया हैं ;

(ख) कितने ऐसे मामलों में, न्यायालय के बाहर प्रयत्न किये जा रहे हैं ;

(ग) कितने मामलों में सरकार तथा प्रार्थियों द्वारा परस्पर समझौता स्वीकार कर लिया गया है ;

(घ) कितने मामलों में विभागीय कार्यवाही पहले ही पूरी की जा चुकी है ; और

(ङ) कितने मामलों में विभागीय कार्यवाही अभी पूरी नहीं की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ङ) अपेक्षित सूचना संघीय क्षेत्रों के प्रशासनों से एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

ट्रैक्टरों के आयात के लिये विश्व बैंक से ऋण

5056. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब और हरियाणा के लिये पश्चिम देशों और जापान से पूर्ण निर्मित ट्रैक्टरों का आयात करने के लिये विश्व बैंक से ऋण लिया गया है ; और

(ख) यद्यपि भारत विश्व बैंक का सदस्य है, फिर भी विश्व बैंक के टेण्डर के लिये भारतीय निर्माताओं को अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) भारत सरकार ने अभी हाल ही में, गुजरात, पंजाब, आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा और तमिलनाडु की कृषि ऋण प्रायोजनाओं के लिए, विश्व बैंक की सम्बद्ध संस्था अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ पांच ऋण करारों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रत्येक मामले में ऋण राशि से कृषि-उपयोगी ट्रैक्टरों का आयात करने की व्यवस्था है जिसका ब्यौरा इस प्रकार है : गुजरात (2200), पंजाब (8000), आन्ध्र प्रदेश (1500), हरियाणा (6000), और तमिलनाडु (1500)। ये ट्रैक्टर दो से तीन वर्ष की अवधि में प्राप्त किए जाएंगे। ट्रैक्टर विश्व बैंक के सदस्य देशों और स्विट्जरलैंड के उन पूर्तिकर्त्ताओं से मंगवाए जाएंगे जिन्होंने भारत में ट्रैक्टर बनाने की सुविधाएं स्थापित कर ली हो अथवा जिन्होंने भारत में ट्रैक्टर बनाने के लिए भारत सरकार का आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर लिया हो।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के उपर्युक्त ऋणों से, देशी उत्पादन की अनुपूर्ति के लिए आवश्यक ट्रैक्टरों का आयात करने के लिए, विदेशी मुद्रा की व्यवस्था की गई है।

बच्चों के लिए पोषणिक कार्यक्रम आरम्भ करने के लिए "यूनिसेफ" द्वारा चुने गये नगर

5057. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडेय :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बच्चों के लिए पोषणिक कार्यक्रम आरम्भ करने के लिये "युनिसेफ" द्वारा भारत के कुछ नगरों का चयन किया गया था ;

(ख) इस कार्य के लिए किन नगरों का चयन किया गया था और इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चलाई गई योजनायें किस प्रकार की हैं ; और

(ग) क्या उत्तर-प्रदेश के किसी नगर का चयन भी किया गया था और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी): (क) 'यूनिसेफ' से सहायता प्राप्त एक योजना के अधीन बच्चों के लिए एकीकृत परियोजनाएं कुछ नगरों के लिए बनाई जा रही है ।

(ख) और (ग): ऐसी परियोजनाओं की पूरी सूची को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है परन्तु उस सूची में निम्नलिखित नगरों को सम्मिलित किया गया है :—

बम्बई,

हावड़ा,

मद्रास,

लखनऊ और

बड़ौदा

जोखिम निवारक निधि के लिए 'ओपन वेल स्कीम'

5058. **श्री राम शेखर प्रसाद सिंह :**
श्री पी० गंगा देव :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि वित्त निगम ने 'ओपन वेल स्कीम' योजना की मंजूरी दी है जिसके अन्तर्गत कुएं की असफलता के परिणामस्वरूप किसानों की हानि को पूरा करने के लिए जोखिम निवारक निधि में से सहायता दी जा सके, और

(ख) यदि हाँ, तो योजना की प्रमुख विशेषतायें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण): (क) जी, हां ।

(ख) कृषि वित्त निगम द्वारा शुरू की गयी रायपुर ओपन वेल प्रायोजना के अधीन मध्य प्रदेश के रायपुर जिले में 5,000 कुओं की खुदाई की वित्त-पोषण किया जाना है। इस योजना में यह व्यवस्था है कि सभी संबंधित पार्टियों अर्थात् किसानों, राज्य सरकार, वित्त-पोषण करने वाले बैंकों और आवश्यक सामग्री जुटाने वाले अभिकरणों का यह संयुक्त दायित्व है कि वे किसानों के प्रयास को सफल बनायें और भूमिगत जल साधनों के संबंध में सीमित ज्ञान और उसकी उपलब्धि के संदर्भ में इस कार्य का अपरिहार्य जोखिम में किसानों के साथ हिस्सा बटाएं । इस योजना में यह मान लिया गया है कि कुल 20 प्रतिशत

असफलता तो उठानी ही पड़ेगी। प्रति कुआं 500 रुपए के प्रारम्भिक निवेश के हिसाब से, इसमें 5 लाख रुपये की भारी हानि होने का सवाल है। 5 लाख रुपये के जोखिम को पूरा करने के लिये यह प्रस्ताव किया गया है कि प्रायोजना से संबद्ध सभी पार्टियों को जोखिम निवारक निधि में, जिसे इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित आधार पर स्थापित करने का विचार है, अंशदान करना चाहिए :-

		रुपये
(1) सभी किसानों को दिये गये ऋण पर 12 रुपये का प्रीमियम अदा करना चाहिये, जिसकी कटौती पहली किस्त का भुगतान करते समय की जायेगी	—	60,000
(2) यह मानकर कि प्रत्येक ऋण 7,000 रुपये का होगा, बैंकों द्वारा 4,000 ऋणों पर आधे प्रतिशत का ब्याज	—	1,40,000
(3) पम्प सेट विक्रेताओं/निर्माताओं द्वारा उनकी पम्पों और सहायक कल पुर्जों की कुल बिक्री पर चार प्रतिशत अंशदान	—	4,80,000
(4) किसानों को उवर्रक के लिए दिए गए ऋण में से	—	1,12,000
(5) सरकार का अंशदान	—	80,000
	जोड़	8,72,000

निधि में कुल 8,72,00.00 रुपये का अंशदान किया जायगा। जोखिम निवारक निधि में उपलब्ध रकम द्वारा, बैंकों से कुएं खोदने के लिये प्राप्त ऋण के पचास प्रतिशत भाग को सुरक्षित रखना सम्भव हो सकेगा। प्रति किसान 250 रुपये की ऋण की शेष रकम ब्याज सहित संबंधित किसानों द्वारा सीधे बैंक को लौटाई जायगी। इस प्रकार जोखिम निवारक निधि को चालू करने से, अलग-अलग किसानों को केवल 12 रुपये की प्रीमियम की रकम अदा करने पर 250 रुपये की हानि को पूरा करने में सहायता मिल सकेगी। इसके साथ-साथ, वित्त-पोषण करने वाली संस्थाओं को विस्तृत जल-भूगर्भीय सर्वेक्षण रिपोर्टों के बिना कुएं खोदने के कार्य का वित्त-पोषण करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, जिसके लिए वे आम तौर पर, ऋण मंजूर करने से पहले आग्रह करते हैं।

कोलार गोल्ड खान उपक्रम के अस्पताल द्वारा औषधियों का दुरुपयोग

5059. **श्री मोहम्मद इस्माइल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलार गोल्ड फील्ड खान उपक्रम अस्पताल के उच्च अधिकारियों द्वारा हाल ही में बहुत अधिक औषधियों का दुरुपयोग किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उनका मूल्य कितना था ; और

(ग) सरकार द्वारा अस्पताल को सुचारु ढंग से चलाने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) और (ख) : ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है जिससे यह पता चलता हो कि कोलार स्वर्ण खनन उपक्रम अस्पताल के उच्च अधिकारियों ने अस्पताल की औषधियों का किसी प्रकार से दुरुपयोग किया है। कुछ सूचनाएं प्राप्त होने पर स्थानीय पुलिस ने कोलार स्वर्ण क्षेत्र के दो छोटे नगरों में स्थित कुछ प्राइवेट डाक्टरों के औषधालयों पर छापा मारा था और केवल 150 रुपये के मूल्य की दवाइयां और इंजेक्शनों की शीशियां बरामद की थी जिनके बारे में बताया गया था कि उनको कोलार स्वर्ण क्षेत्र अस्पताल के एक परिचारक (मेल नर्स) ने उन्हें अनधिकृत रूप से बेचा था। उक्त परिचारक को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज कर लिया गया है।

(ग) अस्पताल के कर्मचारियों की तलाशी लेने की वर्तमान पद्धति को सुचारु बना दिया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि औषधि भण्डार से कोई भी वस्तु अनधिकृतरूप से नहीं निकाली जाये, मुख्य औषधि भण्डार पर जांच-प्रति-जांच का काम और कड़ा कर दिया गया है।

Loans to Agriculturists in Madhya Pradesh

5060. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state the total amount of loans advanced to the agriculturists in Madhya Pradesh by the nationalised banks since nationalisation ?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : The amount of outstandings in respect of direct finance to farmers by nationalised banks in Madhya Pradesh stood at Rs. 2.21 crores as at the end of March 1971 as against Rs. 0.30 crores as at the end of June 1969 i. e. just before nationalisation.

गुजरात में नौ प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना

5061. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार/गुजरात सरकार गुजरात में नौ प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का विचार कर रही है, और

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषतायें क्या हैं ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Jobs Provided to Goldsmiths

5062. **Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the nature of jobs provided to the goldsmiths for earning their livelihood after the issue of Gold Control order ; and

(b) if no jobs have been provided to them, the policy proposed to be formulated by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) Displaced goldsmiths have been provided jobs in offices, factories and as craftsmen in other trades such as tailoring and metal working. They are also given loans and other assistance including technical training facilities for starting small scale industries, distributive business and settlement in land. Some are also allotted three-wheeler scooters. Besides, displaced goldsmiths and their dependants, in certain cases, have also been allowed to revert to their profession, after obtaining goldsmith certificate.

(b) Does not arise.

Overtime Allowance to Government Employees

5063. **Shri Narendra Singh Bist :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government propose to restrict payment of Overtime Allowance to one-third of the total salary in the case of personal staff and to one-fifth in the case of other Government employees with a view to further reducing the expenditure on Overtime Allowance ;

(b) whether no bank employee is required to work overtime for more than 180 hours in a year ; and

(c) if so, whether Government propose to impose the ceiling of 180 hours in a year in the interest of health of their employees ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) The existing orders provide that the overtime earnings of office staff (including personal staff) and other staff, whose hours of work and nature of duties are comparable to those of office staff, should not exceed 1/3rd of their monthly emoluments. In special circumstances, the personal staff are allowed overtime earnings, not exceeding 50% of their monthly emoluments, provided that their officers certify that they had satisfied themselves that the payment in excess of 1/3rd ceiling, but not exceeding 50%, was necessary in the public interest. There is no proposal under Government's consideration to modify the existing ceilings on overtime earnings.

(b) According to Bi-partite settlement of October 1966, between certain banking companies and their workmen, overtime work shall not exceed 175 hours in any calendar year.

(c) No, Sir. Any modification in the existing scheme of overtime allowance will have to await the report of the Third Pay Commission.

बड़े नोटों का प्रचलन

5064. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च 1969, मार्च 1970 और मार्च 1971 को दस हजार रुपये, पांच हजार रुपये और एक हजार रुपये के कितने नोट प्रचलन में थे :

(ख) मार्च, 1971 के दौरान प्रचलन वाली कुछ मुद्रा की तुलना में ऐसे नोटों का प्रतिशत अनुपात कितना है :

(ग) क्या बैंक इस प्रकार के नोटों का हिसाब रखते हैं और कोई भी व्यक्ति बिना हस्ताक्षरों के उनका आदान-प्रदान नहीं कर सकता :

(घ) क्या सरकार का विचार उपर्युक्त तीनों प्रकार के नोटों का इस बारे में बिना किसी पूर्व-सूचना को दिये ही विमुद्रीकरण करने का है : और

(ङ) यदि नहीं, तो थोड़े से लोगों के हाथों में सम्पत्ति के संग्रह को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) मार्च 1969, मार्च 1970 और मार्च 1971 के अन्त में 10,000 रुपये, 5,000 रुपये और 1,000 रुपये के जो नोट प्रचलन में थे उनकी संख्या इस प्रकार थी :—

नोटों का मूल्य वर्ग	मार्च 1969 के अन्त में	मार्च 1970 के अन्त में	मार्च 1971 के अन्त में
10,000 रुपये के	7,730	6,280	980
5,000 रुपये के	38,020	26,620	43,080
1,000 रुपये के	5,15,900	5,05,000	4,50,900

(ख) 13 मार्च 1971 की स्थिति के अनुसार, प्रचलन वाली मुद्रा के कुल मूल्य के अनुपात में इन नोटों का प्रतिशत इस प्रकार है :-

नोट	प्रतिशत
10,000 रुपये के	0.02
5,000 रुपये के	0.48
1,000 रुपये के	1.01

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक, अधिक मूल्य वाले, इन नोटों के जारी किये जाने तथा उन्हें रद्द किये जाने का रिकार्ड अपने कार्यालयों में रखता है और नोट विनिमय करने वालों के हस्ताक्षर लिये बिना इन नोटों का विनिमय, रिजर्व बैंक के काउंटरों पर निर्वाध रूप से किया जाता है । जहां तक वाणिज्यिक बैंकों का सम्बन्ध है, स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा रही है ।

(घ) इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ङ) इस उद्देश्य को, राजस्व सम्बन्धी तथा विधि सम्बन्धी विभिन्न उपायों के द्वारा पूरा करना होगा ।

सामान्य बीमे के राष्ट्रीयकरण के बारे में कलकत्ता क्लेम्स ब्यूरो से प्राप्त अपील

5065. **श्री प्रियरंजन दासमुंशी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सामान्य बीमे के राष्ट्रीयकरण के बारे में कलकत्ता क्लेंम्स ब्यूरो के कर्मचारी संघ से कोई अपील प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी): (क) जी हां ।

(ख) इस विषय पर उपयुक्त समय पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायगा ।

हैदराबाद में अवैध रूप से शराब बेचने वालों के गिरोह का पता चलना

5066. **श्री एम० कतामुतु :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में हैदराबाद में अवैध रूप से शराब का निर्माण करने वाले एक बड़े गिरोह का पता चला है जिसका एक प्रसिद्ध वित्त-पोषण करने वाले परिवार द्वारा खूब वित्त पोषण किया जा रहा था ;

(ख) क्या इस गिरोह द्वारा अवैध शराब नियमित रूप से पूना, नागपुर तथा महाराष्ट्र के अन्य क्षेत्रों को भेजी गई ; और

(ग) क्या इस गिरोह में शामिल सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) से (ग) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

पारादीप बन्दरगाह के निकट समुद्री प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का निर्णय

5067. **श्री निहार लास्कर :**
श्री एस० एम०कृष्ण :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारादीप बन्दरगाह के निकट समुद्री प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का निर्णय किया गया है, और

(ख) यदि हां, तो इसमें कितना धन व्यय होगा और संस्थान कब से कार्य प्रारम्भ कर देगा ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) पारादीप पत्तन के निकट समुद्री प्रशिक्षण संस्थान संस्थापित करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य परिवहन मंत्रियों की बैठक

5068. **श्री निहार लास्कर** :
श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 25 जून, 1971 को दिल्ली में राज्य परिवहन मंत्रियों की एक बैठक बुलायी थी ,

(ख) यदि हां, तो कितने राज्य परिवहन मंत्रियों ने इस बैठक में भाग लिया, और

(ग) बैठक में किन विषयों पर चर्चा की गई तथा क्या निर्णय किये गये ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) और (ख): जी हां। संसदीय कार्य और नौवहन तथा परिवहन के केन्द्रीय मंत्री की अध्यक्षता में दिल्ली में 26 जून 1971 को एक बैठक बुलाई गयी थी। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के परिवहन मंत्रियों, जम्मू और काश्मीर के उपपरिवहन मंत्री, मुख्य कार्यकारी परिषद् दिल्ली और सचिव, गृह विभाग, पंजाब ने बैठक में भाग लिया।

(ग) निम्नलिखित विषयों पर विचार विमर्श हुआ :

(1) पंजाब, हरियाणा, जम्मू और काश्मीर और दिल्ली राज्यों के बीच के दिल्ली-जम्मू रास्ते की यात्री-सेवाओं के परिचालन से संबंधित पारस्परिक करार का विस्तार।

(2) फलों, इत्यादि के ढुलान के लिए जम्मू से दिल्ली तक माल मोटर गाड़ियां सीधे आने जाने के लिए जम्मू और काश्मीर सरकार और दिल्ली प्रशासन के बीच के पारस्परिक करार का पुनःप्रवर्तन।

जहां तक (1) का संबन्ध है, इस बात पर सहमति हुई कि दिल्ली और जम्मू के बीच की मौजूदा यात्री सेवाओं (प्रत्येक और प्रतिदिन दो यात्राओं) को तदर्थ आधार पर 1 जुलाई 1971 से एक वर्ष की अवधि के लिए जारी रहने दिया जाएगा।

इसके अलावा यह भी सहमति हुई कि दिल्ली-जम्मू रास्ते इस बात के निर्धारण के लिए कि क्या मौजूदा सेवाएं पर्याप्त हैं अथवा यात्राओं (ट्रिपों) की संख्या में वृद्धि करने की आवश्यकता है, सर्वेक्षण किया जाएगा।

जहां तक (2) का संबंध है, इस बात पर सहमति हुई कि फलों तथा अन्य अनिवार्य वस्तुओं के ढुलान के लिए जम्मू और दिल्ली के बीच सीधी माल सेवाओं को पुनः चालू किया जाना चाहिए। इसके अलावा यह भी सहमति हुई कि बीच में पड़ने वाले पंजाब और हरियाणा राज्य जम्मू और कश्मीर और दिल्ली की मोटर गाड़ियों को अपक्षित गलियारा (कारिडर) की सुविधाएं इस शर्त पर देंगी कि जम्मू और कश्मीर की मोटर गाड़ियां, मोटरगाड़ी-कर और माल-कर दोनों ही को और दिल्ली की मोटरगाड़ियां केवल माल-कर को अदा करेंगी।

ये निर्णय संबंधित राज्य सरकारों के अनुमोदन के अधीन किये गये।

राज्यों द्वारा अपनी स्वीकृत वार्षिक योजना के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटा

5069. **श्री निहार लास्कर :**
श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने 15 राज्यों को यह कहा है कि वे 100 करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिये प्रयत्न करें ताकि 1971-72 के लिए स्वीकृत वार्षिक योजनाएं सफलतापूर्वक क्रियान्वित की जा सकें ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के क्या नाम हैं और उनकी इस पर क्या प्रतिक्रिया हुई है ;

(ग) क्या ये वही राज्य हैं जिन्होंने वर्ष 1969-70 में लगभग 145 करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधन जुटाना स्वीकार किया था परन्तु जिसमें 100 करोड़ रुपये की कमी रह गई थी ; और

(घ) क्या 1971-72 के लिए केवल 4 राज्यों की मांगें पूरी की गई हैं और यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश): (क) से (घ) : भारत सरकार सभी राज्यों से अनुरोध करती रही है कि वे अपनी वार्षिक आयोजनाओं की वित्त व्यवस्था करने के लिए अतिरिक्त साधन जुटायें । 1971-72 में आठ राज्य सरकारों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, जम्मू तथा कश्मीर, केरल, नागालैण्ड, राजस्थान तथा तमिलनाडु ने अब तक कराधान के नये उपायों की घोषणायें की हैं । आशा है कि चालू वित्तीय वर्ष में इन नये उपायों से 28.56 करोड़ रुपया वसूल होगा ।

मद्यनिषेध को समाप्त करने के बारे में तमिलनाडु सरकार का निर्णय

5070. **श्री निहार लास्कर :**
श्री एस० एम० कृष्ण :
श्री पी० के० देव :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 30 अगस्त, 1971 से अपने राज्य में मद्यनिषेध को समाप्त करने के सम्बन्ध में तमिलनाडु सरकार के निर्णय की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी): (क) तमिलनाडु सरकार से इस विषय पर हमें कोई संसूचना प्राप्त नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दार्जिलिंग के पर्वतीय लोगों को मैट्रिकोत्तर शिक्षा सहायता देने संबंधी योजना को समाप्त करना

5071. **श्री रतन लाल ब्राह्मण :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के पर्वतीय लोगों को मैट्रिकोत्तर शिक्षा सहायता देने के लिए 1962 में आरम्भ की गयी योजना को समाप्त कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसको समाप्त किए जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार उस योजना को पुनः आरम्भ करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में कब तक निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) से (घ) : पश्चिम बंगाल की सरकार से आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और यथासंभव शीघ्र ही सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा की जाने वाली नकदी के अनुपात में वृद्धि

5072. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक के पास जमा की जाने वाली अपेक्षित नकदी आरक्षित राशि के सांविधिक अनुपात में भारतीय रिजर्व बैंक ने वृद्धि कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और लघु उद्योग क्षेत्र द्वारा उदार रूप से ऋण प्राप्त करने पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण): (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

Change in Procedure for Electing Directors of Companies

5073. **Shri Phool Chand Verma** : Will the Minister of **Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have taken any decision on the proposal to improve the system of voting according to the method of proportional representation in the election of Directors of Companies ; and

(b) if so, the main features thereof ?

The Minister of Company Affairs (Shri Raghunatha Reddy) : (a) and (b) : Adoption of the method of proportional representation under section 265 of the Companies Act is at present optional with Companies. A proposal whether it should not be made obligatory in certain circumstances is under consideration of the Government.

देश के अन्तरीय मार्गों पर एवरो-748 का प्रयोग

5074. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के अन्तरीय मार्गों पर और अधिक एवरो-748 वायुयानों का प्रयोग किया जा रहा है ;

(ख) इण्डियन एयरलाइन्स के पास एवरो-748 वायुयानों की वर्तमान संख्या कितनी है ; और

(ग) क्या 1971 में हिन्दुस्तान ऐरोनाटिक्स लिमिटेड कानपुर से कुछ और एवरो-748 वायुयान खरीदने की भी संभावना है ; और यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) इस समय परिचालन के लिए दस एच० एस०-748 विमान उपलब्ध हैं, जबकि अप्रैल, 1971 के दूसरे सप्ताह में केवल सात विमान उपलब्ध थे।

(ख) चौदह।

(ग) इण्डियन एयरलाइन्स हिन्दुस्तान ऐरोनाटिक्स लिमिटेड को दस और विमानों का क्रय-आदेश दे रखा है और आशा है कि ये विमान अगले दो वर्षों में प्राप्त हो जायेंगे।

Development of Lauria, Dono and Rampurva in Bihar as Tourist Centres

5075. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether there are three Buddha pillars each in Lauria, Dono and Rampurva in Champaran District and a Buddha Stupa in Kesaria in Bihar ; and

(b) if so, whether there is any proposal to develop these places as tourist centres ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) Priority is being given to the development of facilities in the Buddhist complex of Bodhgaya-Rajgir-Nalanda in Bihar in the Central Sector.

Construction of Bridge over National Highway, Dumariaghat (Bihar)

5076. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether a bridge is being constructed over the National Highway at Dumariaghat (Bihar);

(b) if so, whether Chupra (Champaran—Bihar) is the nearest point on the National Highway from Dumariaghat to Raxaul and from Raxaul to Kathmandu ; and

(c) if so, whether Government propose to construct a Trunk National Highway from Dumariaghat to Chupra ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri Raj Bahadur) : (a) Yes, Sir.

(b) Chupra or Chhapra (Champaran—Bihar) is on the existing National Highway connecting Dumariaghat with Raxaul and on to Kathmandu via Pipra Kothi and Motihari.

(c) Under the circumstances, it is not proposed to construct another National Highway connecting Dumariaghat directly to Chupra or Chhapra (Champaran—Bihar).

1972 के ओलिम्पिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के दल को भेजने के लिए अनुदान

5077. **श्री डी०के० पंडा :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1972 में म्युनिक में आयोजित होने वाले ओलिम्पिक खेलों के लिए भारतीय खिलाड़ियों के दल को भेजने के लिये सरकार द्वारा कितनी धनराशि दी जायेगी ; और

(ख) क्या अनुदान की व्यवस्था करते समय सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी कि केवल वे ही व्यक्ति ओलिम्पिक खेलों में भेजे जायें, जिन्होंने खेलकूद में विशेषता प्राप्त की है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री के० एस० रामस्वामी): (क) सरकार द्वारा 1972 के ओलिम्पिक खेलों में भेजे जाने वाले दल के लिये दी जाने वाली राशि भारतीय ओलिम्पिक एसोसिएशन द्वारा चयन किये जाने वाले दल के सदस्यों की संख्या पर निर्भर करती है ।

(ख) भारतीय ओलम्पिक एसोशिएशन पहले की तरह ओलिम्पिक खेलों में भाग लेने के लिए खिलाड़ियो के चयन हेतु योग्यता स्तर निर्धारित करेगी ।

स्कूलों के छात्रों की डाक्टरी जांच

5078. **श्री डी० के० पंडा :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि स्कूलों में छात्रों की डाक्टरी जांच जब भी कभी की जाती है, तो वह वजन और लम्बाई नापने की औपचारिकता मात्र ही होती है ;

(ख) क्या सभी छात्रों की, एक्स-रे और रासायनिक परीक्षण द्वारा जांच की जाती है ; और

(ग) सरकार का विचार यह किस प्रकार सुनिश्चित करने का है कि ऐसे परीक्षणों में पूर्ण डाक्टरी जांच की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हो सकें ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, नहीं । आदर्श पुंजीभूत स्वास्थ्य कार्ड में, जिसकी कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से स्कूलों में अपनाने के लिये सिफारिश की है, उनकी ऊंचाई तथा वजन के अभिलेखन और वर्धन वक्र के आलेखन के अतिरिक्त, परिवार इतिवृत, बच्चे के पिछले रोग, और बच्चे की त्वचा, आंखों कानों, नाक, गले, मुख, फेफड़े इत्यादि के विषय में भी अभिलेखन की व्यवस्था है ।

(ख) : जी, नहीं । पश्चिम बंगाल के कुछ ग्रामीण स्वास्थ्य इकाईयों तथा प्रशिक्षण केन्द्रों को छोड़कर जहां मलमूत्र रक्त की प्रयोगशाला परीक्षा तथा गले के स्वाब और वक्षस्थल का एक्स-रे चिकित्सा निरीक्षण में सम्मिलित है, राज्य सरकारों के सीमित वित्तीय साधनों के कारण स्कूली बच्चों को साधारण तथा एक्स-रे और प्रयोगशाला परीक्षा नहीं की जाती है । तथापि चिकित्सा निरीक्षण के दौरान, यदि किसी ऐसे परीक्षण के सम्बन्ध में इंगित किया जाता है, तो चिकित्सा अधिकारी सरकारी औषधालयों के विशेषज्ञों द्वारा विशेष जाँच पड़ताल के लिये तुरन्त प्रबन्ध करते हैं ।

(ग) शिक्षा तथा स्वास्थ्य दोनों ही राज्य विषय होने के कारण राज्य सरकारों को यह सुझाव दिया गया है कि स्कूली बच्चों को जब भी वे स्कूलों में दाखिला लेते हैं, तथा मिडिल और हाई स्कूल के प्रत्येक स्तरों पर कम से कम एक बार चिकित्सा परीक्षा होनी चाहिए।

1972 ओलिम्पिक खेलों में भाग लेने के लिए भारतीय टीम

5079. **श्री डी० के० पंडा :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या म्यूनिक में हो रहे 1972 के ओलिम्पिक खेलों में भाग लेने के लिये सरकार भारतीय टीमों को तैयार करने के लिये कोई विशेष प्रयास कर रही है ताकि जो विश्व हाकी क्राउन हमने खोया है उसे पुनः प्राप्त किया जा सके ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : खोये हुए ओलिम्पिक हाकी 'टाइटल' को पुनः प्राप्त करने के लिये मुख्यतः इण्डियन हाकी फेडरेशन को कार्यवाही करनी है। सरकार नेशनल इन्स्टीच्यूट आफ स्पोर्टस, पटियाला में अपने खिलाड़ियों को समय-समय पर पर्याप्त प्रशिक्षण देकर और ओलिम्पिक खेलों से पूर्व अन्तर्राष्ट्रीय मैचों में भाग लेने के लिये रास्ते के खर्च हेतु वित्तीय सहायता देकर तकनीकी सहायता देगी जिससे हमारी टीम ओलिम्पिक खेलों में पूर्व से अधिक अभ्यास कर सके।

राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करके वाराणसी को सेलम के साथ मिलाने का प्रस्ताव

5080. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करके वाराणसी को सेलम के साथ मिलाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है ; और

(ग) इस परियोजना का निर्माण कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, नहीं। वाराणसी सेलम से मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग (रा० रा० मार्ग सं० 7) से जुड़ा हुआ है।

(क) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

अमृतसर को दिल्ली के साथ मिलाने वाले एक नये राष्ट्रीय राजपथ के निर्माण का प्रस्ताव

5081. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ग्रान्ड ट्रंक रोड के अलावा अमृतसर को दिल्ली के साथ मिलाने वाले एक नये राष्ट्रीय राजपथ के निर्माण का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में कब तक निर्णय किये जाने की संभावना है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Development of Sports in Madhya Pradesh

5082. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Educatiou and Social Welfarc** be pleased to state :

(a) whether Government of Madhya Pradesh have formulated any scheme for the development of sports in Madhya Pradesh ;

(b) whether Central Government have decided to provide financial assistance to the State Government for the purpose ; and

(c) if so, the amount thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) Information has been called for from the State Government.

(b) & (c) : Decisions will be taken after the schemes have been received and examined.

Tribal Blocks Sanctioned for Madhya Pradesh

5083. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state ;

(a) the total number of Tribal Blocks sanctioncd for Madhya Pradesh and the criteria adopted for according sanction thereof as also the estimated expenditure likely to be incurred thereon during the current year ; and

(b) the number of Tribal Blocks sanctioned for East Nimad and Hoshangabad Districts ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare (Shri K. S. Ramaswamy) : (a)

127. The criteria adopted are :—

(i) an area of 150-200 sq. miles.
(ii) a total population of about 25,000.
(iii) tribal concentration of $66^2/_3\%$ and
(iv) viability to function as a normal administrative unit.

The estimated expenditure would be Rs. 146.00 lakhs.

(b) The number of Tribal Development Blocks sanctioned for East Nimad and Hoshangabad districts is 2 and 1 respectively.

Loans Sanctioned by I. F. C. to Industries in Madhya Pradesh

5084. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the total amount of loans sanctioned by the Industrial Finance Corporation for industries in Madhya Pradesh during the last three years ; and

(b) whether such loans would now be given to the industrially backward areas only and if not, the reasons therefor ?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) :(a) The total amount of loans sanctioned by the Industrial Finance Corporation of India to industrial concerns in Madhya Pradesh during the last three years 1968-69, 1969-70 and 1970-71 (July-June) is Rs. 106.00 lakhs.

(b) The Industrial Finance Corporation of India extends financial assistance to all eligible projects, whether they are located in backward districts/areas or elsewhere, provided they are found suitable for such assistance. However, the assistance to projects in backward districts/areas, as notified by the Planning Commission, is extended on concessional terms subject to their satisfying conditions specified for such assistance. The concessional finance to small and medium-sized enterprises in notified backward districts/areas is intended to help accelerate the pace of industrial development in such areas. This does not mean that viable projects in other areas should be denied assistance.

Setting up of Local Implementation Committees by State Bank of India

5085. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the State Bank of India proposed to set up local implementation committees under the Chairmanship of its respective Agents in its various branches in the States ;

(b) if not, the reasons for which such a Committee has been set up in its Bihar branch ; and

(c) when such Committees will be set up in its Madhya Pradesh branch ?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : (a) No Sir. No proposal to set up local implementation committees under the Chairmanship of respective agents at various branches in the States is under consideration of the State Bank of India.

(b) In Bihar the State Government have constituted a Co-ordinating Committee for financing Agriculture and Industry for the purpose of Co-ordinating development activities in the State with which the State Bank of India is associated.

(c) The question does not arise in view of the replies to (a) & (b).

'Bharat Darshan' Tours for Students

5086. **Shri Jagannath Mishra :** Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration any scheme to arrange 'Bharat Darshan' tours for students to acquaint them with the implementation of our plans and to foster unity among the people ; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) and (b) : No such scheme is under the consideration of the Central Government. The University Grants Commission, however, is operating a scheme of "Visiting Studentships" to enable students (not more than 50) of one University to visit places/Universities in another State for about two weeks to gain an intimate knowledge of academic, cultural and industrial developments. The visits are normally limited to two places.

In addition, the Department of Education is implementing the following schemes to acquaint students with the implementation of our Five-Year Plans and foster unity and national integration among them :

(i) Planning Forums to create plan consciousness among University/College teachers.

(ii) Educational programmes for promotion of national integration through establishment of National Integration Samitis in Universities and Colleges ; organisation of Writers Camps and Inter-State student-teacher Camps.

(iii) Assistance to voluntary youth organisations for activities promoting national integration.

दार्जिलिंग जिले के पहाड़ी लोगों का उत्थान

5087. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के पहाड़ी लोगों के उत्थान के लिये कोई व्यापक योजना बनाने के बारे में सरकार विचार कर रही है ;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल की सरकार ने उन पहाड़ी लोगों के लिये कोई अभ्यावेदन भेजा है ; और

(ग) यदि हां, तो योजना के कब तक क्रियान्वित होने की सम्भावना है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख) : जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

अण्डमान और निकोबर द्वीपों के अध्यापकों के वेतनमान

5088. **श्री हुकम चन्द् कछवाय** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अण्डमान और निकोबर प्रशासन के अन्तर्गत मैट्रिक के प्रमाणपत्र सहित सम्बद्ध विषय में प्रमाणपत्र/डिप्लोमा रखने वाले मिडल और उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के ड्राइंग, संगीत, हस्त कलाओं और शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों के वेतनमान दिल्ली प्रशासन के अन्तर्गत इस प्रकार के अध्यापकों के वेतनमानों के बराबर नहीं है ;

(ख) क्या अण्डमान और निकोबर अध्यापक एसोसिएशन के प्रधान से कोई अभ्यावेदन सरकार को प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) सभी मामलों में वेतनमान एक समान नहीं है।

(ख) जी, हां।

(ग) मामले पर सरकार ध्यान दे रही है।

Smuggled Goods Seized in Rajasthan, West Bengal and Bihar

5089. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the value of smuggled goods seized in Rajasthan, West Bengal and Bihar since 1st January, 1968, to-date (State-wise) :

(b) the quantity and value of gold therein ; and

(c) the number of persons arrested in this connection and the action taken against them ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) to (c). Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Recovery of Material Used for Printing Forged Currency Notes from Vishnupur Town, Bihar

5090. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Finance** be pleased to State :

(a) whether material in large quantities meant for printing forged currency notes was recovered in Vishnupur town in Bihar in April 1971 ; and

(b) if so, the number of persons arrested in this connection and the action taken against them ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) and (b): Information is being collected from the State Government concerned and will be laid on the Table of the House in due course.

कूच-बिहार के हवाई अड्डे और उसके लांज में फर्नीचर लगाना

5091. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागर और विमानन के महानिदेशक द्वारा समुचित धनराशि मंजूर कर दिये जाने के बावजूद भी कूच-बिहार हवाई अड्डे और उसके लांज में अभी तक फर्नीचर नहीं लगाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई थी और विलम्ब का क्या कारण है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) कूच-बिहार विमान क्षेत्र के यात्री-कक्ष में अब नये फर्नीचर की व्यवस्था कर दी गयी है ।

(ख) 8934. रुपये की (जिसमें विभागीय प्रभार भी शामिल है) मंजूरी प्रदान की गई थी किन्तु फर्नीचर प्राप्त करने में कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हो गई थीं ।

इण्डियन एयरलाइन्स सहायक वाणिज्यिक प्रबन्धक के पद के लिए पदोन्नति

5092. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन से इस आशय की शिकायत की गई थी कि कलकत्ता में पूर्वी क्षेत्र के सहायक वाणिज्यिक प्रबन्धक के पद के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को कोई प्राथमिकता अथवा समुचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था ;

(ख) क्या कथित शिकायत के पश्चात् वह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कुछ अधिकारियों की सहायक वाणिज्यिक प्रबन्धक के पद पर पदोन्नति करने के लिए सहमत हो गये थे और यदि हां, तो क्या इस प्रकार की कोई नियुक्ति की गई है ; और

(ग) इण्डियन एयरलाइन्स में सहायक वाणिज्यिक प्रबन्धक के संवर्ग में अधिकारियों की कुल संख्या के प्रति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों की संख्या का प्रतिशत अनुपात कितना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) : जी, हां ।

(ख) : यद्यपि सहायक वाणिज्यिक प्रबन्धक के पद पर नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति/जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण नहीं है तथापि इण्डियन एयरलाइन्स ने स्वयं अपनी ओर से ऐसे उम्मीदवारों को कुछ अधिप्रतिनिधित्व (वेटेज) देने का निर्णय किया और तदनुसार इस पद के लिए इन जातियों से सम्बन्धित चार उम्मीदवारों का चयन किया जिनमें से एक को सहायक वाणिज्यिक प्रबन्धक के रूप में नियुक्त किया जा चुका है ।

(ग) : फिलहाल 1.5%

रूस की ऋणों का भुगतान

5093. **श्री पीलू मोदी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1970-71 में सोवियत संघ को ऋण सेवाओं के माध्यम से किया गया कुल भुगतान हमारे देश पर सोवियत संघ की शेष कुल ऋण राशि से अधिक था ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवंत राव चह्वाण) : (क) और (ख) : जी, नहीं । वर्ष 1970-71 के प्रारम्भ में, सोवियत संघ को चुकाये जाने वाले ऋण की कुल बकाया रकम 394.78 करोड़ रुपये थी । 1970-71 के दौरान, सोवियत संघ को मूलधन और ब्याज दोनों रूपों में चुकाई गई कुल ऋण राशि 70.01 करोड़ रुपये थी ।

Progress of Excavation Work

5094. **Shri S. D. Singh** : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) the number of places in the country where exacavation work is in progress at present under the auspices of the Archaeological Survey of India : and

(b) the progress made in regard to archaeological excavations in the country after independence ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) Excavations were conducted by the Archaeological Survey of India in the last working season (from October, 1970 to March, 1971) at six sites, namely, (1) Purana Qila (Delhi), (2) Surkotda (Kutch), (3) Burzahom (Kashmir), (4) Kushinagar (District Deoria), (5) Kashipur (District Nainital), and (6) Saifai (District Etah). The work will be continued in the coming season at these six sites. Excavations at Chandigarh, Patalipura, Martand and Theur were also undertaken during the last working season.

(b) After Independence India has pursued planned programme of excavating sites of special archaeological importance to bridge the gaps in our knowledge and achieved significant progress. Details are as follows :—

A very large number of Early Stone Age sites were explored and excavated in the post-Independence period in the Madras region and Himachal Pradesh, designated as the 'Madrasian' and the 'Sohan' cultures respectively. While the most important sites of the Early Stone Age of the 'Madrasian' industry, characterised by bifacial hand-axes and cleavers at Attirampakham (District Chingleput) was surveyed in detail—the area around Guler in Himachal Pradesh—was explored and partially excavated, yielding good examples of unifacial choppers, pebble hand-axes, bifacial chopping to tools etc.

Remains of the Middle and Late Stone Ages were found in the Central, Southern and Eastern India. Some of the Late Stone Age sites which were excavated are : Hoshangabad in Madhya Pradesh, Birbhanpur in District Burdwan (West Bengal) and Teri sites in Tirunelveli District (Tamil Nadu).

The most important New Stone Age site which was excavated is Burzahom in Kashmir where dwelling pits, polished bones and stone tools and human and animal burials provided interesting evidence of Northern Neolithic culture with possibly extra-Indian affiliations. Excavations at Kuchai (District Mayurbhanj) and Nagarjunakonda (District Guntur), Paiyampalli (District North Arcot) and Brahmagiri (District Chitaldurg) revealed the details about the Eastern Indian and Southern Neolithic cultures.

Much more important was the discovery of over a hunderd sites of the Indus Valley Civilization in India, extending from the Rupar in Punjab in the North to Bhagatrav in Gujarat on the South and up to Alamgirpur in Meerut Division of Uttar Pradesh in the East. Indeed the last named site has set scholars rethinking about the appropriateness of the nomenclature, the 'Indus Civilization' which is better redesignated now as the 'Harappa Culture'. Five sites of the Harappan Culture out of several excavated are particularly important. Kalibangan in Rajasthan showing a pattern of town-plan with the citadel on the west and the habitation site on the east, familiar from Harappa and Mohenjodaro has also revealed the remains of a pre-Harappan settlement including a furrowed field which is perhaps the earliest agricultural field discovered in the world. Lothal in Gujarat has yielded the remains of a dock-yard with evidence of trade with the countries of the Persian Gulf. Rupar in Punjab and Alamgirpur in Uttar Pradesh

being sites of mature Harappan culture have also yielded remains of the Painted Grey Ware Culture above those of Harappan settlement. Surkotda in Kutch which has been very recently excavated has revealed citadel and habitation site, both fortified for the pre-Harappan, Harappan and post-Harappan periods.

Significant addition was made to the study of the post-Harappan Chalcolithic Cultures of the Deccan and Western India. Excavation was done at Gilund, in District Udaipur, Rajasthan, which is an important type site of the Banas Culture of Western India. The Chalcolithic sites excavated in the Northern Deccan are : Prakash (District Dhulia) and Bahal (District East Khandesh) in the Tapti System which have also provided useful evidence of the early historical cultures in the Deccan.

The recent excavations at Saifai (District Etah) have helped in solving the problem of the enigmatic copper Hoards vis-a-vis the ochre-colour ware. The discovery of the Painted Grey ware at Hastinapura, Ahichchhatra, Alamgirpur, Rupar etc. has not only thrown fresh light on the so-called 'Dark Age' of Indian history but also provided ample material evidence with regard to the earliest historical culture of India believed to be associated with the Mahabharata.

While the excavations at the sites like Ahichchhatra, Hastinapura and Purana Qila (Delhi) have revealed a sequence of cultures from the pre-Mauryan and Mauryan times onwards through the Sunga, Saka, Kushana, Gupta and the post-Gupta periods, from the sites of Jagatgram and Ratnagiri have been unearthed interesting remains pertaining respectively to the Brahmanical and the Buddhist creeds of the early centurise A. D.

Large-scale salvage excavations were conducted at Nagarjunakonda in District Guntur where much of the site has been submerged under the Nagarjunasagar lake on the Krishna. The site yielded extensive relics right from the Stone Age through the Neolithic and Megalithic Ages down to medieval times. Belonging to the historical times of early centuries A. D. were numerous Buddhist Stupas, Chaityas and Viharas, a few Brahmanical temples, a citadel of the Ikshvaku Kings, a stepped bathing ghat and an amphitheatre. The portable relics together with the more important monuments have been physically transplanted on a hillock which is now an island in the Nagarjunasagar lake.

Proposal to Take Over Grand Trunk Road

5095. **Shri S. D. Singh :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether the Central Government propose to take over the Grand Trunk Road ;

(b) whether he is aware that the condition of the said road is very deplorable in Bihar and the employees and motor vehicles are stranded here and there during the rains ; and

(c) whether Government have formulated any scheme so that all the States could make use of it ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri Raj Bahadur) : (a) to (c) : Grand Trunk Road is the old name for the land route from Peshawar to Calcutta. The National Highways have now been designated by numbers. National Highway 1 is the road from Amritsar to Jullundur, Ludhiana, Kurnul and Delhi. From Delhi, National Highway 2 goes to Agra, Etawah, Bognipur, Kanpur, Allahabad, Varanasi, Sasaram, Dhanbad, Burdwan and Calcutta. The old route of the G.T. Road goes from Delhi to Bullandshahr, Aligarh and Kanpur. This portion is not a national Highway, but a State Highway, maintained by the Uttar Pradesh Government. It runs parallel to the National Highway 2 route and it is not

proposed to take over this route as a National Highway. For the rest of the portion of National Highway 2, the route is the same as the old G. T. Road and it is being maintained and improved from National Highway funds. The portion of the Grand Trunk Road in Bihar is a single lane blacktopped road having narrow and weak pavement. Due to inadequate width, heavy vehicles have to use kachcha flank for crossing, and during the rains they sometimes get stuck. Widening and strengthening of this road under the Fourth Five Year Plan is being undertaken. Grand Trunk Road, like all highways, is available for traffic and the question of any scheme for use by all States does not therefore arise.

सांस्कृतिक तथा वैज्ञानिक वस्तुओं के आगमन के सम्बन्ध में यूनास्को कूपन योजना

5096. **श्री सी० चित्तिबाबू :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सांस्कृतिक तथा वैज्ञानिक सामग्री के आगमन के सम्बन्ध में यूनास्कों कूपन योजना का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या उक्त कूपनों की अदायगी उन देशों की स्थानीय मुद्रा में देय है जिन्हें कि ऐसे सामान अपेक्षित हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस योजना को भारत में लोकप्रिय बनाने का है जिससे कि सांस्कृतिक उपलब्धियों एवं विचारधाराओं का विदेशों से स्वतंत्र संचार हो सके ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) यूनेस्कों कूपन योजना से किसी देश की संस्थाएं और व्यक्ति अन्य किसी देश से आवश्यक विदेशी मुद्रा प्राप्त किए बिना प्रकाशन, शैक्षिक फिल्में तथा अन्य वैज्ञानिक सामग्री खरीद सकते हैं। क्रेता अपनी स्थानीय मुद्रा देकर कूपन खरीदता है और उन्हें सीधे विदेशी पूर्तिकर्ता के पास भेज देता है जो मांग की पूर्ति करता है और इन कूपनों को अपनी इच्छानुसार यूनेस्कों से मुद्रा में परिवर्तित करवा लेता है। इसमें भाग लेने वाले सभी देशों में संबंधित सरकारों ने यूनेस्को कूपन बेचने के लिए वितरण एजेंसियां नियुक्त कर रखी हैं। भारत में "इन्डियन नेशनल कमीशन फार को-आपरेशन विद् यूनेस्को" नामक वितरण निकाय है। यूनेस्को कूपन संस्था और व्यक्ति दोनों के ही प्रयोग के लिए हैं। परन्तु फिर भी, वैज्ञानिक सामग्रियां खरीदने के लिए कूपन केवल शैक्षिक और अनुसंधान संस्थाओं को ही उपलब्ध होते हैं। ये कूपन निम्नलिखित सामान के खरीद के लिए उपयोग में लाए जा सकते हैं। वैज्ञानिक उपस्कर और सामग्री, फिल्में, पुस्तकें, पत्र-पत्रिकाएं, फोटोकापियां, माइक्रोफिल्में, कलात्मक प्रतिलिपियां, चार्ट, ग्लोब, मानचित्र, फिलमपट्टियां, शीट म्यूजिक तथा ग्रामोफोन रिकार्ड आदि। वित्त समितियों को सदस्यता चंदे की अदायगी के लिए भी इन कूपनों को उपयोग किया जा सकता है। यूनेस्को कूपनों से खरीदी गई सामग्री का सामान्य वाणिज्यिक सारिणियों के माध्यम से आयात किया जा सकता है और भारत में आने पर ऐसी सामग्री को बिना किसी आयात लाइसेंस के छोड़ दिया जाता है। तथापि इस योजना से सीमाशुल्क की अदायगी की छूट नहीं मिलती जो कि आयात के समय लागू नियमों के अधीन देय होता है। उपरोक्त सामान की पूर्ति के लिए अदायगी के रूप में यूनेस्को कूपन संसार भर में व्यापक रूप से स्वीकार किए जाते हैं।

(ख) डालर के मूल्यवर्ग वाले ये कूपन संस्थाओं एवं व्यक्तियों को अपनी अपनी स्थानीय मुद्राओं में जैसे भारत में रुपए के बदले में—बेचे जाते हैं। कतिपय मामलों को छोड़कर, जिनमें यूनेस्को स्थानीय मुद्राओं में अदायगी स्वीकृत करता है, अन्य मामलों में इस प्रकार से प्राप्त बिक्री की रकम विक्रय एजेन्सी द्वारा नकद राशि में समय-समय पर यूनेस्को को भेज दी जाती है।

(ग) "इन्डियन नेशनल कमीशन फार कोआपरेशन विद् यूनेस्को" द्वारा जारी किए गए परिपत्रों के परिणामस्वरूप भारत के विश्वविद्यालय, अन्य शैक्षिक तथा अनुसंधान संस्थायें एवं संगठन प्रयोगशालाएं, रुचि लेने वाले व्यक्ति आदि इस योजना से भलीभांति परिचित हैं। आजकल इन कूपनों की मांग इस राशि से कहीं अधिक है, जो प्रतिवर्ष सरकार द्वारा कूपनों के लिए विदेशी मुद्रा, जो लगभग 10 लाख रुपए मूल्य की है, के रूप में निर्धारित की जाती है। जब विदेशी मुद्रा के विनिधान पर लगी पाबंदियों में ढील दी जाएगी तब इस योजना का और प्रचार एवं प्रसार किया जाएगा।

रिजनल कालेज आफ एजुकेशन, भोपाल से खोये गये उपकरण तथा पुस्तकें

5097. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :**
श्री नवल किशोर शर्मा :
श्री राज राज सिंह देव :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल रिजनल कालेज आफ एजूकेशन को यूनेस्को द्वारा सप्लाई किये गये वैज्ञानिक उपकरणों की बड़ी मात्रा में तथा कालेज पुस्तकालय की अनेक पुस्तकें खो गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिये कोई जांच की गई है ;

(ग) जांच के क्या परिणाम निकले ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) लगभग 9,000 रूबल (लगभग 75,000 रु०) मूल्य का वैज्ञानिक उपकरण, कालेज को यूनेस्को से सहायता के रूप में मिला था। राष्ट्रीय शिक्षा, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् में नियुक्त यूनेस्को विशेषज्ञ डा० एम० एफ० कोयलकोव ने पिछले वर्ष उपकरण का निरीक्षण किया था।

उन्होंने यह बताया कि केवल कुछ छोटे पुर्जे ही गुम हैं। बाद में नवम्बर, 1970 के एक भौतिकी प्राध्यापक ने भी इसकी जांच की थी, जिन्होंने यह सूचित किया था कि कुछ भाग मिले नहीं अथवा गुम थे। उन भागों और पुर्जों की ठीक ठीक कीमत का पता लगाया जा रहा है।

कालेज के पुस्तकालय की पुस्तकों की, पिछले पांच वर्षों में तीन बार जांच पड़ताल की जा चुकी है। जुलाई, 1966 तक 391.27 रुपये की 75 पुस्तके गुम पाई गई थी। 1 अक्टूबर, 1967 में 1,058.62 रु० के मूल्य को 165 और पुस्तकें भी गुम पाई गई। अक्टूबर 1970 में स्टाक की तीसरी जांच से पता चला कि 449 पुस्तकें और गुम हैं। इन पुस्तकों का मूल्य सुनिश्चित किया जा रहा है।

(ख) और (ग) : कालेज के प्रिंसिपल नें, स्टाक की और आगे विस्तृत जांच पड़ताल के आदेश दिए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् ने भी, भोपाल का दौरा करने और पूछताछ के बाद अपने निष्कर्षों से सूचित करने के लिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के भौतिकी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रईस अहमद की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय समिति को भी नियुक्त की है। समिति की रिपोर्ट से पता चलता है कि यूनेस्कों द्वाएा दिए गए उपकरण में से लगभग 1500 रु० मूल्य की कमी है। इस हानि के लिए जिम्मेदारी निश्चित करने की कार्रवाई अब की जाएगी।

Foreign Tours by Central Ministers and Secretaries

5098. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of Central Ministers and Secretaries who went on foreign tours during the years 1970-71 and the respective figures for the year 1968-69 and 1969-70 ; and

(b) The names of the countries visited by them and the expenditure incurred on their tours abroad in the aforesaid years ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) and (b) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as available.

Grants Sought by Atomic Energy Commssion

5099. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the Atomic Energy Commission has sought grants for the development of atomic energy and for launching communication satellites ;

(b) if so, the amount thereof ; and

(c) the reaction of his Ministry thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) Yes, Sir.

(b) & (c) : The following amounts have been included in the Demands for Grants for 1971-72 with the approval of the Ministry of Finance :

(i) Total provision for the development of atomic energy (including all connected activities like adinmistrative support, research centre, development of atomic minerals, nuclear power,etc.) ... Rs. 9361.90 lakhs

(ii) Provision for space research programmes including development of capability to lunch statellites. ... Rs. 1210.32 lakhs

पश्चिम बंगाल में हुई परीक्षाओं में कदाचार

5100. **श्री समर गुह :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में विश्वविद्यालयों, कालेजों तथा स्कूलों की परीक्षाएं कदाचारों के कारण अधिकांशत: बेकार हो रही हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार ठीक ढंग से परीक्षाएं कराने की समस्या का अध्ययन करनें के लिये कोई समिति गठित करने का है ; और

(ग) क्या ऐसे कदाचारों को रोकने के लिये परीक्षा को बदला जायेगा ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

7

भारतीय सीमा पार करते समय शरणार्थियों द्वारा बंगला देश से गाड़ियों का लाया जाना

5103. **श्री समर गुह : क्या नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश स्वतंत्रता सेनानी तथा शरणार्थी भारतीय सीमा पार करते समय अपने साथ कारें, जीपें, बसें तथा रिक्शे लाये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय तथा त्रिपुरा में ऐसी कितनी गाड़ियां लायी गयी हैं ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) : पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार कुछ बंगला देश के विस्थापित पश्चिम बंगाल में आते हुए अपने साथ मोटर गाड़ियां लाये हैं । राज्य सरकार से उस राज्य में लायी गयी मोटर गाड़ियों की संख्या का ब्यौरा एकत्रित किया जा रहा है ।

जहां तक अन्य तीन राज्यों का सम्बन्ध है प्रश्न के दोनों भागों में मांगी गयी जानकारी उन राज्य सरकारों से एकत्रित की जा रही है ।

इन चारों राज्यों से पूरी जानकारी प्राप्त होने पर एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाएगा ।

पुस्तकों का अनुवाद करने के लिए 'रिसर्च इन्स्टीच्यूट आफ एन्सियेन्ट साइंटिफिक स्टडीज़, नई दिल्ली' को अदा की गई राशि

5104. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली : क्या शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "रिसर्च इन्स्टीच्यूट आफ एन्सियेन्ट साइंटिफिक स्टडीज़, नई दिल्ली" नामक एक फर्म को कुछ पुस्तकों का अनुवाद करने के लिए 33,000 रुपये की धनराशि अदा की गई थी ; और

(ख) क्या उक्त मामले में कोई जांच की गई थी ; और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव):(क) और (ख) : इस इन्स्टीच्यूट को केवल 32,604 रुपये की राशि दी गई थी । इस इन्स्टीच्यूट द्वारा उचित उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर विचार किया जाता रहा है और इस सम्बन्ध में आगे भी कार्यवाही की जा रही है ।

इण्डियन एयरलाइन्स के निदेशक मंडल का पुनर्गठन

5105. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इन्डियन एयरलाइन्स के निदेशक मंडल को पुनर्गठित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो पुनर्गठन में लगभग कितना समय लगेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : इण्डियन एयरलाइन्स के वर्तमान निदेशक-मंडल के कार्यकाल की अवधि 31 जुलाई, 1971 तक है तथा इसके पुनर्गठन पर विचार किया जा रहा है ।

बाराखंबा रोड पर पकड़े गए सिक्के

5106. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाराखंबा रोड पर दो वर्ष पूर्व पकड़े गये सिक्के राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली को प्राप्त हो गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी नहीं ।

(ख) ऐसा समझा जाता है कि सिक्के अभी तक मल्खाना जिले में हैं तथा उनके निपटारे की पद्धति का निर्णय अभी उनके द्वारा नहीं किया गया है ।

दो रुपये के नोट का परिचालन

5107. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में दो रुपये के नोट का परिचालन बहुत कम लोकप्रिय है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके परिचालन को रोक कर, एक रुपये के नोट, जो कि लोकप्रिय हैं, के परिचालन को बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) : सरकार को ऐसा मानने का कोई कारण नहीं दिखायी देता कि दो रुपये का नोट लोक-प्रिय नहीं है । यद्यपि यह सत्य है कि एक रुपये के नोट का अपेक्षाकृत व्यापक रूप से इस्तेमाल होता है किन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि दो रुपये का नोट उपयोगी नहीं है । इसे बन्द करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है ।

Talks held by Vice-Chancellor of Chittagong University with Prime Minister

5108. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) Whether Shri Azijur Rehman Malik, Vice-Chancellor of Chittagong University in Bangla Desh held talks concerning displaced teachers and intellectuals with the Prime Minister in Delhi on the 17th June, 1971 ;

(b) if so, the points discussed ; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) The Vice-Chancellor's meeting with the Prime Minister on June 17, 1971 was only in the nature of a courtesy call.

(b) and (c) : Do not arise.

Development of Sports

5109. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether Government have formulated a scheme for the development of sports in the country ;

(b) if so, the main features thereof ; and

(c) the manner in which Government propose to implement the scheme ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) Government have formulated six Schemes for the development of Sports in the country.

(b) and (c) : A statement is attached [Placed in Library, *See* No. L.T.-682/71]

Memorandum Submitted by D.T.U. Workers' Union

5110. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether the Delhi Transport Undertaking Workers' Union submitted a memorandum to the Prime Minister recently ;

(b) if so, the points raised in the memorandum ; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Minister of Parliamentry Affairs and Shipping and Transport (Shri Raj Bahadur) : (a) Yes, Sir. The Union submitted a memorandum to the Prime Minister in March, 1971.

(b) The main points raised in the memorandum are as under :—

(i) The operation of the road transport services in Delhi should be transferred to a separate Statutory Corporation.

(ii) The Government should issue a directive to the State Transport Authority, Delhi, to cancel the permits granted to private operators to run their buses on D.T.U. routes and other routes in the Union Territory of Delhi ; and

(iii) The fare structure of the Undertaking should be raised upwards so as to augment its revenues.

(c) All the powers of the Central Government under the Delhi Municipal Corporation Act, 1957, except those under Section 490 relating to the supersession of the Corporation, are now exercisable by the Lt. Governor, Delhi. No directive can, therefore, be issued by the Central Government to the State Transport Authority, Delhi for cancellation of permits of private operators.

Necessary legislation for the conversion of the Delhi Transport Undertaking into a Road Transport Corporation is presently under active consideration of Govt. The details are being worked out.

As regards the proposal for upward revision of bus fares in Delhi it is for the Delhi Transport Committee, which is responsible for the management of the Delhi Transport Undertaking under the Delhi Municipal Corporation Act to consider and take a decision.

Development of Roads

5111. **Shri Nawal Kishore Sharma :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state : (a) whether a Study Team under the auspices of the United States Agency for International Development has given certain suggestions in regard to the development of roads in the country ; and

(b) if so, the action taken by Government thereto ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri Raj Bahadur) : (a) and (b) : Presumably, the hon'ble Member is having in mind the Preliminary Report on the Study of the Domestic Transport of India's Export Cargo conducted by the Operations Research Group of the Division of Sarabhai Technological Development Syndicate Private Ltd. under the sponsorship of the Export Promotion Division, United States Agency for International Development (US AID), New Delhi. The Group is collecting some further information to enable necessary revision in the final report which is yet to be submitted by the Group.

Apprehension of Smuggler at Jaipur

5112. **Shri Nawal Kishore Sharma :** Will the Minister of **Finance** be pleased to **state :**

(a) whether a member of an international gang of smugglers was arrested at Jaipur and a large number of jewels smuggled from Pakistan were recovered from his possession ;

(b) whether smuggling is carried on a large scale on Rajasthan border touching Pakistan ;

(c) if so, whether Government propose to take steps to check smuggling there ; and

(d) whether the enquiries made from the said person have led to any clue of other members of the gang and if so, the action taken against them ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) On 2nd June 1971, 151 Kgs. of white and red synthetic stones of Swiss and French origin valued about Rs. 20,000/—were recovered from one person at Jaipur. The stones were seized and two persons suspected to be involved in the case were arrested and subsequently released on bail. The investigations made in this connection do not suggest involvement of any member of any international gang of smugglers.

(b) and (c) : There is no indication that the smuggling is carried on a large scale in Rajasthan border touching West Pakistan ; however, necessary measures including those enumerated below are taken to prevent smuggling :—

(i) Opening of new preventive posts at strategic points on the border.

(ii) Arranging of frequent meetings between Customs, Police and Border Security Force for mutual exchange of information and taking effective steps for prevention of smuggling.

(iii) Ensuring of co-ordination between Border Security Force, Police and Customs by arranging high level meetings of senior officers of the various Departments from time to time.

(d) Does not arise in view of reply to part (a) of the question.

सहकारी भूमि विकास बैंक पर लगाये गये प्रतिबन्ध

5113 . **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के रिजर्व बैंक ने खेतिहरों को पम्पों, कुओं तथा ट्रैक्टरों के लिये ऋण देने वाले सहकारी भूमि विकास बैंकों पर कुछ प्रतिबन्ध लगाये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन नये प्रतिबन्धों से राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और बिहार जैसे कम विकसित राज्यों में कृषि विकास में अड़चन पैदा होने की सम्भावना हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भारत के रिजर्व बैंक को इन अनुदेशों को वापस करने के बारे में अनुदेश देने का है, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत राव चह्वाण) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : ये प्रश्न उपस्थित नहीं होते।

दिल्ली, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में 20 पैसे के सिक्के के सम्बन्ध में जालसाजी करने वाला गिरोह

5114. **श्री पी० के० देव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में 20 पैसे के सिक्के के सम्बन्ध में जालसाजी करने वाले गिरोह के बारे में 23 जून, 1971 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या सरकार को इस बारे में प्रवर्तन निदेशालय अथवा कुछ अन्य सूत्रों से कोई समाचार प्राप्त हुआ है, और

(ग) यदि हां, तो वह क्या है और अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश): (क), (ख) और (ग) : सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है, किन्तु यह सिद्ध करने के लिये कोई प्रमाण नही मिले हैं कि इनमें से किसी भी नगर में 20 पैसे के सिक्कों को सोने की गिन्नियों के तौर पर चलाया जा रहा है।

राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान–स्वास्थ्य शिक्षा कल्याण परियोजनायें

5115. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह वताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् ने यूनाइटेड स्टेट्स के शिक्षा कार्यालय से सहायता लेकर अनुमानत : 13,04,135 रु० के खर्चे पर वर्ष 1963-66 में नौ राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान—स्वास्थ्य शिक्षा कल्याण परियोजनायें चलाई, और

(ख) यदि हां, तो इन अध्ययन कार्यों के विशिष्ट तथा व्यवहारिक उपयोग क्या हैं जिनका स्कूल शिक्षा के विकासशील कार्यक्रमों में लगाया गया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी हाँ, यह परियोजनाएं राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा 13,74,135 रुपयों की लागत से चलाई गई थी।

(ख) छ : रिपोर्टें छप चुकी हैं और तीन छप रही हैं। एक रिपोर्ट पुन : मुद्रित की जा रही है। उपलब्धियों के उपयोग के लिए कर्मशालाओं और सेमीनारों की व्यवस्था की गई थी। मुद्रित की गयी रिपोर्टें सभी राज्य सरकारों तथा संघ क्षेत्र प्रशासनों को भेजी गयी थी। राजस्थान, गुजरात, आसाम, मध्य प्रदेश, मैसूर और बिहार जैसे कुछ राज्यों ने अध्ययन की उपलब्धियों का उपयोग इस प्रकार से किया है :

(1) स्कूलों के छात्रों को उपलब्ध अभिप्रेरणा की उन्नति के लिए।

(2) राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान–स्वास्थ्य शिक्षा कल्याण परियोजना सं० 003 के अधीन बिकसित क़िए गए ग्रेड 8 और 11 के लिए शैक्षिक अभिवृत्ति परीक्षणों के उपयोग द्वारा अध्ययन के विभिन्न पाठ्यक्रमों पर छात्रों के मार्गदर्शन निर्धारण एवं चयन के लिए :

(3) स्कूलों में निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण पद्धतियों के सुधार के लिए।

(4) बरबादी और निष्क्रियता में शोधात्मक अध्ययन के आयोजन हेतु तथा शैक्षिक बरबादी और स्कूलों से हट जाने में कमी करने हेतु कार्यात्मक कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए :

(5) गणित के उन क्षेत्रों में साध्य कार्यक्रमों को चलाने के लिए जिनमें छात्रों की उपलब्धियाँ कुछ कम हैं।

(6) छात्रों के स्कूलों में निष्पादन के मुल्यांकन हेतु बढ़िया साधन तैयार करने के लिए, तथा

(7) गणित में वर्तमान पाठ्यचर्या के सुधार के लिए और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में गणित अध्ययन की नई प्रणालियाँ अपनाने के लिए।

हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा गांव का पर्यटक स्थल के रूप में विकास

5116. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के भाखड़ा गांव को पर्यटक-स्थल के रूप में विकसित करने की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : जी, नहीं। किन्तु पर्यटन विभाग ने गोबिन्द सागर पर एक कैफेटीरिया स्थापित किया है, तथा वहां दो लौंचों की व्यवस्था करने का भी प्रस्ताव है।

महिलाओं को उड्डयन व्यवसाय अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना

5117. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महिलाओं को उड्डयन व्यवसाय के लिए प्रोत्साहन करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) नागर विमानन क्षेत्र में कितने महिला उड्डयन अधिकारी हैं और वे किन राज्यों की हैं ; और

(ग) क्या महिला उड्डयन अधिकारियों की, संख्या बढ़ाने के लिए सरकार विशेष कार्यवाही करना चाहती है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) महिलायें देश के किसी भी उपदान प्राप्त फ्लाइंग क्लब अथवा ग्लाईडिंग क्लब में प्रवेश प्राप्त कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त वनस्थली विद्यापीठ, जिसने अपनी महिला प्रशिक्षणार्थियों के लिये एक फ्लाइंग विंग खोला है, को सरकार की उड़ान उपदान योजना में एक विशिष्ट मामले के तौर पर शामिल किया गया है।

(ख) इण्डियन एयरलाइन्स की सेवा में दो महिला विमानचालक हैं, जिनमें से एक बिहार की और दूसरी उत्तर प्रदेश की है।

(ग) इस समय ऐसी कोई योजना नहीं है।

उत्तर कनारा में पर्यटन विकास के लिए चुने गए केन्द्र

5118. **श्री बी० वी० नायक :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर कनारा के पर्वतीय तथा तटीय जिलों में पर्यटक आकर्षक स्थलों का कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो किन केन्द्रों को विकास के लिये उपयुक्त पाया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो अनुमानतः कब तक सर्वेक्षण पूरा किया जा सकेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

रिजर्व बैंक द्वारा तमिलनाडु सरकार को दिये गये अनुदान की राशि

5119. **श्री सी० चित्तिबाबू :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रिजर्व बैंक ने तमिलनाडु सरकार को निर्धन लोगों के लिए मकान बनाने और कृषि ऋण योजना के अन्तर्गत दिये जाने वाले ऋणों के लिये कितना अनुदान दिया है ;

(ख) तमिलनाडु सरकार ने इस प्रयोजन के लिए कितने धन की मांग की थी ; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए तमिलनाडु सरकार को पर्याप्त ऋण न देने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण : (क) और (ख): रिजर्व बैंक मकान बनाने के लिए और कृषि ऋण देने के लिए, राज्य सरकारों को सीधे ऋण और अग्रिम नहीं देता । तथापि अल्पावधिक अर्थोपाय अग्रिमों के अलावा, रिजर्व बैंक सरकारी ऋण समितियों का पूंजीगत आधार मजबूत करने के लिए उन समितियों की शेयर पूंजी में अभिदान करने के लिए राज्य सरकारों को ऋण देता है । इस प्रयोजन के लिए दिए जाने वाली अग्रिमों की राशि का निर्धारण कुछ निश्चित मानदण्डों के आधार पर किया जाता है, जैसे, खंड स्तरों पर शाखाएं खोलना, अतिदेय राशियों का समितियों के बकाया ऋणों के 30 प्रतिशत से अधिक न होना और समितियों के ऋणदान कार्यक्रमों का यथार्थवादी होना आदि । वर्ष 1970-71 के दौरान रिजर्व बैंक ने तमिलनाडु सरकार को 149·67 लाख रुपये की राशि मंजूर की थी जब कि तमिलनाडु सरकार का आवेदन 435·44 लाख रूपये के लिए था ।

(ग) आवेदित पूरी राशि मंजूर नहीं की जा सकती क्योंकि कुछ निर्धारित मानदण्ड पूरे नहीं किए एग थे ।

पश्चिम बंगाल में पटसन की मिलों के कार्यकरण के बारे में जांच

5120. **श्री इंद्रजीत गुप्त :** क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल में पटसन की मिलों के कार्यकारी परिणामों से दिखाई देने वाली अत्यधिक असंगति के कारणों की जांच की है, यद्यपि वे सब एकसा कच्चा माल उपयोग में ला रही है, एक ही बाजार में बिक्री कर रही है और अपने मजदूरो को निर्धारित मजूरी दे रही है ;

(ख) क्या कामारहाटी जूट कम्पनी, जिसने पिछले 4 वर्षों में घाटा दिखाया, को हाल में 228 रुपये प्रति शेयर पर बेचा गया है यद्यपि बाजार भाव केवल 74 रुपये प्रति शेयर है ; और

(ग) क्या सरकार ने किसी जूट मिल कम्पनी के लिए लागत लेखा परीक्षक नियुक्त किये हैं ?

कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी): (क) और (ख): सूचना संग्रह की जा रही है व सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

(ग): जूट उद्योग के लिये सरकार ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 (1) (घ) के अन्तर्गत लागत अभिलेखों के संधारण को विदित नहीं किया है, अतः कथित अधिनियम की धारा 233 ख के अन्तर्गत लागत लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

झालूडा, जिला पुरुलिया (पश्चिम बंगाल) में पर्यटक केन्द्र की स्थापना

5121. **श्री दिनेश जोरदार :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान झालूडा, जिला पुरुलिया, पश्चिम बंगाल में पर्यटक केन्द्र स्थापित किए जाने की सम्भावनाओं की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) और (ख): पर्यटन विभाग को ऐसे किसी सुझाव की जानकारी नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में अखिल भारतीय सर्कस संस्थान का स्थापित किया जाना

5122. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **शिक्षा तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में एक अखिल भरतीय सर्कस संस्थान स्थापित करने के बारे में कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उक्त संस्थान को कब तक कार्य आरम्भ करने की संभावना है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग): प्रश्न नहीं उठता ।

चौथी पंचवर्षीय योजना में बिहार में पक्की सड़कों का निर्माण

5123. **श्री नवल किशोर सिंह** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में चौथी पंचवर्षीय योजना में कितनी मील पक्की सड़कों का निर्माण किया जायेगा, और

(ख) इस कार्य के लिये कुल कितनी राशि निर्धारित की गई है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) : बिहार की राज्य योजना में सड़क विकास के लिए चौथी योजना में 34.23 करोड़ रु० की व्यवस्था है, जिसमें लोक निर्माण विभाग की सड़कें (पटना के गंगा पुल के लिए राज्य के शेयर समेत), नगर पालिका सड़कें तथा सी० डी० सड़कें भी शामिल हैं) इस कुल प्रावधान के विरुद्ध राज्य योजना के अन्तर्गत पक्की सड़कों के निर्माण के लिए 1232 मील का निर्धारित लक्ष्य है ।

सिंगापुर को जाने वाली भारतीय हाकी टीम का यात्रा व्यय

5124. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय हाकी फैडरेशन ने अगस्त, 1971 में सिंगापुर में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय हाकी टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए जाने वाली भारतीय टीम के यात्रा व्यय को वहन करने के लिए सरकार से निवेदन किया था ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया हुई ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी): (क) जी, हां ।

(ख) सरकार ने अनुरोध मान लिया है ।

काशी विद्यापीठ में छात्रों में व्याप्त असंतोष के बारे में जांच करने के लिए समिति

5125. **श्री मुहम्मद शरीफ :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काशी विद्यापीठ ने वहां के छात्रों में व्याप्त असंतोष के बारे में जांच करने और वहां सामान्य स्थिति बनाने के उपाय सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया है, और

(ख) यदि हां, तो समिति के प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, नहीं ।

(क) प्रश्न नहीं उठता ।

स्टेट आफ आसाम जहाज में लगी आग के बारे में जांच

5126. **श्री मुहम्मद शरीफ :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में 18 जून, 1971 को अलेक्जेंड्रा डाक पर स्टेट आफ आसाम जहाज में लगी आग के बारे में कोई जांच की गयी थी, और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) और (ख): आग लगने के कारणों की प्रारम्भिक जांच नौसर्वेक्षक, जलपरिवहन विभाग बम्बई द्वारा की जा रही है और उसके इस मास के अन्त तक पूरा होने की संभावना है ।

सिले सिलाए वस्त्रों से उत्पादनशुल्क का हटाया जाना

5127. **श्री मुहम्मद शरीफ :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वस्त्र निर्माण संघ का एक शिष्ट मंडल उनसे 16 जून, 1971 को मिला था और उनसे सिले सिलाए कपड़ों पर लगाए गये 10 प्रतिशत उत्पादन शुल्क को वापिस लेने की मांग की थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां ।

(ख) चूंकि यह मामला बजट प्रस्तावों से संबंधित है, इसलिए इस स्थिति में अभ्यावेदन पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करना संभव नहीं है । इस विषय से सम्बन्धित अभ्यावेदन पर विचार किया जा रहा है ।

उड़ीसा में छोटे पत्तनों का विकास

5128. **श्री देवेन्द्र सत्पथी :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में उड़ीसा राज्य किन-किन छोटे पत्तनों का विकास किया जा रहा है और उन पर अनुमानितः कितनी लागत आयेगी ; और

(ख) क्या उड़ीसा सरकार से उड़ीसा में चिल्का, कोणारक और पुरी में छोटे पत्तनों के विकास के लिये कोई प्रस्ताव भेजा है, और यदि हां, तो भारत सरकार उन पर कब से विचार करना प्रारम्भ करेगी ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) : उड़ीसा में गोपालपुर चौथी योजना काल के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत विकास के लिये चुना गया है । इसके विकास के लिये अनुमान संवीक्षाधीन है ।

(ख) जी, नहीं ।

सरकारी परिवहन कर्मचारियों के काम की देश में जांच करने के बारे में समिति की स्थापना की मांग

5129: **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ सरकारी परिवहन कर्मचारियों के कार्य तथा निर्वाह सम्बन्धी स्थिति की जांच करने के लिये एक राष्ट्रीय स्तर समिति की स्थापना की जायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

तस्करी विरोधी उपायों के परिणाम

5130. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **वित्त** मंत्री 4 जून, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1539 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में तस्करी को रोकने के लिए अपनाये गये उपायों के परिणामस्वरूप क्या पिछले दो वर्षों में तस्करी की मात्रा में कुछ कमी हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी कमी हुई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) : गत पांच वर्षों में तस्कर-विरोधी उपायों के परिणामस्वरूप पकड़े गये माल का मूल्य नीचे दिये अनुसार है :—

वर्ष	पकड़े गये माल का मूल्य* (लाख रुपये)
1966	661
1967	1640
1968	1939
1969	2501
1970	2207

*इस सारणी के लिए सोने के संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा दर को तथा दूसरी वस्तुओं के सम्बन्ध में भारतीय बाजार दर को आधारस्वरूप अपनाया गया है।

बंगला देश के सैकेंड्री स्कूल सर्टीफिकेट को मान्यता देना

5131. **डा० रानेन सेन** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बंगला देश के सैकेंड्री स्कूल सर्टीफिकेट को मैट्रीकुलेशन के समक्ष और भारत के तदनुरूपी सर्टीफिकेट की तरह मान्यता देने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या भारतीय विश्वविद्यालयों के छह उप-कुलपतियों ने यह योजना बनाई है कि बांगला देश के विस्थापित शिक्षाविदों की सेवाएं प्राप्त की जाएं ; और

(ग) यदि हां, तो योजना का स्वरूप क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डा० पी० यादव): (क) भारत सरकार के अधीन रोजगार के हेतु पूर्वी बंगाल के निम्नलिखित प्रमाण पत्रों को मैट्रिक परीक्षा/भारत के विश्वविद्यालयों/माध्यमिक शिक्षा बोर्डों द्वारा जारी किए गये तदनुरूपी प्रमाण पत्रों के समक्ष मान्यता दी गई है :–

(1) पूर्वी बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ढाका द्वारा दिये गये प्रमाण-पत्र ;

(2) पूर्वी बंगाल में कुमिल्ला, खुलना, राजशाही के माध्यमिक शिक्षा बोर्डों द्वारा दिये गये मांध्यमिक स्कूल शिक्षा प्रमाणपत्र, और

(3) इंटरमीडियेट और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जेसोर, पूर्वी बंगाल द्वारा दिये गये माध्यमिक स्कूल प्रमाण पत्र।

(ख) और (ग) : कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पूर्वी बंगाल से आए हुए शिक्षाविदों की सहायता देने के लिए साधन और उपाय खोजने के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है जिसमें कलकत्ता, बर्धमान, जादवपुर, कल्याणी, उत्तर बंगाल, रवीन्द्र भारती और विश्व भारती विश्वविद्यालयों के कुलपति, पश्चिम बंगाल के शिक्षा विभाग के सचिव, जन-शिक्षा निदेशक, पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष शामिल हैं। समिति ने भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से ऐसे शिक्षाविदों को अतिथि फेलों के रूप में अस्थायी नौकरियां देने के लिए अपील की है।

खलीलाबाद (उत्तर प्रदेश) में विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों को स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा दिया गया ऋण

5132. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खलीलाबाद, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश में स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा अप्रैल, 1971 से 30 जून, 1971 तक की अवधि के दौरान विभिन्न वर्षों से सम्बन्धित व्यक्तियों को विभिन्न कार्यों के लिये कितना ऋण दिया गया ; और

(ख) इस अवधि में कितने ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए और उनमें से कितने अस्वीकृत हुए और ऐसे कितने अभ्यावेदन अभी निपटाने के लिये बाकी हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : (क) और (ख) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी।

Grants to Gorakhpur University for National Service Corps

5133. **Shri Krishna Chandra Pandey** : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether Government have given grants to the University of Gorakhpur for National Service Corps ; and

(b) if so, the amount given during the last three years, year-wise ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare (Shri K.S. Ramaswamy): (a) Yes, Sir.

(b) Year	Amount
1968-69	Nil
1969-70	Rs.70,000/- (Rs.35,000/- direct and Rs.35,000/- through the State Government)
1970-71	Rs,84,000/- (through the State Government)

National Services Corps Camps Organised by University of Gorakhpur

5134. **Shri Krishna Chandra Pandey :** Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether a camp of the National Service Corps was organised in the month of June by the University of Gorakhpur when the University was closed and the students and teachers were out of station ; and

(b) if so, the reasons for organising the camp at that time ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare (Shri K.S. Ramaswamy) : (a) Yes, Sir.

(b) The scheme of National Service provides for holding of camps during vacations also.

राष्ट्रीय व्यवहारिक अनुसंधान परिषद् के नये भवन का निर्माण

5135. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् के नये भवन का निर्माण किया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो बिल्डिग के निर्माण और साजसामान आदि पर कितना धन खर्च हुआ है;

(ग) क्या निर्माण में ठेकेदारों द्वारा घटिया किस्म की ईटें, सीमेंट और रेत का इस्तेमाल किया गया है ; और

(घ) इसके निर्माण-कार्य की देखभाल के लिये किस प्रकार के नियंत्रण की व्यवस्था की गई थी और क्या निर्माण कार्य विशिष्ट निर्देशन के अनुसार पूरा किया गया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् का मुख्य भवन 1960 में बनाया गया था। किन्तु, 1970-71 में, उसका एक और मंजिल बनाई गई थी ।

(ख) इसके अतिरिक्त मंजिल के निर्माण पर 4.17 लाख रुपये की राशि खर्च हुई थी जिसमें नौकरों के क्वार्टर बनाने का खर्च भी शामिल है और साज-सामान पर 88,500 रुपये खर्च किया गया था जिसमें पुराने फर्नीचर को बदलने का खर्च भी शामिल है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) यह कार्य विशिष्ट निर्देशन के अनुसार पूरा किया गया है। इसका देखभाल परिषद् के एक सिविल इंजीनियर द्वारा और वास्तुविदों का एक प्रतिष्ठित फर्म द्वारा भी की गई थी । इसके अलावा, परिषद् के शासी निकाय की एक भवन समिति भी थी जिसने निर्माण कार्य की प्रगति की समय-समय पर, समीक्षा की थी ।

सरकारी उपक्रमों में नियुक्त सैनिक सेवा पेंशन पाने वालों से ज्ञापन

5136. **श्री दशरथ देव :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी उपक्रमों में नियुक्त सैनिक सेवा के पेंशन पाने वालों से क्या सरकार का इस बारे में कोई प्रतिवेदन अथवा ज्ञापन प्राप्त हुआ है कि उनके वेतन से पेंशन की राशि काट ली जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या निर्णय किया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां। चकेरी भूतपूर्व सैनिक संघ, चकेरी, कानपुर से इस प्रकार का ज्ञापन प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि वेतन तथा पेंशन का जो लाभ सरकारी उपक्रमों में रखे गये सरकारी कर्मचारियों को मिलता है, वही लाभ सरकारी उपक्रमों में फिर से नियुक्त किये गये पेंशनयोगी भूतपूर्व सैनिकों को भी मिलना चाहिये।

(ख) प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा, सरकारौ क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बन्धित उनकी रिपोर्ट में की गयी सिफारिशों के अनुसार, सरकार ने फैसला किया है कि प्रतिनियुक्ति पर आने वाले कर्मचारियों को, यह विकल्प चुनना होगा कि या तो वे उन उपक्रमों में स्थायी रूप से रहें, जिनमें वे सेवा कर रहे हैं या फिर निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत अपने मूल संवर्ग में वापस चले जायं। प्रतिनियुक्ति पर आये उपयुक्त कर्मचारियों को उन्हीं उपक्रमों में जहां वे काम कर रहे हैं, स्थायी रूप से बने रहने का विकल्प चुनने के लिये बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने कुछ मामलों में वेतन तथा पेंशन की अदायगी करने का भी फैसला किया है। ये आदेश रक्षा उत्पादन उपक्रमों से भिन्न उपक्रमों में नियुक्त रक्षा सेवाओं के उन कर्मचारियों पर भी समानरूप से लागू होते हैं, जो उन उपक्रमों में स्थायी रूप से बने रहने का विकल्प चुनते हैं, जिनमें वे अपने मूल सेवा संवर्गों से त्यागपत्र देकर सेवा कर रहे हैं। किन्तु ये आदेश, रक्षा उत्पादन उपक्रमों में रखे गये रक्षा सेवाओं के कर्मचारियों पर लागू नहीं हैं क्योंकि उन पर ऐसी कोई पावन्दी नहीं है कि वे जिन उपक्रमों में सेवा कर रहे हैं, उनमें स्थायी रूप से बने रहने का विकल्प चुने या अपने मूल सेवा संवर्ग में लौट जायं। ये आदेश उन असैनिक या सैनिक पेंशनभोगियों पर लागू नहीं हैं जिन्हें फिर से नौकरी में रखा गया है। ये आदेश उन विभागीय उपक्रमों पर भी लागू नहीं होते जहां विकल्प चुनने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

संघ राज्य क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा पर व्यय

5137. **श्री एम० सत्यनारायण राव :** क्या **शिक्षा तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार बच्चों की प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षा पर प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र में, जहां ऐसी शिक्षा निःशुल्क है, प्रति वर्ष कितना धन व्यय करती है; और

(ख) प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र में प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष औसतन कितना व्यय किया जाता है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव): (क) और (ख): अपेक्षित सूचना संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों से एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर यथा-सम्भव शीघ्र रख दी जायेगी।

सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए किये गये उपाय

5138. **श्री के० नारायण राव :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, जिन्हें संविधान की अनुच्छेद संख्या 15 (4) के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों से अलग माना गया है, के उत्थान के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या अनुच्छेद 16 (4) के अनुसार सरकार द्वारा कोई नियुक्ति अथवा पद आरक्षित किए है और यदि हां, तो कितने ;

(ग) क्या संविधान के अनुच्छेद संख्या 340 के उपबन्धों के अनुसरण में किसी आयोग की नियुक्ति की गई थी ; यदि हां, तो उसकी सिफारिशें क्या थीं ;

(घ) क्या सरकार को पता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ राज्यों की पिछड़ी जातियों की सूचियों को स्वीकार किया था और कुछ राज्यों की, विशेषकर आन्ध्र प्रदेश की, सूचियों को उसी न्यायालय में अस्वीकार कर दिया था ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या इस बारे में एक समान नीति बनाने के लिए सरकार संविधान में संशोधन करने पर विचार कर रही है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को ही धर्म के आधार पर पिछड़े वर्ग समझा जाता है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को छोड़ कर पिछड़े वर्गों का निश्चय आर्थिक कसौटी के आधार पर किया जाता है और वे साधारण योजनाओं के अन्तर्गत आते हैं।

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को छोड़ कर अन्य जातियों के लिए सेवाओं में आरक्षण करनें के लिए केन्द्रीय सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है।

(ग) हां, काका कालेलकर की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति 1953 में की गई थी। अनुच्छेद 340 (3) के अधीन किए गए उपबन्ध के अनुसार आयोग की रिपोर्ट तथा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में एक ज्ञापन संसद के दोनों सदनों में 3 सितम्बर, 1956 को पेश कर दी गई थी।

(घ) सरकार को पता है कि उच्चतम न्यायालय ने कुछ राज्यों द्वारा अपनाई गई पिछड़े वर्गों की सूचियों को रद्द कर दिया है जब कि कुछ अन्य राज्यों की सूचियों की उसने पुष्टि कर दी

है। ऐसा करते समय सम्बन्धित सरकारों द्वारा अपनाई गई कसौटियों की उपयुक्तता को ध्यान में रखा गया है।

(ङ) इस मामले में कोई सांविधानिक संशोधन आवश्यक नहीं समझा गया है।

शिक्षा के लिए ऐंग्लो-इंडियन समुदाय को अनुदान

5139. **श्री के० नारायण राव : क्या शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संविधान की धारा 337 के अनुसार शिक्षा के लिये ऐंग्लो-इण्डियन समुदाय के हित के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा गत तीन वर्षों में, वर्ष-वार कितना धनराशि के अनुदान दिये गये हैं ; और

(ख) क्या ऐसे अनुदान अभी तक दिये जा रहे हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव): (क) और (ख) : परिच्छेद 337 के अनुसार ऐंग्लों इण्डियन समुदाय की शिक्षा के हेतु दी गई विशेष रियायतें दस वर्षों की निश्चित अवधि के लिए थीं। फिर भी, 20-3-1960 को मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में लिये गये निर्णय और इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्रियों को तात्कालिक केन्द्रीय गृह मन्त्री द्वारा दी गई सलाह के अनुसरण में 1968-69, 1969-70 और 1970-71 के दौरान प्रत्येक वर्ष डा० ग्राम्स होम्स कालिमपोंग को अनुदान दिये गये थे। उसी प्रकार, 1968-69, 1969-70 और 1970-71 में प्रत्येक वर्ष ऐंग्लो-इण्डियन शिक्षा के हेतु अन्तर्राज्य बोर्ड को 4,000 रुपये के अनुदान दिये गये थे।

इस सम्बन्ध में रेल मन्त्रालय द्वारा दिये गये अनुदानों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होने पर इसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

कृषि कर लगाना

5140. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को कृषि पर कर लगाने सम्बन्धी अनुदेश दिए हैं ;और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां इसकी प्रतिकूल प्रतिक्रिया हुई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख): कृषि कराधान संविधान के अन्तर्गत, राज्य का विषय है और यह मुख्यतः राज्य सरकारों के ऊपर है कि वे कृषि पर कर लगाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई करें। भारत सरकार का विचार यह है कि असमानता को बढ़ने से रोकने के प्रयोजन से साधन जुटाने के लिए किये जाने वाले प्रयत्न में, जिसमें केन्द्र और राज्य दोनों की समान जिम्मेदारी है, ग्रामीण क्षेत्र के सम्पन्न वर्गों से पर्याप्त योगदान लिया जाय। इसलिए, भारत सरकार समय-समय पर, राज्य सरकारों से यह अनुरोध करती रही है कि वे, कृषि क्षेत्र से साधन जुटाने के लिए कारगर कदम उठायें।

इस विचार के विरुद्ध, औपचारिक तौर पर, किसी राज्य सरकार से कोई अभ्यावेदन नहीं मिला है।

मध्य प्रदेश में वन्य जीवों का रक्षण

5141. **श्री उमेद सिंह राठिया : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में वन्य जीवों की संख्या कम हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसको रोकने के लिए सरकार किन उपायों पर विचार कर रही है; और

(ग) इस उद्देश्य के लिए 1971-72 में मध्य प्रदेश में कितना धन व्यय किया जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) दुर्भाग्यवश पिछले कुछ दशकों में मध्य प्रदेश बल्कि समस्त भारत में कतिपय वन्य पशुओं की जातियों की जीव-संख्या में ह्रास हुआ है।

(ख) पिछले वर्ष भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों को शेरों के आखेट पर कुछ समय तक प्रतिबन्ध लगाने की सलाह दी थी, और मध्य प्रदेश ने अब शेरों के शिकार पर दो वर्ष के लिये प्रतिबन्ध लगा दिया है। बारहसिंगा (स्वेम्प डियर) और चीतल (ब्लैक बक्) जैसी ह्रासोन्मुख जातियों के वन्य पशुओं के शिकार पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। पर्यटन विभाग ने कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में बारहसिंगों के संरक्षण एवं अभिवृद्धि से सम्बन्धित एक परियोजना के लिये 52,500/- रुपये का योगदान दिया है, तथा इस परियोजना के क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करने के लिये विशेषज्ञों का विश्व वन्य जीव कोष की ओर से विशेषज्ञों का एक दल इस समय मध्य प्रदेश में है।

(ग) चुने हुये पांच पशु-पक्षी शरणस्थलों और राष्ट्रीय उद्यानों में सुधार-कार्यों के लिये, जिनमें मध्य प्रदेश का कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भी शामिल है, पर्यटन विभाग के 1971-72 के बजट में 10 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

एयर इण्डिया द्वारा दिए गए एक विज्ञापन में महिलाओं के चीर हरण को दर्शाया जाना

5142. **श्री श्यामनंदन मिश्र : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया ने जम्बो जेट के सम्बन्ध में एक ऐसा विज्ञापन निकाला है जिसमें महिलाओं (गोपियों) का चीरहरण दर्शाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस विज्ञापन का अनुमोदन कर दिया था ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : अप्रैल 1971 में एयर इण्डिया द्वारा प्रकाशित "व्योम बिहारी वृहद्रथ" (स्विंग हाई बिग चेरियट) नामक विज्ञापन अपने जम्बो जेट विमानों (बोइंग 747) के प्रचार के लिए कारपोरेशन के अभियानका एक भाग था। बोइंग 747 विमानों की आन्तरिक सज्जा का विषय लोकप्रिय कृष्ण पुराण कथा है। विज्ञापन में दिया गया

चित्र एयर इण्डिया के जम्बो विमानों की दीवारों पर अंकित भगवान कृष्ण के जीवन की घटनाओं में से एक का रूपान्तर था। इस विज्ञापन को समाचार पत्रों में प्रकाशित होने के शीघ्र ही बाद बन्द कर दिया गया और कृष्ण-गाथा पर आधारित समस्त अभियान को अब छोड़ दिया गया है।

एयर इण्डिया में डिजाइन कार्यों के लिए नियुक्त विदेशी विशेषज्ञ

5143. **श्री भोगेंद्र झा : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इण्डिया की विमान परिचारिकाओं की सलवारों और कमीजों के डिजाइन बनाने के लिए विदेशी विशेषज्ञ को बुलाया गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) कितने कृत्यों, कार्यों, डिजाइन निर्माणों तथा खाना पकाने के लिए विदेशी विशेषज्ञ को बुलाया गया है ; और

(ग) क्या ऐसे विशेषज्ञ देश में उपलब्ध नहीं थे ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) एयर इण्डिया ने पैरिस के एक कुटूरियर (ड्रेस-मेकर), जैक्स एसटरैल के साथ अपनी सेवाओं पर यात्रा करने के बदले विमान परिचारिकाओं की पोशाकें डिजाइन करने के लिए 1969 में एक करार किया था। उसकी सेवाएं एयर इण्डिया पर नियुक्त विदेशी विमान परिचारिकाओं के लिए, जो कि पश्चिमी ढंग की पोशाकें पहनती थीं, भारतीयता का पुट लिए एक विशिष्ट पोशाक डिजाइन करने के लिए प्राप्त की गई थी। श्री एसटरैल की इस क्षेत्र में विश्व-ख्याति होने के कारण उन्हें यह कार्य सौंपा गया था।

(ख) और (ग) : 1968 में एयर इण्डिया ने विमान परिचारिकाओं को सौन्दर्य वृद्धि में प्रशिक्षण देने के लिए पैरिस के मैसर्ज आरलेन के विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त की थीं। धन रूप में कोई भुगतान नहीं किया गया क्योंकि यह प्रबन्ध एक परिवहन सेवा समझौते के अन्तर्गत था।

एयर इण्डिया ने अपनी उड़ानों में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के भोजन की व्यवस्था करने के लिए फ्रांस तथा एक इटली के "चेफ-डी-क्वीजेन" को क्रमशः दिल्ली तथा बम्बई की उड़ान पाकशालाओं के लिए नियुक्त किया है। उनमें से प्रत्येक को प्रति मास 900 अमरीकी डालर वेतन के रूप में दिए जाते हैं। इस प्रकार के विशेषज्ञ भारत में उपलब्ध नहीं हैं।

भारतीय विश्वविद्यालयों में विदेशी छात्रों को प्रवेश देने सम्बन्धी प्रक्रिया

5144. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला : क्या शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विश्वविद्यालय में विदेशी छात्रों को प्रवेश देने सम्बन्धी प्रक्रिया इतनी कष्टकर है कि जब तक किसी छात्र को अन्तिम रूप से प्रवेश दिया जाता है, तब तक पढ़ाई काफी हो चुकी होती है ;

(ख) क्या विदेशी छात्रों द्वारा पूछे गये प्रवेश सम्बन्धी ब्यौरों को समय पर नहीं दिया जाता और इसके परिणामस्वरूप प्रवेश की सुविधाओं से छात्र वंचित रह जाते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सम्पूर्ण प्रक्रिया को सुधारने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) : जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय विश्वविद्यालयों में विदेशी छात्रों को अपेक्षित सुविधाओं का सुझाव देने सम्बन्धी समिति की नियुक्ति

5145. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दो वर्ष पूर्व भारतीय विश्वविद्यालय में विदेशी छात्रों को अपेक्षित सुविधाओं के बारे में सुझाव देने के लिये एक समिति नियुक्त की थी ;

(ख) क्या दिनांक 24 जून, 1971 के स्टेट्समैन में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार समिति ने अभी तक अपना कार्य आरम्भ नहीं किया है ; और

(ग) यदि हां, तो समिति की निष्क्रियता के क्या कारण हैं और उस समिति पर अब तक कितना धन खर्च हो चुका है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी नहीं, फिर भी भारत में विदेशी छात्रों के कल्याण के लिए एक सलाहकार समिति, जिसे जनवरी, 1967 में शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय द्वारा स्थापित किया गया था, कार्य कर रही है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

संघ राज्य क्षेत्रों में पर्यटन सम्बर्धन पर किया गया व्यय

5146. **श्री इराजमु द सकैरा :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र में सरकार द्वारा पर्यटन सम्बर्धन पर केन्द्रीय निधि से कितनी व्यय किया गया ; और

(ख) उक्त अवधि में प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र में पर्यटन सम्बर्धन के लिए भारतीय पर्यटन विकास निगम ने कितना व्यय किया ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : पर्यटन विभाग तथा भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा देश एवं विदेश दोनों में पर्यटन के प्रोत्साहन के लिये आयोजित अभियान समेकित आधार पर किया जाता है तथा उसका उद्देश्य भारत को महान पर्यटकीय आकर्षणों के देश के रूप में अभिचित्रित करना होता है। इस सम्बन्ध में होने वाले व्यय के आंकड़े प्रदेश अथवा राज्यवार दे सकना सम्भव नहीं है।

रेलवे सुरक्षा आयोग में भरे गए पद

5147. **श्री इराज्मु द सकैरा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या रेलवे सुरक्षा आयोग में कोई पद अनुसंधान, डिजाइन तथा मानक संस्थान के अधिकारियों में से भरे गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो आयोग में पदों की कुल संख्या क्या है तथा कितने पदों पर ये व्यक्ति रखे गये हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : रेल सुरक्षा आयोग में श्रेणी 1 के 9 पद हैं। इनमें से कोई भी पद रेल मन्त्रालय के अनुसंधान, डिजाइन तथा मानक संस्थान के किसी भी अधिकारी द्वारा नहीं भरा गया, क्योंकि उस संस्थान के किसी भी उपयुक्त अधिकारी ने रेल सुरक्षा आयोग में सेवा के लिये आवेदन-पत्र नहीं दिया था।

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां

5148. **श्री चन्द्रपाल शैलानी** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों से सम्बन्धित विद्यार्थियों को मैंट्रि-कोत्तर छात्रवृत्तियों के वितरण हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को वर्ष 1971-72 में कितना अनुदान दिया गया ; और

(ख) विभिन्न वर्गों के मैट्रिकोत्तर विद्यार्थियों के लिए प्रति छात्र कितनी राशि निर्धारित की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी): (क) :

	रुपये
अनुसूचित जातियां	90.40 लाख
अनुसूचित जन-जातियां	0.45 लाख

यह राशि राज्य सरकार द्वारा दिये गये वचन से अधिक है।

(ख) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के विद्यार्थियों को 27 रुपये प्रति मास से लेंकर 112.50 रुपये प्रतिमास रखरखाव भत्ता दिया जाता है जो अध्ययन के पाठ्यक्रम पर निर्भर करता है। और इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि क्या कोई उम्मीदवार होस्टल में रहता है या केवल 'डे स्कालर' है। उन्हें वापिस न लौटाये जाने वाले अनिवार्य शुल्क और अनुमोदित अध्ययन दौरे का खर्च और शोध ग्रन्थ को टाइप/मुद्रण व्यय भी दिया जाता है

(देखिये विवरण)।

विवरण

रखरखाव प्रभार

अध्ययन के पाठ्यक्रम	सराहनीय विद्यार्थियों के लिये *		अन्य विद्यार्थियों के लिये**	
	होस्टल में रहने वालों के लिये मासिक दरें	दिन के समय अध्ययन करने वालों के लिये मासिक दरें	होस्टल में रहने वालों के लिये मासिक दरें	दिन के समय अध्ययन करने वालों के लिये मासिक दरें
1	2	3	4	5
	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
प्रैपरेटरी/प्री-यूनीवर्सिटी, आई० एस-सी०, आई० ए०, आई० (काम०), आई० एस-सी० (एग्रीकल्चर), बी० काम०, कारस्पांडिग ओरियेंटल लेंगुएज, फाइन आर्टस कोर्स	60	40.50	40	27
बी० एस-सी०, बी० ए०, एम० ए०, एम० काम०, एल-एल० बी०, एल-एल० एम० और आनर्स कोर्स में तीसरे वर्ष की कक्षा, कारसपांडिग ओरियंटल लेंगुएज/फाइन आर्टस कोर्स	75	52.50	50	35

*सराहनीय विद्यार्थियों का अर्थ है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के वे विद्यार्थी जार मैट्रिक/ हायर सेकेंडरी/इण्टरमीडियेट/विश्वविद्यालय की अन्तिम परीक्षा में डिवीजन I प्राप्त करे (अथवा कम से कम कुल अंकों में से 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करें। जहां कोई डिवीजन नहीं बताई जाती या इस प्रकार की ग्रेडिंग की जाती है जहां ग्रेडिंग की कोई और व्यवस्था प्रचलित है)

**अन्य विद्यार्थियों से अभिप्राय है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के विद्यार्थी जो अपनी मैट्रिक/हायर सेकेण्डरी/इन्टरमीडिएट/विश्वविद्यालय की अन्तिम परीक्षा में डिवीजन I प्राप्त न करें (अथवा कम से कम कुल अंकों में से 60 प्रतिशत अंक प्राप्त न करें। जहां कोई डिवीजन नहीं बताई जाती अथवा इसी प्रकार की ग्रेडिंग की जाती है जहां ग्रेडिंग की कोई और व्यवस्था प्रचलित है।)

1	2	3	4	5
डी० एस-सी०, डी० लिट०, पी-एच० डी०	90	67.50	60	45
डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्सेस इन एग्रीकल्चर, वेटरिनरी साइंस, हाइजिन एण्ड पब्लिक हेल्थ कोर्सेस, सेनिटरी इन्स्पेक्टर्स कोर्सेस, प्री-इंजीनियरिंग, प्री-मेडिकल कोर्सेस, सब-आफिसर्स कोर्सेस, नेशनल फाइर सर्विस कालेज, नागपुर	60	40.50	40	27
डिप्लोमा एण्ड डिग्री कोर्सेस इन इण्डियन मेडिसिन	60	40.50	40	27
टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड फिजीकल एजुकेशन				
(क) अन्डर ग्रेजूएट कोर्सेस	60	40.50	40	26
(ख) पोस्ट ग्रेजूएट कोर्सेस	75	52.50	50	35
बी० एस-सी० (एग्रीकल्चर) बी० वी० एस-सी०, डिप्लोमा कोर्सेस इन रूरल सर्विस, सिविल एण्ड रूरल इंजीनियरिंग	75	52.50	50	35
पोस्टग्रेजूएट कोर्सेस इन एग्रीकल्चर, पोस्ट डिप्लोमा कोर्सेस इन को आपरेशन/कम्युनिटी डेवेलपमेंट	90	67.50	60	45
बेचुलर आफ नर्सिंग एण्ड बेचुलर आफ फार्मेसी	97.50	75	65	50
डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्सेस इन इंजीनियरिंग, टेक्नालोजी, आर्चीटेक्चर, मेडीसिन एण्ड कोर्सेस फार ओवरसियर्स, ड्राफ्ट्समन, सर्वेयर, इलेक्ट्रीशियन, टूल मेकर एण्ड वायरलैस ओपरेटर	97.50	75	65	50

1	2	3	4	5
डिग्री कोर्सेस इन इंजीनियरिंग टेक्नालोजी, आर्चीटेक्चर, मेडीसिन एण्ड बी० ए० एम० एण्ड एस० अथवा इसी प्रकार के अन्य पाठ्य-क्रम, मास्टर आफ फार्मेसी	112.50	90	75	60
व्यापार पाठ्यक्रम, उदाहरणार्थ टेलीग्राफी, बुक-कीपिंग, शार्टहैंड, टाइपराइटिंग, टैनिंग एण्ड लैदर गुड्स मैन्यूफैक्चर आदि	20 रुपये प्रतिमास (शुल्क सहित) की दर से तदर्थ वित्तीय सहायता ।			

शुल्क : पाठकों को एनरोलमेंट/रजिस्ट्रेशन, टयूशन, खेल, यूनियन, ग्रन्थालय, पत्र-पत्रिका, मेडिकल, परीक्षा तथा अन्य प्रकार की अनिवार्य रूप से इन्स्टीच्यूशन, यूनिवर्सिटी, बोर्ड को देय शुल्क का भुगतान किया जायेगा । इसमें अवधान धन (काशन मनी), प्रतिभूति जैसी वापिस लौटाई जाने वाली राशि सम्मिलित नहीं की जायेगी ।

अध्ययन यात्रा : अध्ययन सम्बन्धी यात्रा के लिये वर्ष में अधिकतम 100 रुपये व्यवसायिक पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने वाले पाठकों को दिये जायेंगे जो विद्यार्थियों द्वारा गाड़ी/बस के किराये, टांगों के किराये आदि पर वास्तव में खर्च किये जायेंगे बशर्ते कि इन्स्टीच्यूशत का अध्यक्ष प्रमाणित करें कि पाठ्यक्रम का अध्ययन पूरा करने के लिये पाठक के लिये अध्ययन यात्रा करना अनिवार्य है ।

शोध टाइपिंग/मुद्रण प्रभार : इन्स्टीच्यूट के अध्यक्ष की सिफारिश पर अनुसन्धानकर्ता पाठक को शोध टाइपिंग/मुद्रण प्रभार के रूप में अधिकतम 100 रुपये की राशि दी जायेगी ।

तमिलनाडु में कांचीपुरम को पर्यटन केन्द्र घोषित करने का प्रस्ताव

5149. **श्री सी० चित्तिबाबू :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या सरकार का विचार तमिलनाडु में कांचीपुरम को एक पर्यटन केन्द्र घोषित करने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : कांचीपुरम देशीय पर्यटकों को पहले ही काफी अधिक संख्या में आकृष्ट कर रहा है, अतः सरकार द्वारा इस प्रकार की किसी औपचारिक घोषणा करने की आवश्यकता नहीं हैं ।

महाबलीपुरम में ध्वनि तथा प्रकाश प्रदर्शन के लिए स्वीकृत धनराशि

5150. **श्री सी० चित्तिबाबू :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तमिलनाडु में महाबलीपुरम स्थान पर ध्वनि तथा प्रकाश प्रदर्शन के लिए केन्द्रीय सरकार ने कितनी धन-राशि मंजूर की है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : प्राक्कलन अभी प्राप्त होने हैं, जिनकी प्राप्ति पर आवश्यक वित्तीय मंजूरियां प्रदान की जायेंगी ।

मद्रास पत्तन पर तेल जेटी का डिजाइन और उसके प्राक्कलन

5151. **श्री एस० राधाकृष्णन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास पत्तन पर एक सर्वऋतु तेल जेटी के लिये कितनी फर्मों ने अपने डिजाइन और प्राक्कलन प्रस्तुत किये हैं ;

(ख) डिजाइन तथा प्राक्कलन के चयन और अनुमोदन के लिये अपनायी गई प्रक्रिया क्या हैं ;

(ग) इस सम्बन्ध में प्राप्त प्राक्कलन और डिजाइनों की विशेषतायें क्या हैं ; और

(घ) क्या वित्तीय मंजूरी सम्बन्धित तकनीकी प्राधिकारी के प्रतिवेदत पर दी गई थी ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) : मैसर्स रैन्डल, पामर एण्ड ट्रिटन, जो परामर्शदात्री इंजीनियरों की एक फर्म में, सं 1964 तथा 1965 में परियोजना पर एक प्रारम्भिक रिपोर्ट तथा प्रस्तावों की रूप रेखा प्राप्त करने के सिवा, मूल परियोजना रिपोर्ट जिसमें तेल गोदी का डिजाइन भी शामिल है तथा अनुमान पूर्णतया पत्तन न्यास द्वारा स्वयं तैयार किये गये थे । इनमें बाद में पत्तन न्यास द्वारा नियुक्त उच्चस्तरीय तकनीकी समिति के सलाह से पत्तन न्यास ने भारत सरकार से परामर्श करके संशोधन किया ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

मद्रास पत्तन पर तेल जेटी का निर्माण

5152. **श्री एस० राधाकृष्णन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास पत्तन पर एक तेल जेटी का निर्माण के लिये कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ;

(ख) सरकार ने किस तारीख से यह मंजूर की है ;

(ग) निर्माण कार्य किस तिथि को आरम्भ हुआ ; और

(घ) परियोजना के किस तिथि तक पूरा हो जाने की आशा है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) : संभवतः हवाला तेल गोदी परियोजना से है जिसका तेल घाट एक भाग है । तेल गोदी परियोजना के निर्माण की संशोधित लागत जो अभी सरकार से मंजूर करनी है का अनुमान 23.20 करोड़ रुपये का है जब कि जनवरी 1969 में 9.06 करोड़ रुपये का अनुदान मंजूर किया गया था ।

(ग) तेल गोदी पर कार्य 1966 में शुरू किया गया।

(घ) तेल घाट जो तेल गोदी का एक भाग है की 1972 के आरम्भ में पूरे होने की संभावना है जबकि तेल गोदी का शेष भाग की सितम्बर 1972 तक पूरे होने की संभावना है।

जाली मुद्रा नोटों के सम्बन्ध में फादर जार्ज सी० पैकाडु की गिरफ्तारी

5153. **श्री पी० गंगा रेड्डी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि केरल के कोट्टायम जिले में चिरकाडु के फादर जार्ज सी० पैकाडु नामक एक पादरी को जाली मुद्रा-नोटों के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है ;

(ख) क्या इस सिलसिले में आन्ध्र प्रदेश से दस अन्य व्यक्ति भी गिरफ्तार किये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) : सम्बन्धित राज्य सरकारों से सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायगी।

केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम में वेतनमान

5154. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व आर० एस० एन० आई० जी० एन० और रेलवे कम्पनी लि० कम्पनियों के कार्य को अपने हाथ में लेकर सरकार ने आसाम प्रदेश में केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम (केन्द्रीय सरकार का एक उपक्रम) स्थापित किया था ; और

(ख) यदि हां, तो इन कम्पनियों को अधिकार में लेने से पूर्व इनमें विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के क्या वेतनमान थे और निगम में अब क्या वेतनमान दिये जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम जो फरवरी 1967 में बनाई गई थी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित प्रबन्ध की योजना के अनुशरण में मई 1967 में रिवर्स स्टीम नेवीगेशन कम्पनी लिमिटेड के कार्य को अपने हाथ में लिया।

(ख) रिवर्स स्टीम नेवीगेशन कम्पनी के कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों के वेतनमानों और केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम के वेतनमानों को सूचित करने वाला विवरण संलग्न है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-683/71]

शैक्षिक तथा समाज कल्याण क्षेत्र में कार्य कर रही अमरीकी संस्थाएं

5155. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में शैक्षिक और समाज कल्याण क्षेत्र में कार्य कर रही अमरीकी संस्थाओं की संख्या कितनी है ; और

(ख) क्या सरकार ने उनकी कार्यवाहियों पर नियन्त्रण रखने के लिए कोई उपाय किया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 9 अमेरीकन फाउनडेशन्ज अनुदान और अधिछात्रवृत्तियों के रूप में वित्तीय सहायता दे रहे हैं।

(ख) भारत सरकार की स्वीकृति से ही इन फाउंडेशन्ज (संस्थानों) द्वारा सहायता दी जाती है।

मूर्ति चोरों का अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह

5156. **श्री बीरेन्द्र सिंह राव :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिनांक 30 जून, 1971 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित इस समाचार को देखा है, जिसमें कहा गया है कि आजकल एक अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह जम्मू के पहाड़ी इलाकों में विभिन्न मंदिरों और पवित्र उपासना-स्थलों से बहुमूल्य मूर्तियों को चुराने में कार्यरत हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो शिमला तथा जम्मू और काश्मीर के विभिन्न पर्वतीय क्षेत्रों में से पिछले एक वर्ष से कितनी मूर्तियां चुराई गई हैं ; और

(ग) इस आतंक को रोकने के लिए सरकार ने कौन से कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) : जी, हां। भरदेरवाह स्थित लक्ष्मीनारायण और गुप्त गंगा मंदिर, जहां से चार मूर्तियां चुराए जाने की रिपोर्ट मिली है, केन्द्रीय संरक्षित स्मारक नहीं है। पिछले एक वर्ष के दौरान जम्मू और काश्मीर राज्य के पहाड़ी इलाकों के किसी भी केन्द्रीय संरक्षित स्मारक, स्थल और संग्रहालय से किसी कला वस्तु की चोरी नहीं हुई है। हिमाचल प्रदेश के केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों/स्थलों से 1968 से लेकर अब तक की अवधि में केवल एक ही चोरी की रिपोर्ट मिली थी।

(ग) स्मारकों / संग्रहालयों से चोरी रोकने के लिए किए गए अथवा किए जाने वाले उपाय तथा पुरावस्तुओं के अवैध निर्यात को रोकने के उपायों का वर्णन लोक सभा में 11-6-1971 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1989 के भाग (ख), (ग) और (घ) में किया जा चुका है।

इंडियन एयरलाइन्स के मार्गों पर चलाये जाने के लिए अधिक क्षमता वाले एयर बस किस्म के वायुयान खरीदने का प्रस्ताव

5157. **श्री बीरेन्द्र सिंह राव :**
श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिक क्षमता वाले एयर बस किस्म के वायुयान खरीदने तथा उसे इण्डियन एयरलाइन्स के प्रमुख मार्गों पर चलाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या उक्त किस्म के वायुयानों को खरीदने के बारे में सरकार कुछ विदेशी फर्मों से बातचीत कर रही है ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में अब तक किसी फर्म के साथ कोई करार हुआ है ; और यदि हाँ, तो करार की शर्तें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : जी, नहीं । तथापि इण्डियन एयरलाइन्स का प्रबन्धकवर्ग वर्तमान दर्शक में अपने विमान बेड़े सम्बन्धी आवश्यकताओं का अध्ययन कर रहा है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

नागर विमानन विभाग में असिस्टेंट एयरोड्रोम आफिसर्स की कमी

5158. **श्री चन्द्रपाल शैलानी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागर विमानन विभाग में असिस्टेंट एयरड्रोम आफिसर्स की भारी कमी है और यदि हां, तो इन पदों को भरने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या पिछले कुछ समय से विभागीय कोटे से भरे जाने वाले सहायक असिस्टेंट एयरोड्रोम आफिसर्स के अनेक पद रिक्त पड़े हैं और यदि हां, तो इन रिक्त पदों की संख्या क्या है तथा उन्हें न भरने के कारण क्या हैं ; और

(ग) क्या उन एयरोड्रोम असिस्टेंटों की वरिष्ठता अभी तक निर्धारित नहीं की गई है जिनकी पदोन्नति एक वर्ष से भी पूर्व की गई थी, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) 78 सहायक विमान क्षेत्र अधिकारियों की सीधी भर्ती के लिये एक मांग-पत्र 19-2-1971 को संघ लोक सेवा आयोग को भेजा गया था, जिन्होंने उक्त पदों को 8 मई, 1971 को विज्ञापित किया । आवेदन-पत्र भेजने की अन्तिम तारीख 7-6-1971 थी ।

(ख) और (ग) : सहायक विमान क्षेत्र अधिकारी का एक पद 28-11-1970 से तथा 13 पद 10-3-1971 से विभागीय पदोन्नति द्वारा भरे जाने के लिये उपलब्ध हैं। इन रिक्तियों को अभी तक नहीं भरा जा सका क्योंकि विमान क्षेत्र सहायकों का एक नया ग्रेड बनाया गया है तथा सहायक विमान क्षेत्र अधिकारियों के पदों को भरने के लिये भर्ती, नियमों में संशोधन करना पड़ा है ताकि विमानक्षेत्र सहायक भी सहायक विमानक्षेत्र अधिकारियों के ग्रेड में पदोन्नति के पात्र हो सकें। प्रवरता व योग्यता तथा सीमित अर्हक परीक्षा इन दोनों ही आधारों पर प्रथमतः विमानक्षेत्र आपरेटरों के ग्रेड से नियुक्त किये गये विमानक्षेत्र सहायकों की प्रवरता का भी निर्णय करना था। इस मामले को संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से जांच कर ली गयी है तथा प्रवरता को अब अन्तिम रूप दे दिया गया है।

Filling up of Post of Director, Central Hindi Directorate

5159. **Shri Pratap Singh Negi :** Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether the post of the Director of the Central Hindi Directorate can be filled up on regular basis through U. P. S. C. only ; and

(b) if so, the steps taken during the last one and a half years to fill up this vacant post on regular basis ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) and (b) : The previous Director retired on 23.2.1970. As there was a proposal under consideration for reconstitution of the Central Hindi Directorate and the Commission for Scientific and Technical Terminology, it was not considered advisable to fill up the post on a long term basis immediately. The post was, therefore, filled up on *ad hoc* basis by posting a permanent Deputy Secretary of the Ministry as Director. He retired from service on 2nd October, 1970. Thereafter, Dr. Gopal Sharma, General Editor of the Central Hindi Directorate, was appointed on *ad hoc* basis until further orders as Director. Mean while it was decided to constitute a Committee with Dr. D. S. Kothari, Chairman of the University Grants Commission, as Chairman and two other members to recommend suitable names to the Union Public Service Commission for the post of Director. The Committee met first on 8th November, 1970 and had two further sittings, and ultimately recommended a panel of 3 names. The first on the list, Dr. Nagendra, Head of the Hindi Department of Delhi University, was recommended to the Union Public Service Commission. The Union Public Service Commission, however, advised that the post of Director, Central Hindi Directorate should be filled by the method of competitive selection. They accordingly advised that for this purpose a requisition should be sent to them. Accordingly, a requisition was sent on the 13th May, 1971.

उड़ीसा में होटल-विकास-ऋण योजना के अन्तर्गत दिये गये ऋण

5160. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होटल विकास ऋण योजना के अन्तर्गत, उड़ीसा में किसी व्यक्ति या पार्टी को कोई ऋण दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन व्यक्तियों या पार्टियों के नाम क्या हैं और उड़ीसा में अब तक कितना ऋण दिया गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) उड़ीसा की किसी पार्टी से ऋण के लिये कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) : प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में राष्ट्रीयकृत बैंकों को ऋण देने के बारे में मिले आवेदन पत्र

5161. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में राष्ट्रीयकृत बैंकों को लघु उद्योग, खाद बीज आदि, सिंचाई कार्य, खेती तथा फसल के लिए ऋण देने के संबंध में अब तक कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ;

(ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कितने व्यक्तियों को ऋण दिया गया और अब तक कुल कितनी धन-राशि ऋण के रूप में दी जा चुकी है ; और

(ग) इन बैंकों के पास पड़े शेष आवेदन पत्रों पर क्या कार्रवाई की जा रही है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) (क) से (ग) : माननीय सदस्य ने जिस रूप में सूचना मांगी है, बैंक उस रूप में सूचना नहीं रखते। तथापि, उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा स्वीकृत ऋणों की संख्या और बकाया रकम के दिसम्बर 1970 के अन्त तक के आंकड़े इस प्रकार है :—

	एककों/ खातों की संख्या	बकाया रकम (लाख रुपये में)
लघु उद्योग	243	113.70
कृषि	1095	18.86

राष्ट्रीयकरण के बाद से राष्ट्रीयकृत बैंकों ने लघु उद्योग और कृषि जैसे अब तक उपेक्षित रहे क्षेत्रों के प्रति उदार ऋण नीति अपनायी है। बैंक सभी आवेदन पत्रों पर गुणावगुणों के आधार पर विचार करते हैं, बशर्ते कि संचालन की दृष्टि से योजनाएं सक्षम हों। यदि विलम्ब की कोई विशेष शिकायतें प्राप्त होती हैं तो बैंक को मामले की जांच करने के लिए कहा जाता है।

केन्द्रीय क्षेत्र सड़क परियोजनाओं के लिये उड़ीसा को आवंटित राशि

5162. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969-70, 1970-71 और 1971-72 के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र सड़क परियोजनाओं के लिये उड़ीसा को कितनी धनराशि आवंटित की गई और उक्त अवधि के दौरान, वर्षवार, कितनी राशि व्यय की गई ;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने राज्य लोक निर्माण विभागों के सचिवों तथा मुख्य अभियंताओं की हुई बैठक में की गई सिफारिशों में से किसी सिफारिश को क्रियान्वित किया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) उड़ीसा में इन तीन वर्षों के दौरान कौन सी केन्द्रीय क्षेत्र सड़क परियोजनाएं क्रियान्वित की गई ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क)

वर्ष	आवंटित धनराशि (रुपये लाखों में)	वर्ष के दौरान किया गया व्यय
1969-70	43.26	42.59
1970-71	114.16	102.87
1971-72	39.74 (अप्रैल जुलाई 1971 की अवधि में व्यय के लिए "वोट आन एकाउन्ट" में से)	इस वर्ष की व्यय राशियां वित्तीय वर्ष के समाप्त होने पर ही उपलब्ध होगी।

(ख) और (ग) : राज्य लोक निर्माण विभाग के सचिवों और मुख्य इंजीनियरों की बैठक दिल्ली में 5 से 7 जून 1971 तक हुई और उसके संक्षिप्त अभिलेख का प्रारूप हाल ही में राज्य सरकारों को भेजा गया है।

(घ) चौथी योजना से पूर्वावधि से बाकी बचे हुये आगे लाये गये निर्माण कार्यों को जारी रखने के अलावा अब तक चौथी योजना में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए 345.11 लाख रुपये अनुमानित लागत के नये निर्माण कार्य मंजूर किये गये हैं, जो प्रगति की विभिन्न अवस्थाओं में है।

चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान केरल में पर्यटन का विकास

5163. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :**
श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं और चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य सरकार को दी जाने वाली प्रस्तावित राशि कितनी है ;

(ग) क्या केरल सरकार ने इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार से कोई सहायता मांगी है ; और

(घ) यदि हां, तो माँगी गई धनराशि तथा केन्द्र द्वारा स्वीकृत राशि कितनी है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (घ) : चौथी योजना के दौरान केरल सरकार द्वारा हाथ में ली जाने वाली प्रस्तावित पर्यटन स्कीमों को दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है। इनकी वित्तीय व्यवस्था पूर्ण रूप से राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।

केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत, निम्नलिखित स्कीमों को सम्मिलित किया गया है :—

1. कोवालम समुद्र तटीय बिहार-स्थल का विकास—प्रस्तावित परिव्यय 221.58 लाख रुपये, जिसमें से 86.58 लाख रुपये पर्यटन विभाग द्वारा तथा 135.00 लाख रुपये भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा।

2. त्रिवेन्द्रम के युवा होस्टल—अनुमानित लागत लगभग 3 लाख रुपये।

3. मेरियार वन्य पशु शरण-स्थान में सुविधाओं का विकास—धन का विनियतन अभी किया जाना है।

विवरण

केरल सरकार की चौथी योजना की स्कीमों का विवरण

	(लाख रुपयो में)
1. मालमपूजा में आवास	2.75
2. बेक्कल का विकास	1.75
3. पेरियार वन्य पशु शरण-स्थान का विकास	7.50
4. पर्यटन सम्बन्धी प्रचार	2.00
5. कुमारकोम का विकास	1.00
6. थिरुमुल्लावरम् का विकास	3.75
7. कोवालम का विकास तथा जल प्रदाय स्कीम	5.00*
8. केरल पर्यटन निगम	5.00
9. कर्मचारी-वर्ग का प्रशिक्षण	0.50
10. पालारुवी का विकास	7.50
11. पोनमुड़ी का विकास	5.00
12. एझुमलाई का विकास	3.75
13. कप्पाड़ का विकास	2.50
14. पेरियार में एक फ्लोटिंग जेटी का निर्माण	2.00
कुल :	50.00

*परिव्यय को बढ़ा कर अब 11.30 लाख रुपये किया गया है जिसकी कि योजना परिव्यय में ही पुनः समंजन द्वारा व्यवस्था की जायेगी।

कम लाभप्रद नौवहन मार्गों पर सेवाएं चलाने के लिये राष्ट्रीय जहाजरानी कंपनियों को प्रोत्साहन

5164. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जहाज मालिक परिषद् ने जहाजरानी बोर्ड से कहा है कि वह जहाजरानी सेवा में कमी को पूरा करने के लिये राष्ट्रीय जहाजरानी कंपनियों को प्रोत्साहन दे और केवल उन जहाजरानी कंपनियों को, जो कम लाभप्रद मार्गों पर जहाज चलती है, जहाजरानी विकास निधि से वित्तीय सहायता देने में प्राथमिकता दे, और

(ख) यदि हां, तो इसका विदेशों में भारतीय वस्तुओं की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) : जी, हां। दिसम्बर, 1970 में अखिल भारतीय पोत वाणिक परिषद् ने भारत के समुद्रपार व्यापार के लिए नौवहन सेवाओं की पर्याप्ता पर एक नोट प्रस्तुत किया था। साथ ही यह सुझाव दिया गया था कि राष्ट्रीय नौवहन कंपनियों का नौवहन सेवाओं में कमी पूरी करने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए तथा उन कंपनियों को, जो कम लाभप्रद मार्गों पर जहाज चलाती हैं, विकास निधि से वित्तीय सहायता देने के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए। चूंकि विकासशील देशों का अतिरिक्त नौवहन सेवाओं का प्रश्न पहले ही राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड की उप-समिति के विचाराधीन है। अतः उपरोक्त प्रस्ताव भी उप-समिति की जांच करके उस पर रिपोर्ट देने के लिए भेज दिया गया है। उप-समिति प्रश्न के भाग (ख) में उल्लिखित पहलुओं पर भी विचार करेगी।

सरकारी कर्मचारियों को अर्जित छुट्टी के स्थान पर अवकाश वेतन की अदायगी

5165. **श्री अमरनाथ चावला :**
श्री के० एम० मधुकर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों को अर्जित छुट्टी के स्थान पर वेतन देने की कोई योजना काफी समय से सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में कब तक अन्तिम निर्णय लिये जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां। श्री विद्याधर वाजपेयी द्वारा 11 दिसम्बर 1970 को पूछे गये अतारांतिक प्रश्न सं० 4316 के उत्तर की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

(ख) इस मामले पर अब तृतीय वेतन आयोग विचार कर रहा है। आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ, इस विषय पर भी अपनी प्रश्नावली में टिप्पणियां मांगी हैं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

तोड़फोड़ करने वाले पाकिस्तानियों द्वारा पूर्व रेलवे की रेलवे लाइन उड़ा दिये जाने का समाचार

श्री त्रिदिब चौधरी (बहरामपुर) : मैं रेल मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें।

तोड़फोड़ करने वाले पाकिस्तानियों द्वारा बिछाई गई विस्फोटक सुरंगों से पूर्व रेलवे के सियालदह डिवीजन में मझदिया और बनपुर के बीच रेलवे लाइन उड़ा दिये जाने का समाचार।

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया): 13-7-1971 को 5·55 बजे प्रात : जब 730-अप इंजन और केवल ब्रेक-वान किलोमीटर पोस्ट सं० 108/6 पार करके बनपुर की ओर जा रही थी तो गार्ड ने अपने पीछे एक विस्फोट सुना। उसने इसकी सूचना सहायक स्टेशन मास्टर को दी और फिर घटना स्थल पर पहुंचा। फिर उसने फायरमैन को वहां आने वाली प्रत्येक गाड़ी को रोककर स्थिति बताने के लिए नियुक्त किया और बनपुर आकर स्टेशन मास्टर को घटना का पूरा ब्यौरा दिया।

2. घटना स्थल अप मुख्य लाइन पर मझदिया और बनपुर के बीच किलोमीटर पोस्ट सं० 108/6 है जो चांगखली सीमा से एक मील अन्दर है।

3. सीमा सुरक्षा दल भी वहां पहुंचा और उखड़ी पटरी के बराबर बिना विस्फोट हुई एक बारूदी सुरंग बरामद की। सैनिक प्रतिनिधि ने आकर आदेश दिया कि विशेषज्ञ के आने तक कोई गाड़ी इस मार्ग पर न चले। विशेषज्ञ एक घंटे के अन्दर वहां पहुंच गया और छानबीन के लिए बारूदी सुरंग ले ली।

4. रेल-अधिकारी वहां 10·35 पर पहुंच गए और एक घंटे में रेल मार्ग की मरम्मत कर दी।

5. राज्य रेलवे पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और छान-बीन हो रही है।

6. कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

श्री त्रिदिब चौधरी : क्योंकि घटना रेल से संबंधित है, इसलिए यह सूचना संबोधित की गई है। वर्ना मामला हमारे सीमान्त क्षेत्रों की सुरक्षा का है। जो जानकारी दी गई है वह भी अस्पष्ट है। दुर्घटना का वास्तविक कारण क्या था ? विस्फोट किससे किया गया ? पत्रों में सीमान्त राज्यों में तोड़-फोड़ के षडयंत्रों के बुरे-बुरे समाचार आ रहे हैं और हमें इस पर गहरी चिन्ता है। सेना द्वारा रेल मार्गों की सुरक्षा पहले ही किया जाना चाहिये था।

श्री हनुमन्तैया : मुझे भी उतनी ही चिन्ता है जितनी माननीय सदस्यों को है। घटना के तुरन्त पश्चात् कार्यवाही की गई। रेल-मार्गों पर गश्त की व्यवस्था की जा रही है। ऐसी घटनाओं के स्थल और समय का पुर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। फिर भी हर संभव कदम उठाया जा रहा है।

श्री त्रिदिब चौधरी : क्या उक्त सुरंग के मार्के आदि से पता चला कि यह किस देश की बनी थी ?

श्री हनुमंतैया : छानबीन हो रही है। ठीक पता कुछ दिनों में चलेगा।

श्री प्रभुदास पटेल (उभोई) : समाचारों से स्पष्ट है कि हमारी सीमाओं पर सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि इस दिशा में क्या किया गया है।

श्री हनुमंतैया : इसका उत्तर मैं श्री त्रिदिब चौधरी के प्रश्न पर दे चुका हूं।

डा० रानेन सेन (बारासत) : कलकत्ता के समाचारपत्रों में कई दिनों से पाक एजेंटों द्वारा ध्वंसक कार्यों की आशंका के समाचार आ रहे हैं। इस संदर्भ में इस प्रश्न का उत्तर गृह या रक्षा मंत्री को देना चाहिए था। जहां पाकिस्तान की ओर से सीमान्त राज्यों में हमारी समस्त रेल-व्यवस्था ठप्प करने और पुल आदि उड़ाने के योजनाबद्ध प्रयास किए जा रहे हैं, वहां अमृत बाजार पत्रिका के अनुसार श्री पी० के० बसु, पुलिस के महानिरीक्षक ने बहुत गैर-जिम्मेदाराना वक्तव्य दे डाला है जिससे सरकार की उपेक्षा स्पष्ट है। लगता है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में पाक एजेंट निर्बाध दनदनाते फिर रहे हैं और मनमानी कार्यवाहियां कर रहे हैं। यह स्थिति असंतोषजनक होने के साथ ही गंभीर चिन्ताजनक है। हमें अपनी ओर से अधिक जागरूक बनकर तुरन्त आवश्यक रक्षात्मक कार्यवाही करनी होगी।

श्री हनुमंतैया : सुझावों के लिए मैं उनका आभारी हूं। यहां मैं रेलवे के लिए उत्तरदायी हूं, और मेरा भी यही विश्वास है कि सिविल कार्यवाही के साथ-साथ सैनिक सहयोग भी अत्यावश्यक है। जैसा मैं पहले ही बता चुका हूं शीघ्र ही सेना द्वारा गश्त आरंभ हो जायेगी।

Shri Bharat Singh Chauhan (Dhar) : It is regrettable to note that although Pakistan has stated the same sort of sabotage activities in border States as she did in 1965 in Jammu and Kashmir yet Government's indifference towards the gravity of the situation continues. So much so that road-links have not so far been well-established.

In a resolution passed by the Bharatiya Jana Sangh four years back, it was urged that in order to lay a net-work of roads and rails in sensitive border areas, an Administrative Council be set up. Government contemplate to do so now after much a do. I want to know the names of those responsible for this incident and whether they have been apprehended ?

श्री हनुमंतैया : माननीय सदस्य ने सामान्य प्रकार की टिप्पणियां की हैं, परन्तु देशभक्ति के नाते सरकार और विपक्षी दल इस समस्या पर अपना सहयोग दे रहे हैं। हां, जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा राज्यों को गांव-स्तर पर हिदायतें भेज दी गई हैं।

श्री अर्जुन सेठी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने किसी ऐसे यंत्र के बारे में सोचा है जो ऐसी दुर्घनाओं की पूर्व सूचना दे सके ?

श्री हनुमंतैया : इस संबंध में मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से बातचीत करना चाहूंगा।

तमिलनाडु विधान सभा के अध्यक्ष के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

RE. QUESTION OF PRIVILEGE AGAINST THE SPEAKER OF TAMIL NADU ASSEMBLY

श्री एस० एम० कृष्ण (मांडया) : मैं तमिलनाडु विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा 13 तारीख की इस सभा की कार्यवाही में अनावश्यक हस्तक्षेप के सिलसिले में उनके विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की अनुमति चाहता हूं।

श्री त्रिदिब चौधरी (बहरामपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। तमिलनाडु विधान सभा के अध्यक्ष ने विधान सभा में कहा है कि वह इस सिलसिले में आपको लिख रहे हैं। अतः क्या इस प्रश्न को इसी समय उठाना ठीक होगा ?

श्री विक्रम चन्द महाजन (कांगड़ा) : किसी विधान सभा को संसद में किसी संसद सदस्य के बोलने के अधिकार को चुनौती देने का हक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अभी तक इस प्रस्ताव के लिए अनुमति नहीं दी है।

श्री एस० एम० कृष्ण : यह मैं जानता हूं। मैं केवल यही बताना चाहता हूं कि विधान सभा के अध्यक्ष ने श्री शिवप्पा के केवल एक वाक्य पर ही आपत्ति की है और निर्णय दे दिया है कि प्रथम-दृष्टया यह विधान सभा के विशेषाधिकार भंग का प्रश्न है।

श्री शिवप्पा ने अपने भाषण में केवल तमिलनाडु सरकार का जिक्र किया था न कि तमिलनाडु विधान सभा का। सरकार और विधान सभा को कभी भी एक नहीं माना जा सकता। संविधान के अन्तर्गत एक संसद सदस्य के नाते हमें अपने कार्य करने का अधिकार है तथा इस संबंध में हमें कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं और उनकी रक्षा करना तथा हमें अपनी सीमा से बाहर जाने से रोकना आपका कर्तव्य है। अतः आप जो भी निर्देश इस सम्बन्ध में देंगे मुझे मान्य होगा।

Shri N. N. Pandey (Gorakhpur) : Shri Shivappa in his speech did not cast any aspertion on Tamil Nadu Legislature. Both the words used by the hon. Member were not derogatory in any way and if they are, they could be expunged from the debate.

Now according to Parliament of India joint Convention there is no other way for you except to take action against the Member whose case the Speaker of a Legislation has sent to you for action after establishing *prima facie* case.

This incident has made it difficult for the Members to act impartially.

श्री बयालार रवि (चिरयंकील) : मैं श्री कृष्ण से सहमत हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि आप विशेषाधिकार के प्रश्न को उठाने की तथा स्वीकृत करने की अनुमति दें।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : तमिलनाडु विधान सभा में कही गई कुछ बातों के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सभा में हमें तथा अध्यक्ष समेत विधान सभा के सदस्यों को भी कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं। हमारी स्थिति सर्वोच्च और प्रभुसत्ता सम्पन्न है पर राज्यों में भी स्वायत्तता है और वे हमारी आलोचना कर सकते हैं, पर संसदीय कार्यों के लिये नहीं।

तमिलनाडु सरकार ने विधान सभा के अध्यक्ष और आपको लिखा है। हमें राज्य और केन्द्र में तनाव नहीं बढ़ाना चाहिये। यह अच्छी बात नहीं है। हम जो कुछ भी यहां कहें उसके लिए हमें प्रशंसा और भर्त्सना दोनों के लिए तैयार रहना चाहिए। बाहर यदि कोई कुछ कहता है तो हम भी उसकी आलोचना यहां करते हैं। अतः सदस्य इस संबंध में भावुकता का प्रदर्शन न करें।

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ भी आपने और सबने समाचार पत्रों में इस घटना के सम्बन्ध में पढ़ा है उसके बारे में तमिलनाडु विधान सभा के अध्यक्ष ने मुझे लिखा है पर अभी तक उनका पत्र मुझें

नहीं मिला है । मुझे वास्तविकता का पता नहीं कि क्यों अध्यक्ष ने श्री शिवप्पा को कुछ विशेषाधिकारों के सम्बन्ध मे दोषी पाया । मैं पत्र की प्रतीक्षा कर रहा हूं । ऐसे अनेकों झगड़े हमारे बीच चलते रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधान सभा में भी ऐसा ही हुआ । इस सम्बन्ध में कई पूर्वोदाहरण हैं ।

इस मामले में इस सदन के एक सदस्य ने तमिलनाडु सरकार के कार्य की आलोचना की थी । पर तमिलनाडु के सदस्यों की मैसूर सरकार के प्रति अपनी शिकायतें थीं । यदि हम भी उसी तरह उनकी आलोचना करने लगेंगे तो इससे कोई हल निकलने वाला नहीं । अतः हमें इस सम्बन्ध में कुछ धैर्य से काम लेना चाहिए और तमिलनाडु विधान सभा के अध्यक्ष के पत्र की प्रतीक्षा करनी चाहिए ।

मुझे इसकी पूरी जानकारी है कि ऐसे समय में क्या कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि श्री मावलंकर के समय से मैं परिषद से सम्बन्धित रहा हूं । मैं समझता हूं कि तमिलनाडु विधान सभा के अध्यक्ष भी परिषद के पूरे रिकार्ड को देखेंगे । पत्र मिलने पर मैं उसे सभा के समक्ष रखूंगा ।

सभा के कार्य के बारे में
Re. BUSINESS OF THE HOUSE

श्री के० सूर्यनारायण (एलुरु): मैं आपसे कृषि मन्त्रालय से सम्बन्धित मांगों पर चर्चा के समय को बढ़ाने का अनुरोध करता हूं । यह एक आवश्यक विषय है ।

अध्यक्ष महोदय : हम मनमाने ढंग से समय बढ़ाते जा रहे हैं । मध्याह्न भोजन का समय भी हम ने ले लिया है । इस समय को 21 तारीख तक लेने का निर्णय किया गया था पर अब हम इस समय सत्र भर के लिए ले रहे हैं । शनिवार भी हम ले रहे हैं । क्या आप रविवार को भी लेना चाहते हैं ? हमारे सामने संविधान संशोधन विधेयक समेत अन्य बहुत से विषय विषयसूची में हैं । अतः मैं आपसे निश्चित कार्य क्रम के अनुसार चलने का अनुरोध करता हूं । इस मन्त्रालय को पहले 4 घंटे दिये गये थे फिर उसे बढ़ा कर 6 घंटे कर दिया गया । मैं आपमें से अधिक से अधिक सदस्यों को अवसर देने का प्रयत्न करूंगा, यदि आप मेरे आदेश का पालन करेंगे ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली का प्रतिवेदन

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव): मैं श्री सिद्धार्थ शंकर राय की ओर से भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली, के 1 अगस्त, 1969 से 13 मार्च, 1970 तक की अवधि के प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 675/71]**

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 986 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 29 जून, 1971 में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या ल० टी० 676/71]**

(2) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 987 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई, 1971 में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 677/71]**

कम्पनीय अधिनियम' 1956 के अन्तर्गत पत्र

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल): मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ ।

(1) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1969–70 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 678/71]**

(2) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली, का वर्ष 1969–70 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 678/71]**

लोक लेखा समिति
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

चौथा प्रतिवेदन

श्री सी० सी० देसाई (साबरकंठा): मैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के वर्ष 1966-67, 1967-68 और 1968–69 के लेखे सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के बारे में लोक लेखा समिति का चौथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

---

19 जुलाई, 1971 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के लिये सरकारी कार्य के बारे में वक्तव्य
STATEMENT Re. GOVERNMENT BUSINESS DURING THE WEEK COMMENCING FROM 19TH JULY, 1971

संसद-कार्य मंत्री (श्री राज बहादुर): मैं घोषणा करता हूं कि 19 जुलाई, 1971 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में 21 जुलाई 1971 को में वर्ष 1971-72 की अनुदानों की मांगों (सामान्य) पर मतदान होने के पश्चात् सभा में निम्नलिखित सरकारी कार्य होगा ।

(1) शेष मंत्रालयों/विभागों के सम्बन्ध में अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान।
(21-7-1971 को समाप्त होगा)।

(2) वर्ष 1971-72 के लिए गुजरात बजट पर सामान्य चर्चा।

(3) वर्ष 1971-72 के लिए अनुदानों की मांगों (गुजरात) पर चर्चा तथा मतदान।

(4) वर्ष 1971-72 के लिए मैसूर बजट पर सामान्य चर्चा।

(5) वर्ष 1971-72 के लिए अनुदानों की मांगों (मैसूर) पर चर्चा तथा मतदान।

(6) वर्ष 1971-72 के लिए पश्चिम बंगाल बजट पर सामान्य चर्चा।

(7) वर्ष 1971-72 के लिए अनुदानों की मांगों(पश्चिम बंगाल) पर चर्चा तथा मतदान।

(8) वित्त (संख्या 2) विधेयक 1971

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के कार्य संचालन सम्बन्धी कुछ पहलुओं की जांच करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति की नियुक्ति के बारे में वक्तव्य

STATEMENT Re. APPOINTMENT OF A HIGH POWER COMMITTEE TO REVIEW THE SET UP AND WORKING OF THE OIL AND NATURAL GAS COMMISSION AND TERMS OF REFERENCE

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी): पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय की अनुदानों की मांग पर विचार विमर्श के समय मैंने बताया था कि मैं तेल एवं सांस्कृतिक गैस आयोग के गठन, वित्त व्यवस्था तथा कार्य-संचालन का अध्ययन करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति को नियुक्ति करूंगा।

2. तदनुसार, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के ढांचे गठन, वित्तीय व्यवस्था तथा कार्य-संचालन के कई ब्यौरों का अध्ययन करने और आयोग में परिवर्तनों एवं सुधारों, जो तट पर एवं तट से दूर दोनों क्षेत्रों में गैस और तेल के सर्वेक्षण, खोज तथा उत्पादन के कार्यक्रम के शीघ्र विस्तार के उद्देश्य की प्राप्ति में आयोग को सुदृढ़ एवं समर्थ बनायेंगे, की सिफारिश करने के लिए एक समिति की नियुक्ति का निर्णय किया है ताकि देश में सम्भावित तेल एवं गैस के संसाधनों का पूर्ण रूप से अन्वेषण तथा समय को मूल्यांकित अवधि के अन्तर्गत समुपयोजन किया जा सके और आयोग (जब कभी उचित अवसर प्राप्त हों) देश के आशाजनक तट एवं अपतट क्षेत्रों में अपनी गतिविधियों का विस्तार करने में समर्थ हो तथा वह देश की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संचयों की स्थापना एवं उत्पादन में तत्काल और निरन्तर संकलन कर सके।

3. विशेषज्ञ दल का गठन निम्नप्रकार है :–

(1) श्री के० डी० मालवीय,
संसद सदस्य अध्यक्ष

(2) श्री एम० एस० पाठक,
सदस्य, योजना आयोग एवं इंजीनियर्स इण्डिया लि० के अध्यक्ष

(3) डा० जी० रामास्वामी,
मुख्य अधिकारी, अन्वेषण, आयोजन एवं विकास,
पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय

(4) श्री एन० कृष्णन,
मुख्य लागत लेखा अधिकारी, वित्त मंत्रालय

(5) एक वरिष्ठ एवं अनुभवी भूवैज्ञानिक, जिनका नाम बाद में घोषित किया जायेगा।
श्री एस० एन० घोष, मुख्य अधिकारी,
प्रकाशन प्रभाग, पैट्रोलियम सूचना सेवा एवं सम्पादक
व्यय तेल समीक्षा, इस समिति के सचिव होंगे।

4. निम्नलिखित विषय समिति के विचारार्थ रखे गये हैं :–

1. योजना कार्यक्रम

योजना कार्यक्रमों की पद्धतियों तथा तकनीकियों एवं गुणों और तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की प्रायोजना रिपोर्टों को तैयार करने हेतु गठन का पुनरीक्षण करना और समय समय पर पुनरीक्षण करने के लिए अनुसरण की जा रही पद्धतियों एवं तकनीकियों की उपयुक्तता तथा कार्यक्रमों एवं प्रायोजनाओं के कार्यान्वियन की यथासमय देख-रेख और जहां कहीं आवश्यक होगा, इन मामलों में सुधार करने के लिए सुझाव देना ;

2. गठन सम्बन्धी विषय

आयोग के गठन के पुनरीक्षण तथा (आयोग के) अध्यक्ष एवं अन्य पूर्णकालीन सदस्यों के बीच कार्यों एवं उत्तरदायित्वों के वितरण और अंशकालीन सदस्यों की आवश्यकता एवं उनके कार्यों को सम्मिलित करते हुए, आयोग के स्तर से लेकर प्रायोजना पर्यन्त आयोग के ढांचे का पुनरीक्षण करना। पूर्ण-कालीन सदस्यों के बीच पृथक् कार्यों एवं उत्तरदायित्वों के वितरण और वे किस प्रकार इनका अनुपालन करते हैं तथा इनके योगदान का जो वे आयोग के कार्य-संचालन में पूर्ण रूप से देते हैं, लक्ष्य प्रत्येक सदस्य के अधिकतम योगदान की प्राप्ति तथा आयोग के पूर्ण योगदान की प्राप्ति होनी चाहिए।

3. प्रक्रियाओं को तैयार करने के वर्तमान निर्णय और प्रशासन, तकनीकी, वित्तीय एवं अन्य मामलों में आयोग के अन्तर्गत विभिन्न स्तरों पर लिए गये निर्णयों के अनुपालन के लिए निर्मित प्रक्रियाओं, आयोग की स्थाई समिति के कार्यों तथा तकनीकी समितियों की आवश्यकता; (जिसमें उन समितियों को किन क्षेत्रों तथा किस पद्धति से कार्य करना चाहिए का पुनरीक्षण करना।

4. वर्तमान प्रादेशिक गठन, उनके विस्तार के क्षेत्र, उनकी भर्ती की पद्धति, कार्यों एवं उत्तरदायित्वों तथा उनके मुख्यालयों से सम्बन्ध; क्या अधिक प्रदेशों की स्थापना के लिए आवश्यकता है और कार्य-संचालन को, सम्पूर्ण प्रदेश के अन्तर्गत आयोजित एवं समन्वित कार्यक्रम के कार्यान्वियन को कैसे श्रेष्ठतर बनाया जा सकता है, को और

प्रादेशिक संगठन को एक संचालन एजेन्सी के रूप में अधिक प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है, इस बात का पुनरीक्षण करना ।

5. तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की वर्तमान कार्मिक नीति विशेष रूप से भर्ती, प्रशिक्षण एवं पदोन्नतियों, निदेशालयों तथा विभागों में कर्मचारियों संबंधों, विभिन्न क्षेत्रों में अपेक्षित विशिष्टीकरण के लिए गुंजायश और अधिक कठिन संचालनों, विशेष रूप से अपतट क्षेत्रों में कार्य आरम्भ करने हेतु आयोग में बहुत अधिक क्षमता एवं आत्म-निर्भरता की स्थापना के उद्देश्य से प्रमुख व्यक्तियों के बीच प्रबन्ध सम्बन्धी एवं तकनीकी सामर्थ्य के विकास और प्रबन्धकीय एवं तकनीकी दोनों क्षेत्रों में कार्यों की संक्षम देख-रेख को सुनिश्चित करना एवं उनके विस्तृत माप का पुनरीक्षण करना ।

6. वित्त

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की वित्त व्यवस्था की वर्तमान प्रणाली, विशेषकर साम्य पूँजी एवं ऋणों के बीच के अनुपात की समीक्षा करना एवं इस प्रकार के परिवर्तनों का सुझाव देना जिनके द्वारा आयोग के संचालनों के वित्तीय परिणामों को स्पष्ट रूप-रेखा प्रस्तुत करने में सहायता मिले और सम्भावित प्रोत्साहन विरोधी तत्वों को दूर करने तथा आयोग को तेल के अन्वेषण एवं उत्पादन से सम्बन्धित सामान्य जोखिम लेने हेतु सुविधा प्रदान करना । इसके अतिरिक्त आयोग के वर्तमान लागत प्रणाली एवं बजट नियंत्रण की समीक्षा करना तथा सुधार के लिए उपायों का सुझाव देना ।

7. तकनीकी विषय

जानकारी विशेषज्ञ एवं तकनीकी योग्यताओं, जो कि आज कल आयोग के विभिन्न तकनीकी निदेशालयों एवं विभागों में उपलब्ध हैं, की समीक्षा करना और इस बात को निर्धारित करना कि आयोग को अपने कार्यक्रम का विस्तार विशेष रूप से तट के निकटवर्ती एवं अपतटीय दुर्गम क्षेत्रों में, करने योग्य बनाने के लिए इन्हें कहाँ तक और सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है । विभिन्न तकनीकी निदेशालयों एवं विभागों के बीच समन्वय की मात्रा एवं पद्धति का भी पुनरीक्षण करना और संचालन संस्थाओं को पैट्रोलियम अन्वेषण संस्थान से प्राप्त क्रियात्मक सहायता का निर्धारण करना तथा देश के अन्य वैज्ञानिक तकनीकी संस्थानों जैसे आई० आई० पी० के साथ इस संस्थान के सम्बन्धों का भी पुनरीक्षण करना । इस पुनरीक्षण के द्वारा ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों, जहां प्रौद्योगिकी एवं तत्सम्बन्धी ज्ञान के मध्यवर्ती अन्तर हो, की पहचान होना चाहिए तथा इसके द्वारा ऐसे उपाय सुझाये जायं, जिनके द्वारा इन अन्तरालों को या तो प्रशिक्षण अथवा विदेशी विशेषज्ञों की सहायता का अथवा परामर्शदात्री सेवा का आश्रय लेकर शीघ्रता से कम किया जा सके ।

8. इस बात का पुनरीक्षण करना कि क्या भूवैज्ञानिक एवं भूभौतिकीय तथा कूप परीक्षण आंकड़ों को यथाविधि उपलब्ध किया गया है एवं उनका प्रलेखन किया गया है और पूर्ण रूप से उसका आगे के कार्यक्रमों के आयोजन एवं उनके कार्यान्वयन में पुनः एवं जांच जहां आवश्यक हो, पुनः व्याख्या के द्वारा हर संभव प्रयोग किया गया है और इस बात का भी पुनरीक्षण करना कि क्या इस मामले में सम्बन्धित निदेशालयों के मध्य उपयुक्त समन्वय है अथवा नहीं ।

9. तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में उपयोग में लाये जा रहे तथा उपलब्ध भूकम्पीय, व्यधन, परीक्षण, उत्पादन एवं अन्य महत्वपूर्ण उपकरण के गुण एवं मात्रा दोनों की दृष्टि के स्थूल रूप में उनकी उपयुक्तता को पुनरीक्षण करना तथा उनमें अन्तराल एवं कमियां पाये जाने पर उन्हें दूर करने के उपायों का सुझाव देना।

10. व्यधन रिगों एवं भूकम्पीय उपकरण के विकास का पुनरीक्षण करना तथा उनके और अधिक उत्तम एवं अधिक प्रभावी उपयोग के उपायों का सुझाव देना।

समिति से तीन माह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया है।

कार्य मंत्रणा समिति—तीसरा प्रतिवेदन
Business Advisory Committee—Third Report

संसद कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि यह सभा कार्य-मंत्रणा समिति के तीसरे प्रतिवेदन से, जो 15 जुलाई, 1971 को सभा-में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य-मंत्रणा समिति के तीसरे प्रतिवेदन से, जो 15 जुलाई, 1971 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adoptrd

पश्चिम बंगाल विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक
West Bengal State Legislatuse (Delegation of Power) Bill

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि पश्चिमी बंगाल राज्य के विधान मंडल की विधियां बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान करने वाले विधेयक को पुनःस्थापित करने की अनुमति दी जायें।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्धमान) : इस बिल के द्वारा प्रजातन्त्र का गला घोंटा जा रहा है क्योंकि फिर हम पश्चिम बंगाल के सम्बन्ध में बनने वाले किसी भी विधान पर चर्चा नहीं कर सकते।

माननीय मन्त्री इसके बचाव में अनुच्छेद 357 की आड़ लेंगे। पर उसे अत्यन्त कठिन स्थिति में अपनाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त भी भाई-चारे में अन्य कई व्यवस्थाएं हैं पर उनका उपयोग कभी नहीं किया गया।

मात्र संवैधानिक व्यवस्था होने के कारण संसद को राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत राज्य के सम्बन्ध में विधि बनाने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसी स्थिति में अधिकारी ही समस्त कानूनी व्यवस्था के प्रतिपादक बन जाते। इससे बिना चर्चा के कानून पास करने को बढ़ावा मिलेगा।

राष्ट्रपति द्वारा पास किए गये किसी अधिनियम में संशोधन किया जा सकता है, पर उनके द्वारा पास किए गये अधिनियम पर सामान्य चर्चा नहीं की जा सकती और न ही उसे अस्वीकृत किया जा सकता है।

दूसरी व्यवस्था यह है कि जब राष्ट्रपति चाहें तो परामर्श-दात्री समिति से सलाह कर सकते हैं पर यह भी उनकी इच्छा पर ही निर्भर है।

एक मात्र बहाना यह लिया गया है कि संसद के पास पश्चिम बंगाल सम्बन्धी विधि बनाने के लिए पर्याप्त समय नहीं होगा। पर यह बात ध्यान में रखी जाये कि कार्यकारिणी द्वारा पारित कोई भी विधान निर्वाचित संस्था द्वारा पारित विधान का स्थान नहीं ले सकता।

संसदीय लोकतंत्र के सामान्य सिद्धान्तों का अनुसरण करने की बजाय कार्यपालिका की सहूलियत के अनुसार कार्यवाही नहीं की जा सकती। यदि इस सदन और सरकार के पास आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने सम्बन्धी विधेयक जैसे कानून पास करने के लिए समय हो सकता है और ऐसे विधान पास करने के लिए सदन का इतना समय लिया जा सकता है तो संसद को पश्चिम बंगाल के लिए महत्वपूर्ण विधान का जिसे कि सरकार आवश्यक समझती है, अधिनियमन करने के लिए अवश्य ही समय होना चाहिए। अतः पश्चिम बंगाल के लिए विधान बनाने के लिए इस सदन की अवहेलना नहीं की जानी चाहिए।

अनुच्छेद 213 के अन्तर्गत अध्यादेश जारी करने की उद्घोषणा के अधीन राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त है। अतः राष्ट्रपति ने स्वयं उद्घोषणा के अन्तर्गत यह अधिकार रखा है। यदि आवश्यकता पड़े, और संसद का सत्र न हो रहा हो, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, जो छः सप्ताह तक रह सकता है। इस अवधि में संसद वह विधान पास कर सकती है। अतः सरकार को यह विधेयक वापस लेने के लिए विचार करना चाहिए और उसे इतने व्यापक, मनमाने विवेकाधिकार प्राप्त नहीं करने चाहिए।

केन्द्रीय सरकार ने इस बार पश्चिम बंगाल विधान सभा को बहुत ही पक्षपात रूप से भंग किया है क्योंकि पिछली बार जब वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था तो चार महीने तक विधान लागू रखा गया था। परन्तु इस बार तो मन्त्रालय के त्यागपत्र दिए बिना ही विधान सभा भंग की गई है जिससे कि एकमात्र सब से बड़े राजनीतिक दल को पश्चिम बंगाल में लोकतंत्रात्मक प्रक्रिया द्वारा शक्ति में आने से रोका जा सके।

अतः यह विधेयक सरकार को दिए गये संवैधानिक एवं सांविधिक अधिकार के लिए एक धोखा मात्र है। इसलिए मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : सदन को यह स्मरण होगा कि राष्ट्रपति ने इस वर्ष 29 जून को अपनी उद्घोषणा में कहा था कि पश्चिम बंगाल राज्य विधान मण्डल की शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा अथवा इसके अधिकार के अन्तर्गत किया जायेगा। पश्चिम बंगाल से सम्बद्ध कोई भी महत्वपूर्ण मामला प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों के भिन्न प्रावधानों के अन्तर्गत संसद में उठाया जा सकता है। परन्तु सदन की कार्य-सूची इतनी सीमित होती है कि पश्चिम बंगाल राज्य के लिए अधिनियमित किए जाने वाले किसी भी अविलम्बनीय सांविधिक विधान पर ब्यौरे-वार

विचार नहीं किया जा सकता। अतः अनुच्छेद 357 के अन्तर्गत किसी राज्य विधान मण्डल का विधान बनाने का अधिकार राष्ट्रपति को प्रदान करने की संसद की प्रथा रही है।

अतः वर्तमान विधेयक में उन सब मुख्य-मुख्य बातों को लिया गया है जो पिछले दिनों पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन के दौरान लागू विधान में थीं। उसी प्रकार 60 सदस्यीय एक समिति के गठन किए जाने की व्यवस्था है जिसमें 40 सदस्य लोक-सभा से और 20 सदस्य राज्य सभा से लिए जायेंगे। विधान सम्बन्धी प्रस्तावों के सम्बन्ध में राष्ट्रपति के लिए इस समिति से परामर्श करना अपेक्षित है। यह तो वैधानिक सामर्थ्य सम्बन्धी मामलों के बारे में है। अन्य मामलों पर जैसे कि विधान मण्डल का भंग किया जाना, सदन में उद्घोषणा को मंजूरी देते समय चर्चा की जा सकती है।

डा० रानेन सेन : पहले तो पश्चिम बंगाल से सम्बन्धित सब विधेयक सदन में पेश किए जाते थे। संसद से अब यह अधिकार कैसे ले लिए गये हैं? इस समय पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति का शासन है। हम पश्चिम बंगाल के लिए भी विधान मण्डल के रूप में कार्य कर रहे हैं। अतः उस विधान सभा के प्राप्त समस्त शक्तियां हमें प्राप्त होनी चाहिए।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : इसीलिए तो यह विधेयक लाया गया है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि पश्चिम बंगाल राज्य के विधान मण्डल की विधियां बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान करने वाले विधेयक को पुनःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was Adopted.

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : मैं विधेयक को पुनःस्थापित करता हूं।

अनुदानों की मांगें, 1971—72
DEMANDS FOR GRANTS, 1971-72

कृषि मन्त्रालय

अध्यक्ष महोदय : कृषि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों और उन पर प्रस्तुत किए गये कटौती प्रस्तावों पर आगे चर्चा और मतदान 3 बज कर 30 मिनट म० प० तक जारी रखेंगे।

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे): कुछ वर्ष पूर्व मैंने यहां एक वक्तव्य दिया था जिसमें मैंने यह दावा किया था कि हमारा देश आत्म-निर्भर होने वाला है तो उस समय मेरे इस दावे को गैर-जिम्मेदार ठहराया गया था और कहा गया था कि ऐसे अनुत्तरदयी वक्तव्य न दिए जायें। परन्तु मैं इस सम्बन्ध में कोई आक्षेप नहीं लगाता क्योंकि उस समय देश में अधिकांश लोगों और राजनीतिज्ञों का यही विचार था कि हमारा देश कभी आत्म-निर्भर नहीं हो सकता और ना ही ऐसी स्थिति को प्राप्त कर सकेगा। परन्तु आज क्या हुआ है? आज हमको गर्व करना चाहिए कि अब हमारा देश आत्म-निर्भरता की ड्योढ़ी तक पहुंच गया है। हमारा खाद्य उत्पादन 10.6 करोड़

मीटरी टन तक पहुंच गया है । हमारे विशेषज्ञ फिर भी इस दिशा में संघर्षरत है और सम्भवतः ये आंकड़े कम हैं । खाद्यान्नों के सम्बन्ध में हम दूसरे देशों पर बहुत निर्भर थे । परन्तु अब हमें अपनी प्रगति पर गर्व करना चाहिए। यह सब केवल अच्छे मौसम के कारण नहीं हैं। निस्सदेंह भारत जैसे देश में वर्षा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है । परन्तु यहां केवल मौसम ही नहीं, मानव द्वारा निभाई गई भूमिका भी अपना अलग ही महत्व रखती है और मन्त्रालय द्वारा दिए गये प्रोत्साहन से, उत्पादन के लिए किए गए कार्य से तथा खाद्य विभाग द्वारा खाद्य मितव्ययिता के लिए किए गए प्रबन्ध से और इस देश के किसानों द्वारा किए गये कार्य से हमें वस्तुतः काफी सहायता मिली है। किसानों की समझदारी से हमारा देश आज खाद्यान्नों के सम्बन्ध में अद्वितीय है । एक बार यदि हमारे किसानों को कृषि के नए तरीके पूरी तरह समझा दी जाए तो वे बहुत शीघ्रता से समझ लेते हैं । माननीय सदस्यों को पता होगा कि सरकार ने इस सदन में कई बार घोषणा की है कि वर्ष 1971 तक अर्थात कुछ ही महीनों तक हम रियायती आयात बन्द कर देंगे । सरकार इस आश्वासन को पूरा करना चाहती है ।

हमें इस बात का हर्ष होना चाहिए कि गत वर्ष जहां औद्योगिक वस्तुओं के मूल्य 8 प्रतिशत तक बढ़े थे तो खाद्य मूल्यों में 5 प्रतिशत की गिरावट आई है । अन्ततः देश के उत्पादकों के प्रति ही नहीं अपितु, अधिकांश उपभोक्ताओं के प्रति भी हमारी कुछ जिम्मेदारी है । उत्पादन की वृद्धि से ही मूल्य स्थिर रखनें में हमें बहुत सहायता मिली है । अतः हमारे मन्त्रालय की यह दूसरी सफलता है जिसके लिए हम सब को गर्व होना चाहिए ।

खाद्य निगम की भूमिका के सम्बन्ध में कुछ आलोचना की गई हैं और कुछ सुझाव भी दिए गए हैं, जिन पर सरकार कार्यवाही कर रही है । पहली बार देश में सरकारी क्षेत्र में यह उपकरण देश की अर्थव्यवस्था में बहुमूल्य सहयोग दे रहा है । इस सम्बन्ध में यह वर्षों से कहते आ रहे हैं और यह स्वप्न अब साकार हो रहा है । खाद्य निगम नें वास्तव में भारतीय अनाज मण्डी में आज महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है । आज भण्डार की स्थिति बहुत पुष्ट है । आज हमारे भण्डार में 87 लाख मीटर टन खाद्यान्न है । हम चाहते हैं कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हमारे पास खाद्यान्न का 50 लाख मीटरी टन सुरक्षित भण्डार हो । हममें यह लक्ष्य तीन वर्ष पूर्व थी अर्थात 1970-71 में ही प्राप्त कर लिया है । हमें इस स्थिति पर गर्व करना चाहिए ।

गेहूं की वसूली के बारे में भी कुछ आलोचना हुई है । मैं भी इस बात से सहमत हूं कि खाद्य निगम के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और निगम को अपनी स्थिति में सुधार करना चाहिए । परन्तु हमें खाद्य निगम द्वारा की गई प्रगति की प्रशंसा भी करनी चाहिए । खाद्य निगम ने पिछले ढ़ाई महीनों में 74 लाख मीटरी टन गेहूं की वसूली की है जो हमारे देश के कृषि अर्थव्यवस्था के इतिहास की ऐसी घटना हैं जो पहले कभी नहीं हुई ।

कृषि मूल्य आयोग ने 40 लाख मीटरी टन का लक्ष्य नियत किया है । परन्तु पिछले दिनों यह आशंका व्यक्त की जाती थी कि लक्ष्यों की बातें केवल कागजों तक ही सीमित रहती हैं और हम लक्ष्य कभी पूरे नहीं कर सकते । खाद्य निगम की इस भूमिका के बावजूद भी हमें शंका रहती थी कि हमें आयात करना पड़ेगा, क्योंकि सरकारी विवरण और वसूली में बहुत अन्तर है । आवश्यकता 90 लाख मीटरी टन की होती है और वसूली केवल 60 लाख मीटरी टन तक की हो पाती है। इस प्रकार 30 लाख मीटरी टन की कमी रहती है । हमनें यह सोचा कि यदि यह अन्तर बना रहा तो हम खाद्यान्न का आयात बन्द नहीं कर पायेंगे । परन्तु इस वर्ष खाद्यान्न की उपलब्धि सुगमता से होने के कारण

सरकारी वितरण में कमी आ गई है। जनता उचित दामों की दूकानों से अनाज खरीदना पसन्द नहीं करती क्योंकि अब अनाज खुले बाजार में उसी मूल्य पर आसानी से उपलब्ध है। इस वर्ष तो हमनें 3.25 करोड़ मीटरी टन का उत्पादन किया है। हमारे लिए यह सुखद संकेत है जो खाद्य की स्थिति के लिए बहुत श्रेयस्कर है। मैं इस बात को पुनः दोहराता हूं कि मंत्रालय और भारत सरकार ने खाद्य अर्थव्यवस्था का प्रबन्ध बहुत सुचारू रूप से किया है और इससे उपभोक्ता एवं उत्पादक दोनों को लाभ हुआ है। उत्पादकों को तो इस लिए कि यदि खाद्य निगम की मण्डी में इतनी अच्छी और दृढ़ स्थिति नहीं होती तो मूल्य बहुत अधिक सीमा तक गिर जाते और लाखों किसानों को हानि उठानी पड़ती।

भूमि सुधार और छोटे किसानों की समस्या के मामले बहुत महत्वपूर्ण हैं। अन्ततोगत्वा हरित क्रान्ति से छोटे किसानों को कोई लाभ नहीं पहुच सका है, क्योंकि उसके पास संसाधन नही हैं। यहां तक कि बैंकों की प्रणाली से भी छोटे किसानों को कोई सहायता नहीं मिली है। और इसी कारण बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। इस सम्बन्ध में दो मूलभूत निदेश जारी किए गये हैं। एक तो रिजर्व बैंक ने यह निदेश जारी किया है कि सहकारी समितियों के माध्यम से दिए जाने वाले कुल ऋण का 20 प्रतिशत छोटे किसानों के लिए बचा कर रखा जाए। दूसरे, वित्त मंत्रालय के अन्तर्गत ऋण गारन्टी निगम ने अपना कार्य करना आरम्भ कर दिया है और छोटे किसानों को 1000 रुपये तक के ऋण की गारन्टी दी जायेगी। बैंक छोटे किसानों को ऋण देना नहीं चाहते थे क्योंकि उन्हें उसकी अदायगी की शंका होती थी परन्तु अब 75 प्रतिशत तक के ऋणों की गारन्टी दी जायेगी।

श्री बी० के० दासचौधरी (कूच-बिहार): सरकार ने दो योजनाएं तैयार की है—छोटे किसानों सम्बन्धी विकास एजेंसी और छोटे किसान तथा कृषि श्रमिक योजना। इन दोनों योजनाओं को समस्त जिलों में क्यों नहीं लागू किया गया है?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : जब कोई योजना तैयार की जाती है तो यह देखा जाता है कि यह कार्य कैसे करती है। इन योजनाओं को कुच्छेक जिलों में लागू करने का कोई इरादा नहीं है। यदि इन योजनाओं में सफलता मिलेगी तो इन्हें सारे देश में लागू करने का इरादा है।

देश में उर्वरकों की कम खपत के बारे में भी कहा गया है। हमारे देश में शुद्ध नाइट्रोजन उर्वरक की खपत व किलोग्राम प्रति हैक्टेयर है। पांच वर्ष इसकी खपत केवल 4 किलोग्राम थी, परन्तु अब यह दुगुनी से भी अधिक हो गई है। मन्त्रालय द्वारा किए गये उपायों से इसकी खपत में तेजी से वृद्धि हो रही है। प्रयत्न किए जा रहे हैं कि प्रत्येक किसान को उर्वरक मिल सके। कुछ शिकायतों के बावजूद भी हमारी सप्लाई की स्थिति सन्तोषजनक है और कृषि उत्पादन कार्यक्रम को किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। विशेष प्रकार के उर्वरकों के बारे में कुछ कठिनाइयां हो सकती हैं। अमोनिया सल्फेट और कैलशियम अमोनियम नाईट्रेट की अधिक मांग है। हम इनका आयात करने की सम्भावनाओं की जांच करने का प्रयास कर रहे हैं। नाइट्रोजन का तो यथेष्ट भण्डार है और हम राज्य सरकारों की उचित मांग पूरी करने की स्थिति में हो जायेंगे।

कहा गया है कि कृषि शिक्षा की ओर उचित ध्यान नहीं दिया जाता है। यह ठीक है कि हमारी शिक्षा पद्धति में एक मूलभूत खामी थी। शिक्षा का जीवन की यथार्थता से कोई सम्बन्ध नहीं था। हमने अपने देश में सामान्य शिक्षा से कृषि शिक्षा को अलग कर दिया है। हमने अपने कृषि विश्वविद्यालयों का पुनर्गठन किया है और प्रत्येक राज्य सरकार को राज्य में एक कृषि विश्वविद्यालय

बनाने के लिए कहा है । इस समय देश में 15 कृषि विश्वविद्यालय हैं । कृषि शिक्षा के बारे में हमने एक नीति निर्णय किया है कि कृषि विश्वविद्यालय कृषि-शिक्षा देंगे और यह शिक्षा अनुसन्धान और विस्तार-कार्य से सम्बद्ध होगी । हमारे देश में अनुसन्धान कार्य बहुमूल्य योगदान इसलिए दे रहा है कि इन समस्याओं से सम्बन्धित प्रयत्नों में आधारभूत परिवर्तन किया गया है। फिर भी, इस बारे में सुझावों का स्वागत किया जायेगा ।

जहां तक कृषि स्नातकों में बेरोजगारी का सम्बन्ध हैं, इंजीनियरों की तुलना में कृषि स्नातक बहुत कम संख्या में बेरोजगार हैं । कृषि के विकास के कारण बहुत अधिक कृषि स्नातकों को रोजगार मिल रहे हैं । फिर भी कुछ बेरोजगार हैं । इसलिए हमने देश में 500 कृषि सेवा केन्द्र खोलने का निर्णय किया है, जहां हमने उन्हें कुछ काम, ऋण आदि देने का विचार किया है । इस समस्या पर विचार किया गया है और भविष्य में भी इस पर ध्यान दिया जाएगा ।

भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष पद पर श्री इकबाल सिंह की नियुक्ति किए जाने के बारे में प्रधान मंत्री पर जो आक्षेप लगाये गये हैं वे सब गलत हैं । इस प्रकार के उल्लेख नहीं करने चाहिए । इस नियुक्ति में किसी प्रकार की गलती नहीं की गई है । वह देश के वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं और 1950 से 1970 तक लोक-सभा के सदस्य रहें हैं । अपितु हमें इस सम्बन्ध में प्रधान मंत्री की प्रशंसा करनी चाहिए ।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker *in the Chair*]

श्री आर० एन बर्मन (बालूरघाट) : हमारा कृषि-प्रधान देश है और अधिकांश जनता कृषि पर आश्रित है। देश का विकास बिना कृषि विकास के नहीं हो सकता है । पहली पंचवर्षीय योजना में इस ओर यथोचित बल दिया गया था जिसके परिणामस्वरूप हमने कृषि के क्षेत्र में कुछ प्रगति की, परन्तु दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि विकास पर अधिक बल नहीं दिया तथा जिसके कारण देश के विकास में कृषि ने बहुत कम योगदान दिया ।

इस प्रकार कृषि की ओर यथोचित ध्यान न दिये जाने से हमें भारी असफलता मिली, हमारे नेताओं को अंततः यह बात समझ में आई कि देश के बहुमुखी विकास के लिए कृषि का विकास अत्यावश्यक है । इसलिए तीसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर इस ओर पर्याप्त ध्यान दिया गया और परिणामतः उत्पादन इतना अधिक हुआ कि हमें काफी सीमा तक खाद्यान्न का आयात कम करना पड़ा । इस प्रकार खाद्यान्न की विकट समस्या को काफी सीमा तक सुलझाया गया है ।

उत्तरी कोरिया में धान का उत्पादन प्रति एकड़ लगभग 60 क्विटल है परन्तु हमारे देश में यह केवल 10 से 11 क्विटल प्रति एकड़ है । निश्चय ही पंजाब, हरियाणा तथा कुछ अन्य राज्य में प्रति एकड़ उत्पादन कहीं अधिक है, परन्तु विशेष कर उत्तरी बंगाल में प्रति एकड़ उत्पादन लगभग 5 क्विटल है । इसका कारण कृषि मन्त्रालय द्वारा उन पिछड़े हुए क्षेत्रों में पर्याप्त विकास का किया जाना है । सिंचाई सम्बंधी सुविधाओं, कृषि के यंत्रीकरण, खाद, उर्वरक आदि के अभाव के कारण ही ऐसे स्थानों में प्रति एकड़ उत्पादन इतना कम है ।

प्रशासन की उदासीनता के कारण निर्धन खेतिहर मजदूर और भी निर्धन होता जा रहा है । जबकि देश का एक भाग संपन्न होता जा रहा है तो दूसरा भाग निर्धन होता जा रहा है । मेरी

सरकार से यह अपील है कि वह उन प्रदेशों के लोगों को इतना प्रोत्साहन दें जिससे वे संपन्न लोगों के बराबर आ जायें।

इसके लिए सर्वप्रथम उपाय यह है कि समूचे देश में भूमि सुधारों के लिए समान कानून बनाया जाये जिससे कि निश्चित रूप से निर्धन खेतिहर मजदूर एक कानून के अंतर्गत आ जायें। मैं जानता हूं कि यह राज्य का विषय होने से इसमें कई कठिनाइयां हैं परन्तु राष्ट्र हित को देखते हुए मुख्य मंत्रियों के साथ विचार-विमर्श करके इस समस्या को सुलझाना चाहिए।

कृषि विभाग की दो अनुमोदित योजनाएं तथा "छोटे किसान विकास एजेन्सी" और "छोटे खेतिहर मजदूर" को उत्तरी बंगाल के सभी जिलों में समान रूप से लागू नहीं किया गया हैं। मेरा मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि वह उत्तरी बंगाल के जिलों को तथा वहाँ के निर्धन किसानों की दयनीय स्थिति को देखते हुए इन योजनाओं को वहां अविलम्ब क्रियान्वित करें। सरकार को यह नहीं कहना चाहिए कि यह राज्य का विषय है। भारत की जनता किसी विशेष राज्य की न होकर समूचे भारत की है और भारत के संविधान के निदेशक सिद्धान्तों के अन्तर्गत राज्य सरकारों को उल्लिखित उद्देश्यों को मानना चाहिए।

दूसरा ऋण सम्बन्धी सुविधाओं तथा सुधरे हुए बीजों की सप्लाई की प्रक्रिया यथासंभव सरल बनाई जानी चाहिए और तीसरे सरकार का ध्यान भूमिहीन मजदूरों के मामलों की ओर जाना चाहिए। एक अध्ययन से पता चलता है कि कुल खेतिहर मजदूरों का 28 प्रतिशत भाग ऐसा है जिसके पास भूमि नहीं है। इन लोगों को भूमि दी जानी चाहिए। अन्त में मेरा मन्त्री महोदय से कहना है कि उत्तरी बंगाल के अधिकांश तम्बाकू उत्पादकों को केन्द्रीय तम्बाकू विकास योजना से वंचित रखा जा रहा है इसलिए इस मामले में वे वित्त मन्त्रालय से विचार-विमर्श करें, जबकि यह विकास योजना आंध्र प्रदेश, मैसूर, तमिलनाडु, गुजरात आदि राज्यों में लागू है तो उत्तरी बंगाल के तम्बाकू उत्पादकों को इससे वंचित क्यों रखा जा रहा है?

श्री रण बहादुर सिंह (सिधी) : स्वतन्त्रता प्राप्ति के 24 वर्षों में हमारे कृषि विभाग ने अपनी नीतियों में क्रमिक परिवर्तन किया है और आज वह छोटे किसानों को अपने आप अनुसंधान का लाभ पहुंचा रही हैं, परन्तु मैं मन्त्रालय के ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं कि इस विभाग ने एक तथ्य की हमेशा उपेक्षा की है। वह यह है कि कुल उत्पादकता तकनीक पर ही आधारित नहीं होती है अपितु इसके पीछे मनुष्य का हाथ होता है। विभाग ने मनुष्य पर जोर न देकर तकनीक को अधिक महत्व दिया है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था ने जो पुस्तिका निकाली है, उससे पता चलता है कि विभिन्न फसलों आदि के अनुसंधान कार्य के लिए अधिक धन का नियतन किया गया है परन्तु देश के विभिन्न क्षेत्रों के किसानों की प्रबन्ध सम्बन्धी प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए कोई धन नियत नहीं किया गया है। मेरा यह कहना है कि प्रबन्धक के रूप में किसान का उच्चस्तरीय अध्ययन किया जाना अपेक्षित है।

किसान प्रबन्ध केन्द्र से इतने दूरस्थ स्थानों पर हैं कि वे इससे अलग-अलग हैं। हम विशेषज्ञों को विदेशों में डाक्टरेट आदि की उपाधि लेने के लिए भेजते हैं और जब वे वापस आते हैं तो उन्हें सलाहकार समूह में शामिल कर लिया जाता है जिससे वे किसानों का मार्गदर्शन कर सकें। परन्तु मुझे भय है कि इस ओर कुछ नहीं किया गया है। छोटे किसानों को भारी सहायता की आवश्यकता है।

प्रतिवेदन में कहा गया है कि 1970-71 में अधिक उपज देने वाली परियोजनाओं का क्षेत्र 2.5 प्रतिशत बदा है परन्तु उसी में यह भी कहा गया है कि नाइट्रोजन के प्रयोग में केवल 2 प्रतिशत वृद्धि हुई है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि यदि हम वर्तमान कृषि कार्य के प्रबन्धकीय पहलू का गहराई से अध्ययन न करें तो हमें यह पता नहीं चल सकता है कि अधिक उपज देने वाले कार्यक्रम से किसानों को कितना लाभ पहुंचता है। मेरा अनुरोध है कि अब समय आ गया है कि हम संपूर्ण स्थिति का अध्ययन करें क्योंकि अब ऐसे कार्यक्रम अपनाये जा रहे हैं जिनके अन्तर्गत छोटे किसानों को बड़ी मात्रा में खाद, बीज आदि उपलब्ध किये जायेंगे। मैं मन्त्रालय को आभार कर देना चाहता हूं कि यदि छोटे किसानों को बड़ी मात्रा में ऋण, खाद, बीज आदि दिये जाते रहेंगे और वे उससे, लाभ न अर्जित कर सकेंगे तो वह प्रतिस्पर्द्धा के आगे ठहर नहीं सकेंगे।

अन्त में मैं कहना चाहूंगा कि कृषि के यंत्रीकरण के बारे में थोड़ी दूरदर्शिता अपनायी जानी चाहिए। पहले यह कहा गया था कि कृषि का यंत्रीकरण नहीं किया जायेगा परन्तु अब कम्बाइन्ड हार्वेस्टर का आयात किया जा रहा है जो एक बहुत बड़ी मशीन है। जो भी मशीन का आयात किया जा रहा है वह बड़े आकार की है। जापान से छोटे कम्बाइन का आयात किया जा सकता हैं जो कि हमारे देश के लिए उपयुक्त है।

कृषि शिक्षा देने की बात करते समय हम इस बात को ध्यान में नहीं रखते हैं कि हमारे किसानों का ग्राम्य स्वरूप नष्ट न हो, कृषि विश्वविद्यालयों से तकनीकी शिक्षा प्राप्त स्नातक बाहर जा रहे हैं परन्तु गांव में रहने वाले किसानों के लिए कृषि की तकनीक ही इतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं। मेरा अनुरोध है कि उनको ललित कलाओं की शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वे अपना ग्राम्य स्वरूप बनाये रख सकें, विशेषकर कृषि विश्वविद्यालयों में ग्राम्य स्वराज्य की शिक्षा दी जानी चाहिए।

मेरा यह अनुरोध है कि राष्ट्रीय पार्कों को वन-विभाग से लेकर पर्यटन विभाग को सौंपा जाये ताकि वे पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र बन सकें। दूसरा, जल का पता लगाने के लिए हवाई सर्वेक्षण किया जाना चाहिए जो कि अपेक्षाकृत सस्ता हैं। कृषि के व्यवसाय के स्थायीकरण की आवश्यकता है जो कि किसानों के हित में होगा। अन्त में मेरा यह कहना है कि पंचायती राज संस्थाओं को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए।

श्री के० डी० मालवीय (डुमरियागंज) : इस मन्त्रालय ने जो कार्यक्रम बनाया है वह निस्संदेह सामाजिक न्याय, ग्राम्य विकास तथा समाजवादी लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए सरकार की कृतसंकल्पता तथा ईमानदारी का द्योतक है। मेरे विचार में, हमारी सामाजिक-आर्थिक क्रियाकलापों की प्रमुख योजनाएं इसी मंत्रालय की हैं।

यह एक बड़ा कार्यक्रम है क्योंकि इसके अन्तर्गत सिंचाई, बेरोजगारी दूर करने, सफल कृषि का विकास, कृषि के कच्चे माल पर आधारित उद्योगों का विस्तार आदि विषय हैं। यदि हम ग्राम्य विकास कार्यक्रम की ओर देखें तो इस मंत्रालय की सम्पूर्ण कार्यवाहियों का चित्र सामने आ जाता है। मंत्रालय का प्रतिवेदन यह बताता है कि उसका प्रयास ईमानदारी तथा कृतसंकल्पता से युक्त है।

औद्योगीकरण और कृषि मंत्रालय का कार्यक्रम एक दूसरे से इस प्रकार सम्बन्धित है जिससे समाजवादी समाज की एक तसबीर प्रस्तुत होती हैं। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हम उप-

भोक्ता वस्तुओं के निर्माण में अधिक जोर दे रहे हैं और इससे कृषि के विकास में रुकावट आ रही है। वस्तुतः कृषि विकास के लिए आधारभूत उद्योगों का चलाया जाना अपेक्षित है।

यह बड़े दुःख की बात है कि हमने ट्रैक्टरों तथा सम्बद्ध मशीनरी के निर्माण की उपेक्षा की है जो कि हमारे कृषि विकास के लिए अत्यावश्यक हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत हमने उन उद्योगों को संरक्षण दिया है जो विलासमय वस्तुओं का निर्माण करते हैं। । ऐसा नहीं किया जाना चाहिए और मेरे विचार में हमें ऐसी उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण करना चाहिए जिनमें ग्राम्य क्षेत्रों में उत्पन्न कच्चे माल का उपयोग किया जा सके, ताकि हमारे ग्रामीणों की स्थिति में सुधार हो सके।

सरकार चाहे कितनी भी ईमानदारी और कृतसंकल्पता से कार्यक्रम बनाती है परन्तु उसके लिए साधन जुटाने में वह हिचकती है। मैंने कई बार कहा है कि सम्पूर्ण सरकारी सेवा में पूर्ण ईमानदारी से कार्य करने वाले व्यक्तियों को रखा जाये। ऐसी मशीनरी की स्थापना की जानी चाहिए जो देश में उपलब्ध प्रतिभाशाली व्यक्तियों का चयन कर सके।

बम्बई में सत्तारूढ़ दल द्वारा नियुक्त आर्थिक समिति ने यह सिफारिश की थी कि भूमि सुधारों के कार्यक्रम में सरकार की सहायता करने के लिए एक भूमि सेना का निर्माण किया जाना चाहिए। अब इस सिफारिश पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए। मेरे विचार में संविधान में ऐसे अपेक्षित परिवर्तन भी लाये जा सकते हैं जिससे ग्राम्य विकास के लिए नई सुविधाएं, नए अवसर आदि उपलब्ध किये जा सकें। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि ग्राम्य विकास के लिए जिलों का चयन गलत रीति से किया गया है। आपने इसके लिए जो व्यवस्था अपनाई हुई है वह अब पुरानी हो चुकी है। यदि आप जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना चाहते हैं तो इस पुरानी व्यवस्था को समाप्त करना होगा, इस व्यवस्था में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, जिसे दूर करना आवश्यक है।

जब तक संविधान में तथा लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं लाया जाता तब तक ऐसा करना आपके लिए बहुत कठिन होगा। यदि इस संसद् तथा इस सरकार द्वारा समस्या को न सुलझाया जा सका तो जनता स्वयं इसका समाधान खोजेगी।

Shri Ramkanwar (Tonk) : The system of distribution of seeds should be streamlined. The small farmers have to suffer at the hands of Surpanch and other Government officials. Even if these farmers get seeds, they are served with notices to pay the price of seeds again, although they had paid the price earlier. The hon'ble Minister should look into these problems.

The big farmers manage to get a number of tractors and sell them in black market. Small farmers are misguided. Agricultural co-operative societies were set up and the land was allotted to them for collective farming. They are not being permitted to dig wells in these lands. The reason advanced in this regard is that the land was allotted to them temporarily. I would request the hon'ble Minister to allot the aforesaid land individually so that the individual concerned may obtain loans locally and dig wells. Government should make some arrangement to give loan to the small farmers at cheaper rate of interest. I would suggest that land belonging to Forest Department should be allotted to landless farmers.

The floods have created havoc in Tonk. Government should make necessary arrangements to provide relief to the affected people in that area.

Shri Mani Ram Godara (Hissar) **:** I agree that the Ministry of Agriculture has made tremendous progress. But still all is not well. We have made several complaints against the Food Corporation of India and quoted instances of corruption.

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (**Shri Annasaheb P. Shinde**) **:** Food Corporation is not operating in Haryana.

Shri Mani Ram Godara : I am talking about the entire country and not about Haryana only. I know this. The Corporation has done historic work but we have to remove the loopholes. Then there is great bungling in Seeds Corporation. It has been stated in its report that they cannot supply seeds to the country from their seed farms. The reason is that the lands acquired by them for this purpose are barren. As Seeds Corporation is unable to supply seeds to meet the requirement of the country, the seeds are purchased from the progressive farmers on contract basis. The result is that the seeds of Bajra supplied to farmers have proved useless. I know that the seeds purchased by the Seeds Corporation were of inferior quality and certificate was not given to treat them as foundation seeds. But a Government officer managed to get the necessary certificate and the seeds were supplied to the farmers. We have placed crores of rupees at the disposal of Seeds Corporation so that they may supply foundation seeds and production is increased. Government should look into this matter seriously. It is wrong to suggest that there is dearth of fertilisers. The fact remains that they are also horaded like foodgrains and sold in black market. The hon'ble Minister should look into this matter.

Exploratory Tubewells Organisation should utilise the 1500-1600 bares, which have proved sucessful, to provide irrigation facilities and enhance the income of farmers.

***श्री आर० बालकृष्ण पिल्ले** (मावेलिकारा) : मैं अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं परन्तु गत 22 वर्षों में जितना ध्यान अन्य बातों पर दिया गया है यदि उतना ध्यान कृषि पर दिया गया होता तो आज बहुत अच्छे परिणाम निकले होते। यद्यपि अनाज और नकदी फसलों के मूल्यों में वृद्धि नहीं हुई है तथापि उनकी उत्पादन लागत में तीन या चार गुना वृद्धि हो चुकी है। कृषकों को अपेक्षित सुविधाएं नही दी जा रही हैं। उर्वरकों पर दी जा रही राजसहायता को भी समाप्त कर दिया गया है। लगभग प्रत्येक वर्ष बाढ़ के कारण फसलों को क्षति पहुंचती है। यद्यपि किसानों को हर सम्भव सुविधाएं देने को बचन दिये जाते हैं परन्तु मुझे खेद है कि इस दिशा में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। फसल बीमा योजना का आश्वासन दिया गया था परन्तु अब तक किसी भी क्षेत्र में उसे प्रभावशाली ढंग से लागू नहीं किया गया है। इस वर्ष केरल में हजारों एकड़ भूमि में पानी भर जाने के कारण फसलों को अत्यधिक क्षति पहुंची है। केरल में बाढ़-राहत के लिये केवल 50,000 रुपये मंजूर किये गये हैं। यदि यही स्थिति रही तो अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिये किसानों को क्या प्रोत्साहन मिलने की आशा हो सकती है ?

यदि हम शिक्षित बेरोजगार लोगों को कृषि-क्षेत्र की ओर आकर्षित कर सकें तो इस देश में बेरोजगारी की समस्या हल हो सकती है। परन्तु आज वही लोग खेती का काम करते हैं जो और कोई काम नहीं कर सकते अथवा जो आरम्भ से ही खेती का काम करते हैं। यदि हमने इस प्रवृत्ति

---

*मालयालम में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Malayalam.

को नहीं बदला तो कृषि के क्षेत्र में संकट पैदा हो जायेगा। क्या सरकार ने कृषि उत्पादों के उचित मूल्य सुनिश्चित करने का प्रयत्न किया है ? क्या उन्हें कृषि उत्पादों के मूल्य का कोई अन्दाजा है ? क्या उन्होंने कृषि उत्पादों के मूल्यों को उत्पादन लागत के साथ जोड़ने के लिये कोई कार्यवाही की है ? कृषि-क्रान्ति से किसानों को आशा थी कि उनको उत्पादन लागत के अनुरूप दाम मिलेंगे। परन्तु सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। केरल में नकदी फसलों का उत्पादन सबसे अधिक होता है। गत कुछ वर्षों में इनके मूल्यों में गिरावट आई है। हमे काली मिर्च के सम्बन्ध में इण्डोनेशिया का सख्त मुकाबला करना पड़ रहा है। उत्पादन शुल्क के साथ अब काली मिर्च पर भारी निर्यात शुल्क लगाया गया है। इससे केरल में काली मिर्च का उत्पादन कम हो गया है। किसी अन्य देश में काली-मिर्च पर उत्पादन शुल्क नहीं लगाया जाता। निर्यात शुल्क के कारण इण्डोनेशिया के साथ मुकाबला करना असम्भव हो गया है। कृषि मंत्रालय केरल की नकदी फसलों के निर्यात की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दे रहा है। यदि यह मंत्रालय इस ओर विशेष ध्यान नहीं दे सकता तो उन्हें यह मामला विदेश व्यापार मंत्रालय को सौंप देना चाहिये।

चाय बागान बन्द होने वाले हैं। रबड़ का मूल्य 525 रुपये निर्धारित किया गया है परन्तु इस मूल्य पर रबड़ प्राप्त करने की कोई व्यवस्था नहीं है। विदेश व्यापार मंत्रालय रबड़ उत्पादकों से अपेक्षित मात्रा में रबड़ नहीं खरीदता है जिससे उनके हितों की रक्षा की जा सके। यदि यही स्थिति रही तो हमारे निर्यात में संकट पैदा हो जायेगा।

भारत के समुद्री उत्पादों के कुल निर्यात का 25 प्रतिशत भाग केरल से निर्यात होता है। कृषि मंत्री इस ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारे देश में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की कोई व्यवस्था नहीं है। समुद्री विकास प्राधिकरण का, जो शीघ्र स्थापित किया जाने वाला है, मुख्यालय कोचीन में स्थापित किया जाना चाहिये क्योंकि समुद्री उत्पादों का 35 प्रतिशत निर्यात केरल से किया जाता है। परन्तु मुझे पता चला है कि सरकार इसके मुख्यालय को दिल्ली में स्थापित कर रही है। मैं पुनः अनुरोध करता हूं कि इस प्राधिकरण का मुख्यालय कोचीन में स्थापित किया जाये।

प्रशासनिक कार्य के लिये प्रशासनिक सेवा के अधिकारी नियुक्त किये जाने चाहिये परन्तु तकनीकी विभागों के अध्यक्ष केवल तकनीकी विशेषज्ञ नियुक्त किये जाने चाहियें। अन्त में, मैं कहना चाहता हूं कि केरल में कल्लरा और पम्बा परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किया जाना चाहिये।

Shri J. N. Mandal (Gonda) : The irrigation facilities provided in Bihar are quite inadequate. Irrigation facilities are provided in 5 per cent area of Santhal Pargana. Ninety per cent of the population of this area consists of farmers who depend on agriculture only. Lands are not sold in this area and therefore one cannot secure loans by mortgaging land. Government should make some arrangement by which the farmers could get land mortgage loans. I hope Government will pay special attention towards Santhal Pargana. They should appoint a committee so that the people of that area could be provided with timely help and more irrigation facilities could be provided to them.

Shri Tarkeshwar Pandey (Salempur) : Central Government has been ignoring Uttar Pradesh and the State Government has been ignoring the eastern region to the same extent. I would like to suggest that assistance or loans should be sanctioned on the basis of population. Uttar Pradesh is facing flood havoc at this time. Two thousand villages have been submerged. Government should introduce Crop Insurance Scheme. Arrangements should be made to repair tractors in every village at State level. Government should set up workshops for this purpose.

They should also set up centres from where agricultural tools could be made available at reasonable prices. Besides, Government should nationalise sugar industry. In case State Government is having some hesitation, Central Government should rise to the occasion and nationalise it. Electricity, water, fertilzers and seeds should be made available at cheaper rates.

Food Corporation of India has procured foodgrains from western region of Uttar Pradesh and they reached Eastern region afterwards. Eastern region should not be ignored in future. I would like to request the Government to set up an Agricultural University in the eastern region also. It can be set up in Deoria. The hon'ble Minister should examine this proposal.

Shri Birender Singh Rao (Mahendergarh) : India is an agricultural country and 80 per cent of its population depends on agriculture. The farmer is the backbone of the country because he produces foodgrains for the whole of the country and allows his sons to join army for serving the nation. I am sorry to say that the representatives of farmers do not perform their duty as such properly here in this hon. House.

The fast growing population of the country will require 160 million tonnes of foodgrains by the end of 1981. Out of 400 million acres of cultivatable land in the country irrigation facilities have been provided only for 25 million acres during the last 25 years. At this speed it will take 175 years to irrigate 50 per cent of the total cultivatable land. Almost saturation point has been reached in so far as the agricultural production is concerned. The incentive price for the farmer is the only method by which production could be increased.

There is control on manufacturing *gur* and *shakkar*. Within the radius of 15-20 miles of Sugar Mills, canegrowers cannot use sugarcane for himself but sugarcane is purchased by millowners at the rate of Rs. 7/- per quintal. The method of levying tax on tobacco is faulty. The production of tobacco and sugarcane has been decreasing for the last few years. Arrangements should be made to give fair price to the farmers. To-day farmers are being fleeced in *Mandis*. It should be stopped. The consumption of fertilizers is comparatively low in our country. Cheaper irrigation and power facilities are necessary for agriculture. It arrangements are made to this effect only then we would be able to achieve the target of 160 million tonnes of foodgrains.

Shri T. Sohan Lal (Karolbagh) : In the rural areas, 50 per cent of the people are landless. There landless people render services to big landlords on quite inadequate wages and besides, they are treated badly.

I suggest that every family should be provided with 5 acres of land. Only then the big landlords having thousands of acres of land will be able to know the reality. I do not know whether the Government has ever given thought to this situation.

Foodgrains must be sold to those who grow it at a comparatively low price.

Since its inception the Delhi Milk Scheme has suffered a loss of Rs. 5 crores, within a period of eleven years. Apart from that butter-oil and milk-powder are purchased at cheaper prices from the foreign countries. It has been stated in the report of the Public Accounts Committee that there is mismanagement in the Delhi Milk Scheme. At present tonnes of butter and *ghee* are getting rotten but they are not being sold. There is no account of vans there.

So is the case with the spare parts. Spare parts are stolen. This matter was brought to the notice of the Government by a certain officer. But that particular officer was removed from service by the big officers who were in collusion in embezzlement. The matter should have been looked into and if the officer was wrong, he should have been punished. But this has not been done. The Government should look into this matter and punish the officers involved in mismanagement.

Shri G. C. Dixit (Khandwa) : It would not be an exaggeration to say that agriculture is the backbone of Indian economy. In fact it is much more than just the basis of our economy. It is a way of life. Therefore, it is necessary that special attention should be paid to it.

From 1801 to 1901, 31 famines had broken out in our country and crores of people were affected by those famines. The Ministry of Agriculture has now succeeded in improving the situation. It purchased wheat at the rate of Rs. 100 per maund and saved the farmers from becoming victims of famines.

We pay less heed to human ingenuity and efficiency. Take the example of Japan. In 1946 the economy of Japan had shattered completely. But they succeeded in producing enough foodgrains on the basis of education in agriculture. There are thirty national universities where education in agriculture is being imparted, there. Our hon. Minister says that we have got sixteen agricultural universities but this number is very low as compared to the population of the country. We should pay attention towards education in agriculture. It is gratifying to note that agriculture has been given topmost priority in the Fourth Five Year Plan. If we want the country to prosper we will have to pay special attention to agriculture.

Shri Tayyab Hussain Khan (Gurgaon) : First of all, the rural indebtedness should be removed frcm our villages. Small farmers and landless labour are groaning under heavy debts. They have to pay excessive rates of interest. Most of their income is spent on paying the interest only. Therefore, it is necessary to see that they are free from this evil of loan. They must be given relief. Co-operative societies can come to their help. The rates of interest in villages should be fixed in accordance with that of Cooperatives and Reserve Bank.

The small farmers cannot keep foodgrains with themselves for want of godowns and in order to meet their financial requirements, they take their foodgrains to far-fetched mandis and are compelled to sell foodgrains at cheaper rates. So, our schemes have not proved successful in providing any benefit to small farmers.

To-day agriculture is not one of the means of earning adequate livelihood. It is necessary to open cottage industries in villages for small farmers and landless labour to supplement their income.

Only Rs. 3 crores have been allotted for marginal farmers in the Budget. This is a small amount. This amount should be increased.

Tractors are sold in black-market. Attention must be paid towards equal distribution of tractors.

There must be no difficulty in considering crop insurance.

Cotton is grown in Fazilka and Abohar region which is, at present a disputed area. This region has been neglected by both Haryana and Punjab. It should be made a Union territory so that its interests could be protected.

The rate of electricity is high in agriculture while it is very low in industries. This situation should be rectified.

It is necessary that seed of Bajra be sown in Northern India too.

In the areas around Gurgaon the milk-contractors do not give fair price to milkmen. Milk co-operatives should be formed for protecting the interests of milkmen.

The Agra canal flows through Gurgaon district, which is controlled by U. P. Government. It will be in the interest of people of Haryana if the control of this canal is transferred to Haryana Government.

श्रीमती लक्ष्मीकान्थाम्मा (खम्मम): भूमि सुधार कानूनों की क्रियान्विति और गरीब वर्गों में भूमि के वितरण के बारे में काफी समाचार मिले हैं। संविधान के अनुसार पुरुषों और स्त्रियों को समान अधिकार मिले हैं। परन्तु जहां तक स्त्रियों की आर्थिक स्थिति का सम्बन्ध है, स्त्रियों को संपत्ति का समान अधिकार नहीं मिला हुआ है। स्त्रियों को संपत्ति का समान अधिकार दिये जाने लिए हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में अग्रेतर संशोधन किया जाना चाहिए। मैं जानती हूं कि स्त्रियां भी बहुत अच्छी कृषक हैं। विशेषतया कृषि कार्यों में अधिकांश स्त्रियां नियोजित होती हैं परन्तु संविधान में गारंटी होने के बावजूद भी स्त्रियों को समान मजूरी नहीं मिल रही है।

तेलंगना और रायलसीमा में जहां कोई बड़ी सिंचाई योजनायें आरंभ करने की संभावना नहीं है वहां भूमिगत जल सर्वेक्षण किया जाना चाहिये और नलकूपों के लिए रिगों और बरमों जैसी अधिकाधिक मशीनरी प्रदान की जानी चाहिये। कृषि उद्योग निगम के पास रिग और अन्य चीजें बेकार पड़ी हुई हैं। इनमें से अधिकांश चीजें पुर्जे न होने की वजह से बेकार बड़ी हुई हैं और वे मरम्मत तथा दूसरे कार्य आरंभ नहीं करते हैं।

कुछ दिन पूर्व बिहार में नलकूपों के बारे में प्रश्न उठा था। वहां भूमिगत जल निकालने की काफी संभावना है। सरकार को विदेशों से जितनी अधिक मशीनें, रिग और बरमें आदि मिल सकें उतने मंगाकर इस काम को शीघ्र आरंभ करना चाहिये।

आन्ध्र प्रदेश में केवल 26.8 प्रतिशत गांवों में बिजली लगी हुई है और जितने गावों में कुएं हैं उनमें से लगभग एक तिहाई गांवों के नल चालू हैं। चौथी योजना में केवल 15 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जिनमें से 10 करोड़ रुपये पहले ही व्यय किये जा चुके हैं। कृषि उद्योग निगम द्वारा रखी गई शर्तें ऐसी हैं जो पूरी की जाने लायक नहीं है।

आंध्र प्रदेश के साथ समुद्री मत्स्य क्षेत्रों के सिलसिले में अन्याय किया जा रहा है। तीसरी और चौथी योजनाओं में अन्य राज्यों की तुलना में आंध्र प्रदेश के लिये जो धनराशी आबंटित की गई वह बहुत कम है। आंध्र प्रदेश में काफी बड़ा समुद्री मत्स्य क्षेत्र है। इसके बावजूद भी इस उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये कुछ नहीं किया जा रहा है।

कुछ दिन पूर्व तम्बाकू के निर्यात के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। भारत में आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक तम्बाकू होता है परन्तु इस उद्योग के विकास के लिये किये गये अनुरोध को कृषि विभाग ने ठुकरा दिया।

कुरनूल जिले में, वनवासी फार्म नाम की भैंस पालन परियोजना सरकार के विचाराधीन है। उसे स्वीकार किया जाना चाहिए।

Shri Nageshwar Dwivedi (Machlishahr) : At the time of independence Britain owed us 200 crores of rupees. Now we have become debtors. In 1944 in Bengal famine 27 lakhs persons died. We did not attach as much importance to this problem as we ought to have done.

Ours is a very ancient agriculture-oriented country. But during the past, especially during British regime, agriculture was ignored. Both educated and uneducated persons do not want to take up agriculture as their profession. Young people prefer to pull Rikshaw to farming. Thus old retired persons are attending to agriculture these days. This tendency is required to be changed.

The farmers who produce sugarcane get very little returns. Dry wood fetches more price than sugarcane.

Panchayats were established with the purpose of decentralisation. But gradually these have gone into the hands of Secretaries and Inspectors. In order to strengthen democracy we ought to strengthen Panchayati system.

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
Committee on Private Members' Bills and Resolutions

चौथा प्रतिवेदन
Fourth Report

Shri Ramavatar Sashtri (Patna) : I beg to move :

"That this House do agree with the Fourth Report on the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 14th July, 1971."

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के चौथे प्रतिवेदन से, जो 14 जुलाई, 1971 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

हिन्द-चीन देशों में राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों के समर्थन तथा दक्षिण वियतनाम और अन्य राज्यों को मान्यता देने के बारे में संकल्प
Resolution Re. Supporting National Liberation movements in Indo-Chinese States and Recognition to South Vietnam and other States

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री ए० के० गोपालन के प्रस्ताव पर चर्चा होगी।

श्री ए० के० गोपालन (पालघाट): मुझे दस मिनट से अधिक समय लगेगा।

[**श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए**
Shri K. N. Tiwari *in the Chair*]

गुप्त दस्तावेजों के प्रकाशन से अमरीकी साम्राज्यवाद की अच्छी पोल खुली है।

उक्त दस्तावेजों से वियतनाम में युद्ध छेड़ने तथा उसे लाओस और कम्बोडिया तक बढ़ाने का उत्तरदायित्व अमरीका का बताया गया है। अमरीकी साम्राज्यवादियों ने जेनेवा समझौते को खटाई में डाल दिया है। उनकी कार्यवाहियों में लाओस में यू-टू उड़ान, उत्तरी वियतनाम में नौसैनिक बमवर्षा आदि सम्मिलित हैं। उन्होंने अमरीकी जनता को उन कार्यवाहियों से अनभिज्ञ रखा था। उत्तरी वियतनाम पर बमवर्षा के बारे में जानसन प्रशासन में सहमति थी परन्तु निर्वाचन के कारण जनता को गुमराह रखा गया था।

उक्त दस्तावेजों से स्पष्ट हो जाता है कि युद्ध को लाओस और कम्बोडिया में फैलाना अमरीकी नीति थी ।

इस सभा में कई बार इस मामले को उठाया गया । परन्तु अमरीकी सहायता पर निर्भर रहने के कारण हम सरकार को सीधा मार्ग नहीं बता सके हैं । अब अमरीकी साम्राज्यवाद की विभिन्न देशों द्वारा निन्दा हो रही है । परन्तु खेद की बात है कि हमारे विदेश मन्त्री सरदार स्वर्ण सिंह ने अपनी अमरीका यात्रा के पश्चात् वहां की सरकार की सराहना की है । यही मामला शासक दल ने भी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पटना अधिवेशन में उठाया था । परन्तु सरकार जनमत की कब तक अवहेलना करती रहेगी ? बंगला देश पर अमरीकी रवैया प्रकट होने पर हम उनकी दृढ़ता से निन्दा क्यों नहीं करते हैं ?

दो वर्ष पूर्व वियतनाम की अन्तरिम क्रान्तिकारी सरकार का दक्षिणी वियतनाम में निर्माण हुआ था और उसे वहां के लोगों का पूर्ण समर्थन प्राप्त था । कई देशों ने उक्त सरकार को मान्यता प्रदान की है । पचास से अधिक देशों ने उसके साथ सम्बन्ध स्थापित किये हैं । भारत में भी उनका प्रतिनिधि मंडल है ।

परन्तु सरकार साम्राज्यवादी देशों के दबाव में उन सरकारों को पूरी मान्यता नहीं देती । इस मामले का विदेश मन्त्रालय की पिछले वर्ष की रिपोर्ट में उल्लेख हुआ है । परन्तु विदेशी दबाव के कारण सरकार कोई निर्णय नहीं ले सकी ।

क्या कारण है कि भारत कोरिया की एकता का विरोध करती है ? हम दक्षिण कोरिया से अमरीकी सेनाओं की वापसी की मांग क्यों नहीं करते हैं ?

चिली में नई प्रगतिवादी सरकार का निर्माण हुआ । उक्त सरकार को पूरी मान्यता देने में क्या बाधा है ?

जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य को मान्यता देनें के विषय को जर्मन संघीय गणराज्य के आग्रह पर टाला जा रहा है । जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य आर्थिक विकास कार्यों में हमारी सहायता करता रहा है । उसे विश्व के 30 से अधिक देशों द्वारा मान्यता मिल चुकी है । हमें उसे मान्यता देने में क्या आपत्ति है ? अन्ततोगत्वा हमें मान्यता देनी ही पड़ेगी । अतएव इसमें विलम्ब क्यों किया जा रहा है ।

हमारी इस प्रकार की नीतियां हमें राष्ट्रों के मुक्ति संघर्षों से अलग रख रही है । मैं सरकार से उन संघर्षों के समर्थन की जोरदार मांग करता हूं ।

सरकार को वियतनामी जनता के वीरोचित संघर्ष का समर्थन करना चाहिए तथा दक्षिणी वियतनाम की अन्तरिम क्रांतिकारी सरकार को शीघ्र मान्यता देनी चाहिए । पश्चिम बंगाल की विधान सभा में दो बार पूर्वोक्त देशों की मान्यता देने के लिये सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हुए थे ।

मैं समझता हूं कि सरकार आज की राजनीतिक स्थिति का ध्यान रखते हुए उन देशों को मान्यता देगी ।

सभापति महोदय : संशोधन संख्या 1, 2 और 5 असंगत हैं ।

श्री के० एम० मधुकर (मधुबनी) : मैं अपना संशोधन संख्या 3 प्रस्तुत करता हूं।

डा० रानेन सेन (बारासत) : मैं अपने संशोधन संख्या 6,7 और 8 प्रस्तुत करता हूं।

हम साम्राज्यवाद विरोधी हैं। अतएव हमारा कर्तव्य है कि वियतनाम हिन्द चीन से अमरीकी सेनाओं की वापसी की मांग करें।

मैं चाहता हूं कि सरकार दक्षिण वियतनाम की अन्तरिम क्रान्तिकारी सरकार, वियतनाम की जनतान्त्रिक गणराज्य सरकार तथा जर्मन लोकतन्त्रीय गणराज्य सरकार को अभी मान्यता दे।

अमरीकी साम्राज्य द्वारा विश्व में, विशेषतः वियतनाम में अगणित अत्याचार किये जा रहे हैं: न्यू योर्क टाइम्स आदि समाचार पत्रों में भी अमरीका द्वारा किये जा रहे अत्याचारों की कहानियां छप रहीं हैं।

कुछ वर्ष पूर्व श्री कृष्ण मेनन ने कहा था कि अमरीकी साम्राज्य 9 वर्षों में वियतनाम को दबा नहीं सका तथा वियतनाम 900 वर्ष में भी उनके द्वारा दबाया नहीं जा सकता। वियतनाम विश्व के मुक्ति सैनिकों का प्रेरणा स्रोत बन गया है।

मुक्ति फौज के समक्ष भाषण करते हुए बंगला देश सरकार के एक मंत्री श्री कमरूज्जमां ने कहा था कि छोटे से वियतनाम ने अपना इतिहास रक्त से लिखा है और उसने आधुनिकतम अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित अमरीकी साम्राज्यवाद के समक्ष गम्भीरतम संकट उपस्थित कर दिया है। वियतनाम की विजय निश्चित है और हमारी विजय भी निश्चित है।

जहां तक भारत का सम्बन्ध है, हम राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलनों का समर्थन करने के लिए वचनबद्ध हैं। अतः हमारी सरकार द्वारा इन दो वियतनाम राज्यों को मान्यता न देने का कोई कारण ही नहीं है। दक्षिण वियतनाम की अस्थायी क्रान्तिकारी सरकार का देश के 4/5 क्षेत्र पर अधिकार है और उस क्षेत्र के अन्तर्गत 44 प्रान्त, 6 नगर और 1500 गांव हैं। उनकी विदेश नीति पंचशील पर आधारित है। उनकी विदेश नीति शान्ति, गुट-निरपेक्षता और सैनिक गठबन्धनों से दूर तत्वों पर आधारित विदेश-नीति का अनुसरण करने की है। वे सभी देशों के साथ राजनयिक सम्बन्ध भी स्थापित करना चाहते हैं, चाहे उनकी शासन प्रणाली कुछ भी क्यों न हो। क्या हम भी उन्हें पूर्ण राजनयिक मान्यता प्रदान करेंगे ?

अमरीकी सरकार ने भी उस सरकार को वास्तविक मान्यता प्रदान कर दी है। अमरीकी सरकार के प्रतिनिधि दक्षिण वियतनाम की क्रान्तिकारी सरकार और उत्तर वियतनाम की सरकार के प्रतिनिधियों से बातचीत करते हैं। उत्तर वियतनाम की सरकार को 32 देशों ने मान्यता प्रदान कर दी है। उनके नेता हो ची मिन्ह ने जब भारत की यात्रा की तो भारतीय जनता ने उनका भव्य स्वागत किया। उत्तर वियतनाम को मान्यता प्रदान करने वाले देशों में स्वीडन, नार्वे जैसे पूंजीवादी और समाजवाद में विश्वास न रखने वाले देश भी शामिल हैं। श्रीलंका की सरकार ने भी उसे मान्यता प्रदान कर दी हैं।

जर्मन लोकतान्त्रिक गणराज्य लोकतन्त्र, शान्ति और समाजवाद के सिद्धान्तों में आस्था रखता है। वहां की सरकार ने फासिस्टवाद को समूल नष्ट करने की प्रतीज्ञा कर रखी है। स्पेन के गृह-युद्ध के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस फासिस्टवाद-विरोधी थी और उसने फ्रांको के फासिस्टवाद का विरोध करते हुए रिपब्लिकनों का समर्थन किया था। कांग्रेस ने हिटलर के आक्रमण की भी भर्त्सना की थी। इस समय हमारे देश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार है। जर्मन लोकतान्त्रिक गणराज्य ही सम्भवतः एकमात्र विकसित देश था, जिसने 1965 में पाकिस्तान द्वारा भारत पर आक्रमण किये जाने पर भारत का समर्थन किया था। आज के संकट के समय भी इस देश ने हमारा समर्थन किया है। डा० कर्ण सिंह ने जब वहां की यात्रा की तब उनकी यात्रा की समाप्ति पर जो संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित की गई, उसमें कहा गया कि दोनों सरकारें इस बात पर भी सहमत हैं कि इस प्रकार का वातावरण और स्थितियां तैयार की जानी चाहिए जिनसे शरणार्थी निकट भविष्य में सुरक्षापूर्वक, वापस लौट सकें और यह तभी हो सकता है जबकि पूर्वी बंगाल के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ परामर्श से वहां की राजनीतिक समस्याओं का समाधान निकाला जाय। बंगला देश के बारे में दोनों देशों का दृष्टिकोण समान है और उसमें संकट के समय सदैव हमारा साथ दिया है अतः इस देश को शीघ्र मान्यता प्रदान की जानी चाहिए।

यह होल्स्टीन सिद्धान्त है कि अगर हम जर्मन लोकतान्त्रिक गणराज्य को मान्यता प्रदान करते हैं, तो जर्मन संघीय गणराज्य की ओर विरोध प्रकट किया जायगा। यह सिद्धान्त सही नहीं है। विश्व के अनेक देशों ने पूर्व और पश्चिम जर्मनी दोनों ही देशों को मान्यता दे रखी है। हमें भी साहस करके सही स्थिति स्वीकार करनी चाहिए।

अब मैं कोरियाई लोकतान्त्रिक गणराज्य के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। राष्ट्र संघ के तत्त्वावधान में उत्तर और दक्षिण कोरिया का संयुक्त चुनाव हुआ और सरकार स्थापित हो गई, परन्तु संयुक्त राज्य अमेरिका ने वहां अपनी सेनायें भेजकर कठपुतली सरकार की स्थापना कर दी।

इन सभी देशों को भारत सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की जानी चाहिए। साम्राज्यवादी अमरीका अधिक से अधिक हमें पी० एल० 480 के अन्तर्गत सहायता बन्द कर सकता है।

यह सहायता अनुदान के रूप में नहीं मिल रही है, हम इसके लिए डालरों में भुगतान करते हैं।

अभी अभी महत्वपूर्ण समाचार मिला है कि राष्ट्रपति निक्सन के सलाहकार श्री कीसिंगर ने चीनी प्रधान मंत्री चाऊ एन-लाई से भेंट की है और चाऊ एन-लाई ने राष्ट्रपति निक्सन को चीन आमन्त्रित किया है। मुझे भय है कि बंगला देश की पीठ में ही छुरा नहीं भोंका जायगा, बल्कि चीन और अमरीका—दोनों द्वारा वियतनाम की पीठ में भी छुरा भोंका जायगा। अतः भारत सरकार को साहस दिखाना चाहिए और इन सरकारों को मान्यता प्रदान करनी चाहिए।

***श्री आर० पी० उलगनम्बी** (वैल्लोर) : मैं श्री ए० के० गोपालन द्वारा पेश किये गये उस संकल्प का समर्थन करता हूं, जिसमें पूर्व जर्मनी, उत्तर वियतनाम, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण वियतनाम

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

की अस्थायी क्रान्तिकारी सरकार को मान्यता प्रदान करने की मांग की गई है ।

पूर्व जर्मनी के वाणिज्य महादूतावास, नई दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में कार्य कर रहे हैं । उत्तर वियतनाम और उत्तर कोरिया के वाणिज्य दूतावास भी नई दिल्ली में स्थित हैं । दक्षिण वियतनाम की क्रान्तिकारी नेता मैडम बिन्ह ने जब हमारे देश की यात्रा की, तो विदेश मंत्रालय के अथिति के रूप में उनका स्वागत किया गया । पिछले अगस्त के महीने में पूर्व जर्मनी के साथ पारस्परिक आधार पर हमने वाणिज्य दूतावासों के दर्जे को बढ़ाया । पूर्व जर्मनी के साथ हमारे व्यापार में निरन्तर वृद्धि हो रही है । इसका अर्थ यह है कि हमारे सम्बन्ध उनके साथ दृढ़ हो रहे हैं । पश्चिम जर्मनी भी पूर्व जर्मनी को मान्यता देने की दिशा में अग्रसर हो रहा है ।

आज यह एक सर्वविदित तथ्य है कि अमरीका के खुल्लम खुल्ला हस्तक्षेप के कारण ही जर्मनी, वियतनाम और कोरिया का विभाजन होकर दो-दो देश बन गये हैं । वही अमरीका बंगला देश की जनता का दमन करने के लिए पाकिस्तान को हथियार दे रहा है । हमारा देश विश्व के सभी स्वाधीनता आन्दोलनों का समर्थन करता रहा है । आज हमारा देश इन स्वाधीनता आन्दोलनों की अस्त्र शस्त्रों से सहायता करने की स्थिति में नहीं है, परन्तु इन देशों को राजनयिक मान्यता देकर तो हम इनकी सहायता कर सकते हैं ।

हम इन देशों के साथ अपने व्यापार सम्बन्धों में सुधार करने के लिए अत्यधिक उत्सुक हैं । मेरी समझ में नहीं आता कि इन देशों को मान्यता देने से हमारे राष्ट्रीय हितों पर कैसे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । किसी भी देश को मान्यता देने से पूर्व तीन शर्तों का पूरा होना आवश्यक है—जो इस प्रकार हैं :— देश की निश्चित सीमा होनी चाहिए, जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार होनी चाहिए और उस देश में कानून और व्यवस्था का शान्तिपूर्ण वातावरण होना चाहिए । सारा विश्व जानता है कि ये देश इन सभी शर्तों को पूरा करते हैं । अतः भारत सरकार को इन देशों को मान्यता देने में विलम्ब नहीं करना चाहिए ।

Shri G. P. Yadav (Katihar) : I support the resolution, moved by the hon'ble Member, Shri A. K. Gopalan.

It has been the well known policy of the Government of India to raise voice in support of the democratic values and freedom struggles. We had protested against the Russian interference in Hungary in 1956. Similarly, 550 millions of people had protested against Russian interference in Czechoslovakia in 1968. We had also condemned the bombing over North Vietnam by America.

So far as the establistment of diplomatic relations in concerned, I would like to mention that our country has not established diplomatic relations with Israel also. The Government of India should establish diplomatic relations with Israel also.

The people of Bangla Desh have been fighting for the liberty of their country under the heroic leadership of Sheikh Mujibur Rahman. The people of India have a feeling of resentment on account of delay in recognising Bangla Desh by the Government of India. We should accord recognition to Bangla Desh as early as possible. We should have a concrete foreign policy in this regard.

Shri Shashi Bhushan (South Dehli) : Dr. Ranen Sen has just now stated that it has been reported in the newspapers that Mr. Kissinger had paid a secret visit to China and President

Mr. Nixon would go to China next year. Madam Binh had told me in New Delhi as well as in Budapest that Vietnamese people are fignting against the American Imperialism with great determination and self-confidence.

Mr. Chairman, you yourself have been a revolutionary. It has been the policy of our Government to help national liberation movements of all the countries. We should accord full recognition to these countries. The North Vietnam would fight the American imperialism with determination, if we establish diplomatic relations with them even if China do not support them.

The status of our consulate in North Vietnam should be raised to that of a full-fledged embassy. Bangla Desh should also be given recognition. We have very good trade relations with German Democratic Republic and have common political views.

Our country is moving very fast towards the goal of socialism. We should, therefore, establish diplomatic relations with socialist countries. I therefore request the Government to have diplomatic relations with North Vietnam, German Democratic Republic and Korea as early as possible.

श्री इन्द्रजीत गुप्त (आलीपुर) : इस नये समाचार के प्रति भारत सरकार की प्रतिक्रिया को जाने बिना यह वाद-विवाद निरर्थक है।

श्री कीसिंगर की अत्यधिक गोपनीय चीन यात्रा और राष्ट्रपति निक्सन की प्रस्तावित चीन यात्रा को भारत सरकार क्या महत्व देती है ? वियतनाम समस्या पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और दोनों वियतनाम को मान्यता प्रदान करके युद्ध को शीघ्र समाप्त करने की दिशा में भारत सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

इस समाचार से पता चलता है कि अमरीका वियतनाम में घुटने टेक चुका है। अब वे सारे संसार के सामने अपनी पराजय को स्वीकार करने की बजाय चीन यात्रा द्वारा किसी न किसी फार्मूले को ढूंढकर अपनी पराजय और नीति की असफलता को छिपाना चाहते हैं।

वियतनामी जनता ने युद्ध-क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि पेरिस वार्ता में भी अपने चातुर्य का परिचय दिया है।

मैडम बिन्ह ने जो भारत की यात्रा भी कर चुकी हैं, प्रत्येक रचनात्मक प्रस्ताव, उदाहरणार्थ युद्धबन्दी, अमरीकी युद्ध बन्दियों की रिहाई और सम्पूर्ण वियतनाम में निस्पक्ष चुनाव से सहमति व्यक्त की। वह ऐसी संयुक्त सरकार स्थापित करने के भी पक्ष में हैं, जिसमें थोड़े से अमरीकी कठपुतली मंत्रियों को छोड़कर सभी मंत्रियों को भी शामिल किया जायगा।

अब साम्राज्यवादी अमरीका अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए एक ऐसे फार्मूले को ढूंढने के प्रयास में है जिससे वह अपनी फौजों को वापस बुला सके। क्या हम निष्क्रिय और मूक दर्शक बने रहेंगे या दोनों वियतनाम को मान्यता प्रदान करके कुछ रचनात्मक कार्यवाही करेंगे ?

इसलिए भारत सरकार को कुछ साहस दिखाना चाहिए और इन दो सरकारों को राजनयिक मान्यता प्रदान करके उन्हें नैतिक साहस भी प्रदान करना चाहिए। इस प्रकार भारत विश्व-समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है।

Shri M. Ramgopal Reddy (Nizamabad) : Mr. Chairman, we always interfere in the affairs of other countries and this creates problems for India. We never think as to what we are going to gain by granting recognition to Vietnam. Has North Vietnam spoken a single word about Bangla Desh ? If not, may I know the reason as to why we are worried about it. Similarly, we should not come in the way of developing friendship between America and China. However, we should remain cautious about them. As regards Tibet affairs, we invited Lama and suffered on that account. We abused America and she got angry with us. I would like to say that we should improve our position before interfering in the affairs of others.

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): श्रीमन्, समयाभाव के कारण मैं वाद-विवाद के महत्वपूर्ण अंशों को ही लूंगा। श्री इन्द्रजीत गुप्त ने डा० हेनरी कीसिंगर के चीन के गुप्त दौरे का उल्लेख किया। यह घटना महत्वपूर्ण है और इससे सम्पूर्ण विश्व में एक परिवर्तन आ सकता है। इस सम्बन्ध में यह घोषणा भी की गई है कि अमरीकी राष्ट्रपति चीन की यात्रा करेंगे। अमरीकी राष्ट्रपति ने भी इसे स्वीकार करते हुए कहा है कि चीन के सहयोग के बिना विश्व में स्थायी शान्ति स्थापित नहीं हो सकती। हम तो यह चाहते ही हैं कि विभिन्न देशों के बीच तनाव कम हो और उनके पारस्परिक सम्बन्ध सुधरें। इस दृष्टि से हम अमरीका-चीन मैत्री का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि इस गतिविधि से वियतनाम, लाओस और कम्बोडिया की समस्याओं को शान्तिपूर्ण ढंग से शीघ्र हल करने में सहायता मिलेगी। साथ ही हम यह आशा करते हैं कि सम्बन्धों में यह सुधार एक नया राजनीतिज्ञ चक्रव्यूह नहीं बनेगा। इस अवसर पर मैं इस सम्बन्ध में केवल इतना ही कहना चाहूंगा।

कुछ सदस्यों ने हमारी विदेश नीति की आलोचना की है। उनसे मेरा यह निवेदन है कि राष्ट्र हित की दृष्टि से हमारी विदेश नीति उत्तम रही है। वियतनाम समस्या के सम्बन्ध में हमारी नीति यह रही है और रहेगी कि वहां से विदेशी सैनिक पूरी तरह से हटा लिए जायें और समाधान ऐसा हो जो वहां के लोगों को स्वीकार्य हो। श्रीमती बिन्ह ने वियतनाम समस्या का जो 7 सूत्रीय समाधान सुझाया है, हम उसका भी समर्थन करते हैं क्योंकि यह समाधान अब तक के सुझावों में सर्वोत्तम है। हम चाहते है कि वहां युद्ध की स्थिति यथाशीघ्र समाप्त हो जाये। जहां तक लाओस और कम्बोडिया की समस्या का सम्बन्ध है, यह वियतनाम समस्या का विस्तार मात्र है। हमारे विचार से वियतनाम समस्या के समाधान में ही कम्बोडिया और लाओस की समस्याओं का समाधान निहित है।

जहां तक दक्षिण वियतनाम की अस्थायी सरकार को मान्यता देने का सम्बन्ध है, इस पर वियतनाम समस्या के शान्तिपूर्ण राजनीतिक समाधान के सन्दर्भ में ही विचार किया जा सकता है। वियतनाम लोकतंत्रात्मक गणराज्य के साथ हमारे सम्बन्ध बढ़ते जा रहे हैं। उक्त सरकार को मान्यता उचित समय पर दे दी जायेगी। वास्तव में उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया दोनों ही के साथ हमारे सम्बन्ध है और वहां पर हमारे वाणिज्य दूत हैं। उनके साथ पूर्ण राजनयिक स्तर पर सम्बंध स्थापित करने में अभी समय लगेगा।

जहां तक जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य का सम्बन्ध है उसके साथ हमारे सम्बन्ध में सुधार होता जा रहा है। वर्ष 1967 में वहां राज्य व्यापार निगम का कार्यालय स्थापित किया गया था। 1961 में वहां व्यापार के लिए कार्यालय खोला गया और 1970 में वहां वाणिज्य-दूतावास खोल दिया गया। इस प्रकार हमारे सम्बन्ध बढ़ते जा रहे हैं। पूर्व और पश्चिम जर्मनी के बीच जो बातचीत चल रही है, उनसे हमें संतोष होता है। जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य के संयुक्तराष्ट्र में प्रवेश का हमने समर्थन किया है। इस दिशा में शनैः शनैः जो प्रगति हो रही है, वह ठीक है और इस दिशा में अधिक तेजी दिखाना ठीक नहीं होगा। विदेश नीति निर्धारित करते समय हम राष्ट्र-हित को सर्वोपरि रखते हैं।

जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न संस्थाओं में प्रवेश का हम समर्थन करते हैं। इस समय सरकार की यही नीति है। इस सन्दर्भ में, मैं संकल्पकर्ता से अनुरोध करता हूं कि यह अपने संकल्प पर बल न दें।

श्री ए० के० गोपालन : माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में केवल यह कहा है कि समय के साथ-साथ समाधान स्वयं ही निकल आयेगा। संकल्प के पहले भाग में मैंने यह इच्छा व्यक्त की है कि इंडोचीन देशो में अमरीका के आक्रामक रवैये की निन्दा की जाये। किन्तु मंत्री महोदय ने उसका उल्लेख तक नहीं किया। जहां तक वियतनाम समस्या का सम्बन्ध है, भारत की दायित्व यहां अन्य देशों की अपेक्षा अधिक है, क्योंकि वह अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग का सदस्य है। इस क्षेत्र में अमरीका की गतिविधि देखकर भारत सरकार वहां क्या करने जा रही है, इस बात का भी उल्लेख नहीं किया गया।

जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य के सम्बन्ध में मंत्री ने यह कहा कि शान्तिपूर्ण समझौते के बाद हम उसे मान्यता दे देंगे। किन्तु ऐसा समझौता हो जाने के पश्चात् आप मान्यता दें या न दें, इससे उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? मेरी समझ में यह नहीं आता है कि मान्यता देने के मार्ग में उनके सामने कौनसी बाधा है। शायद यह बाधा है कि अमरीकी साम्राज्यवाद इससे नाराज होगा और उससे हमें सहायता नहीं मिलेगी। हमारी विदेश नीति स्वतंत्र नहीं है। यह अमरीका की इच्छा के अनुसार तैयार की जाती है। यही सबसे बड़ी बाधा है। इन देशों को मान्यता देने के सम्बन्ध में सरकार उनसे सहानुभूति प्रकट करती है और वह भी मौखिक। भारत सरकार उन्हें कभी मान्यता नहीं देगी। इस सम्बन्ध में जो बातें 1969-70 में कही गई थी, वे ही अब कही गई हैं। क्या मंत्री महोदय बदली हुई अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में इस प्रश्न पर पुनर्विचार करेंगे ?

श्री स्वर्ण सिंह : वियतनाम समस्या के बारे में हमारा जो दृष्टिकोण है, उसका ब्यौरा मैंने जानबूझकर नहीं दिया था। संयुक्तराष्ट्र की महासभा में अपने वक्तव्य में मैंने इसे सविस्तार लिया था। माननीय सदस्य यदि चाहें तो उसे देख लें। किन्तु यह कहना ठीक नही है कि मान्यता देने के मार्ग में हमारे सामने वैसी बाधा है जिसका उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है। साथ ही मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि आज की परिस्थितियों में हम उस प्रकार से काम नहीं कर सकते जिसका सुझाव माननीय सदस्य ने दिया है।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 3,6,7 और 8 मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए

The amendment Nos. 3, 6, 7, and 8 were put and negatived.

सभापति महोदय : क्या आप अपने संकल्प को वापस ले रहे हैं ?

श्री ए० के० गोपालन : जी, नहीं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"इस सभा की राय है कि सरकार राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलनों का दृढ़तापूर्वक समर्थन करे और तीन हिन्द-चीन देशों में अमरीकी आक्रमण की स्पस्ट शब्दों में निन्दा करे, दक्षिण वियतनाम की अन्तरिम क्रान्तिकारी सरकार को मान्यता प्रदान करे तथा वियतनाम लोकतंत्रीय गणराज्य, कोरियाई जनवादी लोकतंत्रीय गणराज्य और जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य की सरकारों को पूर्ण मान्यता प्रदान करें।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The motion was negatived

संविधान संशोधन विधेयक पास करने के लिए संयुक्त बैठक के उपबंध के बारे में संकल्प

RESOLUTION RE : PROVISION OF JOINT SITTING FOR PASSING CONSTITUTION AMENDMENT BILL

सभापति महोदय : सभा अब श्री शशि भूषण के संकल्प पर विचार करेगी ।

Shri Shashi Bhushan (South Delhi) : I beg to move that :

"This House is of the opinion that the Constitution be so amended as to provide explicitly for the joint sitting of the two Houses of the Parliament for passing a Bill to amend the Counstitution when such a Bill, having been passed by the Lok Sabha, is rejected by the Rajya Sabha."

In the recent past a Bill abolishing the privy purses and privileges of ex-rulers was passed by Lok Sabha but unfortunately this Bill was rejected by Rajya Sabha by one vote only. It was then felt that there should be an explicit provision in the Constitution for joint sitting of both the Houses to solve such problems. It is time that there is already a provision in the Constitution for just sitting of both the Houses but that can be held in the case of only Money Bills.

[डा० सरदीश राय पीठासीन हुए
Dr. Saradish Roy *in the Chair*]

It is also understood that Government is soon going to introduce a Bill for abolishing property rights. Further I may say that we are going to establish a socialistic society and for that it is necessary to strengthen the hands of judges. To pass a Bill for strengthening the hands of judges it is necessary to have such a provision that Rajya Sabha may not be able to put hands in the way. The rich are becoming richer and the poor are becoming more poor and to bridge the gap we have to adopt some way. Such a provision is absolutely necessary to solve all the problems which might be there in the way in passing the required legislation. Keeping all these things in view, I am introducing the resolution.

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"इस सभा की राय है कि संविधान में इस प्रकार का संशोधन किया जाये कि उसमें संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को, जब ऐसा विधेयक लोक सभा द्वारा पास किये जाने पर राज्य सभा द्वारा अस्वीकृत किया जाता है, पास करने के लिए संसद् की दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक करने के लिए स्पष्ट उपलब्ध हो ।"

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मैं संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री कृष्ण मेनन (त्रिवेन्द्रम) : इस संकल्प का समर्थन करते समय मैं किसी प्रकार का कोई तर्क नहीं देना चाहता । यदि लोक सभा द्वारा कोई विधेयक पास कर दिया जाता है और वह राज्य सभा द्वारा रद्द कर दिया जाता तो उसको पास करने हेतु संयुक्त बैठक की बात को सिद्धान्त रूप से पहले स्वीकार किया जा चुका है । अतः मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं ।

श्री राजा कुलकर्णी (बम्बई-उत्तर पूर्व) : मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं। इस समय देश में सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन हो रहे हैं। स्वयं सरकार भी समाज में परिवर्तन लाना चाहती है। अतः हम नहीं चाहते कि इसमें कोई संवैधानिक बाधा उत्पन्न हो। संविधान के अनुच्छेद 108 के अन्तर्गत केवल राष्ट्रपति ही दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। राष्ट्रपति ने अपने इस अधिकार का प्रयोग केवल एक बार 1961 में दहेज विधेयक के मामले में किया था। भविष्य में ऐसे अनेक अवसरों के उत्पन्न होने की सम्भावना है। अतः संकल्प में जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है वह अत्यावश्यक है। यह एक प्रक्रिया सम्बन्धी मामला है। संविधान के अनुच्छेद 108 में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि कोई मामला एक लम्बी अवधि तक उलझा न रहे।

भविष्य में जैसा कि प्रस्तावक ने कहा, अनेक ऐसे विधेयक प्रस्तुत किये जाने वाले हैं जिन पर दोनों सभाओं में मतभेद हो सकता है। शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित करने जैसे अनेक विधेयक इस सभा में प्रस्तुत होने वाले हैं। हो सकता है राज्य सभा द्वारा इनमें से किसी विधेयक को रद्द कर दिया जाये। अतः इस प्रकार बाधा उत्पन्न हो सकती है। संविधान ऐसा होना चाहिए जो कि लोगों की भावनाओं को दर्शा सके। संकल्प में राज्य सभा के महत्व अथवा रुतबे को कम करने की कोई बात नहीं है। संकल्प में केवल इतना कहा गया है कि यदि राज्य सभा किसी विधेयक को अथवा इसके संशोधन को पास नहीं करती तो इस मामले को हल करने के लिए दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक होनी चाहिए। अतः मैं संकल्प का समर्थन करता हूं तथा आशा करता हूं कि सरकार यथासम्भव शीघ्र आवश्यक संशोधन करेगी।

Shri S. M. Benerjee (Kanpur) : I rise to support the resolution introduced by my friend Shri Shashi Bhushan. If we want to establish socialistic society then it is necessary to nationalise each and everything. We have to remove all the bottle necks which may come in the way of progress in this regard. Since the attainment of independence, the rich have become more rich and the poor have become more poor. There are people in this country who earn only 60 paise per day.

I am not against the judiciary but wh: I see some of the decisions of the Supreme Court. I am forced to think that it is better not to have any judiciary. Due to these things we could not abolish privy purpes and nationalist Sugar Mills in U.P. Some of the Millowners have filed a writ in the High Court. Similarly, the Supreme Court had put obstacles on the way of nationalising banks.

The President can summon the joint sitting of both the Houses under Act. 108 of the Constitution. But that can be done only in the case of money Bills. Only once in the past the President used his authority under this Article in 1961.

We will support the Government if it brings any Bill amending the Constitution for imposing ceiling on Urban property and abolishing Zamindari.

We were hoping that Government will bring forward a Bill for abolishing privy purses of the ex-rulers during the current session but I am sorry to say that Government has not done so.

I congratulate Shri Shashi Bhushan for bringing this resolution. I hope the House will pass this resolution.

श्री वयालार रवि (चिरयिंकील) : मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं। इस सभा द्वारा पास किये जाने वाले विधेयकों की रक्षा के लिए ऐसे उपलब्ध का होना आवश्यक है। भारत के लोग

चाहते हैं कि देश प्रगति करे तथा देश में गरीबी का उन्मूलन हो और रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न हों। परन्तु यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि संसद् तथा राज्य विधान सभाओं द्वारा पास किये गये अनेक विधेयकों को उच्चतम न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया है। क्या संविधान का अर्थ यह है कि वह प्रगति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करे ? मेरे विचार में संविधान का ऐसा उद्देश्य नहीं है। भूतपूर्व नरेशों का किसी थैलियां सम्बन्धी विधेयक को पहले राज्य सभा द्वारा तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया है। परन्तु जिस ढंग से यह विधेयक राज्य सभा में पास नहीं हो सका उससे लगता है कि इसने लोगों की इच्छाओं की पूर्ति में बाधा उत्पन्न की है। इस सभा के सदस्य लोगों के मतों से चुन कर आते हैं। अतः राज्य सभा को इसकी भावनाओं का आदर करना चाहिए।

बैंकों का राष्ट्रीयकरण अमीरों तथा गरीबों के बीच विद्यमान विभेद को पूरा करने के लिए था परन्तु उच्चतम न्यायालय ने उसको भी रद्द कर दिया था। केरल में भूमि सम्बन्धी कानून को न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था। न्यायालयों द्वारा जब कभी भी किसी कानून को रद्द किया जाता है तो यह कहा जाता है कि यह मूल अधिकारों के विरुद्ध है। हमें याद रखना चाहिए कि देश में एक क्रान्ति आ रही है। इस कान्ति में प्रत्येक मतदाता भाग ले रहा है। प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि समाज के समूचे ढांचे को बदल दिया जाये। रक्त क्रान्ति के बिना भी समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। अतः यह क्रान्ति ऐसी ही है। लोग चाहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय इस परिवर्तन के मार्ग में बाधा उत्पन्न न करें। इस दृष्टिकोण से प्रस्तुत संकल्प बहुत महत्वपूर्ण है। हमें लोगों को यह विश्वास दिलाना है कि हम उनके हितों की रक्षा करेंगे। इस सभा को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए भी इस संकल्प का समर्थन करना चाहिए।

अभी तक उच्चतम न्यायालय के दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन नहीं आया। दुर्भाग्यवश आज भी उनकी मान्यता नहीं है। अतः अब समय आ गया है जब कि हमें कुछ साहसपूर्ण कदम उठाने चाहिएं। लोगों की इच्छाओं को कियान्वित करने के लिए, अपेक्षित विधेयक बनाने की आवश्यकता है। यही इस संकल्प का उद्देश्य है और मुझे आशा है कि सभी ओर से यहां तक कि श्री पीलू मोदी भी इस संकल्प का समर्थन करेंगे।

सरकार जब भी कोई विधेयक प्रस्तुत करती है तो सम्पत्ति का अधिकार उसके रास्ते में आ जाता है। जब राजाओं, महाराजाओं की निजी थैलियां समाप्त करने का प्रश्न न्यायालयों के सामने आया तो भी ऐसा ही हुआ। अतः आज इस स्थिति में पूर्ण परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

आज केरल में विद्यार्थी आन्दोलन चल रहा है। वहां एक विद्यार्थी को कालेज में प्रवेश पाने के लिए 500 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक की रिश्वत देनी पड़ती है। वहां की शिक्षा प्रणाली में कुछ आधारभूत परिवर्तन करने के लिए केरल सरकार ने वहां एक प्रगतिशील विधेयक प्रस्तुत किया था परन्तु उच्च तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा उसे रद्द कर दिया गया। श्री शशिभूषण महोदय ने भी शिक्षा के क्षेत्र में कुछ आधारभूत परिवर्तन करने की बात की है। मैं समझता हूं कि हम सब को लोगों की इच्छाओं का सम्मान कर, प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का पूर्ण समर्थन करता हूं।

Shri M. C. Daga (Pali) : During elections we declared it to public that we wanted to usher an era of Socialism by eradicating poverty and bring some fundamental changes in our Constitution. So now it is high time for us to implement such changes. Our present Constitution

is not much suited to our present needs. It cannot fulfil the aspirations of the people. We want to establish a socialistic society through peaceful means. We want to establish a classless society. To achieve these objects it is necessary to amend the Chapter of Fundamental Rights as given in Article 31.

Many hon. Members have talked of the Supreme Court decision. We have been elected by the people and we have got every right to enact legislation according to their aspirations. We can have our guidance, directions from the Constitution but not from the Supreme Court. The Capitalists, we are having their vested interests, oppose any amendment regarding property rights. They are not in favour of amending the Constitution which was formed in 1950. But as I said earlier, we are here to express the feelings and aspirations of the poor. So we must do justice to our duty. We must work for eliminating the difference between the rich and the poor. We must keep our promise.

The hon. Members who oppose this resolution want to retain their right of exploitation. The object of the mover of this resolution is that if a legislation amending the Constitution is turned down by Rajya Sabha, a joint meeting of both the Houses should be called for to consider it. My amendment is that if any amendent is carried out by Rajya Sabha, such a legislation should be sent back of Lok Sabha and a joint session of both the Houses should consider the same. With this amendment I support the Resolution.

Shri N. K. Sinha (Muzaffarpur) : Mr. Chairman, Sir, I am here to support the resolution moved by hon. Member Shri Shashi Bhushan. The social changes which we want to bring in our country, cannot be implemented through administrative set up alone. Some constitutional changes are also necessary to expedite the same. The suggestions which have been given by Shri Shashi Bhushan in his resolution, were also given to our Constituent Assembly at the time when our Constitution was being framed. But by the pressure of some vested interests outside the Congress, these suggestions were turned down. Now again these changes are being opposed only by the vested interests. But this resolution adds to the dignity and powers of Rajya Subha. The only object of this resolution is that in case there is a difference of opinion between Lok Sabha and Rajya Sabha, there should be a joint session of both the Houses to reconsider the same ligislation. Mr. Chairman, Sir, I strongly feel that the object of this resolution is just and fair and it should be accepted and supported by all sections of the House, as well as by the Government.

श्री निंबालकर (कोल्हापुर) : श्रीमान् जी, यद्यपि मैं श्री शशिभूषण द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्कों से सहमत नहीं हूं फिर भी मैं उनके संकल्प का बिना अपनी ओर से कोई तर्क दिये समर्थन करता हूं। मुझे आशा है कि इस संकल्प द्वारा इस सदन और सरकार दोनों को ही लाभ होगा।

श्री अमृत नाहाटा (बाड़मेर) : सभापति महोदय, हमने अपने देश की राजनीतिक व्यवस्था के लिए लोकतन्त्रात्मक प्रणाली को अपनाया है और हमारा यह विश्वास है कि जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि ही, लोगों के भविष्य के निर्माता हो सकते हैं। इसीलिए तो हमारे संविधान निर्माताओं ने लोक सभा और राज्य सभा को समान शक्तियां नहीं दी हैं क्योंकि राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन सीधा लोगों द्वारा नहीं किया जाता। हम लोक सभा के सदस्य ही वास्तव में भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसीलिए वित्त विधेयकों के सम्बन्ध में राज्य सभा को लोक सभा की अपेक्षा कहीं कम शक्तियां दी गई हैं।

वास्तव में लोक सभा के सदस्य ही भारत के लोगों का वास्तविक प्रतिनिधित्व करते हैं। चुनाव व्यवस्था के लिए ही भारत के लोगों का विभाजन विभिन्न चुनाव क्षेत्रों में किया जाता है, परन्तु हम

सभी भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्य-सभा जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, इसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है और प्रमुख रूप से यह राज्यों के हितों की सुरक्षा करती है। अतः जब कभी भी हमें इन दोनों सदनों के बारे में विचार करना हो, हमें इनकी रचना को सदा ध्यान में रखना चाहिये। जब हम इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि राज्य सभा में हमारे देश की वास्तविक राजनीतिक स्थिति का प्रतिबिम्ब देखने को नहीं मिलता। उदाहरणार्थ अब लोक-सभा के मध्यावधि चुनाव हो गये हैं। भारत के लोगों ने इस सदन की संरचना में अपना सशक्त योगदान दिया है, परन्तु राज्य सभा की संरचना पर इस राजनीतिक परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। ऐसा लगता है मानों देश की राजनीतिक वास्तविकता से इसका कोई सम्बन्ध ही न हो।

सभापति महोदय : अगले दिन जब इस विषय पर चर्चा की जायेगी, तो आप अपना भाषण जारी रखें। अब सदन स्थगित होता है।

इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार, 19 जुलाई, 1971/28 आषाढ़, 1893 (शक) के 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, July 19, 1971/Asadha 28, 1893 (Saka)

(Raja) Ram Kumar Press, Lucknow—27-11-1972—490.

P.L.S. 48. V. 40. 71 (.न)
490

© 1971 प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों (पांचवां संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और
व्यवस्थापक, (राजा) राम कुमार प्रेस, लखनऊ द्वारा मुद्रित ।

© 1971 BY THE LOK SABHA SECRETARIAT

PUBLISHED UNDER RULES 379 AND 382 OF THE RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS IN LOK SABHA (FIFTH EDITION) AND PRINTED BY THE MANAGER, (RAJA) RAM KUMAR PRESS, LUCKNOW.